

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244888

CG-DL-E-03042023-244888

XXXXII/XXXX

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1503]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945

No. 1503]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 1/2023

का.आ. 1565(अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 को अधिसूचित करती है। यह विदेश व्यापार नीति दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति, 2023 को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

[फा. सं. 01/75/171/00016/एम-23/एफटीपी प्रकोष्ठ]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

अध्याय-1**विधिक ढांचा और व्यापार सरलीकरण****क. विधिक ढांचा****1.00 विदेश व्यापार नीति का विधिक आधार**

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 को यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, (1992 की सं. 22) [एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम] की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

1.01 विदेश व्यापार नीति की अवधि

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 जिसमें माल और सेवाओं के निर्यात और आयात संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है, दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी तथा तब तक प्रचालन में जारी रहेगी, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट या संशोधित न की जाए। दिनांक 31.03.2023 तक किए गए सभी निर्यात तथा आयात प्रासंगिक विदेश व्यापार नीति द्वारा तदनुसार शासित होंगे, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

1.02 विदेश व्यापार नीति में संशोधन

केन्द्र सरकार समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में जारी अधिसूचना द्वारा विदेश व्यापार नीति में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार रखती है।

1.03 प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) और परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र (एएनएफ):

महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों में दिए गए प्रयोजनों के लिए, निर्यातक या आयातक या किसी लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र सहित प्रक्रिया पुस्तक अथवा उससे संबंधित संशोधन यदि कोई हो, को सार्वजनिक सूचना के द्वारा अधिसूचित कर सकते हैं।

1.04 सामान्य प्रावधान से अधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रावधान

जहाँ विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) में होगा, वहाँ यह सामान्य प्रावधान से अधिक महत्वपूर्ण होगा।

1.05 परिवर्ती व्यवस्था

(क) विदेश व्यापार नीति 2023 लागू होने से पहले जारी कोई भी लाइसेंस/प्राधिकार पत्र/प्रमाणपत्र/स्क्रिप/वित्तीय अथवा राजकोषीय लाभ प्रदान करने वाला साधन उस प्रयोजन और अवधि के लिए वैध बना रहेगा जिसके लिए इसे जारी किया गया था जब तक अन्यथा नियत न किया गया हो।

(ख) मद वार आयात/निर्यात नीति को आईटीसी (एचएस) की क्रमशः अनुसूची I और अनुसूची II में वर्णित किया गया है। किसी विशेष मद का आयात/निर्यात किया जाना आयात/निर्यात करने की तिथि पर यथा लागू नीति द्वारा अधिशासित किया जाता है। आयात/निर्यात की तिथि को प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.17 में परिभाषित किया गया है। लदान बिल और पोत-लदान बिल क्रमशः आयात और निर्यात की तिथि को निर्णीत करने वाले मुख्य दस्तावेज हैं। नीति के 'मुक्त' से प्रतिबंधित/निषिद्ध/राज्य व्यापार में परिवर्तित होने अथवा अन्यथा विनियमित किए जाने के मामले में ऐसे विनियमन/प्रतिबंध की तिथि से पहले ही किए गए आयात/निर्यात पर असर नहीं होगा। तथापि खुला समुद्री क्षेत्र बिक्री के माध्यम से आयात को इस सुविधा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे विनियमन/प्रतिबंध की तिथि को अथवा इसके पश्चात किया गया आयात/निर्यात ऐसे प्रतिबंध/विनियमन को लागू करने की तिथि से पूर्व अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख पात्र (आईसीएलसी) के माध्यम से प्रतिबद्धता देने वाले आयातक/निर्यातक के लिए अनुमत होगा और आईसीएलसी में उपलब्ध बकाया मात्रा, मूल्य और समयावधि तक सीमित होगा। ऐसे आईसीएलसी के प्रचालनात्मक सूचीकरण हेतु आवेदक को ऐसे प्रतिबंध/विनियमन को लागू किए जाने के 15 दिनों के अंदर संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) के पास आईसीएलसी का पंजीकरण करना होगा जिसकी कम्प्यूटरीकृत रसीद दी जाएगी। जब कभी सरकार किसी विशेष मद की नीति में परिवर्तन करती

है तो यह परिवर्तन उत्तरव्यापी प्रभाव (अधिसूचना की तिथि से) से लागू होगा जब तक कि अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई हो।

ख. व्यापार सरलीकरण और व्यापार करने में सुगमता

1.06 राष्ट्रीय व्यापार सरलीकरण समिति (एनसीटीएफ)

भारत ने अप्रैल, 2016 में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते (टीएफए) का अनुसमर्थन किया है। टीएफए प्रावधानों के घरेलू समन्वयन और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने हेतु अन्तरमंत्रालयी निकाय अर्थात् राष्ट्रीय व्यापार सरलीकरण समिति (एनसीटीएफ) का गठन किया गया है।

टीएफए निम्नलिखित चार स्तंभों पर आधारित है:

- i. पारदर्शिता: सटीक एवं सम्पूर्ण सूचना तक उन्नत अभिगम पर फोकस।
- ii. प्रौद्योगिकी: व्यापार अवरोधों को दूर करने और कार्यक्षमता सुधारने हेतु डिजिटल और डिटेक्शन प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग।
- iii. प्रक्रिया का सरलीकरण और जोखिम आधारित मूल्यांकन: बढ़े हुए पैमाने पर जोखिम आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाकर, सरलीकृत, और सुमेलित प्रक्रियाएं।
- iv. अवसरचना संवर्धन: अवसरचना में वृद्धि करना, विशेषकर पत्तनों की ओर जाने वाले सड़क और रेलवे अवसरचना और पत्तनों के अंदर अवसरचना, हवाई अड्डों, आईसीडी, स्थल सीमा शुल्क स्टेशन व्यापार में वृद्धि हेतु प्रमुख समर्थकर्ता है जो सभी हितधारकों को शामिल करता है।

निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना राष्ट्रीय व्यापार सरलीकरण कार्य योजना का उद्देश्य है:

- लेन-देन लागत और समय में कटौती के माध्यम से व्यापार करने में सुगमता रैंकिंग में सुधार
- कार्गो निकासी समय में कटौती
- कागजरहित विनियामक परिवेश
- पारदर्शी और पूर्वानुमेय कानूनी व्यवस्था
- बेहतर अवसरचना के माध्यम से उन्नत निवेश का माहौल

1.07 डीजीएफटी निर्यात/आयात हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में

डीजीएफटी निर्यात और आयात के सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। सुशासन पर फोकस है जो दक्ष, पारदर्शी और जिम्मेदार डिलीवरी प्रणाली पर निर्भर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आसान बनाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों तथा व्यापार तथा उद्योग निकायों के साथ समय-समय पर परामर्श करता है।

1.08 निर्यात खेप हेतु मुक्त मार्ग

केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा निर्यात हेतु वस्तुओं की खेप को किसी कारण से रोका/विलंबित नहीं किया जाएगा। किसी संदेह की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी, निर्यातक से वचनबद्धता प्राप्त करके उस खेप को रिलीज कर सकता है।

1.09 निर्यात से संबंधित स्टॉक की जब्ती नहीं

किसी अभिकरण द्वारा कोई जब्ती नहीं की जाएगी ताकि विनिर्माण कार्यकलाप बाधित न हो और निर्धारित डिलीवरी को रोका न जाए। अपवादात्मक मामलों में संबंधित अभिकरण गंभीर अनियमितता के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्टॉक को जब्त कर सकती है। तथापि, ऐसी जब्ती को अनियमितताओं के साबित न होने पर 7 दिनों के अंदर छोड़ दिया जाना चाहिए।

1.10 नाशवान कृषि उत्पादों का निर्यात

लेन-देन और हैंडलिंग लागत को कम करने के लिए नाशवान कृषि उत्पाद के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से सिंगल विन्डोसिस्टम की सुविधा प्रदान की जा रही विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट 1ग पर है।

1.11 निर्यात बंधु-नए निर्यात/आयात उद्यमियों के लिए हैन्ड होल्डिंग स्कीम

विदेश व्यापार महानिदेशालय परामर्श, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रमों जिसमें वाइब्रेंट जिला-उत्पाद-बाजार संबंधित ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु 'उद्योग साझेदारों', 'ज्ञान साझेदारों' और अन्य हितधारकों के साथ निर्यात हब के रूप में जिला पहल शामिल है, के माध्यम से विदेश व्यापार की जटिलताओं के बारे में नए और संभावित निर्यातकों को परामर्श देने के लिए निर्यात बंधु स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

1.12 डीजीएफटी ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल

निर्यात आयात से संबंधित सूचना जिसमें उसके अधिनियम, नियम, नीति और प्रक्रिया आदि शामिल हैं वे ऑनलाइन डीजीएफटी पोर्टल <https://dgft.gov.in/> पर उपलब्ध है।

1.13 ईआईसीसी (इलेक्ट्रॉनिक आयातक निर्यातक कोड) जारी करना

इस नीति के पैरा 2.05 में यथा वर्णित भारत से/में निर्यात/आयात के लिए आयातक निर्यातक कोड (आईसीसी) अनिवार्य है। विदेश व्यापार महानिदेशालय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आयातक निर्यातक कोड (ई-आईसीसी) जारी करता है। ई-आईसीसी को जारी करने हेतु डीजीएफटी की वेबसाइट (<https://dgft.gov.in/>) पर आवेदन किया जा सकता है।

1.14 ई-आरसीएमसी/आरसी संबंधित प्रक्रियाओं हेतु ऑनलाइन सुविधा

डीजीएफटी ने प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 2 के अनुसार पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए गए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी)/पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) से संबंधित जारी करने, नवीनीकरण करने, संशोधन करने से संबंधित आवेदन और संबंधित प्रक्रियाओं हेतु समान डिजिटल प्लेटफॉर्म का सृजन किया है।

1.15 उद्गम के ई-प्रमाण पत्र (ई-सीओओ) हेतु ऑनलाइन सुविधा

डीजीएफटी ने नामित एजेंसियों द्वारा तरजीही और गैर तरजीही उद्गम प्रमाण पत्र (ई-सीओओ) जारी करने हेतु समान डिजिटल प्लेटफॉर्म का सृजन किया है। सीओओ प्रमाणपत्रों को बिना किसी भौतिक इंटरफेस (www.coo.dgft.gov.in) के ऑनलाइन परिवेश में जारी किया जाता है।

एक विशिष्ट संख्या अर्थात् यूडीआईएन (विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या) और क्यूआर कोड प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वैधीकरण और प्रमाणीकरण हेतु प्रत्येक ई-सीओओ पर पृष्ठांकित है।

1.16 गुणवत्ता नियंत्रण और व्यापार विवादों (क्यूसीटीडी) को फाइल करने हेतु ऑनलाइन सुविधा

डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति के अध्याय 8 के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण और व्यापार विवादों के मामलों की हैन्डलिंग हेतु समान डिजिटल प्लेटफॉर्म का सृजन किया है, जहां क्षेत्राधिकार प्राप्त विदेश में स्थित भारतीय मिशन (आईएमए) और डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों को ऑनलाइन परिवेश में भारतीय/विदेशी आयातक/निर्यातक द्वारा उठाए गए विवादों का सौहार्द्रपूर्ण हल निकालने की दिशा में कार्य करने के लिए आनबोर्ड किया गया है।

1.17 ईबीआरसी और ईडीपीएमएस के माध्यम से निर्यात आय का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

(क) ई-बीआरसी (इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र) ने डीजीएफटी को सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सीधे बैंकों से निर्यात आय की वसूली के विवरण प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इसने हितधारकों के साथ बिना किसी वास्तविक संपर्क के विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की है।

(ख) आरबीआई ने माल और सॉफ्टवेयर के निर्यात की निगरानी और एडी बैंकों को सिंगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न रिटर्नों की रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए निर्यात डेटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) नामक एक व्यापक आईटी-आधारित प्रणाली भी विकसित की है। डीजीएफटी आईटी सिस्टम में उपलब्ध आरबीआई ईडीपीएमएस डेटा का उपयोग निर्यातकों द्वारा डीजीएफटी पोर्टल पर भी किया जा सकता है।

1.18 डीजीएफटी में आईटी पहल

डीजीएफटी ने व्यापार करने में सुगमता के सुधार को ध्यान में रखते हुए निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत लाभ उठाने हेतु कागजरहित, संपर्करहित और पारदर्शी परिवेश को समर्थ बनाने हेतु कई आईटी पहलों को शुरू किया है। इन पहलों का विवरण प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 1.04 में प्रदान किया गया है।

1.19 24X7 हेल्पडेस्क सुविधा

एक विशिष्ट 24X7 हेल्पडेस्क सुविधा को डीजीएफटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदनों को भरने और विदेश व्यापार नीति से संबंधित अन्य मामलों में निर्यातकों को सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है।

1.20 व्यापार आंकड़े और सांख्यिकी

नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, निर्यातकों और आयातकों को उनकी व्यापार कार्यनीति तैयार करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए व्यापार आंकड़े और सांख्यिकी के बेहतर संग्रहण, संकलन और व्यापक प्रसार हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार के लिए व्यापार आंकड़े यहाँ उपलब्ध हैं –

- i. वाणिज्य विभाग का पोर्टल <https://commerce.gov.in> और डेटा बैंक <https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/default.asp> पर उपलब्ध है।
- ii. डीजीसीआईएंडएस पोर्टल <http://www.dgciskol.gov.in> पर उपलब्ध है और
- iii. निर्यात पोर्टल <https://niryat.gov.in> पर उपलब्ध है।

1.21 सीमा शुल्क स्टेशनों पर व्यापार सुविधा

व्यापार सुविधा हेतु सीबीआईसी द्वारा कई पहलों को शुरू किया गया है। इसमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- i. 20 समुद्री पत्तनों और 17 हवाई अड्डों में **24X7** सीमा शुल्क निकासी और व्यापार की जरूरतों के अनुसार आईसीडी में विस्तारित निकासी।
- ii. सीमाशुल्क में एकल खिड़की
- iii. ई-संचित-कागजरहित निकासी परिवेश को समर्थ बनाना
- iv. फेसलेस ई-मूल्यांकन का अखिल भारतीय कार्यान्वयन
- v. तुरंत सीमाशुल्क
- vi. दस्तावेजी निकासी से कार्गो संचलन तक इलेक्ट्रॉनिक संदेश का कार्यान्वयन
- vii. कागज रहित सीमा शुल्क पहल – ई-एलईओ एसबी, ई-गेटपास / ई-ओओसी आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तैयार करना और जारी करना।
- viii. संपन्न रहित सीमा शुल्क पहल जैसे तुरंत सुविधा केंद्र (टीकेएस)।
- ix. आईसीई-डैश-भारतीय सीमा शुल्क ईओडीबी निगरानी डैशबोर्ड का विमोचन
- x. आयात पर डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) और निर्यात पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री (डीपीई)
- xi. अनुपालन सूचना पोर्टल (सीआईपी)
- xii. शुल्क की रियायती दर पर या विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए कुछ निर्दिष्ट सामानों के आयात के लिए एंड टू एंड स्वचालित और सरलीकृत प्रक्रिया।

विस्तृत दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं हेतु <https://www.cbic.gov.in/> और <https://icegate.gov.in/> को देखें।

1.22 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ईओ) कार्यक्रम

(क) डब्ल्यूसीओ के मानकों के एसएसफई फ्रेमवर्क (एफओएस) पर आधारित प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ईओ) कार्यक्रम को निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने हेतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल व्यवसाय को समर्थ करने के लिए भारतीय सीमाशुल्क विभाग द्वारा विकसित किया गया है:

- (i) निर्यात से आयात के बिंदु तक सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला;
- (ii) सुरक्षा मानकों जब विदेशों के आयातकों/निर्यातकों को आपूर्ति करने हेतु अनुबंध किए जाते हैं के साथ अनुपालन प्रदर्शित करने की क्षमता;
- (iii) साझेदार देशों के साथ परस्पर मान्यता समझौते [एमआरए] में सीमा निकासी विशेषाधिकारों में वृद्धि;
- (iv) सुरक्षा से संबंधित व्यवधानों के बाद कार्गो के मार्ग में कम-से-कम व्यवधान;

- (v) प्रवास समय और संबंधित लागतों में कटौती; और
- (vi) सीमाशुल्क सलाह/सहायता यदि व्यापार में उन देशों जिनके साथ भारत ने परस्पर मान्यता समझौते किए हैं के सीमाशुल्क विभाग के साथ अनपेक्षित मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
- (ख) एईओ कार्यक्रम अन्य सीमाशुल्क विभाग प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया गया है जो कम किए हुए परीक्षण, शीघ्रतम निकासी और अन्य लाभों के संबंध में एईओ स्तर धारकों को तरजीही सीमाशुल्क व्यवहार प्रदान करता है। भारतीय सीमाशुल्क विभाग ने पारस्परिक आधार पर लाभों को प्राप्त करने के लिए व्यापार को समर्थ करने हेतु संबंधित एईओ कार्यक्रम को मान्यता प्रदान करने के लिए दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग के साथ परस्पर मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- (ग) विश्वास आधारित अनुपालन की दिशा में एक और कदम बढ़ाने के रूप में भारतीय सीमाशुल्क विभाग ने नए/पुनर्निर्मित प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम को शुरू किया है जिसमें उन इकाइयों जो आंतरिक मजबूत नियंत्रण प्रणाली और सीबीआईसी अनुपालन प्रदर्शित करती हैं को अधिक से अधिक सुविधा और स्व-प्रमाणन सहित विस्तृत लाभ प्रदान किया गया है।
- (घ) भारतीय सीमा शुल्क के एईओ कार्यक्रम के तहत, एमएसएमई भी शामिल हैं।

विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं हेतु URL <https://www.aeoindia.gov.in/> और <https://www.cbic.gov.in/> देखें।

1.23 निर्यात उत्कृष्टता के भाहर (टीईई)

- (क) उद्देश्य: निर्यात उत्पादन केन्द्रों का विकास एवं वृद्धि। कई शहर गतिशील औद्योगिक क्लस्टरों के रूप में उभरे हैं जो भारत के निर्यात में काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं। इन औद्योगिक क्लस्टरों को उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करने और मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने तथा नए बाजारों तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से मान्यता प्रदान करना आवश्यक है।
- (ख) निर्यात में वृद्धि की संभावना के आधार पर 750 करोड़ रुपये, अथवा इससे अधिक का माल उत्पादन करने वाले चुनिंदा शहरों को टीईई के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। तथापि, हथकरघा, हस्तकला, कृषि और मात्स्यिकी क्षेत्र में टीईई के लिए थ्रेशहोल्ड सीमा रेखा 150 करोड़ रुपये की होगी। ऐसे टीईई को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाएगी :
- (i) एमएआई स्कीम के तहत प्राथमिकता आधार पर विपणन, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकीय सेवाओं के लिए निर्यात संवर्धन परियोजनाओं के लिए इकाइयों के मान्यता प्राप्त संघों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- (ii) इन क्षेत्रों में सामान्य सेवा प्रदाता ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र के लिए पात्र होंगे।

(ग) अधिसूचित शहर (टीईई) परिशिष्ट 1ख में सूचीबद्ध हैं।

1.24 चयनित क्षेत्रों हेतु शुल्क मुक्त पात्रताएं

रोजगार के अवसर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए समुद्री उत्पाद और खेल के सामान और खिलौना क्षेत्रों पर कतिपय विशेष फोकस करने संबंधी पहल की जानी अपेक्षित है। प्रासंगिक सीमाशुल्क अधिसूचनाओं के अनुसार इन क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित शुल्क मुक्त पात्रताएं (केवल मूल सीमा शुल्क से छूट प्राप्त हैं) प्रदान की जा रही हैं।

- (क) समुद्री क्षेत्र – विनिर्दिष्ट विशेषीकृत निविष्टियों/रसायनों और सुगंधित तेलों हेतु शुल्क मुक्त आयात जो पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान सी-फूड निर्यात के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
- (ख) खेल के सामान और खिलौने— विनिर्दिष्ट निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात जो पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान खेल के सामानों के निर्यात के एफओबी मूल्य के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

विस्तृत विवरण के लिए, इस संबंध में संबंधित सीमाशुल्क अधिसूचनाओं को देखें।

1.25 स्तर धारक प्रमाणन

(क) कतिपय निर्यातक फर्मों को "स्तर धारक" के रूप में प्रमाणित करने के पीछे ऐसे निर्यातक फर्मों को व्यवसाय जगत के अग्रणी के रूप में मान्यता देना है जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्टता हासिल की है और देश के विदेश व्यापार में सफलतापूर्वक योगदान दिया है। स्तर-धारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल भारत के निर्यातों में योगदान दें अपितु नए उद्यमकर्त्ताओं को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करें।

(ख) आयात-निर्यात कोड (आईसीसी) संख्या वाले माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातक निर्यात निष्पादन के आधार पर आवेदन की तारीख को एक स्तर-धारक के रूप में पहचान प्राप्त करने के पात्र होंगे। एक आवेदक को विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 1.26 में दर्शाए अनुसार मौजूदा और गत तीन वित्तीय वर्षों के थ्रेशहोल्ड निर्यात निष्पादन हासिल करने पर स्तर धारक रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि रत्न एवम् आभूषण क्षेत्र के लिए वर्तमान और पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात निष्पादन प्राप्त कर लेने की आवश्यकता होगी। निर्यात निष्पादन की गणना मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा या विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.53 के अनुसार भारतीय रुपए में निर्यात आय के एफओबी मूल्य के आधार पर की जाएगी।

(ग) मान्य निर्यात के लिए, भारतीय रुपयों में निर्यातों के एफओआर मूल्य को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को यथा लागू सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाएगा।

(घ) स्तर प्रदान करने के लिए पूर्ववर्ती सभी तीन वित्तीय वर्षों में (उस वर्ष से कम से कम पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए) निर्यात निष्पादन आवश्यक होगा।

1.26 स्तर धारक श्रेणियाँ

स्तर श्रेणी	निर्यात निष्पादन थ्रेशहोल्ड अमेरिकी डॉलर मिलियन में
वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस	3
टू स्टार एक्सपोर्ट हाउस	15
थ्री स्टार एक्सपोर्ट हाउस	50
फोर स्टार एक्सपोर्ट हाउस	200
फाइव स्टार एक्सपोर्ट हाउस	800

1.27 दोहरी तरजीह प्रदान करना

(क) दोहरी तरजीह केवल वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्तर श्रेणी प्रदान करने के लिए उपलब्ध होगी। दोहरी तरजीह के ऐसे लाभ अन्य श्रेणियों नामतः टू स्टार एक्सपोर्ट हाउस, थ्री स्टार एक्सपोर्ट हाउस, फोर स्टार एक्सपोर्ट हाउस और फाइव स्टार एक्सपोर्ट हाउस की स्तर पहचान प्रदान करने के लिए लागू नहीं होंगे। निम्नलिखित श्रेणियों के तहत आईसीसी धारकों द्वारा निर्यात को स्तर प्रदान करने के लिए निर्यात निष्पादन की गणना करने के लिए दोहरी तरजीह प्रदान की जाएगी:-

- (i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमडी) अधिनियम, 2006 में यथापरिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम।
- (ii) आईएसओ/बीआईएस प्रमाणन युक्त विनिर्माण इकाइयाँ।
- (iii) सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू, कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित इकाइयाँ
- (iv) आईटीसी (एचएस) के अध्याय 7 और 8 के तहत आने वाले फलों और सब्जियों का निर्यात

(ख) उपरोक्त श्रेणियों में से किसी एक प्रदत्त व्यापारिक शिपमेंट/सेवा केवल एक बार दोहरा लाभ प्राप्त कर सकती है।

1.28 स्तर प्रदान करने के लिए अन्य भारते

(क) एक आईसीसी धारक का निर्यात निष्पादन अन्य आईसीसी धारक को स्थानांतरित करना अनुमत नहीं किया जाएगा। इसलिए, अस्वीकरण पर आधारित निर्यात निष्पादन की गणना अनुमत नहीं की जाएगी।

(ख) पुनः निर्यात के आधार पर किए गए निर्यातों की गणना पहचान के लिए नहीं की जाएगी।

(ग) स्कोमैट मदों सहित प्राधिकार-पत्र के तहत मदों का निर्यात, निर्यात निष्पादन की गणना के लिए शामिल किया जाएगा।

1.29 स्तर-धारकों के विशेषाधिकार

एक स्तर-धारक निम्नानुसार विशेषाधिकारों का पात्र होगा:-

(क) आयात और निर्यात दोनों के लिए प्राधिकार-पत्र और सीमाशुल्क निकासी को स्व-घोषणा के आधार पर प्रदान किया जा सकता है।

(ख) मानदण्ड समिति द्वारा निविष्ट उत्पादन मानदण्डों को प्राथमिकता के आधार पर 60 दिनों के अंदर निर्धारित किया जा सकता है; निविष्ट उत्पादन मानदंड के संबंध में विशेष स्कीम विनिर्दिष्ट स्तर धारक के लिए डीजीएफटी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।

(ग) विदेश व्यापार नीति के तहत स्कीमों के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त होगी जब तक कि इन्हें विदेश व्यापार नीति अथवा प्रक्रिया-पुस्तक में अन्यथा अन्यत्र विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

(घ) बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों पर आवश्यक विचार-विमर्श में छूट हालांकि विप्रेषण/प्राप्तियां बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

(ङ) टू स्टार और उसके ऊपर के एक्सपोर्ट हाउस को राजस्व विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात वेयरहाउस की स्थापना करने की अनुमति होगी।

(च) स्तर धारक संबंधित एजेंसियों द्वारा उनकी खेप के निपटान के लिए तरजीही व्यवहार और प्राथमिकता के हकदार होंगे।

(छ) विनिर्माता जो स्तर धारक भी है (श्री स्टार/फोर स्टार/फाइव स्टार) वो अपने तरजीही व्यवहार हेतु विभिन्न तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत अर्हक होने की दृष्टि से भारत से उदगमित अपने विनिर्मित माल (उनके आईईएम/आईएल/एलओआई के अनुसार) को स्वयं सत्यापित करने में सक्षम होंगे। तदोपरांत स्कीम शेष स्तर धारकों को भी प्रदान की जा सकती है। विनिर्माता निर्यातक जो स्तर धारक भी है वे प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.93 (ड.) के अनुसार भारत से उदगमित अपनी वस्तुओं को स्वयं सत्यापित करने के पात्र होंगे।

(ज) स्तर धारक निर्यात योग्य मदों (रत्न और आभूषण, सोने की मदें और बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर) का निर्यात संवर्धन के लिए निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात करने के हकदार होंगे बशर्ते एक करोड़ रुपये की वार्षिक सीमा या पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्तियों के 2 प्रतिशत जो भी कम हो। फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा फार्मा उत्पादों के निर्यात के लिए वार्षिक सीमा पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्तियों का 2 प्रतिशत होगी। फार्मास्यूटिकल उत्पादों, वेकसीन और जीवन रक्षक दवाइयों को अन्तराष्ट्रीय एजेंसियों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे यूएस, डब्ल्यूएचओ-पीएचओ और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आपूर्ति करने के मामले में वार्षिक सीमा पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में औसत वार्षिक निर्यात प्रप्तियों का 8 प्रतिशत तक होगी। ऐसी निःशुल्क आपूर्तियां ड्यूटी ड्राबैक या किसी अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के अन्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।

1.30 कौशल विकास और मार्गदर्शन दायित्व

(क) उपलब्ध कुशलता अवसरों को बढ़ाकर व्यापार इकोसिस्टम में सुधार लाने हेतु, स्तर धारकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करने में "साझेदार" बनाया जा रहा है। स्तर धारक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौशल स्तरोन्नयन/प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

स्तर	प्रति वर्ष प्रशिक्षुओं की संख्या
टू स्टार एक्सपोर्ट हाउस	5
श्री स्टार एक्सपोर्ट हाउस	10
फोर स्टार एक्सपोर्ट हाउस	20
फाइव स्टार एक्सपोर्ट हाउस	50

(ख) न्यूनतम 6 सप्ताहों की अवधि का एक माडल प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्गदर्शन के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा।

(ग) विस्तृत पात्रता अपेक्षाएं, चयन मानदंड, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि स्तर धारक के स्वविवेक पर होंगे।

1.31 एमएसएमई व्यापार संबंधी शिकायतों के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति

एमएसएमई व्यापार संबंधी शिकायतों जिनका नीतिगत प्रभाव है, की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया जाएगा। यह 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के साथ निर्णय लेने में तेजी लाएगा।

1.32 नागरिक चार्टर

डीजीएफटी का एक नागरिक चार्टर है, जिसमें ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सारिणी दी गई है। आवेदन के निपटान की समय-सीमा प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 11 में दी गई है।

अध्याय-2**आयात एवं निर्यात से संबंधित सामान्य प्रावधान****2.00 उद्देश्य**

माल एवं सेवाओं के आयात एवं निर्यात को अभिशासित करने वाले सामान्य प्रावधानों की व्याख्या इस अध्याय में दी गई है।

2.01 वस्तुओं के आयात/निर्यात से सम्बन्धित नीति

- (क) वस्तुओं का निर्यात एवं आयात मुक्त होंगे सिवाए उन मामलों में जब उन्हें 'प्रतिबंध' 'रोक' अथवा 'राज्य' व्यापार उद्यमों (एसटीई) के जरिए अनन्य व्यापार' के माध्यम से विनियमित किया जाए जैसा कि निर्यात एवं आयात का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित तंत्र) [आईटीसी (एचएस)] में निर्धारित किया गया है। 'प्रतिबंधित' 'रोक लगाई गई' और 'एसटीई' मदों की सूची रेगुलेटरी अपडेट्स के तहत <http://dgft.gov.in> पर देखी जा सकती है।
- (ख) इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसी मदें हैं जो आयात/निर्यात हेतु 'मुक्त' हैं परन्तु अन्य अधिनियमों अथवा वर्तमान में लागू विधि में नियत शर्तों के अधीन हैं।

2.02 निर्यात एवं आयात का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) [आईटीसी (एचएस)]

- (क) आईटीसी (एचएस) निर्यात/आयात हेतु सभी पण्य/माल के लिए कोडों का संकलन है। माल को उसके समूह अथवा उप-समूह के आधार पर 2/4/6/8 अंकों में वर्गीकृत किया जाता है।
- (ख) आईटीसी (एचएस) को विश्व सीमा शुल्क संगठन (<http://www.wcoomd.org>) द्वारा देख-रेख किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय सुमेलित तंत्र माल नाम-पद्धति के साथ 6 अंकीय स्तर पर संरेखित किया गया है। तथापि, भारत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के तहत अधिसूचित 8-डिजिट स्तर पर माल की राष्ट्रीय सुमेलित प्रणाली को बनाए रखता है जिसे <http://dgft.gov.in> और <https://www.cbic.gov.in> पर 'विनियामक अद्यतन' के तहत देखा जा सकता है।
- (ग) सभी माल के लिए आयात/निर्यात नीतियाँ आईटीसी (एचएस) के अनुसार प्रत्येक मद के सामने दर्शाई गई हैं। आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-1 में आयात नीति व्यवस्था निर्धारित की गई है जबकि आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-2 में निर्यात नीति व्यवस्था का ब्यौरा दिया गया है।
- (घ) सिवाए उस मामले के जहां यह स्पष्ट रूप के निर्दिष्ट हो, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-1, आयात नीति नए माल के लिए है न कि पुराने माल के लिए। पुराने माल के लिए आयात नीति व्यवस्था इस विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.31 में दी गई है।

2.03 स्वदेशी कानूनों के साथ आयात का अनुपालन

- (क) स्वदेशी उत्पादित माल पर लागू स्वदेशी कानून/ नियम /आदेश /विनियम/ तकनीकी विनिर्देशन/पर्यावरण/सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदण्ड यथा आवश्यक परिवर्तन सहित आयात पर लागू होंगे, यदि इन्हें विशिष्ट रूप से छूट नहीं दी गई है।
- (ख) तथापि, निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/खपत किए जाने वाले माल पर डीजीएफटी द्वारा घरेलू मानकों/गुणवत्ता विनिर्देशनों से छूट दी जा सकती है।

2.04 प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने का प्राधिकार

डीजीएफटी विदेश व्यापार नीति (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, नियमों और इसके तहत किए गए आदेशों और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए किसी निर्यातक या आयातक या किसी लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं या संशोधनों, यदि कोई हो, को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा।

20.5 आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)

आईईसी एक 10-वर्ण की अक्षरांकीय संख्या है जो इकाई (फर्म/कंपनी/एलएलपी आदि) को आबंटित किया जाता है और किसी भी निर्यात/आयात गतिविधियों को करने के लिए अनिवार्य है। एक इकाई की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए, जीएसटी की शुरुआत/कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, आईईसी स्थायी खाता संख्या (पैन) के समान होगा और ऑनलाइन आवेदन के आधार पर डीजीएफटी द्वारा अलग से जारी किया जाएगा।

(क) आईईसी प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई निर्यात या आयात नहीं किया जाएगा जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी गई हो। सेवाओं या प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए, विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सेवाएं प्रदान करने की तिथि पर आईईसी आवश्यक होगा।

(ख) छूट प्राप्त श्रेणियां और तदनुरूपी स्थायी आईईसी संख्या प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.07 में दी गई है।

(ग) आईईसी के लिए आवेदन प्रक्रिया और आईईसी में अद्यतनीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन है और प्रक्रिया पुस्तक में दी गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार आवेदक द्वारा आईईसी जेनरेट की जा सकती है।

(घ) एक आईईसी धारक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके आईईसी में विवरण हर साल अप्रैल-जून की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अद्यतित किया जाता है। ऐसे मामले में जहां आईईसी विवरण में कोई बदलाव नहीं है, इसकी भी ऑनलाइन पुष्टि करने की आवश्यकता है।

(ङ) एक आईईसी को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यदि इसे निर्धारित समय के भीतर अद्यतित नहीं किया जाता है। इस प्रकार निष्क्रिय किए गए आईईसी को इसके सफल अद्यतन किए जाने पर सक्रिय किया जा सकता है। हालांकि यह एफटीपी के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन के लिए की गई किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(च) एक आईईसी को जांच के लिए फ्लैग भी किया जा सकता है। आईईसी धारक (धारकों) को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सिस्टम द्वारा फ्लैग किसी भी जोखिम को समय पर हल किया जाए; असफल होने पर आईईसी निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

2.06 भारत से/में माल के निर्यात/आयात के लिए अनिवार्य दस्तावेज

(क) भारत से माल के निर्यात हेतु अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज:

1. लदान का बिल/हवाई मार्ग का बिल/लॉरी रसीद/रेलवे रसीद/डाक रसीद
2. वाणिज्यिक बीजक सह पैकिंग सूची*
3. पोत लदान बिल/निर्यात बिल/निर्यात का डाक बिल

(ख) भारत में माल के आयात हेतु अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज।

1. लदान का बिल/हवाई मार्ग का बिल/लॉरी रसीद/रेलवे रसीद/डाक रसीद सीएन-22 या सीएन-23 फॉर्म में जैसा भी मामला हो,
2. वाणिज्यिक बीजक सह पैकिंग सूची**
3. प्रविष्टि बिल

[टिप्पणी: *(i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी सीबीआईसी परिपत्र के अनुसार

** (ii) पृथक वाणिज्यिक बीजक और पैकिंग सूची भी स्वीकार किए जाएंगे।]

- (ग) विशिष्ट माल अथवा माल की श्रेणी, के जो किसी प्रतिबंध/नीतिगत शर्तों अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा किसी संविधि के तहत उत्पाद विशिष्ट अनुपालनों के अधीन हों, के निर्यात अथवा आयात के लिए संबंधित प्राधिकारी निर्यात अथवा आयात के प्रयोजनों के अतिरिक्त दस्तावेज अधिसूचित कर सकता है।
- (घ) निर्यात अथवा आयात के विशिष्ट मामलों में संबंधित विनियामक प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा लिखित में, अतिरिक्त दस्तावेज अथवा जानकारी, विधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक हों, की मांग कर सकता है।

2.07 प्रतिबंध के सिद्धांत

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से 'निषेध' या 'प्रतिबंध' लगाया जा सकता है।

- (क) गंभीर रूप से कमी होने को रोकने या इसे पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थों या अन्य आवश्यक उत्पादों के निर्यात पर ;
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के वर्गीकरण, श्रेणीकरण या विपणन के लिए मानकों या विनियमों को लागू करने के लिए आवश्यक आयात और निर्यात;
- (ग) घरेलू उत्पाद का उत्पादन रोकने या कतिपय अन्य उद्देश्यों के लिए सरकारी उपायों को लागू करने हेतु किसी भी रूप में मत्स्य उत्पाद का आयात;
- (घ) देश की बाह्य वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखने और भंडार के स्तर को सुनिश्चित करने हेतु आयात;
- (ङ) किसी विशेष उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए आयात;
- (च) घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होने से रोकने के लिए या ऐसी क्षति का सामना करने वाले उत्पादकों को राहत देने के लिए आयात में अचानक वृद्धि रोकना;
- (छ) सार्वजनिक नैतिकता की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण
- (ज) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण:
- (झ) सोना या चांदी के आयात या निर्यात से संबंधित;
- (ञ) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के संरक्षण और कपटपूर्ण व्यवहारों की रोकथाम से संबंधित कानूनों सहित कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक;
- (ट) कैदी श्रमिकों के उत्पादों से संबंधित;
- (ठ) कलात्मक, ऐतिहासिक अथवा पुरातत्व महत्व की राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण के लिए;
- (ड) क्षयशील प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए;
- (ढ) घरेलू प्रसंस्करण उद्योग हेतु आवश्यक मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु;
- (ण) सामान्य या स्थानीय कम आपूर्ति में उत्पादों के अधिग्रहण या वितरण के लिए आवश्यक;
- (त) देश के आवश्यक सुरक्षा हितों की सुरक्षा करने हेतु
- (i) विखंडनीय सामग्री या सामग्री जिनसे वे व्युत्पन्न प्राप्त हुए हैं; से संबंधित; अथवा
- (ii) हथियार, गोला-बारूद और युद्ध सामग्री की तस्करी की रोकथाम से संबंधित।
- (iii) अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में युद्ध या अन्य आयात के समय लिया गया।
- (थ) अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अनुरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत देश के दायित्वों के अनुसरण में

2.08 प्रतिबंधित माल/सेवाओं का निर्यात/आयात

कोई भी माल/सेवा जिसका निर्यात अथवा आयात प्रतिबंधित है, का इस संबंध में जारी किए गए प्राधिकार पत्र/अनुमति के अनुसार या अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा।

2.09 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त:

वास्तविक प्रयोक्ता शर्त: जिन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध नहीं है, उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तथापि, यदि इनके आयात के लिए प्राधिकार पत्र की जरूरत हो, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात कर सकता है जब तक कि महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा वास्तविक शर्त विशेष रूप से हटा न दी गई हों।

2.10 प्राधिकार पत्र की शर्तें

प्रत्येक प्राधिकार पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी अन्य शर्तें जो विनिर्दिष्ट की जाए, के अलावा निम्नलिखित में से सभी या कुछ नियम एवं शर्तें (पैरा जिसके तहत प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, के अनुसार यथा लागू) शामिल होंगी:

- (क) माल का विवरण, मात्रा एवं मूल्य;
- (ख) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त; (अध्याय 11 में यथा परिभाषित)
- (ग) निर्यात दायित्व;
- (घ) प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम मूल्य संवर्धन;
- (ङ.) न्यूनतम निर्यात/आयात मूल्य
- (च) बैंक गारंटी/विधिक वचन/सीमाशुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास बॉण्ड (जैसा कि एफटीपी के पैरा 2.35 में दिया गया है)।
- (छ) प्रक्रिया पुस्तक में यथा विनिर्दिष्ट आयात/निर्यात की वैधता की अवधि।

2.11 आवेदन शुल्क

- (क) आईईसी/प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/स्क्रिप/पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ आवेदन शुल्क संलग्न होना चाहिए जैसा कि परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ट में दर्शाया गया है। फीस का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी) तंत्र या क्रेडिट/डेबिट कार्डों के द्वारा आनलाइन किया जाना चाहिए यदि अन्यथा कोई अन्य प्रावधान न हो।
- (ख) आवेदन शुल्क आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए ही शुल्क है, और कुछ नहीं। इसलिए परिशिष्ट 2ट में दी गई परिस्थितियों और तरीकों को छोड़कर, एक बार प्राप्त शुल्क को वापस नहीं लौटाया जाएगा।

2.12 प्राधिकार पत्र के मददे सीमा शुल्क विभाग से माल की निकासी

अग्रिम में पहले ही आयतित/भेजा गया/आया हुआ माल परन्तु जिसकी निकासी सीमा शुल्क विभाग द्वारा नहीं की गई है, की निकासी बाद में निर्गमित प्राधिकार पत्र के मददे भी की जा सकती है। तथापि, ऐसे माल अग्रिम में पहले से ही आयतित/भेजा गया/आया हुआ, वेयरहाऊसिंग के लिए लदान बिल के मद्दे पहले वेयरहाऊस किए जाएं और फिर बाद में जारी एक प्राधिकार-पत्र के मद्दे घरेलू खपत के लिए मंजूरी दी जाए। हालांकि यह सुविधा "प्रतिबंधित" मदों या एसटीई के माध्यम से व्यापार की जानी वाली मदों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जब तक कि डीजीएफटी द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है।

2.13 प्राधिकार पत्र की प्राप्ति अधिकार नहीं है

कोई भी व्यक्ति अधिकार से प्राधिकार पत्र का दावा नहीं कर सकता है तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार या क्षेत्रीय प्राधिकारी को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियमों और विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्राधिकार पत्र देने या नवीकरण करने से इंकार करने का अधिकार होगा।

2.14 दंडात्मक कार्रवाई और निषिद्ध कम्पनी सूची (डीईएल) में किसी कम्पनी को रखना

- (क) यदि कोई प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है अथवा राजस्व विभाग और/अथवा डीजीएफटी द्वारा जारी डिमांड नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित राशि जमा करने में असफल रहता है, तो वह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन)

अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति तथा उस समय लागू किसी भी कानून के अनुसार कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होगा।

- (ख) नैतिक मानकों का स्तर उठाने के उद्देश्य से और व्यापार करने की सुविधा हेतु डीजीएफटी ने विभिन्न स्कीमों के तहत स्व-प्रमाणन की प्रणाली स्थापित की है। ऐसे मामलों में आवेदकों की स्व-प्रमाणन में जानकारी/विवरण भरते समय पर्याप्त ध्यान और सावधानी बरतनी है। बाद में किसी जानकारी/विवरण के असत्य/गलत पाए जाने पर किसी अन्य अधिनियम/आदेश के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अलावा एफटीडीआर अधिनियम, 1992 और तत्संबंधी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- (ग) किसी फर्म को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियमन 7 के प्रावधानों के तहत निषिद्ध कम्पनी सूची (डीईएल) के अंतर्गत रखा जा सकता है। लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए ऐसा आदेश जारी करने पर किसी फर्म को वित्तीय अथवा राजकोषीय लाभ प्रदान करने वाले किसी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप अथवा किसी लिखत प्रदान किए जाने अथवा नवीकरण से इन्कार किया जा सकता है। यदि किसी फर्म को डीईएल के तहत रख दिया जाता है तो सभी नए लाइसेंस, स्क्रिप, प्रमाणपत्र, लिखत आदि को मुद्रण/निर्गम/नवीकरण से रोक दिया जाएगा।
- (घ) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए डीईएल आदेशों को स्थगित किया जा सकता है। डीईएल आदेश को एक बार में 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता।
- (ङ) यदि फर्म निर्यात दायित्व पूरा कर लेती है/दंड राशि का भुगतान कर देती है/क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी डिमांड नोटिस (एस) की आवश्यकता की पूर्ति कर देती है/क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा मांगे गए अपेक्षित दस्तावेज जमा कर दिया जाता है तो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए, डीईएल से फर्म के नाम को हटाया जा सकता है।

2.15 राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष अधिनिर्णयन कार्यवाही के तहत फर्म/कंपनी

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष अधिनिर्णयन कार्यवाही के तहत आने वाली कोई भी फर्म/कंपनी एफटीपी के तहत किसी भी स्कीम के तहत किसी भी बकाया निर्यात दायित्वों/देनदारियों के बारे में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरए) और एनसीएलटी को सूचित करेगी। विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने या किसी अन्य देय राशि को उक्त फर्म/कंपनी के खिलाफ सरकार को बकाया राशि के भाग के रूप में गिना जाएगा।

व्यापार पर प्रतिबंध (देश, संगठन, समूह, व्यक्ति आदि और विशिष्ट उत्पाद):

2.16 इराक से/को 'हथियारों और संबंधित सामान' के आयात और निर्यात पर निषेध

'हथियारों और संबंधित सामान' के लिए नीति जो कि आईटीसी (एचएस) के अध्याय 93 में दी गई है, के बावजूद इराक से/को हथियारों और संबंधित सामान का आयात/निर्यात 'निषिद्ध' है। तथापि, इराक सरकार को हथियार और संबंधित सामग्री के निर्यात की अनुमति रक्षा उत्पादन विभाग से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी।

2.17 इराक और लेवंट में इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएल, दईश के रूप में भी ज्ञात), अल नुसरा फ्रंट (एएनएफ) और अल कायदा से जुड़े व्यक्ति, समूह, उपक्रम तथा फर्म के साथ व्यापार पर निषेध

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संकल्प सं0 2199 (2015) के अनुपालन में, इराक और लेवंट में इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएल), अल नुसरा फ्रंट (एएनएफ) और अल कायदा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अन्य व्यक्ति, समूह, उपक्रम तथा फर्म के साथ सांस्कृतिक (प्राचीन कालीन वस्तुओं सहित), वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व की वस्तुओं के अलावा तेल तथा परिशोधित तेल उत्पाद, माड्यूलर रिफाइनरी और संबंधित सामग्रियों का व्यापार निषिद्ध है।

2.18 कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध

कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) से/को, मर्दों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात चाहे कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य में उत्पादित हो या न हो, का विवरण इस अध्याय के परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

2.19 ईरान से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात/निर्यात

(क) ईरान को निम्नलिखित दस्तावेजों में उल्लिखित किसी मद सामग्री, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात या उससे आयात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2231(2015) के अनुलग्नक-ख में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन अनुमत होगा:

- (i) आईएनएफसीआईआरसी/254/आरईवी 14 /पार्ट-1 में और आईएनएफसीआईआरसी/ 254/आरईवी 11/ पार्ट-2 (आईईए दस्तावेज) में सूचीबद्ध मदें जैसा कि यूएनएससी और आईईए द्वारा समय-समय पर अद्यतित किया गया हो।
- (ii) एस/2015/546 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दस्तावेज) में सूचीबद्ध मदें जैसा कि सुरक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर अद्यतित किया गया है।

(ख) उपर्युक्त संदर्भित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी संकल्प/दस्तावेज और आईईए दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट (www.un.org/securitycouncil/) और आईईए की वेबसाइट (www.iaea.org) पर उपलब्ध है।

2.20 सोमालिया से चारकोल के आयात पर रोक

सोमालिया से चारकोल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात निषिद्ध है, चाहे ऐसे चारकोल की उत्पत्ति सोमालिया (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2036 (2012)) में हुई हो या नहीं हुई हो। चारकोल के आयातक सीमा-शुल्क कार्यालय को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि खेप की उत्पत्ति सोमालिया में नहीं हुई है।

राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से आयात/निर्यात

2.21 राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई)

- (क) राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) विपणन बोर्डों सहित सरकारी और गैर.सरकारी उद्यम हैं जो निर्यात और/या आयात संबंधी माल का व्यापार करते हैं। कोई माल, जिसके आयात अथवा निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) को विशेषाधिकार दिया गया हो अथवा जिनके माध्यम से विशेष रूप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम (उद्यमों) द्वारा आई टी सी (एच एस) में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उस माल का आयात या निर्यात किया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित राज्य व्यापार उद्यमों की सूची परिशिष्ट-2अ में है।
- (ख) ऐसा राज्य व्यापार उद्यम केवल वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें कीमत, गुणवत्ता, उपलब्धता, विपणनता, परिवहन तथा क्रय-विक्रय की अन्य शर्तें शामिल हैं, ऐसी कोई अन्य खरीद या विक्रय कर सकता है जिसमें आयात और निर्यात शामिल हैं, ये उद्यम किसी भेदभाव के बिना कार्य करेंगे और ऐसी खरीद और विक्रय में भाग लेने हेतु सक्षम होने के लिए प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार प्राप्त सुविधाओं वाले देशों के उद्यमों के साथ ताल-मेल बिठाएंगे।
- (ग) तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशालय एसटीई के जरिए अनन्य व्यापार हेतु अधिसूचित किसी माल के आयात या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकार पत्र प्रदान कर सकता है।

विशिष्ट देशों के साथ व्यापार :

2.22 पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

विदेश व्यापार महानिदेशालय आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकता है अथवा ऐसी स्कीम बना सकता है जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और विनियमित करने और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अपेक्षित हों।

2.23 पारगमन की सुविधा

भारत से/या भारत के पड़ोसी देशों को माल भेजने या वहां से लाने की सुविधा भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों के साथ-साथ भारत और इन देशों के बीच द्विपक्षीय संधियों के अनुसार सक्षम और विनियमित होगी। ऐसी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों/संधियों/करारों के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगी।

2.24 ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रूस के साथ व्यापार

ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रूस के साथ व्यापार के मामले में, विदेश व्यापार महानिदेशालय आवश्यकता अनुसार ऐसे अनुदेश जारी कर सकता है अथवा स्कीमें बना सकता है जो अपेक्षित हों तथा विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधान, जो इन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरूप नहीं है, लागू नहीं होगा।

माल की विशिष्ट श्रेणियों का आयात**2.25 नमूनों का आयात**

रक्षा/सुरक्षा मदों, बीज, मधुमक्खियों और नई औषधियों को छोड़कर आईटीसी (एचएस) में “प्रतिबंधित” मदों के वास्तविक तकनीकी और व्यापार नमूनों के आयात के लिए किसी प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। नमूनों का आयात आगे प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.62 द्वारा अभिशासित होगा।

2.26 उपहारों का आयात

ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए माल सहित डाक या कूरियर से माल के आयात, जहां उपहार के रूप में सीमा शुल्क निकासी मांगी जाती है, पर जीवन रक्षक औषधियों/दवा और राखी (लेकिन राखी से संबंधित उपहार नहीं) को छोड़कर प्रतिबंध है:

व्याख्या:

1. राखी (परन्तु राखी से संबंधित उपहार नहीं) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (6) के तहत शामिल किया जाएगा जिसमें कहा गया है “.....यदि लगाए जाने वाले शुल्क की राशि 100/- रुपये के बराबर या कम है तो कोई शुल्क एकत्र नहीं किया जाएगा।”
2. पूर्ण प्रयोज्य शुल्क के भुगतान के साथ उपहार के रूप में माल का आयात अनुमत है।

2.27 यात्री असबाब के माध्यम से आयात

- (क) वास्तविक घरेलू वस्तुओं और निजी प्रयोग की वस्तुओं को यात्री के निजी सामान की सीमा के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित असबाब नियमों की शर्तों के अनुसार आयात किया जा सकता है।
- (ख) ऐसी मदों के नमूने जो अन्यथा विदेश व्यापार नीति के अधीन मुक्त रूप से आयात योग्य हैं, का भी सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना के अनुसार असबाब नियमों के अध्याधीन प्राधिकार पत्र के बिना यात्री असबाब के रूप में आयात किया जा सकता है।
- (ग) विदेश से आने वाले निर्यातकों को भी, एफटीपी में यथानिर्धारित अथवा इस संबंध में सीमा शुल्क विभाग की प्रासंगिक अधिसूचना (अधिसूचनाएं) के अनुसार मूल्य सीमा के अध्याधीन प्राधिकार पत्र के बिना, अपने यात्री असबाब के रूप में निर्यात के लिए आवश्यक ड्राइंग, पैटर्न, लेबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बैल्ट्स, ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंट्स का आयात करने की अनुमति है।
- (घ) मदों के नमूने या प्रोटोटाइप सहित किन्हीं मद (मदों) जिनकी आयात नीति “प्रतिबंधित” या “निषिद्ध” है, अथवा एसटीई के माध्यम से ये आते हैं, को यात्री असबाब के भाग के रूप में अनुमति नहीं है सिवाए डीजीएफटी द्वारा जारी वैध प्राधिकार-पत्र/अनुमति के साथ।

2.28 विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात

आईटीसी (एचएस) के तहत प्रतिबंधित मदों को छोड़कर, पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, पुर्जे और अनुषंगी, चाहे आयातित हो या स्वदेशी, जिन्हें मरम्मत, परीक्षण, टेक्नोलॉजी में गुणवत्ता सुधार अथवा उन्नयन अथवा मानकीकरण के लिए विदेश भेजा जा सकता है, और किसी प्राधिकार पत्र के बिना पुनः आयात किया जा सकता है।

2.29 विदेश में स्थित परियोजनाओं में प्रयुक्त सामान का आयात/पुनः आयात

विदेश में परियोजनाएं पूरी हो जाने के बाद परियोजना ठेकेदार पूंजीगत माल सहित प्रयुक्त माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के आयात कर सकता है, बशर्ते कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया गया हो।

2.30 प्रोटोटाइप्स का आयात

नए/पुराने प्रोटोटाइप/पुराने नमूनों का आयात वास्तविक प्रयोक्ता के लिए (औद्योगिक), जो ऐसी मद के उत्पादन में लगा है अथवा जिसके पास मद में अनुसंधान के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र है जिसके लिए उत्पाद विकास या शोध के लिए प्रोटोटाइप की मांग की जाती है, जैसा भी मामला हो, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि पर इस आशय का एक स्वघोषणा प्रस्तुत करने पर अनुमत है।

पुराने माल के लिए आयात नीति
2.31 पुरानी वस्तुएं

क्रम सं.	पुराने माल की श्रेणियां	आयात नीति	शर्तें, यदि कोई हो
I	पुराने पूंजीगत माल		
I(क)	i. डेस्कटॉप कम्प्यूटर ii. पर्सनल कम्प्यूटर/लैपटॉप के पुनः नवीकृत पार्ट्स नवीनीकृत/रिकंडीशन्ड स्पेयर्स iii. एयर कंडिशनर्स iv. डीजल जनरेटिंग सेट	प्रतिबंधित	प्राधिकार पत्र के तहत आयात की अनुमति
I(ख)	समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 के तहत अधिसूचित सभी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल	प्रतिबंधित	(i) समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन प्राधिकार पत्र के तहत आयात योग्य (ii) समय-समय पर यथा संशोधित सीआरओ, 2012 के अनुसार अपंजीकृत/गैर-अनुपालक अधिसूचित उत्पादों का आयात "निषिद्ध" है।
I(ग)	पूंजीगत माल के नवीकृत/दुरुस्त पुर्जे	मुक्त	सनदी अभियन्ता के इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन कि ऐसे पुर्जों का मूल पुर्जे के न्यूनतम 80 प्रतिशत का शेष जीवनकाल है।
I(घ)	अन्य सभी पुराने पूंजीगत माल (उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) को छोड़कर)	मुक्त	
II	पूंजीगत माल को छोड़कर पुराने माल	प्रतिबंधित	प्राधिकार पत्र के तहत आयात की अनुमति।
III	मरम्मत/नवीकरण/दुरुस्त करने या री-इंजीनियरिंग के प्रयोजन से आयातित पुराने माल	मुक्त	इस शर्त के अधीन कि आयातित मालों की मरम्मत/नवीकरण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का उपचार घरेलू कानून/नियमों/आदेशों/विनियमों/तकनीकी विनिर्देशनों/पर्यावरणीय/सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के अनुसार हो और आयातित माल का सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना के अनुसार वापस पुनः निर्यात किया जाए।

धात्विक अपशिष्ट और स्क्रेप की आयात नीति :

2.32 धात्विक छीजन और स्क्रेप की आयात

- (क) किसी प्रकार के धात्विक छीजन, स्क्रेप का आयात इस शर्त के अधीन होगा कि उसमें खतरनाक, जहरीला छीजन, रेडियोएक्टिव दूषित वेस्ट/स्क्रेप जिसमें रेडियोएक्टिव सामान, किसी प्रकार के हथियार, गोला बारूद, माइन्स, गोलियों के खोल जिंदा या प्रयुक्त हुआ बारूद या किसी भी प्रकार की अन्य विस्फोटक सामग्री चाहे वह प्रयोग की गई हो या नहीं, शामिल नहीं होगा जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.51 में उल्लेख है।
- (ख) धात्विक छीजन और स्क्रेप जिसका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है, और टुकड़े रूप में, बिना टुकड़े और सम्पीडित तथा ढीले रूप में आयात की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.51 में निर्धारित किए गए हैं।

2.33 एसईजेड से स्क्रेप/अपशिष्ट को हटाना

एसईजेड यूनिट/डेवलपर/को-डेवलपर को देय सीमा शुल्क का भुगतान कर किसी प्राधिकार पत्र के बिना विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण कार्यकलाप के दौरान सृजित किसी भी प्रकार के धात्विक अपशिष्ट और स्क्रेप सहित किसी भी अपशिष्ट या स्क्रेप को डीटीए में निपटान करने हेतु अनुमत किया जा सकता है।

आयात से संबंधित अन्य प्रावधान**2.34 पट्टा वित्त पोषण के अधीन आयात**

पट्टा वित्त पोषण के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय की विशिष्ट अनुमति आवश्यक नहीं है।

2.35 विधिक वचनबद्धता (एलयूटी)/बैंक गारंटी (बीजी) का निष्पादन

- (क) जहां कहीं शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है या जहां कहीं अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां आयातक को वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास निर्धारित तरीके से विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी/बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।
- (ख) स्वदेशी प्राप्ति के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक को प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय-2 में यथानिर्दिष्ट स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं/नामजद अधिकरण से माल प्राप्त करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता/बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.36 आयात के लिए निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम

- (क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम बनाए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति निषिद्ध मदों, हथियारों और गोला बारुद, खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है तथा उन्हें ऐसे बांडेड गोदामों में रख सकता है।
- (ख) विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं जरूरी हो, प्राधिकार पत्र के मददे, घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी की जा सकती है। ऐसे माल पर, ऐसी वस्तुओं की निकासी के समय यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान करना होगा।
- (ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार गोदाम में रखे गए माल की निकासी की जाएगी।

2.37 खाल, चमड़ा और अर्द्ध-तैयार माल के लिए विशेष प्रावधान

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री के उद्देश्य से सार्वजनिक/निजी बॉन्डेड वेयरहाउस में खाल, चमड़ा और अर्द्ध-तैयार चमड़े का आयात किया जा सकता है और निर्यात शुल्क की लागू दर के भुगतान पर ऐसे बॉन्डेड वेयरहाउस से उनकी बेची नहीं गई वस्तुओं को फिर से निर्यात किया जा सकता है।

2.38 महासागर में बिक्री

भारत में आयात हेतु खुले समुद्र में वस्तुओं की बिक्री विदेश व्यापार नीति अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के तहत की जा सकती है।

2.39 वाणिज्यिक व्यापार

भारतीय पत्तनों पर रुके बिना एक विदेशी राष्ट्र से दूसरे विदेशी राष्ट्र तक माल की शिपमेंट से संबंधित वाणिज्यिक व्यापार जिसमें भारत का कोई मध्यवर्ती हो, सीआईटीईएस और स्कोमेट सूची में वस्तुओं/वस्तुओं को छोड़कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है।

निर्यात :**2.40 मुक्त निर्यात**

जब तक ये निर्यात आईटीसी (एचएस) या विदेश व्यापार नीति के किसी अन्य प्रावधान या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी वस्तुओं का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। तथापि, महानिदेशक विदेश व्यापार सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार आईटीसी (एचएस) में शामिल न की गई किसी वस्तु का प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है।

2.41 सहायक विनिर्माताओं हेतु लाभ

सहायक विनिर्माता को प्राप्त होने वाले किसी लाभ (विदेश व्यापार नीति के पैरा 11.59 में यथा परिभाषित) को प्राप्त करने के लिए सहायक विनिर्माता तथा व्यापारी निर्यातक दोनों के नामों का संबंधित निर्यात दस्तावेजों विशेषतः कर बीजक/पोत लदान बिल/निर्यात बिल/एयरवे बिल पर उल्लेख किया जाना चाहिए।

2.42 तीसरा पक्ष निर्यात

अध्याय 11 में यथा परिभाषित तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात (मान्य निर्यात को छोड़कर) की अनुमति विदेश व्यापार नीति के तहत होगी। ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे पोत लदान बिलों पर विनिर्माण निर्यातक/विनिर्माता तथा तृतीय पक्ष निर्यातक/निर्यातकों दोनों के नामों का उल्लेख किया जाएगा। ई-बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (ई-बीआरसी), निर्यात आदेश और बीजक तृतीय पक्ष निर्यातक के नाम में होने चाहिए।

विशिष्ट श्रेणियों का निर्यात**2.43 नमूनों का निर्यात**

(क) मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों के वास्तविक व्यापार और तकनीकी नमूनों का निर्यात बिना किसी सीमा के अनुमत होगा।

(ख) नमूने और निःशुल्क माल के निर्यात की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.63 में दिए गए प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी

2.44 उपहारों का निर्यात

किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में, खाद्य मदों सहित, 5,00,000/— रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उपहार स्वरूप किया जा सकेगा। तथापि, आईटीसी (एचएस) में निर्यात के लिए प्रतिबंधित सूची की मदों को उपहार के तौर पर बिना प्राधिकार पत्र के निर्यात नहीं किया जा सकता।

2.45 यात्री असबाब का निर्यात

(क) वास्तविक निजी सामान को या तो यात्रियों के साथ ही अथवा यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर निर्यात किया जा सकता है। तथापि, आईटीसी (एचएस) में प्रतिबंधित मदों के लिए प्राधिकार पत्र लेना जरूरी होगा। तथापि, सरकारी तैनाती पर विदेश जाने वाले भारत सरकार के अधिकारियों को अपने नितान्त व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपना व्यक्तिगत असबाब, खाद्य सामग्री (मुक्त, प्रतिबंधित या निषिद्ध) अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। पैरा के प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी असबाब नियमावली के अधीन होंगे।

(ख) उन मदों के नमूने जो विदेश व्यापार नीति के तहत अन्यथा निर्यात योग्य हैं, बिना प्राधिकार पत्र के यात्री असबाब के रूप में भी निर्यात किये जा सकते हैं।

2.46 निर्यात हेतु आयात**I**

(क) विदेश व्यापार नीति के अनुसार आयातित माल, बिना किसी प्राधिकार पत्र के उसी या काफी हद तक उसी रूप में निर्यात किया जा सकता है, बशर्ते कि आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तु आईटीसी (एचएस) की अनुसूचियों में आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं है।

(ख) पूंजीगत माल (नए और पुराने दोनों) सहित माल को निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है बशर्ते कि:

(i) आयातक सीमाशुल्क बांड के तहत माल की निकासी करता है;

(ii) माल मुक्त रूप से निर्यात योग्य हैं, अर्थात्, "प्रतिबंधित" या "निषिद्ध" या राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से विशिष्ट व्यापार या आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति के अनुसूची-2 के तहत अपेक्षित किसी भी शर्त या आवश्यकता के अधीन नहीं है।

(iii) निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52 (घ) (ii) के अनुसार है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में माल में आयात (निषिद्ध मदों को छोड़कर) हेतु 'प्रतिबंधित' माल शामिल होगा।

(घ) पूंजीगत माल, जो मुक्त रूप से आयात योग्य और मुक्त रूप से निर्यात योग्य है, सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ एल्यूटी/बीजी के निष्पादन पर निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है।

(ङ) उपरोक्त के बावजूद, माल जो मुक्त रूप से आयात योग्य है उनका निर्यात की निषिद्ध या स्कोमेट सूची में दिए गए मदों को छोड़कर उसी या काफी हद तक उसी रूप में पुनः निर्यात किया जा सकता है, भले ही निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसा माल निर्यात के लिए "प्रतिबंधित सूची" के अंतर्गत हो;

(i) माल का भारत से उद्गम नहीं है;

(ii) आयातित माल को सीमाशुल्क विभाग की देख रेख में बॉन्डेड वेयरहाउस में रखा जाएगा;

(iii) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को घरेलू उपभोग के लिए कभी मंजूरी नहीं दी गई है;

(iv) माल का निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 69 के अधीन होगा।

II

(क) मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के तहत आयात किए गए माल को केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के तहत निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी, जब तक कि डीजीएफटी द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता है। पैरा 2.52 (घ) (i) के तहत आयातित माल पैरा 2.52 (घ) (ii) के अनुसार केवल भुगतान के तहत निर्यात हेतु अनुमत होगा, जब तक कि डीजीएफटी द्वारा अन्यथा अधिसूचित न हो।

(ख) अधिसूचित देशों (वर्तमान में केवल ईरान) को ऐसे माल के निर्यात की अनुमति भारतीय रुपये में भुगतान हेतु दी जाएगी, जो न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्यवर्धन के अधीन होगी।

(ग) हालांकि, खाद्य, दवा और चिकित्सा उपकरणों का पुनः निर्यात अर्थात् आईटीसी (एचएस) अध्याय 2 से 4, 7 से 11, 15 से 21, 23, 30 के तहत शामिल मदें और आईटीसी (एचएस) के अध्याय-90 के शीर्षक 9018, 9019, 9020, 9021 और 9022 के तहत मदें ईरान को निर्यात हेतु न्यूनतम मूल्यवर्धन आवश्यकता के अधीन नहीं होगा। हालांकि, ईरान को इन मदों का निर्यात एफटीपी और आईटीसी (एचएस) की अन्य सभी शर्तों के अधीन होगा, जो लागू हों। आईटीसी (एचएस) 0407 और 0408 के तहत शामिल किए पक्षियों के अंडे और आईटीसी (एचएस) 1006 के तहत शामिल किए गए चावल उपरोक्त II(क) के अनुसार इस व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

(घ) इस व्यवस्था के तहत निर्यात जैसा कि उपर्युक्त I(ड.) और II(क), (ख) और (ग) पर है किसी भी निर्यात प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।

2.47 प्रतिस्थापन माल का निर्यात

निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये गए तो उनका आयात प्रतिस्थापन के लिए सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना के अनुसार निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात हेतु अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि प्रतिस्थापन माल आईटीसी (एचएस) में निर्यात हेतु प्रतिबंधित या स्कोमेट मदों के तौर पर उल्लिखित न हो। यदि निर्यात का मद 'प्रतिबंधित' या स्कोमेट सूची के अधीन है तो निर्यातक को प्रतिस्थापन हेतु निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

2.48 मरम्मत किए गए माल का पुनः निर्यात

आईटीसी (एचएस) के तहत प्रतिबंधित मदों को छोड़कर निर्यात करते समय कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण, टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये गए तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे सामान की प्राधिकार पत्र के बिना और सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी। उस सीमा तक निर्यातक लौटाए गए माल पर प्राप्त लाभ/प्रोत्साहन लौटाएगा। यदि मद आयात के लिए 'प्रतिबंधित' है तो निर्यातक को आयात लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तथापि, कंपनियों/फर्मों तथा मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा ऐसे खराब हिस्सों/पुर्जों का पुनः निर्यात करना अनिवार्य नहीं होगा यदि इन्हें विशेष रूप से मूल कारण का पता लगाने, परीक्षण और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयात किया गया है।

2.49 अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात

संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स के वारंटी पुर्जों (चाहे स्वदेशी अथवा आयातित) या कोई अन्य माल, [आईटीसी (एचएस) के तहत प्रतिबंधित मदों को छोड़कर] को मुख्य उपकरण के साथ या बाद में निर्यात किया जा सकता है, लेकिन आरबीआई के अनुमोदन के अधीन ऐसे माल की वारंटी अवधि संविदा के भीतर हो।

2.50 दोषपूर्ण और उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए आयातित माल का पुनः निर्यात

सीमाशुल्क निकासी के बाद दोषपूर्ण पाए गए आयातित माल अथवा विनिर्देशों या आवश्यकताओं के अनुसार नहीं पाए जाने पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है।

2.51 निर्यात के लिए निजी बाण्डेड गोदाम

(क) राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार विशेषतया निर्यात के लिए डीटीए में निजी बाण्डेड गोदाम की स्थापना की जा सकती है।

(ख) ऐसे गोदाम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के अनुसार विनिर्माण और अन्य कार्यों के लिए घरेलू निर्माताओं से माल खरीदने के पात्र होंगे।

आयात/निर्यात हेतु भुगतान और प्राप्ति

2.52 निर्यात संविदाओं का कोटिकरण

- (क) सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा भारतीय रुपये के मूल्य वर्ग में रखा जाएगा किन्तु निर्यात प्राप्तियां मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएगी।
- (ख) तथापि, विशेष निर्यातों के मददे निर्यात प्राप्तियां रुपयों में भी वसूल की जा सकती है, बशर्ते कि यह एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य देश या नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी भी देश में स्थित अप्रवासी बैंक के मुक्त रूप से परिवर्तनीय वोस्ट्रो खाते के जरिए हों। इसके अतिरिक्त वोस्ट्रो खाते के जरिए रुपये का भुगतान क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक खाते में मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के मददे हो। इस सौदे के कारण खरीददार को अपने अप्रवासी बैंक को (बैंक सेवा प्रभार को घटाने के बाद) मुक्त विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान को विदेश व्यापार नीति के निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात वसूली के रूप में गिना जाएगा।
- (ग) संविदाओं (जिनके लिए भुगतान एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) के जरिए प्राप्त किए जाएंगे) को एसीयू डॉलर के मूल्य वर्ग में रखा जाएगा। तथापि, एसीयू के प्रतिभागी आरबीआई की अधिसूचनाओं के अनुसार एसीयू डॉलर या एसीयू में अपनी लेन-देन निष्पादित कर सकते हैं। केन्द्र सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है। एक्जिम बैंक/भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के मददे निर्यात ठेकों और बीजकों का भारतीय रुपयों में नामकरण किया जा सकता है।

(घ) निर्यात और आयात का बीजक, भुगतान और निपटान भी आरबीआई ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के तहत अनुपालन के अधीन भारतीय रुपये में स्वीकार्य है। तदनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमन, 2016 के विनियमन 7(1) के तहत भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा खोले गए विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से भारतीय रुपये में व्यापार लेन-देन का निपटान निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अनुसार होगा:

- (i) इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातकों को भारतीय रुपये में भुगतान करना होगा, जिसे विदेशी विक्रेता/आपूर्तिकर्ता से माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए बीजक के तहत भागीदार देश के संपन्न बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा।
- (ii) इस तंत्र के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के संपन्न बैंक के नामित विशेष वोस्ट्रो खातों में शेष राशि से भारतीय रुपये में निर्यात आय का भुगतान किया जाएगा।

2.53 भारतीय रुपये में निर्यात प्राप्तियों के लिए एफटीपी स्कीमों की अनुप्रयोज्यता

- (i) ईरान को निर्यात के बदले भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात लाभ/प्रोत्साहन/निर्यात दायित्वों की पूर्ति के लिए अनुमति दी गई है, जो कि मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.19 का अनुपालन के अधीन है।
- (ii) पैरा 2.52 (घ) (ii) के अनुसार भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात लाभ/प्रोत्साहन/निर्यात दायित्वों को पूरा करने की अनुमति है।

2.54 निर्यात आय की वसूली नहीं होना

- (क) यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में, उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे निर्यातों के लिए उठाए गए सभी लाभों/प्रोत्साहनों को वापस करना होगा और उसके विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (ख) यदि निर्यातक अपने नियंत्रण से बाहर (अप्रत्याशित घटना) की वजह से निर्यात आय प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो वह प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.72 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त न हुई राशि को बट्टे-खाते में डालने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क कर सकता है।
- (ग) बीमा कवर के माध्यम से प्राप्त भुगतान प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.71 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एफटीपी के तहत लाभ का पात्र होगा।

2.55 निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए)

- (i) निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए) निर्यात को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की नीति संबंधी साधन है। ईसीए बीमा, गारंटी और प्रत्यक्ष ऋण के द्वारा निर्यात को सहायता प्रदान करती है। निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए) जैसे भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) निर्यात को और निर्यात क्रेडिट ऋण को क्रेडिट बीमा सहायता प्रदान करती है। निर्यातकों को ईसीजीसी द्वारा दिए गए कवर की देखरेख करती है, क्रेता के दिवालियापन या चूक के कारण अथवा राजनीतिक जोखिम के कारण भुगतान असफल होने से उत्पन्न हानि के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। निर्यातक ऐसे कवर के द्वारा मौजूदा बाजारों की रक्षा के अलावा अपने बाजारों का विविधीकरण करते हैं। ईसीजीसी परियोजना निर्यात सहित मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी) निर्यात को भी सहायता देता है। एक्जिम बैंक एमएलटी निर्यात के ऋण के व्यवसाय में और सरकार की क्रेडिट लाइन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी ईसीए है।
- (ii) ईसीजीसी क्रेता के दिवालियापन या चूक के कारण निर्यात व्यापार में निर्यातकों की हानि की क्षतिपूर्ति करता है। इसके अलावा पोत लदान कर दिए जाने के बाद युद्ध, अचानक आयात प्रतिबंध, कानून या आज्ञा के प्रख्यापन जैसे राजनीतिक जोखिम के कारण हानि को भी कवर किया जाता है। पोत लदान कर दिए जाने के बाद पाटन-रोधी के कुछ उपाय या गैर-प्रशुल्क अवरोध राजनीतिक जोखिम के अधीन आएं। ऐसे मामले में ईसीजीसी द्वारा निर्यातकों के हित की रक्षा की जाती है।

निर्यात संवर्धन परिषदें :**2.56 आरसीएमसी जारी करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित करना।**

- (क) निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) निर्यातकों के संगठन हैं जिनकी स्थापना भारतीय निर्यातों का संवर्धन और विकास करने के लिए की गई है। प्रत्येक परिषद एएनएफ के परिशिष्ट 2न के अनुसार उत्पादों/परियोजनाओं/सेवाओं के एक विशिष्ट समूह के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।
- (ख) ईपीसी अपने सदस्यों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आरसीएमसी) जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है। ईपीसी के लिए अपने सदस्यों को आरसीएमसी जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में चिन्हित करने के मानदंड प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 2.78 में दिए गए हैं।

2.57 पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी)

- (क) कोई भी व्यक्ति आयात/निर्यात (आईटीसी (एचएस) में 'प्रतिबंधित' मदों के रूप में सूचीबद्ध मदों को छोड़कर) हेतु प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन कर रहा है या एफटीपी के तहत किसी अन्य लाभ या छूट के लिए आवेदन कर रहा है, उसे प्रक्रिया पुस्तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई आरसीएमसी जब तक कि विशेष रूप से एफटीपी के तहत छूट नहीं दी जाती है प्रदान करनी होगी।
- (ख) मसाला बोर्ड द्वारा जारी मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीआरईएस) और कायर बोर्ड द्वारा जारी कायर एवं कायर उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण-पत्र को इस नीति के तहत पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आरसीएमसी) के रूप में माना जाएगा।

2.58 नीतिगत व्याख्या

- (क) नीतिगत व्याख्या, अथवा प्रक्रिया-पुस्तक के प्रावधान, परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों अथवा आईटीसी (एचएस) के आयात/निर्यात के लिए किसी मद के वर्गीकरण से संबंधित सभी मामलों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय की सहायता करने और सलाह देने के लिए एक नीति व्याख्या समिति (पीआईसी) का गठन किया जा सकता है। पीआईसी की रचना निम्नानुसार होगी—
- (i) महानिदेशक, विदेश व्यापार: अध्यक्ष
 - (ii) मुख्यालय के सभी अपर महानिदेशक विदेश व्यापार: सदस्य
 - (iii) नीतिगत मामलों को 'देखने वाले' मुख्यालय में कार्यरत सभी संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार: सदस्य
 - (iv) संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (पीआरसी/पीआईसी): सदस्य-सचिव
 - (v) अध्यक्ष द्वारा सह-योजित संबंधित मंत्रालय/विभाग का कोई अन्य व्यक्ति/प्रतिनिधि

2.59 नीति/प्रक्रिया से छूट

विदेश व्यापार महानिदेशालय जनहित में ऐसे आदेश जारी कर सकता है अथवा ऐसी छूट, रियायत, उपाय प्रदान कर सकता है जो कि वह विदेश व्यापार नीति के किसी प्रावधान अथवा किसी प्रक्रिया से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा श्रेणी पर, व्यापार पर विपरीत प्रभाव और वास्तविक कठिनाइयों के आधार पर उपयुक्त समझता है। ऐसी छूट प्रदान करते समय, विदेश व्यापार महानिदेशालय समिति से विचार-विमर्श करने के पश्चात् ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह उपयुक्त मानता हो।

क्रम सं.	विवरण	समिति
(क)	सभी स्कीमों के तहत स्कीमों के तहत उत्पाद मानदण्डों का निर्धारण/संशोधन	मानदण्ड समितियां
(ख)	पूँजीगत माल (सीजी) और ईपीसीजी स्कीम के तहत लाभों का संबंध	ईपीसीजी समितियां
(ग)	अन्य सभी मामले	नीतिगत छूट समिति (पीआरसी)

2.60 शिकायत निवारण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई

- (क) सरकार व्यापार और उद्योग जगत से शिकायतों के तीव्र और शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.59 में व्यापार पर वास्तविक कठिनाइयों और विपरीत प्रभाव के आधार पर नीति और प्रक्रिया में छूट प्रदान करने का प्रावधान है। यदि कोई आयातक/निर्यातक नीतिगत छूट संबंधी समिति (पीआरसी) द्वारा लिए गए किसी निर्णय या विदेश व्यापार महानिदेशालय में किसी प्राधिकारी द्वारा किसी निर्णय/आदेश से असंतुष्ट है तो, परिशिष्ट 2ट के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) हेतु महानिदेशक के समक्ष विशिष्ट अनुरोध करना होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय संबंधित मानदण्ड समिति, ईपीसीजी समिति अथवा नीतिगत छूट समिति (पीआरसी) से विचार-विमर्श करने के पश्चात् छूट पर विचार कर सकता है और व्यक्तिगत सुनवाई के अनुसरण में सूचित निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।
- (ख) व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के संबंधित प्रावधानों के तहत अधिनिर्णय कार्रवाई चाहे वह पहली अवस्था में हो अथवा अपीलीय अवस्था सहित किसी कार्यवाही में लिए गए निर्णय/आदेश पर लागू नहीं होगा।

2.61 निर्यात दायित्व चूक का नियमितीकरण और निपटान आयोग के माध्यम से सीमाशुल्क और ब्याज का निपटान

एफटीपी के तहत चूक करने वाली फर्मों को उनके नियंत्रण से परे कारणों से सहायता प्रदान करने की दृष्टि से साथ-ही-साथ अनुत्पादक इकाइयों के विलय, अधिग्रहण और पुनर्वास की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व विभाग में निपटान आयोग को ऐसे मामलों का भी निर्णय लेने के लिए दिनांक 01.04.2005 से अधिकार दिया जाए। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां मामला एनसीएलटी के दायरे में हैं, एफटीपी का पैरा 2.15 लागू होगा।

उद्गम होने वाले माल का स्व-प्रमाणन**2.62 उद्गम के प्रमाणपत्र के स्वप्रमाणन के लिए अनुमोदित निर्यातक स्कीम**

- (i) फिलहाल विविध तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), समग्र आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) और समग्र आर्थिक सहभागिता समझौतों (सीईपीए) के तहत उद्गम के प्रमाणपत्र परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2ख के अनुसार नामित एजेंसियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। सौदा लागत को कम करने के उद्देश्य से स्वप्रमाणन की एक वैकल्पिक प्रणाली शुरू की जा रही है।
- (ii) विनिर्माता जो कि स्तर धारक भी हैं अनुमोदित निर्यातक स्कीम के भी पात्र होंगे। अनुमोदित निर्यातक अपने विनिर्मित माल को प्रचलित विविध पीटीए/एफटीए/सीईसीए/सीईपीए के तहत तरजीही समझौते को पास करने के उद्देश्य से भारत में बनाया हुआ दर्शाने के लिए स्वप्रमाणित करने के हकदार होंगे। स्वप्रमाणन केवल उसी माल के लिए अनुमत होगा जोकि विनिर्माताओं को जारी औद्योगिक उद्यम संबंधी ज्ञापन (आईईएम)/औद्योगिक लाइसेंस (आईएल)/आशय-पत्र (एलओआई) के अनुसार हो।

- (iii) परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2च के साथ पठित प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 2.94 के विवरणों के अनुसार डीजीएफटी द्वारा अपेक्षित अवसंरचना, क्षमता और प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता के आधार पर स्व-प्रमाणन के लिए प्राधिकृत निर्यातकों के रूप में स्तरधारकों की पहचान की जाएगी।
- (iv) दण्ड प्रावधानों के साथ स्कीम का विवरण परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2च में दिया गया है और केवल तभी लागू होगा जब भारत स्कीम को अपने सहभागी/सहभागियों के साथ एक विशिष्ट समझौते के रूप में शामिल करता है और इसे डीजीएफटी द्वारा उपयुक्त रूप से अधिसूचित किया जाता है। इसके अलावा जिन संस्थाओं को इस तरह के स्व-प्रमाणन को एफटीए/पीटीए के तहत द्विपक्षीय रूप से विस्तारित किया जाएगा, यह एफटीए के प्रावधानों और शर्तों के अधीन होंगे।

2.63 यूरोपीय संघ सामान्यीकृत अधिमानता प्रणाली (ईयू-जीएससी) के लिए माल के उद्गम का प्रमाणपत्र

निर्यातक पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत यूरोपीय संघ (ईयू) की यूरोपीय संघ सामान्यीकृत अधिमानता प्रणाली (ईयू-जीएसपी) के लिए माल के उद्गम पर प्रमाणन हेतु स्व-प्रमाणन स्कीम के अनुसार स्वप्रमाणित कर सकते हैं जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.89 [क] (ग) में दिया गया है।

परिशिष्ट— I (पैरा 2.18)

2.18 कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निशेध

*निर्यात पर निषेध :

- (क) कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) को निम्नलिखित मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण या निर्यात निषिद्ध है :-
 - (i) परम्परागत हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर में यथा परिभाषित कोई बैटल टैंक, आर्मर्ड कम्बैट वाहन, बड़ी क्षमता की आर्टिलरी प्रणाली, कम्बैट एयरक्राफ्ट, अटैक हेलिकॉप्टर, युद्धपोत, मिसाइल प्रणाली या कलपूर्ज सहित संबंधित सामग्री;
 - (ii) छोटे हथियार और हल्के हथियार और उससे संबंधित सामग्री सहित सभी हथियार और संबंधित सामग्री;
 - (iii) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के दस्तावेजों में यथा उल्लिखित सभी मदें, सामग्री, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी,
 1. एस/2006/853*;
 2. एस/2006/853/कोर.1;
 3. एस/2009/364 का भाग ख;
 4. संकल्प 2094 (2013) का अनुलग्नक - III
 5. एस /2016/1069;
 6. आईएनएफसीआईआरसी /254/रेव. 12/ भाग -1 का अनुलग्नक-क (आईएईए दस्तावेज);
 7. आईएनएफसीआईआरसी /254/रेव. 9/ भाग -2 का अनुलग्नक (आईएईए दस्तावेज);
 8. एस/2014/253;
 9. एस/2016/308;
 10. संकल्प 2321 (2016) का अनुलग्नक - III; और
 11. केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोई मदें, सामग्री, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी जिनसे कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य के परमाणु - संबंधी, बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी या अन्य व्यापक नर संहार संबंधी हथियारों के कार्यक्रमों में योगदान हो सकता है;

- (iv) संकल्प 2094 (2013) के अनुलग्नक-IV, संकल्प 2270 (2016) के अनुलग्नक-IV और संकल्प 2321 (2016) के अनुलग्नक-IV में विनिर्दिष्ट मदों सहित किन्तु इन्हीं मदों तक सीमित नहीं, आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची

2 के अध्याय 22 औ 24 के तहत विलासिता संबंधी माल जिसमें अनडिनाचर्ड एथिल अल्कोहल [एचएस कोड 2207 और 2208] और सिगार, चेस्ट, सिगारिलोस और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प [एचएस कोड 2402] शामिल है।

(v) खाद्य पदार्थ या दवाई को छोड़कर केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित मदें जो कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य के सशस्त्र बलों की प्रचालनात्मक क्षमताओं के विकास में योगदान दे सकती हैं। यह उपाय संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 8(क) और (ख) में निर्धारित छूट के अधीन है।

आयात पर निषेध:

(ख) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (क)(i), (क)(ii), (क)(iii), (क)(iv), की मदों का कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष प्रापण या आयात, चाहे कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य में उत्पादित हो या न हो, निषिद्ध है।

क्षेत्रीय निषेध: (निर्यात)

- (ग) कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य को निम्नलिखित मदों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण या निर्यात निषिद्ध है:
- (i) मामला-दर-मामला आधार पर समिति द्वारा अग्रिम में यथा अनुमोदित मामले को छोड़कर नए हेलीकोप्टर और वेसल्स;
- (ii) वायुयान गैसोलीन, नाप्था प्रकार का जेट ईंधन, केरोसिन प्रकार का जेट ईंधन और केरोसिन —प्रकार के राकेट ईंधन सहित वायुयान ईंधन। यह उपाय संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 31 एवं संकल्प 2321(2016) के पैराग्राफ 20 के प्रावधानों के अधीन है;
- (iii) संघनन और प्राकृतिक गैस द्रव्य;
- (iv) परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद। यह उपाय संकल्प 2397 (2017) के पैराग्राफ 5 में निर्धारित सीमाओं, छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;
- (v) कच्चा तेल। यह उपाय संकल्प 2397(2017) के पैराग्राफ 4 में निर्धारित, छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;
- (vi) सभी औद्योगिक मशीनरी [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 84 एवं 85] परिवहन वाहन [आईटीसी (एचएस) के अध्याय 86 से 89] और लोहा, इस्पात और अन्य धातु [आईटीसी (एचएस) के अध्याय 72 से 83] यह उपाय संकल्प 2397(2017) के पैरा 7 में निर्धारित छूट के अधीन है।

क्षेत्रीय निषेध (आयात)

- (घ) कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से निम्नलिखित मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रापण या आयात निषिद्ध है:
- (i) कोयला, लोहा और लौह अयस्क। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 8 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;
- (ii) सोना, टाइटेनियम अयस्क, वेनेडियम अयस्क और पृथ्वी के दुर्लभ खनिज;
- (iii) तांबा, निकेल, चांदी और जस्ता;
- (iv) मामला-दर-मामला आधार पर समिति द्वारा अग्रिम में यथा अनुमोदित को छोड़कर मूर्तियां; और
- (v) समुद्री खाद्य पदार्थ (मछली, क्रैस्टेशन, मोलस्क और सभी रूपों के अन्य जलीय अकशेरुकी सहित)। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 9 और संकल्प 2397 (2017) के पैरा 6 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;

- (vi) सीसा और सीसा अयस्क। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 10 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;
- (vii) वस्त्र (कपड़े और आंशिक या पूर्ण परिधन उत्पाद सहित किन्तु उन तक सीमित नहीं)। यह उपाय संकल्प 2375 (2017) के पैराग्राफ 16 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;
- (viii) खाद्य एवं कृषि उत्पाद [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 12, 08, 07] मशीनरी [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 84] विद्युतीय उपस्कर [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 85] मैग्नेसाइट एवं मैग्नेशियम सहित मृदा और पत्थर [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 25] काष्ठ [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 44] और वेसल [आई टी सी (एच एस) का अध्याय 89]। यह उपाय संकल्प 2397 (2017) के पैराग्राफ 6 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन है।

व्याख्या:

- (क) यूएनएससी का अर्थ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से है;
- (ख) आईईए का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है;
- (ग) समिति का अर्थ संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 12 के अनुसार स्थापित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति से है;
- (घ) संकल्प, जैसा भी मामला हो, का अर्थ कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य संबंधी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों यथा 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016), 2231 (2016), 2356(2017), 2371(2017), 2375(2017) और 2397(2017) से है।”

अध्याय-3

जिलों का निर्यात हब के रूप में विकास

03.00 उद्देश्य

देश के जिलों को जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर, इन उत्पादों/सेवाओं का निर्यात करने में आने वाली बाधाओं को दूर कर, जिले में निर्यात, विनिर्माण एवं सेवा उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को भारत के बाहर संभावित खरीदारों को ढूँढने हेतु जिलों को निर्यात हब के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करना। इसका लक्ष्य जिला स्तर पर निर्यातों के संबंध में वृहत्तर स्तर पर जागरूकता और प्रतिबद्धता लाना, नये निर्यातकों को बनाने के लिए क्षमता निर्माण करना और फोकसयुक्त उत्पादों और सेवाओं हेतु नये बाजारों की पहचान करना है। विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यह एमएसएमई, किसानों और लघु स्तर के उद्योगों को सशक्त भी बनाएगा। इस विकेंद्रित और फोकस युक्त उपागम से जिलों से उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक मंच प्रदान करके आत्म पर्याप्तता और आत्मनिर्भरता के लिए जिले के नेतृत्व में निर्यात वृद्धि पर ध्यान केंद्रित होगा।

3.01 जिला निर्यात संवर्धन समितियाँ – जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र

प्रत्येक जिले में ऐसे उत्पाद और सेवाएँ हैं, जिनका निर्यात किया जा रहा है और नए उत्पादों/सेवाओं के साथ, उत्पादन बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने, आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करने और *आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल* और *मेक इन इंडिया* के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे और बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं (जीआई उत्पाद, कृषि क्लस्टर, खिलौना क्लस्टर इत्यादि) की पहचान की जानी चाहिए और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में संस्थागत तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि निर्यात संवर्द्धन हेतु सहायता प्रदान की जा सके और जिलों में निर्यात वृद्धि की बाधाओं को दूर किया जा सके।

प्रत्येक जिले में एक जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता जिले के कलेक्टर/डीएम/डीसी द्वारा और उसकी सह अध्यक्षता नामित डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जिसमें विभिन्न अन्य हितधारक इसके सदस्य होंगे।

डीईपीसी का प्राथमिक कार्य केंद्र, राज्य और जिला स्तर से सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजनाओं को तैयार करना और इसका कार्यान्वयन करना होगा।

डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रत्येक जिले में इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के साथ मिल कर कार्य करेंगे।

3.02 प्रत्येक जिले के लिए जिला निर्यात कार्य योजना

प्रत्येक जिले के लिए जिला निर्यात कार्य योजना (डीईपी) तैयार की जाएगी। जिलों से अधिक संभावना वाले 2-3 उत्पादों/सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए और उनकी निर्यात वृद्धि के लिए व्यापक योजना तैयार की जा सकती है। इसमें स्थानीय उद्योग द्वारा अपने विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन चरण से लेकर निर्यात चरण तक उद्योग का समर्थन करने पर जोर के साथ आवश्यक सहायता शामिल होगी। डीईपी में अल्पावधि और दीर्घावधि में हासिल किए जाने वाले विशिष्ट मात्रात्मक लक्ष्य शामिल होंगे। ये योजनाएं उन हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार कर सकती हैं जो जिलों से पहचाने गए उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। प्रत्येक जिले के डीईपीसी द्वारा डीईपी को औपचारिक रूप से पारित किए जाने के पहले डीईपीसी और विभिन्न हितधारकों द्वारा विचार-विमर्श किया जा सकता है। प्रत्येक जिले के डीईपी को एक बार अंगीकार करने के बाद एक विशिष्ट पोर्टल पर सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जा सकता है।

3.03 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निर्यात संवर्धन समितियां

राज्य से निर्यातों के संवर्धन के लिए वाणिज्य विभाग/डीजीएफटी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में ताल-मेल हेतु प्रत्येक राज्य एक राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) का गठन करेगा जिसका नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। डीजीएफटी का नामित क्षेत्रीय प्राधिकारी समिति का सह-संयोजक होगा।

3.04 नोडल डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकारी

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिलों को क्षेत्राधिकार प्राप्त डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकारी सौंपे गए हैं और नोडल क्षेत्रीय प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिलों के लिए उन जिलों में निर्यात हब के रूप में जिला पहल से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे।

3.05 जिला निर्यात कार्य योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी

डीजीएफटी एक ऑनलाइन निगरानी पोर्टल विकसित करेगा जिसे डीजीएफटी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है जिससे राज्य/डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रत्येक जिले के निर्यात संभावित उत्पादों/सेवाओं से संबंधित सभी जानकारी अपलोड करने में सक्षम हो सकें। पोर्टल, जिला निर्यात कार्यवाई योजना और डीईपीसी बैठकों की सभी जिलों में हुई प्रगति की निगरानी करने में भी मदद कर सकता है। प्रत्येक डीजीएफटी क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) अपने क्षेत्राधिकार के अधीन मूलतः प्रत्येक जिले में निर्यात कार्यवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु सूचना/प्रगति को अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सूचना और रिपोर्ट निर्यातकों के लाभ के लिए पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध हो सकती है।

3.06 जिलों में निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप

प्रत्येक जिले में स्थानीय उद्योगों के उत्पाद/क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण और विकास से संबंधित आवश्यकताओं, क्रेता-विक्रेता बैठक, व्यापार मेलों, कार्यशालाओं आदि सहित आउटरीच क्रियाकलापों के माध्यम से सूचना के प्रसार के रूप में सहायता प्रदान की जा सकती है। जिला के उद्योगों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को चिन्हित किया जा सकता है और प्रशिक्षण को अन्य विभागों के साथ समन्वित किया जा सकता है। डीईपीसी के माध्यम से डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी जिले में क्रेता-विक्रेता बैठक, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों आदि की सुविधा प्रदान कर सकता है जिससे उद्योगों को अपने उत्पादों/सेवाओं को दुनिया में प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

3.07 जिला निर्यात कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन

प्रत्येक जिले में जिला निर्यात संवर्धन समिति द्वारा अधिसूचित जिला निर्यात कार्य योजना में जिले में निर्यात संभावना वाले उत्पादों (वस्तुओं और सेवाओं) की स्पष्ट पहचान, संस्थागत/अन्य जिम्मेदारियां, नीति की बारीकियां, विनियामक और प्रचालन सुधार और उत्पादक/फार्म से लेकर निर्यात गंतव्य तक की पूरी श्रृंखला में आवश्यक अवसंरचनाओं/उपयोगिताओं/लॉजिस्टिक्स के हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं ताकि उत्पादन, उत्पादकता/प्रतिस्पर्धात्मकता डिजाइन में आवश्यक सुधार, निर्यातकों के साथ उत्पादकों का टाई-अप, एकत्रीकरण, छंटाई, परीक्षण, प्रमाणन, पैकेजिंग, कोल्ड चेन या अन्य माध्यम से परिवहन, आयात-निर्यात औपचारिकताओं, गंतव्य देशों के मानकों की पूर्ति आदि जैसे पहलुओं को कवर किया जा सके। इसमें जीआई उत्पादन, पंजीकरण, विपणन और इसके निर्यात में अवरोधों/समस्याओं की पहचान करना भी शामिल हो सकते हैं। इस योजना में स्थानीय उद्योग द्वारा उत्पादन चरण से लेकर निर्यात चरण तक उद्योग की सहायता पर जोर के साथ, उनके विनिर्माण और निर्यात को बढ़ाने में अपेक्षित सहायता भी शामिल होगी।

एक बार योजना को औपचारिक रूप से प्रत्येक जिले के डीईपीसी द्वारा अंगीकार किए जाने के बाद इस योजना को जिलों से निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित परियोजनाओं/क्रियाकलापों को चिन्हित करके डीईपीसी द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। प्राथमिकता पर विभिन्न स्कीमों का कन्वर्जेंस किया जाएगा ताकि सहक्रिया का निर्माण किया जा सके और अवसंरचना विकास तथा कौशल/क्षमता निर्माण कार्यकलापों के लिए उपलब्ध केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की स्कीम संबंधी निधियों तक पहुंचा जा सके। वाणिज्य विभाग की स्कीमों जैसे कि बाज़ार अभिगम पहल, निर्यात बंधु योजना आदि में भी जिला निर्यात कार्य योजना के तहत चिन्हित जिला विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।

अध्याय-4**शुल्क विमुक्ति/रियायत स्कीम****4.00 उद्देश्य**

इस अध्याय के तहत स्कीमें निविष्टियों की पुनःपूर्ति अथवा शुल्क रियायत सहित निर्यात उत्पादन के लिए निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात को समर्थ बनाती हैं।

4.01 स्कीमें**(क) शुल्क छूट स्कीमें**

शुल्क छूट स्कीम में निम्नलिखित शामिल हैं :

- अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) (जिसमें वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र सम्मिलित होगा)
- शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए)

(ख) शुल्क रियायत स्कीम

राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित, शुल्क वापसी स्कीम (डीबीके)

(ग) वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राज्य और केंद्रीय करों और लेवीज (आरओएससीटीएल) पर छूट हेतु स्कीम

(घ) वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित और राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट हेतु स्कीम (आरओडीटीईपी)।

4.02 नीति और प्रक्रिया की अनुप्रयोज्यता

इस अध्याय के तहत प्राधिकार पत्र को प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से प्रभावी नीति और प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा।

4.03 अग्रिम प्राधिकार पत्र

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र उन निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति हेतु जारी किया जाता है, जो कि निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से सम्मिलित हैं (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए)। इसके अतिरिक्त ईंधन, तेल, उत्प्रेरकों जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोग/प्रयुक्त किए जाते हैं, भी अनुमत होंगे।

(ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र निम्नलिखित आधार पर परिणामी उत्पाद के संबंध में इनपुट के लिए जारी किया जाता है:

- (i) अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) के अनुसार (प्रक्रिया पुस्तक में उपलब्ध);

अथवा

- (ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर,

अथवा

- (iii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.06 के अनुसार मानदंड समिति द्वारा मानदंड का आवेदक विशिष्ट पूर्व निर्धारण।

अथवा

- (iv) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.06 के अनुसार स्व-अनुसमर्थन स्कीम के आधार पर।

4.04 मसालों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

आईटीसी (एचएस) के अध्याय-9 के अंतर्गत शामिल मसालों के शुल्क मुक्त आयात को केवल तेलों या ओलिओरेसिंस की क्रशिंग/पीसने/जीवाणु मुक्त करने/बनाने जैसी गतिविधियों के लिए अनुमति है। प्राधिकार पत्र केवल सफाई, ग्रेडिंग, पुनः पैकिंग, आदि के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

4.04 क परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम।

निर्यात एवं आयात के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के निर्यात के लिए इस योजना हेतु जारी की गई सीमाशुल्क विभाग की अधिसूचना के अनुसार, परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत फैब्रिक के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी, जो निम्नलिखित नियम और शर्तों के अधीन होगी:

- (i) मानदंड समिति द्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) या मानदंडों के पूर्व निर्धारण के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।
- (ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.07 के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों, तदर्थ—मानदंड को 90 दिनों की विहित समयावधि के भीतर निर्धारित करना होगा।
- (iii) निविष्टि के रूप में केवल अस्तर सहित संबद्ध फैब्रिकों के आयात हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। इस प्राधिकार पत्र के तहत किसी अन्य निविष्टि, पैकिंग सामग्री, ईंधन, तेल और उत्प्रेरक के आयात के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iv) निर्यातक गैर-फैब्रिक निविष्टियों के लिए इस स्कीम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित शुल्क वापसी की समग्र औद्योगिक दर के लिए पात्र होंगे। एफटीपी के पैरा 4.08 के मूल्य वर्धन मानदंड के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ऐसी किसी अन्य निविष्टि का मूल्य जिस पर शुल्क वापसी के लाभ का दावा किया जाता है या दावा किए जाने का आशय है, किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 22% के बराबर होगा। न्यूनतम मूल्य वर्धन एफटीपी के पैरा 4.09 के अनुसार होगा।
- (v) जहां निर्यातक क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और नियत शुल्क वापसी का दावा करना चाहता है (ब्रांड दर), तो वह प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन में की जाने वाली घोषणाओं के संबंध में एफटीपी के पैरा 4.15 का पालन करेगा और ब्रांड दर हेतु दावा के तहत निर्यात करेगा। ऐसे मामलों में मूल्य वर्धन एफटीपी के पैरा 4.08 के अनुसार होगा। न्यूनतम मूल्य वर्धन एफटीपी के पैरा 4.09 के अनुसार होगा।
- (vi) प्राधिकार पत्र और आयातित फैब्रिक वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होगा। निर्यात दायित्व के पूरा होने के बाद भी यह हस्तांतरणीय नहीं होगा। हालांकि आयात किया गया फैब्रिक पंजीकरण के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी को सूचना देकर जीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार जॉबवर्क के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से क्षेत्र आधारित छूट के लिए पात्र क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों को छोड़कर)। प्राधिकार-पत्र का अवैधीकरण अनुमत नहीं होगा।
- (vii) आयात किया जाने वाला फैब्रिक आयात पूर्व शर्तों के अधीन होगा और इसे वास्तविक रूप से निर्यात उत्पाद में शामिल किया जाएगा (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए)। केवल वास्तविक निर्यात ही निर्यात दायित्व को पूरा करेगा।
- (viii) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.02, 4.05 (क), 4.13 (i), 4.13 (ii), 4.14, 4.15, 4.17, 4.19, 4.21 (i), 4.21 (ii), 4.21 (iii), 4.21 (iv), 4.22, और 4.23 के प्रावधान लागू होंगे, जब तक कि वे इस स्कीम के साथ असंगत न हों।

4.05 पात्र आवेदक/निर्यात/आपूर्ति

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र विनिर्माता निर्यातकों या व्यापारी निर्यातक जो सहायक विनिर्माताओं से संबंधित है, को जारी किया जा सकता है।

(ख) नान-इन्फ्रिजिंग (एनआई) प्रक्रिया (प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.18 में निर्दिष्ट अनुसार) के माध्यम से निर्मित फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र केवल विनिर्माता निर्यातक को जारी किया जाएगा।

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र निम्न के लिए जारी किया जाएगा :

- (i) वास्तविक निर्यात (एसईजैड को किए गए निर्यात सहित);
- (ii) अन्तर्वर्ती आपूर्तियाँ; और/अथवा
- (iii) इस विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 7.02(ख), (ग), (घ) (ड.), (च) और (छ) में उल्लिखित श्रेणियों के लिए माल की आपूर्ति।
- (iv) विदेश जाने वाले जहाज/वायुयान पर 'स्टोर्स' की आपूर्ति इस शर्त के अधीन होगी कि आपूर्ति की गई मर्चों के संबंध में विशिष्ट मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड हैं।

4.06 स्व-अनुसमर्थन स्कीम

- (i) जहां निर्यात उत्पाद के लिए कोई सिओन/वैध तदर्थ मानदंड नहीं हैं या जहां सिओन को अधिसूचित किया गया है, लेकिन निर्यातक विनिर्माण प्रक्रिया में अतिरिक्त निविष्टियों का उपयोग करना चाहता है, पात्र निर्यातक स्व-घोषणा और स्व-अनुसमर्थन के आधार पर इस योजना के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभिव्यक्ति "अतिरिक्त निविष्टि" एक मानदंड में निर्दिष्ट निविष्टि की मात्रा/मूल्य के संदर्भ में अतिरिक्तता को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि एक अन्य अतिरिक्त निविष्टि के लिए संदर्भित करता है। मान लीजिए, यदि मानदंड में निर्दिष्ट निविष्टि केवल X1 और X2 हैं, तो निविष्टि Y एक अतिरिक्त निविष्टि का प्रतिनिधित्व करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी कर सकता है और ऐसे मामलों को मानदंडों के अनुसमर्थन के लिए मानदंड समितियों को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत आवेदन विनिर्दिष्ट प्रारूप में चार्टर्ड इंजीनियर से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ किया जाएगा।
- (ii) इस स्कीम के तहत सनदी अभियंता जिसे विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और सम्बद्ध अधिनियमों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के तहत गत पांच वर्षों में दंडित नहीं किया गया है, का प्रमाणपत्र ही प्राधिकार पत्र प्रदान किए जाने के लिए स्वीकार किया जाएगा।
- (iii) इस स्कीम को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित की जाएगी।
- (iv) निर्यातक (विनिर्माता अथवा व्यापारी) जिसके पास सीबीआईसी के सामान्य प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत आईओ प्रमाण पत्र इस स्कीम हेतु विकल्प का चयन करने के लिए पात्र हैं।
- (v) एक स्तर धारक जो एक विनिर्माता सह वास्तविक उपयोगकर्ता है और एफटीपी के पैरा 1.25 के तहत वैध 2-स्टार या उससे ऊपर का दर्जा रखता है और जिसने सीबीआईसी के आईओ पोर्टल पर आईओ के अनुदान के लिए अपना आवेदन पहले ही जमा कर दिया है, वह भी इस योजना के विषय के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन पात्र है:-
 - क) स्तर धारक आईओ के अनुदान के लिए अपने आवेदन की क्रमांकित और दिनांकित पावती की प्रति प्रस्तुत करता है।
 - ख) स्तर धारक डीजीएफटी को वचन देता है कि -
 - (i) आईओ प्रमाणन प्रदान करने के लिए इसके आवेदन को अभी तक अस्वीकार नहीं किया गया है।
 - (ii) चालू वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में स्तर धारक के मद्दे सीमा शुल्क और संबद्ध कानूनों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है।
 - (iii) स्तर धारक को चालू वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सीमा शुल्क या जीएसटी अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है।
 - (iv) स्तर धारक के पास सकारात्मक निवल चालू संपत्ति है।
 - (v) चालू वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में स्तर धारक के खिलाफ कोई दिवाला, दिवालियापन या परिसमापन कार्यवाही नहीं की गई है।
 - ग) यदि इस योजना के पैरा के तहत आवेदन की तारीख से 120 दिनों के भीतर स्तर धारक आईओ प्रमाणीकरण प्राप्त करने में असमर्थ है, निर्यातक सहमत है कि इस पैरा के तहत सुविधा वापस ले ली जाएगी और वह (स्तर धारक) मानदंडों के निर्धारण के लिए और उक्त समिति के निर्णय का पालन करने के लिए और डीजीएफटी की मानदंड समिति से संप्रक्र करने के लिए बाध्य होगा।
 - घ) उपरोक्त (ग) की स्थिति के मामले में, इस स्कीम के पैरा के तहत आगे कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
 - ड.) डीजीएफटी अपने जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों के आधार पर इस योजना के तहत टू स्टार और उससे ऊपर के स्तर धारक के लिए प्राधिकार-पत्र से इनकार कर सकता है।
 - च) प्रक्रिया पुस्तक में किए गए उल्लेखानुसार स्तर धारक की डीजीएफटी द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।
- (vi) यह स्कीम निम्नलिखित निर्यात उत्पादों के लिए उपलब्ध नहीं होगी:

- क) आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय-1 से 24, और अध्याय-71 के तहत शामिल सभी मदें;
- ख) जैव प्रौद्योगिकी मदें और संबंधित उत्पाद; तथा
- ग) स्कोमेट मद।
- (vii) यह स्कीम निम्नलिखित निविष्टियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी:
- क) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-15 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी वनस्पति/खाद्य तेल और अध्याय-12 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी प्रकार के तिलहन;
- ख) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-10 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी प्रकार के अनाज;
- ग) पशु की सींग, खुर और अन्य कोई अंग;
- घ) वन्यजीव उत्पाद, अंग और उनके अपशिष्ट;
- ङ.) शहद;
- च) 30 प्रतिशत या इससे अधिक मूल सीमा शुल्क के साथ सभी मदें;
- छ) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-7 और अध्याय 8 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी प्रकार के फल/नट्स/सब्जियां।
- ज) आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के शीर्षक 2515, 2516, 3301, 3302, 3303, 6801 और 6802 के अंतर्गत आने वाली मदें
- झ) आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत शामिल मदें
- ञ) एसीटिक एनहाईड्राइड, एफेड्राइन और स्यूडोएफेड्राइन
- ट) विटामिन
- ठ) जैव प्रौद्योगिकी मदें और संबंधित उत्पाद
- ड) कीटनाशक, चूहा नाशक, कवकनाशी, शाकनाशी, एन्टी स्प्राउटिंग उत्पाद और पौधा वृद्धि विनियामक, डिस्इन्फेक्टेंट और सभी आकार, किस्म और ग्रेडों के इसी तरह के उत्पाद
- ढ) सभी किस्म का अपशिष्ट/कचरा और
- ण) पुरानी वस्तुएं
- (viii) आयातित निविष्टि पूर्व आयात शर्त के अधीन होंगी तथा उन्हें निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से (अपशिष्ट हेतु सामान्य अनुमति देते हुए) शामिल की जाएगी। इसे अवैधीकरण/एआरओ के अंतर्गत स्थानीय अधिप्राप्ति के मामले में, निविष्टि को निर्यात मद के विनिर्माण के पूर्व अधिप्राप्त किया जाएगा और निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से शामिल किया जाएगा।
- (ix) जब भी विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न उपोत्पादों और पुनः प्राप्ति योग्य अपशिष्ट का मूल्य सीआईएफ मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक हो तो मुख्य निविष्टि की तदनुसूची मात्रा को पात्रता से उस सीमा तक घटाया जाएगा कि अननुमत मात्रा का मूल्य विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान सृजित उपोत्पादों और रिकवर योग्य अपशिष्ट के मूल्य के बराबर है।
- (x) संबंधित मानदंड समिति विनिर्माता की लेखा परीक्षा कर सकती है। लेखा परीक्षा की आवृत्ति और पद्धति का निर्धारण विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित किया जाएगा। लेखा परीक्षा समय पर पूरा करने हेतु यथा अपेक्षित खाताबही/अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए विनिर्माता को आवश्यक सुविधा, जानकारी और सहायता प्रदान करनी होगी। उत्पादन और उपभोग संबंधी दस्तावेजों/आंकड़ों को उपलब्ध न कराने पर आवेदक यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और नियमों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- (xi) संबंधित मानदंड समिति छानबीन/पूछताछ/जॉच-पड़ताल के किसी भी चरण पर मामले के स्वरूप और जटिलता तथा सरकार के राजस्व को देखते हुए यदि उसे यह लगता है कि मानदण्डों का सही ढंग से दावा नहीं किया गया है अथवा अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर लिया गया है तो विशेष लेखा परीक्षा शुरू कर सकती है। विशेष लेखा परीक्षा तब भी की जा सकती है, चाहे विनिर्माता की लेखापरीक्षा पहले भी की जा चुकी हो।

- (xii) यदि लेखा परीक्षा से मिथ्या घोषणा और/अथवा ऐसी निविष्टियों के दावे की घटना का पता लगता है जिनका उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया में नहीं किया गया है अथवा उपयोग की गई निविष्टियों की माँग की तुलना में अतिरिक्त मात्रा का पता लगने पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और/अथवा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार प्राधिकार पत्र धारक, विनिर्माता और चार्टर्ड इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- (xiii) उन मामलों में जहाँ सनदी अभियन्ता ने पूर्ण विचार-विमर्श नहीं किया है या जानबूझकर गलत घोषणा करते हुए उसका पक्षकार बन गया है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत निर्मित नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले संस्थान के उपनियमों के तहत यथा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, 'इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया' को भी भेजे जाएंगे।
- (xiv) अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के लिए लागू सभी प्रावधान इस स्कीम के लिए भी लागू होंगे जब तक कि वे इस स्कीम के लिए असंगत न हों।

4.07 वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र और पात्रता शर्त

- (i) वार्षिक आवश्यकता हेतु प्राधिकार-पत्र मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) में अधिसूचित मदों हेतु ही जारी किया जाएगा। तथा यह विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.03 (ख) (ii) के तहत तदर्थ मानदंडों के मामले में उपलब्ध नहीं होगा।
- (ii) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र सिओन के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा जहाँ पर निविष्टि की कोई भी मद परिशिष्ट 4अ में आती है।
- (iii) निर्यातक जिनका विगत में निर्यात निष्पादन है (न्यूनतम पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में), वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र के पात्र होंगे।
- (iv) आयातों को सीआईएफ मूल्य के अनुसार वास्तविक निर्यात के एफओबी मूल्य के 300% और/अथवा विगत वित्तीय वर्ष में मान्य निर्यात के लिए एफओआर मूल्य अथवा एक करोड़ रु. जो भी अधिक हो, की हकदारी होगी।

4.08 मूल्यवर्धन

इस अध्याय के प्रयोजनार्थ मूल्यवर्धन (रत्न और आभूषण क्षेत्र के अलावा जिसके लिए मूल्यवर्धन विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.37 में निर्धारित किया गया है) निम्नवत होगा :

$$\text{मूल्य वर्धन} = (\text{ए}-\text{बी})/\text{बी} \times 100,$$

जहाँ ए = किए गए निर्यात का एफओबी मूल्य/प्राप्त की गई आपूर्ति का एफओआर मूल्य।

बी = प्राधिकार-पत्र द्वारा शामिल निविष्टियों का सीआईएफ मूल्य जोड़ प्रयुक्त की गई अन्य किन्हीं निविष्टियों का मूल्य जिस पर डीबीके लाभ का दावा किया गया है अथवा दावा किया जाना है।

4.09 न्यूनतम मूल्यवर्धन

- (i) अग्रिम प्राधिकार-पत्र के तहत प्राप्त किए जाने हेतु न्यूनतम मूल्य वर्धन 15% है।
- (ii) निर्यात उत्पाद जहाँ पर मूल्यवर्धन 15% से कम हो सकता है, को परिशिष्ट 4घ में दिया गया है।
- (iii) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए न्यूनतम मूल्यवर्धन प्रक्रिया-पुस्तक के पैराग्राफ सं. 4.60 में दिया गया है।
- (iv) चाय के मामलों में न्यूनतम मूल्यवर्धन 50 प्रतिशत है
- (v) मसालों के मामलों में न्यूनतम मूल्यवर्धन 25 प्रतिशत है।

4.10 अनिवार्य पुर्जा का आयात

अनिवार्य पुर्जा का आयात जिन्हें परिणामी उत्पाद सहित निर्यात/आपूर्ति किया जाना अपेक्षित है, को प्राधिकार-पत्र के सीआईएफ मूल्य के 10% की सीमा तक शुल्क मुक्त अनुमत किया जाएगा।

4.11 स्व-घोषणा आधार पर आयात की अपात्र श्रेणियाँ

(क) निम्नलिखित उत्पादों का आयात स्व-घोषणा आधार पर अनुमत नहीं होगा:—

- (i) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय 15 के तहत वर्गीकृत सभी वनस्पति/खाद्य तेल और अध्याय 12 के तहत वर्गीकृत सभी प्रकार के तिलहन।
- (ii) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-10 के तहत वर्गीकृत सभी प्रकार के अनाज;
- (iii) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-9 और 12 के तहत वर्गीकृत 30 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क वाली काली मिर्च (लाईट बेरीज) को छोड़कर अन्य सभी मसाले;
- (iv) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-7 और अध्याय 8 के तहत वर्गीकृत 30 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क वाले सभी प्रकार के फल/सब्जियाँ;
- (v) सींग, खुर और पशु का अन्य कोई अंग;
- (vi) शहद;
- (vii) अपरिष्कृत संगमरमर ब्लॉक्स/स्लेब्स और
- (viii) अपरिष्कृत ग्रेनाइट
- (ix) औषध उद्योग में प्रयोग किए जाने के अलावा विटामिन;
- (x) 30 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क वाली सभी मदें

(ख) परफ्यूम, परफ्यूमरी यौगिकों और विटामिन सहित, विविध संभरण अंशों के निर्यात के लिए, प्रक्रिया-पुस्तक, के पैराग्राफ 4.07 के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा और आवेदकों को मानदण्ड समिति के पास प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.06 के तहत आवेदन करना होगा।

(ग) जहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी मदों और संबंधित उत्पादों का निर्यात और/अथवा आयात शामिल है, प्राधिकार-पत्र क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रक्रिया-पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा केवल "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सौंपने पर जारी किया जाएगा।

4.12 निविष्टियों की गणना

- (i) जहाँ कहीं सिओन (क) जेनेरिक निविष्टि अथवा (ख) वैकल्पिक निविष्टि को अनुमत करता है जब तक कि मात्रा के साथ विशिष्ट निविष्टि का नाम संबंधित (जिसे निर्यात उत्पादन के विनिर्माण में प्रयुक्त कर लिया गया है) पोतलदान बिल में दर्शाया/शामिल नहीं कर लिया जाता और ऐसे पृष्ठांकन में जहाँ निविष्टियाँ, विनिर्दिष्ट मात्रा के भीतर और संबद्ध प्रविष्टि बिल के वितरण से मेल नहीं खाती हैं, संबंधित प्राधिकार-पत्र का मोचन नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, प्राधिकार-पत्र में प्रयुक्त (अथवा प्रयोग की जाने वाली) निविष्टि का नाम/विवरण पोतलदान बिल में पृष्ठांकित नाम/विवरण से पूर्णतया मेल खाना चाहिए।
- (ii) इसके अतिरिक्त, यदि किसी सिओन में निविष्टियों (एक से अधिक निविष्टि) की संख्या के सामने कोई एकल मात्रा दर्शाई गई है, तो आयात हेतु अनुमेय ऐसी निविष्टियों की मात्रा निविष्टियों के ऐसे समूह के सामने समग्र मात्रा के भीतर उत्पादन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त/उपयोग की गई इन निविष्टियों की मात्रा के अनुपात में होंगी। निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तविक रूप में प्रयुक्त/उपयोग की गई इन निविष्टियों का अनुपात पोतलदान बिलों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।
- (iii) निर्यात दायित्व के निर्वहन (ईओडीसी जारी करने) के समय अथवा मोचन के समय क्षेत्रीय प्राधिकारी केवल उन निविष्टियों को अनुमति देगा जो मात्रा के साथ पोतलदान बिल में विशिष्ट रूप से दर्शाई गई हैं।
- (iv) उपर्युक्त प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को की जाने वाली आपूर्तियों और मान्य निर्यात के तहत की गई आपूर्तियों के लिए भी लागू होगा। ऊपर दिए गए ब्यौरे को संगत निर्यात बिल, एआरई-3, केन्द्रीय उत्पाद प्रमाणित बीजक/आयात दस्तावेज/जीएसटी नियमों के अंतर्गत विहित निर्यात हेतु कर संबंधी बीजक में दर्शाना होगा।

4.13 कतिपय मामलों में आयात पूर्व भारत

- (i) डीजीएफटी इस अध्याय के तहत अधिसूचना द्वारा निविष्टि हेतु आयात-पूर्व शर्तें अधिरोपित कर सकता है।

- (ii) आयात-पूर्व शर्त के अधीन आयात मदों को परिशिष्ट-4ज में सूचीबद्ध किया गया है अथवा ये मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) में यथा इंगित होंगी।

4.14 छूट प्राप्त शुल्कों का ब्यौरा

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातों को मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, पाटन रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क, पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क, जहां भी लागू हो, के भुगतान से छूट प्राप्त है। विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02(ग), और (च) के तहत शामिल आपूर्तियों के तहत आयात लागू पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क, पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क, यदि कोई है, के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है। तथापि, वास्तविक के साथ ही मान्य निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयात को भी सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के तहत लगाए जाने वाले क्रमशः संपूर्ण एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त है।

4.15 शुल्क वापसी की स्वीकार्यता

राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा निश्चित और निर्धारित दर के अनुसार शुल्क वापसी निर्यात उत्पाद में उपयोग की गई शुल्क प्रदत्त आयातित अथवा स्वदेशी निविष्टियों (जो मानदण्डों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं) के लिए उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन हेतु, आवेदक को अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन में शुल्क प्रदत्त निविष्टियों का ब्यौरा स्पष्ट रूप से देना होगा। आवेदन में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार-पत्र की शर्त में ऐसे भुगतान किए गए निविष्टि शुल्कों के ब्यौरे को स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित भी करेगा।

4.16 अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

- (i) अग्रिम प्राधिकार पत्र और/अथवा अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित सामग्री 'वास्तविक प्रयोक्ता' शर्त के अधीन होगी। यह निर्यात दायित्व पूरा किए जाने के पश्चात भी हस्तांतरणीय नहीं होगी। तथापि प्राधिकार पत्र धारक के पास निर्यात दायित्व के पूरा हो जाने पर शुल्क मुक्त निविष्टि से विनिर्मित उत्पाद का निपटान करने का विकल्प होगा।
- (ii) निर्यातित दायित्व के पूरा होने के पश्चात भी यदि निर्यातित माल के लिए निविष्टियों पर सेनवैट/इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा प्राप्त की गई है, तो इस अग्रिम प्राधिकार पत्र से आयातित माल का उपयोग या तो समान कारखाने के भीतर अथवा बाहर (सहायक विनिर्माता द्वारा) शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में किया जाएगा। इसके लिए, प्राधिकार पत्र धारक निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करते समय सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। एईओ, जिसके पास वैध प्रमाण पत्र है, को इस संबंध में स्व-घोषणा प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।
- (iii) विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट/स्क्रेप का निपटान जैसा कि अनुमत है, निर्यात दायित्व को पूरा किए जाने के कहीं पहले लागू शुल्क के भुगतान पर किया जा सकता है।

4.17 आयात के लिए वैधता अवधि और इसका विस्तार

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयात के लिए वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक के अनुसार होगी।

4.18 उन मदों के आयात/निर्यात किए जाने की पात्रता जो निषिद्ध/प्रतिबंधित/एसटीई मदें हैं।

- (i) किसी मद के निर्यात अथवा आयात की अनुमति अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के तहत उस स्थिति में नहीं दी जाएगी यदि वह मद क्रमशः निर्यात अथवा आयात के लिए निषिद्ध हो। किसी निषिद्ध मद के निर्यात की अनुमति अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत दी जा सकती है बशर्ते इसे पृथक रूप से इसमें दी गई शर्तों के अधीन इस प्रकार अधिसूचित किया गया है।
- (ii) राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात हेतु आरक्षित मदों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफआईए के मद्दे आयात नहीं किया जा सकता है। तथापि, ये मदें ए.आर.ओ. अथवा अवैधीकरण पत्र के मद्दे राज्य व्यापार उद्यमों से खरीदी जा सकती हैं। अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए धारक को खुले समुद्री मार्ग के माध्यम से बिक्री के आधार पर माल की बिक्री की अनुमति राज्य व्यापार उद्यमों को भी दी जाएगी एसटीईआई को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए धारक द्वारा आयात के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)" जारी करने की भी अनुमति है। और वे आवेदक से अधिकतम 5000 रु. तक की उचित फीस चार्ज कर सकते हैं।
- (iii) राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा निर्यात के लिए आरक्षित मदें संबंधित राज्य व्यापार उद्यम से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के तहत निर्यात की जा सकती है।

- (iv) प्रतिबंधित मर्दों का आयात अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के तहत अनुमत होगा, जब तक कि विशेष रूप से अस्वीकृत न हो।
- (v) तथापि, प्रतिबंधित/स्कोमैट मर्दों का निर्यात, निर्यात प्राधिकार पत्र अथवा अनुमति पत्र की सभी शर्तों अथवा अपेक्षाओं जैसा भी आवश्यक हो, के अधीन आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-2 के तहत होगा।

4.19 विदेशी क्रेता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति

अग्रिम प्राधिकार पत्र वहां भी उपलब्ध होगा जहां विदेशी क्रेता द्वारा निर्यातक को कुछ या सभी निविष्टियों की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन के परिकलन हेतु निःशुल्क निविष्टि के अनुमानित मूल्य को आयात के सीआईएफ मूल्य और निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में जोड़ा जाएगा। तथापि, निर्यात लाभ की प्राप्ति ऐसी निविष्टि के अनुमानित मूल्य को निकाल देने के बाद की धनराशि के समतुल्य होगी।

4.20 निविष्टियों की घरेलू प्राप्ति

- (i) अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र धारक सीधे आयात के बदले स्वदेशी आपूर्तिकर्ता/राज्य व्यापार उद्यम/ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी से निविष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी प्राप्ति अग्रिम निर्गम आदेश (एआरओ) या अमान्यकरण पत्र के मद्दे की जा सकती है।
- (ii) जब घरेलू आपूर्तिकर्ता दूसरे अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र को परिणामी उत्पाद की आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के माध्यम से निविष्टि हेतु शुल्क मुक्त सामग्री प्राप्त करना चाहता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी अमान्यकरण पत्र जारी करेगा।
- (iii) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम निर्गम आदेश जारी करेगा यदि घरेलू आपूर्तिकर्ता विदेश व्यापार नीति के अध्याय-7 के प्रावधानों के अनुसार मान्य निर्यात तंत्र के माध्यम से छूट प्राप्त शुल्क वापस लेना चाहता है।
- (iv) क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र जारी करने के समय या उसके बाद अग्रिम निर्गम आदेश या अमान्यकरण पत्र जारी कर सकता है।
- (v) डीटीए के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक एसईजेड और सीमाशुल्क के बीच ईडीआई संदेश प्रणाली चालू होने तक आपूर्ति प्रमाण पत्र के मद्दे एसईजेड इकाइयों से निविष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
- (vi) अग्रिम निर्गम आदेश/अमान्यकरण पत्र की वैधता प्राधिकार पत्र की वैधता की सहमियादी (को-टर्मिनस) होगी।

4.21 निर्यात लाभ की प्राप्ति हेतु मुद्रा

- (i) यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.53 के अनुसार निर्यात लाभ मुक्त रूप से परिवर्तनशील मुद्रा अथवा भारतीय रुपए में प्राप्त किया जाएगा। निर्यात लाभ प्राप्त करने या नहीं करने से संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52, 2.53 और 2.54 में दिए गए हैं।
- (ii) एसईजेड यूनिटों को किए गए निर्यात को निर्यात दायित्व के निर्वहन हेतु ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते कि एसईजेड यूनिट के विदेशी मुद्रा खाते से भुगतान की प्राप्ति हुई हो।
- (iii) एसईजेड डेवेलपर/सह-डेवेलपर को किए गए निर्यात को भारतीय रुपए में भुगतान की प्राप्ति होने पर भी निर्यात दायित्व के निर्वहन हेतु ध्यान में रखा जा सकता है।
- (iv) प्राधिकार पत्र धारक के लिए एसईजेड नियमावली, 2006 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार एसईजेड यूनिट/डेवेलपर/सह-डेवेलपर को किए गए निर्यात के लिए निर्यात बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4.22 निर्यात दायित्व अवधि और इसका विस्तार

अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि और इसका विस्तार प्रक्रिया पुस्तक में यथा निर्धारित अवधि होगी।

4.23 शुल्क माफी/छूट स्कीम के अंतर्गत निर्यातित माल का पुनः आयात

अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के अंतर्गत निर्यात किए गए माल को उसी रूप में अथवा काफी हद तक उसी रूप में पुनः आयात किया जा सकता है बशर्ते राजस्व विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन किया जाए। प्राधिकार पत्र धारक ऐसे पुनः आयात के बारे में पुनः आयात की तारीख से एक मास के अन्दर उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को भी सूचित करेगा जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया था।

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम (डीएफआईए)**4.24 डीएफआईए स्कीम**

(क) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र को निविष्टि के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में खपत/उपयोग किए जाने वाले तेल और उत्प्रेरक के आयात की भी अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(ख) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.12, 4.18, 4.20, 4.21 और 4.23 के प्रावधान डीएफआईए पर भी लागू होंगे।

(ग) डीएफआईए स्कीम के अंतर्गत टायर के आयात की अनुमति नहीं है।

4.25 छूट दिए जाने वाले शुल्क

- (i) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र में केवल मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।
- (ii) शुल्क वापसी सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और नियत की गई दर के अनुसार शुल्क प्रदत्त की गई निविष्टियों के लिए उपलब्ध होगी, निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त वे निविष्टियां चाहे आयातित हो अथवा स्वदेशी। तथापि, सिओन में अविनिर्दिष्ट निविष्टियों के लिए यदि शुल्क-वापसी का दावा किया गया है तो आवेदक को शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के लिए आवेदन-पत्र में शुल्क प्रदत्त ऐसी निविष्टियों के विवरणों को स्पष्टतया दर्शाना चाहिए और आवेदन-पत्र में उल्लिखित विवरणों के अनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी को शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के शर्त पत्र में, शुल्क प्रदत्त ऐसी निविष्टियों के विवरणों को स्पष्टतया दर्शाना चाहिए।

4.26 पात्रता

- (i) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र को निर्यात के पश्चात ऐसे उत्पादों के लिए जारी किया जाएगा जिनके लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों को अधिसूचित किया गया है।
- (ii) व्यापारी निर्यातक द्वारा निर्यात प्रलेख अर्थात् पोत लदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित निर्यात हेतु कर बीजक पर निर्यात उत्पाद के सहायक विनिर्माता का नाम और पते का उल्लेख करना अपेक्षित होगा।
- (iii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iv) ऐसी निविष्टि के लिए कोई शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा जो आयात-पूर्व शर्त के अधीन हो अथवा जहां सिओन 'वास्तविक प्रयोक्ता' शर्त निर्धारित करता हो अथवा परिशिष्ट-4अ ऐसी निविष्टि के लिए आयात-पूर्व शर्त निर्धारित करता हो।

4.27 न्यूनतम मूल्य संवर्धन

न्यूनतम 20 प्रतिशत मूल्य संवर्धन की प्राप्ति किया जाना अपेक्षित होगा।

4.28 डीएफआईए की वैधता एवं अंतरणीयता

- (i) डीएफआईए के अंतर्गत निर्यात शुरू करने से पूर्व आवेदक को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- (ii) निर्यात आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग और फाइल संख्या सृजित किए जाने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा करना होगा।
- (iii) निर्यात/आपूर्ति करते समय आवेदक निर्यात प्रलेखों अर्थात् पोत लदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित आपूर्ति के लिए कर बीजक पर फाइल सं. इंगित करेगा।
- (iv) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.12 के अनुसार जहां कहीं सिओन (क) जेनेरिक निविष्टि अथवा (ख) वैकल्पिक निविष्टि के उपयोग को अनुमत करता है, वहां विशिष्ट निविष्टि को उसकी मात्रा (जिसे निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किया गया है) के साथ संबंधित पोतलदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमों के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर-बीजक में दर्शाया/पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। ऐसी जेनेरिक निविष्टि/वैकल्पिक निविष्टि के मद्दे समग्र मात्रा के भीतर उत्पादन में

इन निविष्टियों की वास्तविक रूप से प्रयुक्त/खपत की गई मात्रा के अनुपात में प्राधिकार-पत्र में आयात के लिए ही ऐसी निविष्टियों को अनुमत किया जा सकता है।

- (v) इसके अतिरिक्त यदि किसी सिओन में निविष्टियों (एक से अधिक निविष्टि) की संख्या के मद्दे कोई एकल मात्रा दर्शाई गई है तो आयात हेतु अनुमेय ऐसी निविष्टियों की मात्रा ऐसी निविष्टियों के समूह के मद्दे समग्र मात्रा के भीतर उत्पादन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त/खपत की गई और पोतलदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमों के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर-बीजक में घोषित इन निविष्टियों की मात्रा के अनुपात में होगी। निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त/खपत की गई इन निविष्टियों का अनुपात पोत लदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमों के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर-बीजक में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।
- (vi) प्रत्येक सिओन हेतु अलग डीएफआईए जारी किया जाएगा।
- (vii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.35 में दिए गए उल्लेख के अनुसार डीएफआईए के अंतर्गत निर्यात किसी भी पत्तन से किया जाएगा। तथापि, ईडीआई और गैर-ईडीआई पत्तनों हेतु अलग-अलग आवेदन किया जाएगा। यदि निर्यात गैर ईडीआई पत्तन से किया जाता है, तो प्रत्येक गैर-ईडीआई पत्तन हेतु अलग-अलग आवेदन किया जाएगा।
- (viii) क्षेत्रीय प्राधिकारी हस्तांतरणीय डीएफआईए को इसे जारी किए जाने की तिथि से 12 मास की वैधता के साथ जारी करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आगे कोई वैधता प्रदान नहीं की जाएगी।

4.29 शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के तहत संवेदनशील मदें

(क) निम्नलिखित निविष्टियों के संबंध में निर्यातक द्वारा पोतलदान बिल में तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विनिर्देशन संबंधी घोषणा प्रदान करना अपेक्षित होगा:

“स्टेनलेस स्टील सहित मिश्रधातु स्टील, कॉपर मिश्रधातु, कृत्रिम रबड़, बियरिंग्स, साल्वेंट, परफ्यूम/सुगंधित तेल/सुगंध युक्त रसायन, सर्फैक्टेंट, संबंधित वस्त्र, मार्बल, पोलिप्रोपिलिन से बनी वस्तुएं, कागज और पेपर बोर्ड से बनी वस्तुएं, कीटनाशक, सीसा इन्गोट, जिंक इन्गोट, सिट्रिक एसिड, संबंधित ग्लास फाइबर रिइन्फोर्समेंट (ग्लास फाइबर चाप्ड/स्ट्रेंडिड मैट, रॉविंग वोवन सर्फेसिंग मैट), संबंधित सिंथेटिक रेजिन (अन्सेचूरेटिड पालीस्टर रेजिन, इपॉक्सी रेजिन, विनाइल एस्टर रेजिन, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज), लाइनिंग सामग्री।”

(ख) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी करते समय क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र में उपर्युक्त निविष्टियों के संबंध में तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विनिर्देशन का उल्लेख करेगा।

रत्न एवं आभूषण के निर्यातकों के लिए स्कीम

4.30 निविष्टि का आयात

रत्न एवं आभूषण के निर्यातक निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए शुल्क मुक्त (सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगाए जाने वाले एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़कर) निविष्टियों का आयात/खरीद कर सकते हैं।

4.31 निर्यात की मदें

- (i) सोने के आभूषण, आंशिक रूप से संसाधित आभूषण सहित, चाहे वे सादे अथवा जड़े हुए हों, और वस्तुएं, पदक, सिक्के, (लीगल टेंडर क्वायन को छोड़कर) आदि सहित, जिनमें 8 कैरेट और अधिक सोना जिसकी अधिकतम सीमा 22 कैरेट हो।

8 कैरेट और अधिक (24 कैरेट तक) की स्वर्ण की धार्मिक मूर्तियां (केवल देवी और देवताओं की) जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:—

- i) निर्यात अनुमोदित सरकारी मूल्य निर्धारक द्वारा 100 प्रतिशत जांच के अधीन होगा।
- ii) विदेशी प्रेषण की वसूली निर्यात की तिथि से 3 माह की अवधि के अन्दर की जानी चाहिए।
- iii) निर्यातक की निर्यात करने से पूर्व पक्का निर्यात आदेश प्रस्तुत करना चाहिए।
- iv) धार्मिक मूर्ति और सामान्य रूप से गढ़ी जाने वाली सोने की वस्तु/मूर्ति के बीच अन्तर किया जाना चाहिए।
- v) निर्यात को केवल ऐसी मूर्तियों के वास्तविक विनिर्माताओं द्वारा अनुमत किया जा सकता है।

पोस्ट, पुश बैंक, लॉक जैसी फाईन्डिंगज जिनसे आभूषण के हिस्सों को आपस में जोड़ने में सहायता मिलती है उनमें 3 कैरेट और अधिक सोना हो जिसकी अधिकतम सीमा 22 कैरेट हो।”

- (ii) पदकों और सिक्कों (वैध सिक्कों और किसी इंजीनियरिंग माल को छोड़कर) जिनमें अपने भार के 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो, सहित आंशिक रूप से संसाधित आभूषण, चांदी की वस्तुएं, चांदी की स्ट्रिप्स और वस्तुओं सहित चांदी के आभूषण;
- (iii) पदकों और सिक्कों (वैध सिक्कों और किसी इंजीनियरिंग माल को छोड़कर) जिनमें अपने भार के 50 प्रतिशत से अधिक प्लैटिनम हो, सहित आंशिक रूप से संसाधित आभूषण और वस्तुओं सहित प्लैटिनम आभूषण।

4.32 स्कीमें

योजनाएं निम्नवत हैं:

- (i) नामित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम खरीद/पुनःपूर्ति;
- (ii) रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र;
- (iii) उपभोज्यों के लिए पुनः पूर्ति प्राधिकार-पत्र;
- (iv) कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र।

4.33 नामित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम खरीद/पुनःपूर्ति

- (i) मार्केटिंग्स और फाइनडिंग्स सहित सोने/चांदी/प्लैटिनम आभूषण और उनकी वस्तुओं के निर्यातक, नामित एजेंसी से इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में अग्रिम रूप से अथवा निर्यात के बाद पुनःपूर्ति रूप में निर्यात उत्पाद के लिए निविष्टि के रूप में सोना/चांदी/प्लैटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

सोना/चांदी/प्लैटिनम की पुनःपूर्ति यथा संशोधित, दिनांक 08.05.2000 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 57/2000-सीमा शुल्क के अधीन होगी।

- (ii) निर्यात प्रक्रिया पुस्तक में क्रमशः उल्लिखित पैरा 4.59 और 4.60 में क्रमशः विनिर्दिष्ट अपशिष्टता मानदंड और न्यूनतम मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।

4.34 रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र

- (i) निर्यातक प्रक्रिया-पुस्तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी से रत्नों के लिए परिशिष्ट-4च में निर्धारित पुनःपूर्ति दर के अनुसार पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगा।
- (ii) रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र निर्यात के अधीन जारी किया जा सकता है जिसमें नामित एजेंसी (एफटीपी का पैराग्राफ 4.40) और विदेशी खरीदार (एफटीपी का पैराग्राफ 4.44) द्वारा की गई आपूर्ति के अधीन किया गया निर्यात शामिल है।
- (iii) जड़े हुए सोने/चांदी/प्लैटिनम आभूषण और तत्संबंधी वस्तुओं के मामले में, रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र का मूल्य स्वीकार्य अपशिष्ट सहित सोने/चांदी/प्लैटिनम का मूल्य घटाने के बाद निर्यात के शेष पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर होगा। पुनःपूर्ति दर और आयात की मद परिशिष्ट 4छ के अनुसार होगी।

4.35 उपभोज्यों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र

- (i) विगत वर्ष के निर्यातों के मूल्य के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर कीमती धातुओं (सोने और प्लैटिनम के अलावा) से बने हुए आभूषण के लिए उपभोज्यों, टूल्स और अन्य मदों नामतः टैग्स एवं लेबल्स, कार्ड पर सुरक्षा सेंसर, स्टेपल वायर, पोली बैग (सीमा.शुल्क विभाग द्वारा यथा अधिसूचित) और विगत वर्ष के निर्यातों के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों और सोने और चांदी से बने हुए आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त (सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगाए गए एकीकृत कर और मुआवजा उपकर को छोड़कर) आयात के लिए पुनः पूर्ति प्राधिकार-पत्र निर्यात कार्यनिष्पादन दर्शाते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जा सकता है। तथापि, रोडियम के तैयार किए हुए चांदी के आभूषणों पर ऐसे आभूषणों के लिए निर्यात के एफओबी मूल्य के 3 प्रतिशत की हकदारी होगी। यह प्राधिकार-पत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

- (ii) उपर दिए गए उपभोक्त्यों के आयात के लिए आवेदन-पत्र एएनएफ 4ज में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

4.36 कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र

(क) अग्रिम प्राधिकार-पत्र निम्नलिखित शुल्क के मुक्त (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगाए गए एकीकृत कर और मुआवजा उपकर को छोड़कर) आयात के लिए 'वास्तविक प्रयोक्ता' की शर्त के साथ आयात-पूर्व आधार पर प्रदान किया जाएगा:

- (i) 0.995 तक की शुद्धता का सोना और 8 कैरेट या अधिक के माउंटिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स और फाइंडिंग्स;
- (ii) कम से कम 0.995 शुद्धता की चांदी, और माउंटिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो।
- (iii) कम से कम 0.900 शुद्धता का प्लेटिनम और माउंटिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक प्लेटिनम हो।

(ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र में निर्यात दायित्व की शर्त लगाई जायेगी जिसे प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होगा।

(ग) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.37 और प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.60 के अनुसार मूल्य संवर्धन होगा।

(घ) अग्रिम प्राधिकार-पत्र स्कीम वहां उपलब्ध नहीं है, जहां निर्यात की वस्तु 'स्वर्ण पदक और सिक्के' या 'स्वर्ण आभूषण/मदें पूरी तरह यंत्रिकृत प्रक्रिया द्वारा निर्मित है।

4.37 मूल्यवर्धन

रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.60 में दिए गए हैं। इसका परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा:

$$\text{वी.ए} = (\text{ए}-\text{बी}) / \text{बी} \times 100 \text{ जहां}$$

ए = प्राप्त निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति का एफओआर मूल्य

बी = निविष्टियों का मूल्य (घरेलू तौर पर खरीदे गए सहित) जैसे स्वीकार्य सीमा के भीतर दावा किया छीजन के साथ अन्य मदों जैसे रत्नों इत्यादि के मूल्य के साथ निर्यात उत्पाद में स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के अंश। जहां कहीं भी सोने को ऋण आधार पर प्राप्त किया गया है, विदेशी आपूर्तिकर्ता को मुक्त विदेशी मुद्रा में ब्याज के भुगतान को भी मूल्य में शामिल किया जाएगा।

4.38 छीजन मानदंड

सोने/चांदी/प्लेटिनम के जेवरात के लिए विनिर्माण हानि अथवा छीजन, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.59 के अनुसार ग्राह्य होगी।

4.39 डीएफआईए की अनुपलब्धता

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

4.40 नामित एजेंसियां

- (i) निर्यातक नामित एजेंसी से स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं। ईओयू के निर्यातक और एसईजेड की यूनिट क्रमशः विदेश व्यापार नीति के अध्याय-6 के प्रावधानों/एसईजेड नियमावली से अभिशासित होंगे।
- (ii) नामित एजेंसियां ये हैं — भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी), एमएसटीसी लि., डायमण्ड इण्डिया लि. (डीआईएल)।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक किसी बैंक को नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत कर सकता है।
- (iv) नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातु के आयात की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी। ईओयू और एसईजेड स्कीमों के अंतर्गत संचालित रत्न और आभूषण इकाइयों द्वारा कीमती धातुओं के आयात के लिए प्रक्रिया

लागू स्कीमों के अनुसार होगी। नामित एजेंसियों के लिए निगरानी तंत्र (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों के अतिरिक्त), प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.93 के अनुसार होगा।

- (v) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, शोधन हेतु स्वर्ण छीजन का निर्यात तथा मानक स्वर्ण छड़ों का आयात कर सकता है।

4.41 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनः निर्यात के लिए हीरों का आयात

निम्नलिखित एजेंसियों को उनके द्वारा प्रमाणन/ग्रेडिंग रिपोर्टों के प्रयोजन के लिए उनकी प्रयोगशालाओं हेतु हीरे आयात करने की अनुमति होगी बशर्ते कि इसे प्रक्रिया पुस्तक में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उनके द्वारा जारी प्रमाणन/ग्रेडिंग रिपोर्टों के साथ पुनः निर्यातित किया जाएगा:

1. जैमोलोजिकल इन्स्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जीआईए) मुम्बई, महाराष्ट्र
2. भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, गुजरात, भारत
3. डी बीयर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, सूरत, गुजरात, भारत
4. एचआरडी डायमंड इन्स्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र, भारत
5. इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट (इंडिया) प्रा.लि., बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई
6. जेमोलोजीकल साईंस इंटरनेशनल प्रा.लि., मुम्बई, महाराष्ट्र, भारत।

4.42 कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों का प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनः आयात के लिए निर्यात

0.25 कैरेट और ऊपर के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए प्राधिकृत प्रयोगशालाओं की सूची प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.73 में दी गई है।

4.43 शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा के साथ कटे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात

एक निर्यातक (जिसका गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ रु. के निर्यात का वार्षिक टर्नओवर हो) अथवा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.73 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत के प्राधिकृत कार्यालय/अभिकरण प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.73 में उल्लिखित किसी भी अभिकरण/प्रयोगशाला को तराशे हुए और पालिश किए गए हीरे (प्रत्येक 0.25 कैरेट अथवा अधिक) का निर्यात कर सकता है जिसमें निर्यात की तिथि से 3 मास की अवधि के अंदर शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा दी गई है। ऐसी शून्य शुल्क की पुनः आयात सुविधा राजस्व विभाग के केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगा।

4.44 विदेशी खरीदारों द्वारा आपूर्ति किए जाने पर निर्यात

- (i) जहां निर्यात आदेश नामित किए गए अभिकरणों/स्तर धारकों/तीन वर्षों के अनुभव वाले ऐसे निर्यातकों को दिया जाता है जिनकी पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक औसत टर्नओवर 5 करोड़ रुपये की हो, इसमें विदेशी खरीदार प्रभार मुक्त सोने/चांदी/प्लेटिनम/मिश्र धातुओं, विनिर्माण और निर्यात हेतु सोने/चांदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माउंटिंग्स की अग्रिम आपूर्ति कर सकते हैं।
- (ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.60 के अंतर्गत ऐसी आपूर्तियां अग्रिम रूप से भी की जा सकती हैं तथा इसमें निर्धारित न्यूनतम मूल्य वर्धन के अधीन मरम्मत/पुनः निर्माण तथा निर्यात हेतु फाइंडिंग्स/माउंटिंग्स/पुर्जों सहित अर्द्ध-तैयार गहने शामिल हो सकते हैं। निर्यात के ऐसे मामलों में प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.59 के अनुसार छीजन मानदंड लागू होंगे।
- (iii) निर्यात नामित अभिकरणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके सहायकों अथवा स्तर धारकों/निर्यातकों के माध्यम से किया जा सकता है। फाइंडिंग्स का आयात और निर्यात निवल दर/निवल आधार पर किया जाएगा।

4.45 निर्यात संवर्धन दौरे/ब्राण्डेड आभूषणों का निर्यात

- (i) नामित एजेंसियाँ और उनके सहयोगी वाणिज्य विभाग और रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अनुमोदन से विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं।

- (ii) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण, कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थरों, मणियों और वस्तुओं को व्यक्तिगत तौर पर ले जाने तथा ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात की भी अनुमति है बशर्ते ये प्रक्रिया पुस्तक में दी गई शर्तों के अधीन हो।

4.46 निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर लाना-ले जाना

विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्न और आभूषण के निर्यात पार्सलों तथा किसी भारतीय आयातक/विदेशी राष्ट्रिक द्वारा आयात पार्सल को व्यक्तिगत तौर पर प्रक्रिया पुस्तक के अनुसार लाने-ले-जाने की अनुमति दी जा सकती है।

4.47 डाक द्वारा निर्यात

विदेशी डाकघर के माध्यम से आभूषण का निर्यात जिसमें स्पीड पोस्ट द्वारा निर्यात भी शामिल है, अनुमत है। आभूषण का पार्सल भार 20 कि.ग्रा. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

4.48 निजी/सार्वजनिक अनुबद्ध माल गोदाम

तराशे और पॉलिश किए गए हीरों, तराशे और पॉलिश किए गए रंगीन रत्नों, बिना तराशे गए और बिना जड़े गए कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थरों के आयात और पुननिर्यात के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र/डीटीए में निजी/सार्वजनिक अनुबद्ध माल गोदाम स्थापित किए जा सकते हैं, जो डीटीए इकाइयों द्वारा 5 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्यवर्द्धन के अधीन होंगे।

4.49 विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड)

समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की आरबीआई की अधिसूचना सं. 116 द्वारा यथा अधिसूचित कंपनियों द्वारा कच्चे हीरे के आयात, नीलामी/बिक्री और पुनः निर्यात सीमाशुल्क विभाग के पर्यवेक्षणाधीन, विशेष अधिसूचित क्षेत्र एसएनजेड के प्रचालक द्वारा प्रशासित विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड) में खेप अथवा एकमुश्त आधार पर अनुमत होगा। कच्चे हीरे (अनसोल्ड) के आयात/नीलामी/बिक्री और पुनः निर्यात की प्रक्रिया सीबीआईसी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

4.50 हीरे और जवाहरात डॉलर खाते

(क) खुरदरे या कटे और पॉलिश किए गए हीरों/धातु के सादे कीमती आभूषण, मीनाकारी और/या हीरे से जड़ित/रहित और/या अन्य पत्थर की खरीद/बिक्री करने वाली फर्में तथा कम्पनियाँ, जिनका हीरों/रंगीन रत्नों/हीरे व रंगीन रत्नों से जड़ित आभूषणों/सादे स्वर्ण आभूषणों के आयात या निर्यात में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 3 करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक औसत कारोबार हो, नामित हीरा डॉलर खातों (डीडीए) के जरिये अपना व्यापार जारी रख सकती है।

(ख) ऐसे खातों में डॉलर, बैंक वित्त और/या निर्यात आय से उपलब्ध होगा और इसका प्रयोग केवल निम्नलिखित हेतु होगा—

- (i) विदेशी/स्थानीय स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों का आयात/खरीद,
- (ii) स्थानीय स्रोतों से कटे और पॉलिश हीरों, रंगीन रत्नों और सादे स्वर्ण आभूषणों की खरीद,
- (iii) विदेशों/नामित एजेन्सियों से स्वर्ण का आयात/खरीद तथा बैंक से डॉलर ऋणों की चुकौती, और
- (iv) निर्यातक के रुपये खाते में हस्तांतरण। इस हीरा डॉलर खाता (डीडीए) स्कीम के ब्यौरे प्रक्रिया पुस्तक में दिये गये हैं।

(ग) गैर डीडीए धारक को भी कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों की डीडीए धारक को आपूर्ति करने, भुगतान डॉलर में लेने तथा इसे 7 दिन के भीतर रुपयों में बदलने की अनुमति है। कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों और रंगीन रत्नों की गैर डीडीए धारक द्वारा की गई आपूर्ति को भी उसके निर्यात दायित्व की पूर्ति के रूप में माना जाएगा और/या उसे प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र का हक प्रदान करेगा।

4.51 परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पॉलिश किए हुए बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को सीमा शुल्क नियमावली एवं विनियमन के अनुसार परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पॉलिश किए हुए बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात करने की अनुमति होगी। पुनः निर्यात के मामले में, निर्यातक नियमानुसार शुल्क वापसी का हकदार होगा।

4.52 अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 4.90 के अनुसार अस्वीकृत बहुमूल्य धातु आभूषणों का पुनः आयात करने की अनुमति होगी।

4.53 खेप आधार पर निर्यात और आयात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक के अनुसार और इस संबंध में सीमा शुल्क नियमावली और विनियमों के अनुसार खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषणों के निर्यात और आयात की अनुमति होगी।

निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट के लिए स्कीम (आरओडीटीईपी)**4.54 स्कीम के उद्देश्य और प्रचालन सिद्धांत**

- i. इस स्कीम का उद्देश्य वर्तमान में रिफंड न की गई राशि का रिफंड करना है:
 - क. निर्यात किए गए उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर पूर्व चरण के संचयी अप्रत्यक्ष करों सहित निर्यात किए गए उत्पाद पर वहन किए जाने वाले केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर शुल्क/कर/लेवीज, और
 - ख. निर्यात किए गए उत्पाद के वितरण के संबंध में इस तरह के अप्रत्यक्ष शुल्क/कर/लेवीज।
- ii. स्कीम के अंतर्गत छूट पहले से छूट प्राप्त या विप्रेषित या जमा किए गए शुल्कों और करों के संबंध में उपलब्ध नहीं होगी।
- iii. स्कीम के तहत अधिकतम दरों का निर्धारण राजस्व विभाग/शुल्क-वापसी प्रभाग में एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग द्वारा प्राथमिकता दिए गए क्षेत्रों पर डीओसी/डीजीएफटी, लाइन मंत्रालयों और विशेषज्ञों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व हो।
- iv. आरओडीटीईपी स्कीम के लिए समग्र बजट/परिव्यय को वित्त मंत्रालय द्वारा वाणिज्य विभाग (डीओसी) के परामर्श से सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा।
- v. स्कीम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बजटीय ढांचे में काम करेगी और जब भी आवश्यक हो, स्कीम के लाभों के लिए आवश्यक अंशशोधन और संशोधन किए जाएंगे ताकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित छूट को स्कीम के अनुमोदित बजट के अंदर प्रबंधित की जा सके। इस स्कीम के तहत बकाया या आकस्मिक देनदारियों की छूट के लिए अगले वित्त वर्ष तक कोई प्रावधान अनुमत नहीं है।
- vi. क्षेत्रों में स्कीम की शुरुआत का अनुक्रम, कवर किए जाने वाले क्षेत्रों का प्राथमिकीकरण, समग्र बजट/अंतिम परिव्यय के भीतर प्रति मद/कुल समग्र अनुमत लाभ राशि से यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि के अंदर समिति द्वारा निर्धारित दरों के अंदर विभिन्न मदों पर दिए जाने वाले लाभ की मात्रा का निर्णय राजस्व विभाग के परामर्श से वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा लिया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा।
- vii. स्कीम के तहत, पात्र निर्यातकों को अधिसूचित 8 अंकों के एचएस कोड के अंतर्गत वर्गीकृत मदों के निर्यात पर, जहां भी आवश्यक हो, निर्यातित उत्पाद की प्रति इकाई अधिकतम मूल्य के एफओबी मूल्य के प्रतिशत के रूप में एक अधिसूचित दर पर छूट प्रदान की जाएगी। तथापि, कुछ निर्यात मदों के लिए प्रति इकाई एक निश्चित मात्रा में छूट राशि अधिसूचित की जा सकती है। आरओडीटीईपी के तहत प्रति यूनिट छूट/मूल्य की अधिकतम राशि की दरें परिशिष्ट 4द में अधिसूचित की जाएंगी। उपर्युक्त बजट नियंत्रण उपायों के मद्देनजर लाए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों के अलावा, वार्षिक आधार पर आरओडीटीईपी दरों की समीक्षा करने और वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले उन्हें अग्रिम रूप से अधिसूचित करने के प्रयास किए जाएंगे।
- viii. अनुमोदित छूट विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत अनुमत समयावधि के अंदर बिक्री आय की प्राप्ति के अधीन है, ऐसा न कर पाने पर इस तरह की छूट को कभी भी अनुमत नहीं माना जाएगा। यह छूट इसे जारी करते समय होने वाली निर्यात आय की वसूली पर निर्भर नहीं होगी। तथापि, गैर-प्राप्ति और निर्यात से संबंधित शुल्क वापसी स्कीम, आईजीएसटी

और अन्य जीएसटी रिफंड के तहत जारी अन्य प्रणालीगत सुधारों के कारण किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी आरओडीटीईपी स्कीम के तहत किए गए दावों के लिए लागू होंगे।

- ix. छूट जारी करने का तंत्र: यह स्कीम हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप (ई – स्क्रिप) के रूप में छूट राशि जारी हेतु शुरु से आखिर तक डिजिटलीकरण के माध्यम से लागू की जाएगी, जिसका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक खाते में रखरखाव किया जाएगा। स्कीम के तहत आरओडीटीईपी दावे जारी करने और आवेदन के तरीके, आवेदन के लिए समय अवधि और निर्यात प्राप्ति, निर्यात दस्तावेज, नमूना प्रक्रिया, रिकॉर्ड रखने आदि समेत अन्य मामलों सहित कार्यान्वयन मुद्दों से संबंधित आवश्यक नियम और प्रक्रिया को सीबीआईसी, राजस्व विभाग द्वारा शुरु से आखिर तक डिजिटलीकरण करने के मद्देनजर एक आईटी समर्थित मंच पर अधिसूचित किया जाएगा। सीबीआईसी द्वारा जहां विदेशी मुद्रा की वसूली नहीं की गई है, वहाँ छूट राशि की वसूली, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के मामले में आरओडीटीईपी का निलंबन/रोक, साथ ही उपयुक्त रूप से जुर्माना लगाने के लिए भी सीबीआईसी द्वारा आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।
- x. यह स्कीम 1 जनवरी 2021 से निर्यात के लिए लागू होगी। तथापि पैरा 4.55 (x), (xi) और (xii) के अंतर्गत श्रेणियों द्वारा किए गए निर्यात के लिए, कार्यान्वयन की तारीख पैरा 4.55ख के प्रावधानों के अनुसार बाद में तय की जाएगी।

4.55 स्कीम के अंतर्गत अपात्र आपूर्तियां/मर्दे/श्रेणियां:

आरओडीटीईपी स्कीम के तहत निर्यात/निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियां छूट के लिए पात्र नहीं होंगी:

- i. एफटीपी के पैरा 2.46 के तहत आने वाला आयातित वस्तुओं का निर्यात।
- ii. ट्रांस – शिपमेंट के माध्यम से निर्यात, जिसका अर्थ है कि निर्यात जो तीसरे देश में उत्पन्न हो रहा है लेकिन भारत के माध्यम से ट्रांसशिप किया गया है।
- iii. निर्यात उत्पाद जो न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन हैं।
- iv. आईटीसी (एचएस) में निर्यात नीति की अनुसूची-2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित उत्पाद।
- v. उत्पाद जो आईटीसी (एचएस) में निर्यात नीति की अनुसूची-2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं।
- vi. मान्य निर्यात।
- vii. एसईजेड/एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों को डीटीए इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की आपूर्ति।
- viii. ईएचटीपी और बीटीपी में विनिर्मित उत्पाद।
- ix. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की संख्या 52) की धारा 65 के तहत आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक गोदाम में विनिर्मित उत्पाद।
- x. संबंधित विदेश व्यापार नीति की शुल्क छूट स्कीम के तहत जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र या विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व के निर्वहन में विनिर्मित या निर्यात किए गए उत्पाद।
- xi. विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) के रूप में लाइसेंस प्राप्त इकाई द्वारा निर्मित या निर्यात किए गए उत्पाद।
- xii. मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित किसी भी इकाई द्वारा निर्मित या निर्यात किए गए उत्पाद।
- xiii. 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 32/1997—सीमा शुल्क का लाभ उठाने वाले विनिर्मित या निर्यात किए गए उत्पाद।
- xiv. निर्यात जिसके लिए आइसगेट ईडीआई में इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखन जनरेट नहीं किया गया है/गैर – ईडीआई पत्तनों से निर्यात।

xv. विनिर्माण के बाद उपयोग में ली गई वस्तुएं।

4.55 क सरकार, तथापि, उपर्युक्त उल्लेख के अनुसार आरओडीटीईपी के दायरे के अंतर्गत किसी भी श्रेणी को बाद की तारीख में समाविष्ट और हटा कर संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

4.55 ख उपरोक्त पैरा 4.55 (x), (xi) और (xii) में उल्लिखित श्रेणियों द्वारा किए गए निर्यात को शामिल करने और ऐसी श्रेणियों के अंतर्गत निर्यात वस्तुओं के लिए आरओडीटीईपी दरों का निर्णय आरओडीटीईपी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

4.56 छूट का स्वरूप: ई-स्क्रिपों का उपयोग केवल सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क अर्थात् मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा।

4.57 निगरानी, लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन प्रणाली:

लेखापरीक्षा और सत्यापन के प्रयोजनों के लिए निर्यातक को स्कीम के तहत किए गए दावों को प्रमाणित करने वाले रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होगी। सीबीआईसी, राजस्व विभाग द्वारा एक आईटी आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के साथ एक निगरानी और लेखा परीक्षा तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि नमूना आधार पर निर्यातकों के रिकॉर्ड को वास्तविक रूप से सत्यापित किया जा सके। वास्तविक सत्यापन के लिए नमूना मामलों की जोखिम और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर आरएमएस द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी।

4.57 क एक व्यापक स्तर की निगरानी के लिए, एक आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क का रखरखाव किया जाएगा और इसकी नियमित अंतराल पर निगरानी की जाएगी।

4.58 शेष मुद्दे: स्कीम से संबंधित बाद में उत्पन्न होने वाले शेष मुद्दों पर एक अंतर - मंत्रालयी समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसका नाम "आरओडीटीईपी नीति समिति (आरपीसी)" होगा, जिसकी अध्यक्षता डीजीएफटी (जिसमें वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग के सदस्य शामिल होंगे) करेंगे, जिनके निर्णय बाध्यकारी होंगे।

4.59 परिशिष्ट 4द जिसमें पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मदों, दरों और प्रति इकाई अधिकतम मूल्य, जहां भी लागू हो, उल्लिखित है, डीजीएफटी के पोर्टल www.dgft.gov.in पर 'रेगुलेटरी अपडेट्स >आरओडीटीईपी' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

अध्याय-5

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम

5.0 उद्देश्य

ईपीसीजी स्कीम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुगम बनाना और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

5.01 ईपीसीजी स्कीम

(क) ईपीसीजी स्कीम शून्य सीमा शुल्क पर पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन के बाद के कार्य हेतु पूंजीगत माल (परिशिष्ट 5 च में नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर) के आयात की अनुमति देती है। वास्तविक निर्यात के लिए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल को राजस्व विभाग की अधिसूचना में यथा उल्लिखित प्रावधान के अनुसार सीमा शुल्क उपकर अधिनियम, 1975 (1975 की संख्या 51) की धारा 3 की क्रमशः उप-धारा (7) और उप-धारा (9) के तहत लिए जाने वाले आईजीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकर से भी छूट दी गई है। वैकल्पिक रूप से प्राधिकार पत्र धारक एफटीपी के पैराग्राफ 5.07 के प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से भी पूंजीगत माल खरीद सकता है। ईपीसीजी स्कीम के प्रयोजन के लिए पूंजीगत माल में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) सीकेडी/एसकेडी की शर्त सहित अध्याय 11 में यथा परिभाषित पूंजीगत माल;
- (ii) कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो आयात किए जा रहे पूंजीगत माल का एक हिस्सा हैं;
- (iii) स्पेयर्स, मोल्ड्स, डाईज, जिग्स, फिक्स्चर्स, टूल्स और रिफ्रेक्ट्रीज तथा

(iv) प्रारंभिक चार्ज और इसके बाद एक चार्ज के लिए कैटेलिस्ट

(ख) ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत आयात पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्कों, करों और उपकर के 6 गुणा समतुल्य निर्यात दायित्व (ईओ) के अधीन होगा जिसे प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 6 साल में पूरा किया जाना है।

(ग) ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात/खरीद भी एफटीपी के पैरा 5.04 (ग) में यथा उल्लिखित औसत निर्यात दायित्व (ईओ) के अधीन होगी।

(घ) प्राधिकार पत्र इसके जारी होने की तारीख से 24 महीने के लिए आयात हेतु वैध होगा। ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ.) यदि ईपीसीजी के तहत आयात पर एकीकृत कर और प्रतिपूर्ति उपकर का नकद में भुगतान किया जाता है, तो उक्त एकीकृत कर और प्रतिपूर्ति उपकर दिए जाने को बचाए गए निवल शुल्क में गणना नहीं की जाएगी बशर्ते कि निविष्टि टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया हो।

(च) डीजीएफटी मुख्यालय में एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) से अनुमोदन के बाद ही ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात हेतु प्रतिबंधित की गई वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाएगी।

(छ) यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात के लिए प्रस्तावित माल निर्यात के लिए प्रतिबंधित है, तो ईपीसीजी प्राधिकार पत्र डीजीएफटी मुख्यालय में एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) से निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जाएगा।

5.02 कवरेज

(क) ईपीसीजी स्कीम सहायक विनिर्माताओं से जुड़े या नहीं जुड़े विनिर्माता निर्यातकों सहायक विनिर्माताओं से जुड़े व्यापारी निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं को शामिल करती है। सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के कारखाने / परिसर में पूंजीगत माल की स्थापना से पहले ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पर सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के नाम का पृष्ठांकन किया जाएगा। यदि सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) में कोई भी बदलाव होता है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी (आर ए) प्राधिकार पत्र के पंजीकरण के पत्तन पर इस तरह के बदलाव की वहाँ के क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को मौजूदा और साथ ही बदले हुए सहायक विनिर्माता और सीमा शुल्क विभाग की सूचना देगा।

(ख) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम ऐसे सेवा प्रदाता को भी शामिल करती है जिसे डीजीएफटी-मुख्यालय, वाणिज्य विभाग द्वारा विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक के प्रावधानों के अधीन निर्यात उत्कृष्टता के शहर या प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पाक्र (पीएम मित्रा) में एक सामान्य सेवा प्रदाता (सीएसपी) के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रमाणित किया गया हो:

- (i) सीएसपी के लाभ के लिए बिजली, पानी, गैस, स्वच्छता, सीवरेज, दूरसंचार, परिवहन आदि प्रदान करने जैसी सामान्य उपयोगिता सेवाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) सामान्य सेवा के उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए निर्यात को सीएसपी के निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए गिना जाएगा, बशर्ते संबंधित शिपिंग बिलों में सीएसपी के ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र का विवरण उल्लिखित हों और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऐसे निर्यात के पूर्व प्रयोक्ताओं के ब्योरे के बारे में सूचित करना होगा।
- (iii) इस तरह के निर्यात को उपयोगकर्ता के अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के संबंध में विशिष्ट निर्यात दायित्वों की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा।
- (iv) प्राधिकार पत्र धारक को बैंक गारंटी (बीजी) जमा करनी होगी जो बचाए गए शुल्क के बराबर होगी। सीएसपी को दिए गए विकल्प के रूप में बीजी सीएसपी अथवा किसी एक उपयोगकर्ता या उसके समूह द्वारा जमा की जा सकती है तथा
- (v) पूंजीगत माल को निर्यात उत्कृष्टता के शहर अथवा पीएम मित्रा के अंदर स्थापित किया जाएगा।

5.03 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

आयातित पूंजीगत माल वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन होगा जब तक कि निर्यात दायित्व पूरा नहीं हो जाता है और निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) प्रदान नहीं किया जाता है।

5.04 निर्यात दायित्व

निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:—

(क) निर्यात दायित्व प्राधिकार पत्र धारक द्वारा माल के निर्यात के माध्यम से पूरा किया जाएगा जो उसके अथवा उसके सहायक विनिर्माता/उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से विनिर्मित है, जिसके लिए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रदान किया गया है।

(ख) माल के निर्यात के लिए, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक या तो सीधे या फिर तृतीय पक्ष (पक्षों) के माध्यम से निर्यात कर सकता है।

(ग) इसके अलावा, स्कीम के अंतर्गत निर्यात दायित्व पैरा 5.12(क) में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर बढ़ाई गयी समयावधि सहित समग्र निर्यात-दायित्व अवधि के भीतर आवेदक द्वारा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उक्त तथा उसी तरह के उत्पादों के लिए निर्यात दायित्व औसत स्तर का होगा। यह औसत उक्त और उसी तरह के उत्पादों के लिए पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों के निर्यात निष्पादन का और गणितीय माध्य होगा। औसत निर्यात दायित्व (ईओ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष पूरा किया जाएगा जब तक कि निर्यात दायित्व पूरा नहीं होता। ईओ के अतिरिक्त निर्यात/आपूर्तियों पर केवल निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए विचार किया जाएगा।

(घ) पूंजीगत माल की स्वदेशी सोर्सिंग के मामले में, विशिष्ट ईओ पैरा 5.01 में विहित ईओ से 25% कम होगा। पैरा 5.04 (ग) में यथा निर्धारित लगाए गए औसत ईओ, यदि कोई हो, में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ङ.) अग्रिम प्राधिकार-पत्र, डीएफआईए, शुल्क वापसी, आरओएससीटीएल और आरओडीटीईपी स्कीमों के तहत निर्यात भी ईपीसीजी स्कीम के तहत ईओ की पूर्ति के लिए पात्र होंगे।

(च) निर्यात दायित्व को वास्तविक निर्यात के साथ-साथ मान्य निर्यात दोनों द्वारा पूरा किया जा सकता है। मान्य निर्यात आपूर्ति भी एफटीपी के पैरा 7.03 के तहत उपलब्ध लाभों के लिए पात्र होगी।

(छ) डीटीए इकाइयों से किए गए निर्यात की गणना केवल ईओ और/या ईओ की गणना और/या पूर्ति के लिए की जाएगी।

(ज) ईओ की पूर्ति डीटीए को आईटीए-1 मदों की आपूर्ति से भी की जा सकती है, बशर्ते कि वसूली मुक्त विदेशी मुद्रा में हो।

(झ) प्राधिकार पत्र धारक द्वारा मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त रॉयल्टी भुगतान और आर एंड डी सेवाओं के लिए प्राप्त विदेशी मुद्रा को भी ईपीसीजी के तहत निर्वहन के लिए गिना जाएगा।

(ञ) परिशिष्ट 5घ में यथा अधिसूचित ऐसी सेवाओं के लिए रुपये में प्राप्त भुगतान को भी ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए गिना जाएगा।

(ट) पैरा 2.52 (घ) (ii) के अनुसार भारतीय रुपये में वसूल की गई निर्यात कार्यवाही को निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए भी गिना जाएगा।

(ठ) पैरा 5.04 (घ), 5.09, 5.10 और 5.11 में विनिर्दिष्ट केवल एक लाभ अनुमत्त होगा।

(ड) ईओ की समयावधि आगे बढ़ाए जाने को प्रक्रिया पुस्तक में यथा निर्धारित अनुमत्त किया जाएगा।

5.05 दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के उपबंधों के तहत शामिल कंपनियों के लिए प्रावधान

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक और दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के उपबंधों के तहत शामिल की गई कंपनी और जिस पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आईबीसी 2016 की धारा 31 के तहत समाधान योजना को अनुमत्त किया गया है जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी/अपील प्राधिकारियों जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित/अंतिम रूप दी गई समाधान योजना के अनुसार राहत, रियायतों और माफी की अनुमति दी जा सकती है।

5.06 कृषि इकाइयों के मामले में एल्यूटी/बांड/बैंक गारंटी

कृषि-निर्यात क्षेत्रों में इकाइयों को ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए एल्यूटी/बांड अथवा 15% बैंक गारंटी, जैसा लागू हो, प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र अधिसूचित प्राथमिक कृषि उत्पाद (उत्पादों) के निर्यात अथवा उनके मूल्य वर्धित किस्मों के लिए लिया गया हो।

5.07 घरेलू आपूर्तिकर्ता को पूंजीगत माल और लाभ की स्वदेशी सोर्सिंग

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र रखने वाला व्यक्ति या तो अवैधीकरण पत्र या फिर अग्रिम रिलीज आदेश के माध्यम से घरेलू विनिर्माता से पूंजीगत माल प्राप्त कर सकता है। ऐसे घरेलू विनिर्माता एफटीपी के पैराग्राफ 7.03 के तहत मान्य निर्यात लाभ के लिए पात्र होंगे, और जैसा कि मान्य निर्यात की श्रेणी के अंतर्गत जीएसटी नियमों के तहत प्रदान किया जा सकता है। ईओयू से ऐसी घरेलू सोर्सिंग की भी अनुमति होगी और इन आपूर्तियों की गणना उक्त ईओयू द्वारा सकारात्मक एनएफई की पूर्ति के उद्देश्य से की जाएगी जैसा कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.08 (क) में दिया गया है।

5.08 निर्यात दायित्व की गणना

प्रत्यक्ष आयात के मामले में, ईओ को बचाई गई वास्तविक शुल्क राशि के संदर्भ में गिना जाएगा। घरेलू सोर्सिंग के मामले में ईओ को एआरओ/अवैधीकरण पत्र में दर्शाए गए अनुसार एफओआर मूल्य पर बचाई गई अनुमानित सीमा शुल्क राशि के संदर्भ में लिया जाएगा।

5.09 ईओ को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहन

निर्यात में तेजी लाने की दृष्टि से उन मामलों में जहां प्राधिकार पत्र धारक ने विनिर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व की अवधि के आधे या आधे से कम समय में अभी तक विशिष्ट निर्यात दायित्व का 75% या अधिक और औसत निर्यात दायित्व, यदि कोई हो का 100% पूरा किया है, तो शेष निर्यात दायित्व को माफ कर दिया जाएगा और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र का मोचन किया जाएगा।

5.10 हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व

हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यातकों के लिए पैरा 5.01(ख) में यथानिर्धारित विशिष्ट निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व होगा। पैरा 5.04(ग) में यथानिर्धारित रोपित औसत निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.26 में दी गई है।

5.11 उत्तर पूर्व क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए, विशिष्ट निर्यात दायित्व यथालागू पैरा 5.01(ख) में यथा उल्लिखित निर्यात दायित्व का 25 प्रतिशत होगा। जैसा कि पैरा 5.04(ग) में यथानिर्धारित है, औसत निर्यात दायित्व यदि कोई हो, में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5.12 औसत निर्यात दायित्व के अनुरक्षण से छूट

(क) निम्नलिखित से संबंधित वस्तुओं के निर्यात के मामले में ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को औसत, निर्यात दायित्व के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी

- (i) हस्तशिल्प,
- (ii) हथकरघा,
- (iii) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अंतर्गत आने वाले उद्योग
- (iv) कृषि
- (v) एक्वाकल्चर (मात्स्यिकी सहित), मछली पालन,
- (vi) पशुपालन और डेयरी
- (vii) फूलों की खेती और बागवानी,
- (viii) पोल्ट्री,
- (ix) अंगूर की खेती,

- (x) रेशम उत्पादन,
- (xi) कालीन,
- (xii) कॉयर, और
- (xiii) जूट

(ख) हालांकि, मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों, नावों, जहाजों और अन्य समान वस्तुओं के आयात के लिए औसत निर्यात दायित्व के अनुरक्षण से यह छूट नहीं दी जाएगी।

(ग) उपरोक्त उप-पैराग्राफ (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों द्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित उपकरणों को छोड़कर, माल को आयात की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां निर्यात दायित्व पूरा हो गया है।

5.13 संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ:

05.12.2017 और 2015-20 संशोधित अनुमान 2017 से पहले जारी विभिन्न नीति अवधियों जैसे 2002-07, 2004-09, 2009-14, 2015-20 के दौरान जारी किए गए प्राधिकार पत्र संबंधित नीति प्रावधानों और प्रक्रिया पुस्तकों द्वारा अभिशसित होंगे, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लिखित न हो।

अध्याय – 6

निर्यातोन्मुख इकाइयां (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पाक्र (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पाक्र (एसटीपी) और बाँयो – टेक्नोलोजी पाक्र (बीटीपी)

6.00 भूमिका और उद्देश्य

- (क) अपने समस्त माल के उत्पादन और सेवाओं (डीटीए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) का निर्यात करने के लिए इकाइयां माल के निर्माण सहित मरम्मत, पुनः निर्माण, पुनः कंडीशनिंग, पुनः इन्जीनियरिंग और सेवा प्रदान करने, साफ्टवेयर तैयार करने, कृषि जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, एक्वाकल्चर, पशु पालन, बायोटेक्नोलोजी, फूलों की खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगूर की खेती, मुर्गी पालन और रेशम उत्पादन के लिए निर्यातोन्मुख इकाई (ईओयू) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पाक्र (ईएचटीपी) स्कीम, साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पाक्र (एसटीपी) स्कीम या बायो टेक्नोलॉजी पाक्र स्कीम के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं। व्यापारिक इकाइयां इन स्कीमों के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं।
- (ख) इन स्कीमों का उद्देश्य निर्यात का संवर्धन करना, विदेशी मुद्रा के अर्जन को बढ़ाना, निर्यात उत्पादन और रोजगार सृजन करने के लिए निवेश को आकर्षित करना है।

6.01 माल का निर्यात तथा आयात

- (क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है, उन मदों को छोड़कर जो आईटीसी (एचएस) में निषिद्ध हैं। तथापि, सोने के आभूषण, आंशिक रूप से तराशे गए आभूषण चाहे सादा हो अथवा जड़ित हों और संबंधित वस्तुओं सहित जिनमें 8 कैरेट और इससे अधिक 22 कैरेट की अधिकतम सीमा तक सोना हो, को ही अनुमति दी जाएगी। पोस्ट, पुश बैक, लॉक जैसी मदों जिससे आभूषणों के टुकड़ों को जोड़ने में सहायता मिलती हो, जिसमें 3 कैरेट और अधिकतम 22 कैरेट सोना हो के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
- (ख) विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (स्कोमेट) का निर्यात एफटीपी (स्कोमेट के लिए नया अध्याय) के अध्याय 10 में उल्लिखित शर्तें पूरी करने के अधीन होगा। ईओयू के संबंध में प्रतिबंधित मद (मदों) के निर्यात की अनुमति पर बीओए द्वारा मामला दर मामला आधार पर विचार किया जा सकता है बशर्ते निर्यात मद (मदों) के लिए प्रयुक्त निविष्टि (निविष्टियों) का आयात किया गया हो तथा डीटीए से ऐसी निविष्टियों की खरीद न की गई हो।
- (ग) पिछले वर्षों के निर्यात के एफओबी मूल्य के 1.5 प्रतिशत की अधिकतम मूल्य सीमा तक ब्रोशर/साहित्य, पैम्फलेट, होर्डिंग, कैटलॉग, पोस्टर इत्यादि जैसी निर्यात प्रोत्साहन सामग्री की खरीद और आपूर्ति की भी अनुमति होगी।
- (घ) (i) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई, डीटीए अथवा डीटीए में अनुबद्ध गोदामों/भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, उससे संबंधित गतिविधियों के लिए पूंजीगत वस्तुओं सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का आयात और/या खरीद कर सकती है बशर्ते कि ये नीचे पैरा (ii) और (iii) में दी गई शर्तों के अधीन आईटीसी (एचएस) में आयात की निषिद्ध मदें न हो। किसी अन्य कानून के तहत आयात के लिए अपेक्षित कोई अनुमति लागू होगी। इकाइयों को अनुमोदित गतिविधि के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं सहित वस्तुएं ग्राहकों से बिना किसी मूल्य के या ऋण/पट्टे पर आयात करने की भी अनुमति होगी। पूंजीगत माल का आयात स्वप्रमाणन आधार पर होगा। इकाई द्वारा माल का आयात, निर्यात उत्पादन के उपयोग के तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होगा।

- (ii) डीटीए में अनुबद्ध गोदाम से अथवा भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से आयात और/या खरीद सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची में उस पर प्रभार्य सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 3 (1), 3(3) और 3(5) के तहत प्रभार्य अतिरिक्त सीमाशुल्क यदि कोई हो, के भुगतान के बिना होगा। ऐसे आयात और/या खरीद राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) और 3(9) के तहत प्रभार्य एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर के बिना होगी।
- (iii) डीटीए से जीएसटी के तहत शामिल की गई वस्तुओं की खरीद लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करने पर होगी। डीटीए से ईओयू को की गई आपूर्ति पर भुगतान किए गए जीएसटी की वापसी आपूर्तिकर्ता को जीएसटी नियमावली और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शर्तों और दस्तावेजीकरण के अधीन उपलब्ध होगी। ईओयू डीटीए से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के तहत आने वाली उत्पाद शुल्क प्रभार्य वस्तुएं भी लागू उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना खरीद सकते हैं।
- (ड.) निर्यातोन्मुख विनिर्माण इकाइयों पर राज्य व्यापार व्यवस्था लागू नहीं होगी। तथापि, क्रोम ओर/क्रोम कंसट्रेट, के संबंध में इन मदों की निर्यात नीति में यथानिर्धारित राज्य व्यापार व्यवस्था ईओयू के लिए लागू होगी।
- (घ) ईओयू /ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां केन्द्रीय सुविधा बनाने के लिए कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं को ऊपर पैरा 6.01 (घ) (ii) और पैरा 6.01 (घ) (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों/करों के भुगतान के साथ या भुगतान के बिना डीटीए से आयात/खरीद कर सकती हैं। सॉफ्टवेयर ईओयू/डीटीए इकाइयां सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकती हैं।
- (छ) कृषि, पशुपालन, जल कृषि, पुष्प उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगूरोत्पादन, मुर्गीपालन अथवा रेशम उत्पादन में संलग्न एक ईओयू को इकाई के परिसर के बाहर प्रयोग के लिए अपने कार्यों से संबंधित केवल विशिष्ट वस्तुओं को हटाने की अनुमति दी जा सकती है।
- (ज) रत्न और आभूषण ईओयू नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम ऋण/एकमुश्त खरीद आधार पर प्राप्त कर सकती हैं। नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त करने वाली इकाइयों को ऋण अथवा एकमुश्त खरीद के आधार पर सोना/चांदी/प्लेटिनम का निर्यात नामित एजेंसियों के द्वारा ऐसी धातुओं को रिलीज करने की तारीख से 90 दिन के अन्दर करना होगा।
- (झ) सेवा इकाइयों के अतिरिक्त, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां, भारतीय रिजर्व बैंक की विलयरेन्स, यदि कोई हो, के अधीन राज्य ऋण के पुनः भुगतान/क्रेता के एस्करो रूपया खाते के नामे भारतीय रूपयों में रूसी संघ को निर्यात कर सकती हैं।
- (ञ) निर्यात के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत तक के पुर्जों/घटकों की खरीद और निर्यात की अनुमति निर्यात वस्तु के उसी कन्साइनी/खरीदार को इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि उसे एनएफई और प्रत्यक्ष कर लाभों के लिए नहीं माना जाएगा।
- (ट) विकास आयुक्त/ईओयू/ईएचटीपी/एचटीपी/बीटीपी इकाइयों में नामित अधिकारी मामला दर मामला आधार पर, रत्न एवं आभूषण के अलावा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों के आवेदन पर विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं को समेकित करने के लिए और विनिर्मित वस्तुओं के साथ उनके निर्यात के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को पिछले वित्तीय वर्ष में यूनिट द्वारा निर्यात की गई ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच प्रतिशत की सीमा तक ईओयू द्वारा डीटीए से आयात करने/प्राप्त करने की अनुमति उपर्युक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) और (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों और/या करों के भुगतान के साथ या बगैर, जैसा भी मामला हो, पर दी जा सकती है। ईओयू द्वारा विनिर्मित इस प्रकार खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का विवरण निर्यात दस्तावेज में अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसे मामलों में खरीद की गई/आयातित वस्तुओं का मूल्य एनएफई और डीटीए की बिक्री हकदारी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विकास आयुक्त/नामित अधिकारी किन्हीं अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

6.02 पुरानी पूंजीगत वस्तुएं

पुराने पूंजीगत माल का बिना किसी कालावधि सीमा के उपर्युक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) के तहत यथा प्रदत्त शुल्क/करों के भुगतान के साथ या बगैर आयात किया जा सकता है।

6.03 पूंजीगत माल को पट्टे पर लेना

- (क) पार्टियों के बीच में हुए पक्के करार के आधार पर कोई ईओयू /ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी से पूंजीगत माल उपर्युक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) और (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों/करों के भुगतान के साथ बगैर, जैसा भी मामला हो, प्राप्त कर सकती है। ऐसे मामले में घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी तथा ईओयू /ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई पूंजीगत माल का आयात करने/खरीदने के लिए संयुक्त रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

(ख) एक ईओयू /ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई निम्नलिखित शर्तों के मद्दे पूंजीगत वस्तुओं को बेच सकता है और उसे एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) से पट्टे पर वापस ले सकता है:—

- (i) इकाई को परिसंपत्तियों की बिक्री और पट्टे पर वापसी का लेन-देन करने के लिए क्षेत्राधिकारी उप/सहायक आयुक्त सीमाशुल्क से अनुमति लेनी चाहिए और बेचे जाने वाली या पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुओं का पूरा विवरण और एनबीएफसी का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
- (ii) बेचे जाने वाली और पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुएं इकाई के परिसर से नहीं हटाई जाएंगी।
- (iii) इकाई की एनएफई उस समय सकारात्मक होनी चाहिए जब वह एक एनबीएफसी के साथ बिक्री एवं पट्टे पर वापसी लेन-देन शुरू करती है।
- (iv) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1944 के साथ पठित अधिसूचना के किसी प्रावधान जिसके तहत इन वस्तुओं का आयात किया गया है या इन्हें खरीदा गया है के उल्लंघन या विवाद के मामले में इन वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करने के लिए इकाई और एनबीएफसी द्वारा एक संयुक्त वचनबद्धता दी जानी चाहिए, सीमाशुल्क (सरकारी देनदारियों की वसूली के लिए चूककर्ताओं की संपत्ति को जब्त करना) नियमावली, 1995 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 (ख) के प्रावधान के तहत इकाई से सरकार को बकाया देय राशि की वसूली के लिए उपरोक्त वस्तुओं पर प्रथम ग्रहणाधिकार सीमाशुल्क विभाग के पास रहेगा।

6.04 निवल विदेशी मुद्रा अर्जन

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां, एक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी। इसके अलावा परिशिष्टों एवं एनएफ के परिशिष्ट 6 ख के क्षेत्र विशेष के लिए प्रावधानों जहां उच्च मूल्य संवर्धन और अन्य शर्तें दी गई हैं, का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी। निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एनएफई) उत्पादन प्रारम्भ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचित रूप से गिना जाएगा। जब भी कोई इकाई एलओपी में वर्णित किसी उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए निषेध/प्रतिबंध के कारण एनएफई प्राप्त करने में असमर्थ है, तो निवल विदेशी मुद्रा आय की गणना के लिए पांच वर्षों की ब्लॉक अवधि बीओए द्वारा उपयुक्त तरीके से बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जब कभी एक इकाई बाजार की प्रतिकूल स्थिति अथवा इकाई के कार्य पर बुरा असर डालने वाली किसी वास्तविक समस्या के कारण निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) को प्राप्त नहीं कर पाती है तो बीओए द्वारा मामला दर मामला आधार पर अर्जित निवल विदेशी मुद्रा की गणना हेतु पांच वर्ष की ब्लॉक अवधि को एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। एनएफई की गणना की विधि का विस्तृत विवरण वर्तमान प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.10 में दिया गया है।

6.05 आवेदन व अनुमोदन/अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र और विधिक वचनबद्धता:

- (क) (i) प्रक्रिया पुस्तक में दिए गए विवरण के अनुसार, इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी)/अनुमोदन बोर्ड (बीओए) जो भी मामला हो, के द्वारा ईओयू की स्थापना के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा। डीसी की शक्तियों का विवरण प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.34 में दिया गया है।
- (ii) इकाई ईएचटीपी/एसटीपी स्कीमों के अधीन होने के मामले में, इस अध्याय के संबंधित पैरा के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन/अनुमति, डीसी के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी और बीओए के स्थान पर अंतर्मंत्रालयी स्थायी समिति द्वारा जारी की जाएगी।
- (iii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सिफारिशों पर डीजीएफटी द्वारा जैव प्रौद्योगिकी पाक्र (बीटीपी) अधिसूचित किया जाएगा। बीटीपी में इकाई के मामले में, इस अध्याय के संबंधित प्रावधान के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नामित अधिकारी द्वारा दी जाएगी।
- (iv) अनुमोदन होने पर ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई को अनुज्ञा पत्र (एलओपी)/आशय पत्र (एलओआई) डीसी/नामित अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। अनुमति पत्र/एलओआई की वैधता प्रक्रिया पुस्तक में दी जाएगी।

(ख) संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पैरा 6.01 में प्रावधानों के अनुसरण में ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को जारी एलओपी/एलओआई को सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र माना जाएगा।

(ग) इकाई संबंधित विकास आयुक्त को एक विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन को सुनिश्चित करने में असफल होने पर अथवा एलओपी/एलओआई/आईएल/एलयूटी शर्तों को पूरा न करने में असफल होने पर वह किसी अन्य कानून/नियमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन दण्ड के भागी होंगे और वह एलओपी/एलओआई/आईएल रद्द अथवा निरस्त हो जाएगा।

6.06 निवेश हेतु मानदण्ड

जिन परियोजनाओं में संयंत्र और मशीनरी पर कम से कम 1 करोड़ रुपये निवेश हो उन पर ही ईओयू के रूप में स्थापना के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, यह मौजूदा इकाइयों और ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी और हस्तशिल्प/कृषि/पुष्पोत्पादन/जलकृषि/पशुपालन/सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाएं, ब्रास हार्डवेयर और हस्तनिर्मित आभूषण के क्षेत्रों में ईओयू पर लागू नहीं होगा। बीओए कम निवेश के मानदण्ड पर भी ईओयू की स्थापना की अनुमति दे सकता है।

6.07 तैयार उत्पाद/अस्वीकृत माल/अपशिष्ट/स्क्रैप/अवशेष और गौण-उत्पाद की डीटीए बिक्री

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों के समस्त उत्पादन का निर्यात किया जाएगा। तथापि विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निम्नलिखित को विशेष रूप में अनुमत किया जाता है:-

- (क) (i) रत्न और आभूषण इकाइयों के अतिरिक्त इकाइयां एलओपी (उत्पादन, निर्माण, प्रसंस्करण या ऐसे सामानों की पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न होने अव-उत्पाद, बेकार, अपशिष्ट और स्क्रैप सहित) में निर्दिष्ट अपने द्वारा विनिर्मित तैयार माल बेच सकती हैं जोकि उत्पाद शुल्क, यदि लागू हो, और/अथवा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर, साथ ही ऐसी तैयार वस्तुओं (उपोत्पाद, अस्वीकृत माल, अपशिष्ट और ऐसे माल के उत्पाद, विनिर्माण, प्रसंस्करण अथवा पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न स्क्रैप सहित) के विनिर्माण के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त निविष्टियों पर प्राप्त छूट, यदि कोई हो, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल सहित सकारात्मक एनएफई की पूर्ति की शर्त पूरी करने पर, डीटीए में एफटीपी के अधीन स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य हो। काली मिर्च या काली मिर्च उत्पाद, मार्बल और अन्य वस्तुएं जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, की डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं होगी। सीमा शुल्क का यह प्रत्यावर्तन प्रचलित एसआईओएन मानदंडों या मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा (जहां कोई एसआईओएन मानदंड निर्धारित नहीं हैं)।
- (ii) पैकेजिंग/लेबलिंग/रेफ्रीजरेशन/कम्पैक्टिंग/माइक्रोनाइजेशन/ पल्वराइजेशन/ग्रेन्यूलेशन/मोनो-हाइड्रेट रूप के रसायन से एनहाइड्रस रूप में परिवर्तन अथवा विलोमतः कार्य से जुड़ी इकाइयों के मामले में ऐसी डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iii) एसईजेड में किसी इकाई को की गई बिक्री भी ईओयू द्वारा निर्यात के एफओबी मूल्य को निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखी जाएगी। बशर्ते कि इन बिक्रियों हेतु किया गया भुगतान एसईजेड यूनिट के विदेशी मुद्रा खाते से किया गया हो। डीटीए को बिक्री फार्मास्युटिकल उत्पादों (बल्क औषधि सहित) के पंजीकरण आवश्यकता के भी अधीन होगी।
- (iv) सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क के तहत आयात के समय लगायी गई एंटी डंपिंग ड्यूटी के बराबर राशि इकाई से डीटीए में लाई गई वस्तुओं के विनिर्माण या संसाधन के लिए प्रयुक्त वस्तुओं पर देय होगा।
- (v) ऐसी डीटीए बिक्री, एफटीपी के अध्याय-7 के तहत ईओयू/आपूर्तिकर्ता द्वारा एफटीपी के अनुसार प्राप्त किए गए किसी भी लाभ की वापसी के अधीन होगी, जो डीटीए में समाशोधित वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग की गई वस्तुओं पर है।
- (ख) सॉफ्टवेयर इकाइयों सहित सेवाओं के लिए, डीटीए में किसी भी रूप में बिक्री, ऑनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत और/अथवा अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। हालांकि, सेवाओं से संबंधित डीटीए में बिक्री जीएसटी के तहत 9988 और 9989 शीर्षक अध्याय के तहत वर्गीकृत है, परन्तु वस्तुओं के विनिर्माण के तौर पर एलओपी/एफटीपी के पैरा 11.31 के अंतर्निहित है, ऊपर वर्णित पैरा 6.07(क) के अंतर्गत जारी रहेगा। डीटीए निकासी के समय लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी के वर्गीकरण के अनुसार लागू होगा।
- (ग) रत्न और आभूषण इकाइयां, डीटीए में पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात के एफओबी मूल्य के 10 प्रतिशत तक बेच सकती हैं बशर्ते कि सकारात्मक एनएफई की पूर्ति कर ली गई हो। इकाई को, ऐसे आभूषणों में प्रयोग किए गए इनपुट पर देय के रूप में, यदि कोई सीमाशुल्क छूट ली गई हो, तो, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के तहत प्रयोज्य सीमाशुल्क के रिवर्सल सहित लागू जीएसटी/क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करना होगा।
- (घ) जब तक एलओपी में विशिष्ट रूप से निषिद्ध न हो, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल के साथ निविष्टियों पर यदि छूट ली गई हो, तो उत्पाद शुल्क यदि लागू हो, तथा/अथवा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान कर डीटीए में अस्वीकृत माल बेचा जा सकता है। निर्यात के 5 प्रतिशत एफओबी मूल्य तक अस्वीकृत माल की बिक्री एनएफई प्राप्त करने के अधीन नहीं होगी।
- (ङ) उत्पादन या तत्संबंधी प्रक्रिया से निकलने वाले स्क्रैप/अपशिष्ट/अवशेषों की बिक्री यथा लागू शुल्क और/या कर और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर शुल्क छूट स्कीम के तहत सिओन अधिसूचना के अनुसार डीटीए में की जा सकती है। स्क्रैप/अपशिष्ट/अवशेषों की ऐसी बिक्री, सकारात्मक एनएफई के विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी। उन मदों के संबंध में, जो मानदण्ड में शामिल नहीं हैं, विकास आयुक्त छः माह की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है और इस अवधि के भीतर मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित कर सकती है। तदर्थ मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित न कर दे। स्क्रैप/अपशिष्ट/अवशेषों का भी निर्यात किया जा सकता है।
- (च) यदि ऐसे स्क्रैप/अपशिष्ट/अवशेषों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जाता है तो उन कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा। "शुल्क/कर नहीं" अभिव्यक्ति में जीएसटी कानून के अधीन लागू कर और उपकर शामिल नहीं होगा।

(छ) अनुमति पत्र में शामिल उप उत्पाद को भी डीटीए में बेचा जा सकता है बशर्ते यदि इनपुट्स पर लाभ लिए गए हैं, तो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल के साथ उत्पाद शुल्क, यदि लागू हो, तथा/अथवा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति के अधीन हो।

(ज) इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के मामले में, निवल विदेशी मुद्रा और डीटीए बिक्री हकदारी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अलग से गिनी जाएगी।

(झ) नये ईओयू के मामले में, अग्रिम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति होगी जो प्रथम वर्ष के लिए अनुमानित निर्यातों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, सिवाय औषध इकाइयों में जहाँ यह प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमानित निर्यात पर आधारित होगी।

(ञ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान डीटीए में स्वीकृत विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य के 2 प्रतिशत तक की जाने वाली पुर्जों/कलपुर्जों की खरीद को बिक्री पश्चात सेवा प्रदान करने के प्रयोजन हेतु उसी खेप प्राप्तकर्ता/खरीदार को आपूर्ति हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है। सीमा शुल्क छूट, यदि ली गई हो, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल के साथ लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान किए जाने पर डीटीए में स्वीकृति दी जा सकती है।

6.08 अन्य आपूर्तियां जिन्हें एनएफई की पूर्ति के लिए गिना जाता है

सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने के लिए ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों से प्राप्त निम्नलिखित आपूर्तियों की गणना की जाएगी। ऐसी आपूर्तियों में 'मार्बल' शामिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि मार्बल की ऐसी आपूर्ति अन्तः इकाई आपूर्ति हो जैसा कि नीचे उप-पैरा (ग) में बताया गया है:-

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क छूट के तहत डीएफआईए/विमुक्ति योजना/ईपीसीजी स्कीम के धारकों के संबंध में डीटीए में की गई आपूर्तियां। तथापि, प्रिंटिंग क्षेत्र की ईओयू (या अन्य कोई क्षेत्र जिसे प्रक्रिया पुस्तिका में अधिसूचित किया जा सके) वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सकती, जहां पर अग्रिम प्राधिकार पत्र के धारक/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार धारक के लिए मूल सीमाशुल्क और सीवीडी शून्य है या अन्यथा छूट प्राप्त है।

(ख) विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्ति के मद्दे डीटीए में की गई आपूर्तियां।

(ग) अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एसईजेड इकाई को आपूर्ति, बशर्ते ऐसे माल की खरीद के लिए विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.01 के अंतर्गत अनुमति हो।

(घ) विदेश व्यापार नीति और/या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित अनुबद्ध गोदामों और मुक्त व्यापार तथा गोदाम क्षेत्रों में की गई आपूर्तियां, जहां भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

(ङ) ऐसे संगठनों को, माल और सेवाओं की आपूर्तियां, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार ऐसी मदों के शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं, जैसी प्रक्रिया पुस्तक में व्यवस्था है।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलिकॉम/इलेक्ट्रॉनिक मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलिकॉम/इलेक्ट्रॉनिक मदों की आपूर्ति।

(छ) निर्यात के लिए डीटीए इकाई को टैग, लेबल, प्रिन्टेड बैगों, स्टीकरों, बेल्टों, बटनों अथवा हैंगरों जैसी मदों की आपूर्तियां।

(ज) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. ई-20029/18/2001-पीपी दिनांक 28.01.2003 द्वारा यथा अधिसूचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी का तेल एवं घरेलू एलपीजी सब्सिडी स्कीम, 2002 (यहाँ पीडीएस स्कीम के रूप में निर्दिष्ट) के तहत रियायती कीमतों पर घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की घरेलू तेल कम्पनियों को ईओयू रिफाइनरी में उत्पादित एलपीजी की सप्लाई निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगी:-

(i) एलपीजी की केवल ऐसी मात्रा की सप्लाई मान्य होगी जिसके लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्यात की स्वीकृति न दी हो और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में एलपीजी की निकासी की जानी हो; और

(ii) वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त पीडीएस स्कीम के तहत सप्लाई के लिए एलपीजी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी हो।

6.09 अन्य के माध्यम से निर्यात

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई, अपने द्वारा विनिर्मित माल/विकसित साफ्टवेयर का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा-6.19 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दूसरे निर्यातक अथवा किसी अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड इकाई के माध्यम से कर सकती है।

6.10 डीटीए से आपूर्तियों हेतु हकदारी

(क) डीटीए से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को निर्यात हेतु उनके विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली निविष्टियों की आपूर्ति विदेश व्यापार नीति के अध्याय-7 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी। डीटीए आपूर्तिकर्ता उनके निर्यात दायित्व यदि कोई हो, का निर्वहन करने के अलावा विदेश व्यापार नीति के अध्याय-7 के अंतर्गत संबंधित पात्रता के हकदार होंगे। डीटीए से ईओयू को ऐसी आपूर्ति पर भुगतान किए गए जीएसटी की वापसी जीएसटी नियमावली और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शर्तों और दस्तावेजीकरण के अधधीन आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध होगी।

- (ख) बहुमूल्य और अल्पमूल्य पत्थर, कृत्रिम पत्थर और प्रसंस्कृत मोतियों का डीटीए से ईओयू को आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित मदों के लिए और दरों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (ग) इसके अलावा, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां निम्नलिखित के लिए पात्र होगी:—
- भारत में विनिर्मित वस्तुओं पर केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति, जहां कहीं लागू हो। यदि मामला पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नहीं सुलझाया जाता है (जैसा कि एचबीपी के पैरा 11.10 में है) तो सीएसटी की वापसी में देशी पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
 - डीटीए से भारत में विनिर्मित ऐसी वस्तुओं जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में आती है, पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।

6.11 अन्य हकदारियां

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों की अन्य हकदारियां निम्नलिखित हैं:

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट
- निर्यात आय की वसूली 09 महीनों के भीतर करनी होगी।
- इकाइयों को ईईएफसी खाते में 100 प्रतिशत निर्यात अर्जन रखने की अनुमति होगी।
- इकाइयों को आयात अथवा डीटीए में कार्य करते समय बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां

- इकाई का टर्न ओवर 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक हो;
- इकाई कम से कम 3 वर्षों से अस्तित्व में हो; और
- इकाई ने :—

1. सकारात्मक एनएफई/निर्यात दायित्व प्राप्त कर लिया है, जहाँ भी लागू हो; और

2. धोखाधड़ी/दुरभिसंधि/जानबूझकर दिया गया गलत विवरण/तथ्यों को छुपाना अथवा उनके किसी प्रावधानों के उल्लंघन के कारण, सीमाशुल्क अधिनियम सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/आईजीएसटी अधिनियमों के दंडिक प्रावधान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, वित्त अधिनियम 1994 सेवाकर अथवा किसी प्रकार के सहायक अधिनियम इसके तहत निर्मित नियमों को शामिल करते हुए पैनाल प्रावधान के तहत प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के अलावा, अन्य आधार पर पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान कारण बताओ नोटिस संपुष्ट मांग जारी नहीं की हो; अथवा

प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर के रूप में आवश्यक प्रमाणन प्राप्त कर लिया है और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान के तहत प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के अलावा पिछले 3 वर्षों के दौरान कारण बताओ नोटिस या संपुष्ट मांग जारी नहीं की गई है।

(ड.) एसईजेड इकाइयों की तरह आटोमैटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई निवेश की अनुमति दी जाएगी।

(च) इकाई अनुमोदन समिति इकाइयों के मध्य मामला दर मामला आधार पर निवेदनों पर विचार करके अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साझा उपयोग पर विचार कर सकती है तथा यह अपनी सिफारिश पर विचार किए जाने के लिए इसे अनुमोदन बोर्ड को अग्रप्रेषित करेगी। ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृत करते समय इकाइयों के एनएफई के दायित्व में परिवर्तन नहीं होगा। ईएचटीपी/एसटीपी की इकाइयों को ऐसी सुविधाएं आईएमएससी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उपलब्ध कराई जाएंगी। तथापि ईओयू और एसईजेड की इकाइयों के बीच सुविधाओं के साझा उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.12 अन्तर इकाई हस्तांतरण

(क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई से अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/इकाई को विनिर्मित वस्तुओं के हस्तांतरण की लागू जीएसटी और/अथवा क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर अनुमति दी जाएगी तथा इसकी पूर्व सूचना वस्तुओं के आवागमन की निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी इकाइयों के संबंधित विकास आयुक्त और संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी को देनी होगी:

- इकाई आपूर्तिकर्ता सामान्य वाणिज्यिक दस्तावेजों जैसे कर बीजक और वितरण चालान, अन्य इकाई को आपूर्ति किए गए ऐसे तैयार माल (ऐसी वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले उप उत्पाद, अस्वीकृत माल, अपशिष्ट और स्क्रेप सहित) के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क की राशि पर प्राप्त की गई सीमा शुल्क में छूट की राशि संबंधी दस्तावेजों की पुष्टि करेगा। प्राप्तकर्ता इकाई ऐसी समर्थित सीमा शुल्क राशि का डीटीए में ऐसे तैयार माल की स्वीकृति से पूर्व ऊपर पैरा 6.07 में यथा प्रदत्त सीमा शुल्क के रिवर्सल के अपने दायित्व के अलावा और इस संबंध में राजस्व विभाग की अधिसूचनाएँ/परिपत्र/ दिशानिर्देश में यथा प्रदत्त राशि का भुगतान करेगा।

- (ii) वस्तुओं की प्राप्ति पर, प्राप्तकर्ता इकाई अपने क्षेत्राधिकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी को और आपूर्तिकर्ता इकाई के क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क प्राधिकारी को कर बीजक की पृष्ठांकित प्रतियां प्रस्तुत करेगा।
- (ख) लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना देकर पूंजीगत वस्तुओं को किसी अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एसईजेड इकाइयों को हस्तांतरित किया जा सकता है या ऋण पर दिया जा सकता है। ऐसी हस्तांतरित वस्तुओं को लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर दूसरी इकाई द्वारा मूल इकाई को वापस भी किया जा सकता है यदि मामला अस्वीकृति अथवा किसी अन्य कारण का हो।
- (ग) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी की एक इकाई द्वारा अन्य इकाई को आपूर्ति की गई वस्तुओं को दूसरी इकाई द्वारा डीटीए बिक्री पर शुल्क के भुगतान के लिए दूसरी इकाई के लिए आयातित वस्तु माना जाएगा।
- (घ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों का समूह जो केन्द्रीय रूप से निविष्टियों की प्राप्ति करते हैं ताकि भारी छूट प्राप्त की जाए तथा/अथवा यातायात तथा संभार तंत्र की लागत को कम किया जाए और/अथवा कुशल आपूर्ति श्रृंखला को कायम रखा जा सके को इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मामला दर मामला आधार पर माल और सेवाओं के अंतर इकाई हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकती है। यदि इस प्रकार प्राप्त निविष्टियों का आयात करने के बाद उन्हें किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित किया जाता है तो एनएफई की गणना के प्रयोजनार्थ इस प्रकार हस्तांतरित वस्तुओं के मूल्य को अंतर्वाह और इन वस्तुओं को प्राप्त करने वाली इकाई के लिए बहिर्वाह माना जाएगा।

6.13 उप-अनुबंध

- (क) (i) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों, जिनमें रत्न और आभूषण इकाइयां शामिल हैं, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की वार्षिक अनुमति के आधार पर जॉब वक्र के जरिये डीटीए को उत्पादन प्रक्रिया का उप-अनुबंध दे सकती हैं जिनमें डीटीए में इकाइयों द्वारा जॉब वक्र के जरिये वस्तुओं के रूप या स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है।
- (ii) ये इकाइयां सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से डीटीए में जॉब वक्र के उप ठेके के लिए मूल्य की शर्तों में पिछले वर्ष के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक ही उप ठेके पर दे सकती हैं।
- (ख) (i) ईओयू यूनिटों को डीटीए निर्यातक की ओर से निर्यात हेतु जॉब वक्र की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते माल को ईओयू इकाइयों से सीधे निर्यात किया जाए और निर्यात दस्तावेज डीटीए/ईओयू इकाई के नाम में संयुक्त रूप से तैयार किया जाए। ऐसे निर्यात हेतु शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर अदा किए गए शुल्क को वापस लेने के लिए डीटीए इकाइयां हकदार होगी। तथापि, शुल्क वापसी की यह ब्रांड दर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियमावली, 2017 के अनुसार होगी तथा सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की अनुसूची IV के तहत शामिल पात्र मदों के संबंध में) तक सीमित होगी।
- (ii) ऊपर पैरा 6.01 (घ) (ii) के तहत यथा प्रदत्त शुल्कों और/अथवा करों के भुगतान के साथ या इसके बगैर जॉब वक्र के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा ईओयू को दिए गए निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए वस्तुओं का आयात करने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि कोई डीटीए क्लीयरेंस न दी जाए।
- (iii) इकाई में रखे गये रिकार्ड के अनुसार अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड/बीटीपी एककों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के उप उपबंध की प्रक्रिया किसी सीमा के बिना शुरू की जा सकती है।
- (iv) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां विदेशों में उत्पादन प्रक्रिया के अंश का उप अनुबंध दे सकती हैं और एलओपी में यथा उल्लिखित मध्यवर्ती उत्पादों को विदेश भेज सकती हैं। विदेशी उप अनुबंध परिसर से वस्तुओं का निर्यात करते समय किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जब वस्तु को देश में वापस लाया जाएगा, संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना दी जायेगी।
- (ग) जॉब वक्र के कार्य स्थल में पैदा हुए स्क्रेप/अपव्यय/अवशेष को या तो जॉब वक्र के कार्य स्थल से लेन-देन मूल्य पर ऊपर पैरा 6.07 के तहत यथा प्रदत्त लागू शुल्क और/अथवा करों के भुगतान पर हटाया जा सकता है या सीमा शुल्क प्राधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जा सकता है या आपूर्तिकर्ता इकाई को वापस किया जा सकता है। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों को नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।
- (घ) रत्न और आभूषण ईओयू इकाइयों द्वारा अन्य ईओयू या एसईजेड या डीटीए में इकाइयों में उप अनुबंध/विनिमय प्रक्रिया पुस्तक में निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

6.14 अप्रयुक्त सामग्री और पूंजीगत वस्तुओं की बिक्री

(क) यदि कोई ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी की इकाई डीटीए से आयातित या खरीदे गए माल और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती है तो :

- (i) इन्हे अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एसईजेड/इकाइयों को हस्तांतरित कर सकती है; या
- (ii) सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करते हुए लागू शुल्कों तथा/अथवा करों और क्षतिपूर्ति कर का भुगतान करके डीटीए में निपटान किया गया। इसके अलावा आयात के समय सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य यदि कोई सीमा शुल्क छूट प्राप्त की गई हो वह भी देय होगी। यह बिक्री आयात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता जैसी लागू आयात शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी; अथवा

(iii) निर्यातित

(iv) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी से ऐसी अन्य इकाई को इस प्रकार के हस्तान्तरण को प्राप्त कर्ता इकाई के लिए आयात समझा जाएगा।

(ख) पूंजीगत माल और स्पेयर्स जो अप्रचलित हो गए/अतिरिक्त हैं उन्हें एसईजेड इकाई को हस्तांतरित किया जा सकता है अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को लागू जीएसटी या क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर हस्तांतरित किया जा सकता है अथवा लागू जीएसटी तथा क्षतिपूर्ति उपकर तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के भुगतान के बाद डीटीए में निपटान किया जा सकता है। डीटीए में निपटान के मामले में मूल्यहास का लाभ तभी उपलब्ध होगा जब इकाई ने स्वीकृत मूल्यहास को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक एनएफई हासिल किया हो। पूंजीगत माल कच्चा माल, उपभोग्य वस्तुएं, कलपुर्जे, विनिर्मित माल, संसाधित या पैकिंग किया गया और स्क्रेप/अपशिष्ट/अवशेष/रद्द माल को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करने के बाद इकाई के भीतर नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से इकाई के बाहर नष्ट करने पर जीएसटी कानून के तहत लागू करों को छोड़कर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों पर उपर्युक्त वर्णित नष्ट करना लागू नहीं होगा।

(ग) वस्त्र क्षेत्र के मामले में लागत बीमा भाड़ा मूल्य या आयात की मात्रा, जो भी कम हो, के 2 प्रतिशत तक बचे हुए माल/कपड़े का निपटान लेन देन मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमत होगा बशर्ते केन्द्रीय उत्पाद/सीमाशुल्क अधिकारी यह प्रमाणित करें कि यह बचा हुआ माल है।

(घ) इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी।

6.15 रिकडिंशनिंग/मरम्मत और री-इंजीनियरिंग

(क) ईओयू को रिकडिंशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और री-इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए यूएसी की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29 (क), (ख), (ग) और (घ) और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.07, 6.08, 6.09, 6.12, 6.13 के प्रावधान तथापि, ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे।

(ख) ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को रिकडिंशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और री-इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए आईएमएससी की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29(क), (ख), (ग) और (घ) और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.07, 6.08, 6.09, 6.12, 6.13 के प्रावधान तथापि, ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे।

6.16 आयातित/स्वदेशी वस्तुओं का प्रतिस्थापन/मरम्मत

(क) वस्तुओं के प्रतिस्थापन/मरम्मत के निर्यात/आयात से संबंधित विदेश व्यापार नीति के सामान्य प्रावधान ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों पर भी एक समान रूप से लागू होंगे। इन प्रावधानों के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) डीटीए में बेची गई और किन्हीं कारणों से स्वीकार न की गई वस्तुओं को संबंधित अधिकार क्षेत्र के सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचना देते हुए मरम्मत/बदलने के लिए वापस लाया जा सकता है।

(ग) आयात करने पर/स्वदेशी रूप से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके कोई हिस्से जो त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं, लौटाए और प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापित करने के मामले में वस्तुएं विदेशी आपूर्तिकर्ताओं अथवा भारत में उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं/स्वदेशी संभरकों से वापस लायी जा सकती है। इकाई विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारत में अधिकृत एजेंटों से मुफ्त प्रतिस्थापन (प्रदत्त शुल्क) ले सकती है बशर्ते कि खराब पुर्जों का पुनः निर्यात किया गया हो या नष्ट किया गया हो। तथापि कीमती और अर्द्धकीमती रत्नों और कीमती धातुओं पर विनिष्टीकरण लागू नहीं होगा।

6.17 स्कीम से बहिर्गमन

(क) डीसी/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी के नामित अधिकारी के अनुमोदन से, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई इस स्कीम को छोड़ सकती है। ऐसा बहिर्गमन लागू उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के भुगतान तथा लागू आईजीएसटी/सीजीएसटी/यूटीजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर, यदि कोई हो, का भुगतान करने पर और लागू औद्योगिक नीति के तहत होगा।

(ख) अगर इकाई ने इस दायित्व को पूरा नहीं किया है तो वह बहिर्गमन के समय दंड के लिए भी उत्तरदायी होगी।

(ग) रत्न व आभूषण इकाई के संचालन को बंद करने की स्थिति में, आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध सोने और अन्य कीमती धातुओं, मिश्र धातुओं, रत्नों और अन्य सामग्रियों को उस एजेंसी द्वारा निर्धारित मूल्य पर डीओसी द्वारा नामित एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।

(घ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई को डीटीए इकाइयों के लिए मौजूदा ईपीसीजी स्कीम के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर लागू शुल्कों तथा करों और प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान करके डीसी द्वारा किसी भी समय स्कीम को छोड़ने की अनुमति भी दी जा सकती है। यह ईओयू स्कीम के तहत सकारात्मक एनएफई मानदण्ड की पूर्ति, ईपीसीजी स्कीम के तहत पात्रता मानदण्ड और प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित मानक शर्तों के अधीन होगा।

(ङ) स्कीम से बाहर निकलने का प्रस्ताव करने वाली इकाई डीसी/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी के नामित अधिकारी और सीमा शुल्क अधिकारियों को लिखित रूप में सूचित करेगी। इकाई बाहर निकलने से उत्पन्न होने वाली शुल्क देयता का आकलन करेगी और सीमा शुल्क अधिकारियों को इस तरह के मूल्यांकन का विवरण प्रस्तुत करेगी। सीमा शुल्क प्राधिकरण प्राथमिकता के आधार पर शुल्क देनदारियों की पुष्टि करेंगे, बशर्ते कि इकाई ने स्वीकार्य मूल्यहास को ध्यान

में रखते हुए सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया हो। शुल्क के भुगतान तथा सभी बकाया राशि का भुगतान कर देने के पश्चात् इकाई सीमाशुल्क प्राधिकारियों से बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा। सीमाशुल्क द्वारा जारी बेबाकी प्रमाण-पत्र के आधार पर यूनिट अन्तिम रूप से निकासी के लिए विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को आवेदन करेगा। यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कोई मामला लंबित न होने पर डीसी/नामित अधिकारी 7 कार्य दिवसों के भीतर अन्तिम निकासी आदेश जारी कर देगा। सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाण-पत्र और विकास आयुक्त/नामित अधिकारी किए गए अन्तिम आदेश के बीच की अवधि के दौरान इकाई पूंजीगत माल अथवा निविष्टि को प्राप्त करने के लिए किसी छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगी। तथापि वे अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए/शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं। चूंकि गणना और देय राशि विवादग्रस्त है और उसमें लम्बा समय लगेगा तो निकास प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए बैंक गारंटी/बाण्ड/बीजी द्वारा किस्त प्रक्रिया उपलब्ध करवाई जाएगी।

- (च) जिन मामलों में इकाई लागू आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् विदेश से या उत्पाद शुल्क/जीएसटी का भुगतान करने के पश्चात् घरेलू बाजार से मशीनें खरीद कर प्रारम्भ में डीटीए इकाई के रूप में स्थापित होती हैं, और जिसे बाद में ईओयू में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे मामलों में निकासी के पश्चात् डीटीए में ऐसी पूंजीगत वस्तुएं ले जाने के लिए किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार जहां ईपीसीजी स्कीम के तहत डीटीए इकाई ने पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है और ईपीसीजी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूर्णतः पूरा करने के पश्चात् ईओयू में परिवर्तित होती हैं, इकाई से डीटीए तक ऐसी पूंजीगत वस्तुओं को निकासी के समय ले जाते समय पूंजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क नहीं लिया जाएगा।
- (छ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई को अग्रिम प्राधिकार-पत्र के तहत एक बार के विकल्प के रूप में निकास के लिए डीसी द्वारा अनुमति दी जा सकती है। यह सकारात्मक एनएफई मानदण्ड की पूर्ति के अधीन होगा।
- (ज) कच्चे माल, पूंजीगत माल इत्यादि की अधिप्राप्ति के संबंध में कोई शुल्क लाभ न लेने वाली एसटीपी/ईएचटीपी इकाई का अनुबंध तोड़ने/बाहर करने के लिए त्वरित (फास्ट ट्रेक) सुविधा देने हेतु एक सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान की जा सकती है।

6.18 परिवर्तन

- (क) मौजूदा डीटीए इकाइयां किसी ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई में परिवर्तन के लिए आवेदन भी कर सकती हैं।
- (ख) विद्यमान ईएचटीपी/एसटीपी इकाइयां, ईओयू इकाई में परिवर्तन/समाहित होने अथवा विलोमतः के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में इकाइयां यथा लागू ड्यूटी एवं टैक्स छूट का लाभ उठा सकती हैं।
- (ग) वर्तमान डीटीए इकाइयां जिनके संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक का निवेश किया गया हो अथवा जो 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक राशि का वार्षिक निर्यात करती हों के ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई में परिवर्तित करने हेतु आवेदनों को निर्णय लेने हेतु अनुमोदन बोर्ड (बीओए) के समक्ष रखा जाएगा।

6.19 एनएफई की निगरानी

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों के कार्य निष्पादन की निगरानी प्रक्रिया पुस्तक में दिशा निर्देशों के अनुसार इकाई अनुमोदन समिति द्वारा की जाएगी।

6.20 प्रदर्शनियों/निर्यात प्रोत्साहन यात्राओं/विदेश में शो-रूमों/शुल्क मुक्त दुकानों के जरिये निर्यात

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को निम्नलिखित की अनुमति है:

- डीसी/नामित अधिकारी की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनी करने/उनमें शामिल होने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना।
- स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम जेबरात, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर, माणिक व अन्य वस्तुओं को व्यक्तिगत रूप से लाना/ले जाना।
- विदेशों में स्थापित अनुमोदित दुकानों में प्रदर्शन/बिक्री हेतु वस्तुओं का निर्यात करना।
- विदेशों में स्थापित अनुमोदित दुकानों में या उनके वितरकों/एजेंटों के शो रूम में प्रदर्शन/विक्रय।
- अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शोरूम/खुदरा दुकानों की स्थापना करना।

6.21 आयात/निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से लाना ले जाना जिसमें विदेश जाने वाले यात्रियों के जरिए सामान ले जाना शामिल है

रत्न और आभूषणों का आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से सीमा शुल्क प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनलों द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। रत्न और आभूषण इकाइयों के अलावा इकाइयों के लिए आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वस्तुएं वाणिज्यिक मात्रा में न हों। भारतीय रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार रत्न एवं आभूषण ईओयू का प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत दुलाई के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 किग्रा. तक प्रारंभिक रूप में सोने का आयात कर सकता है।

6.22 डाक/कूरियर द्वारा निर्यात/आयात

निःशुल्क नमूनों सहित माल का सीमा शुल्क प्रक्रिया के अधीन हवाई जहाज या विदेशी डाक खाने या कूरियर द्वारा निर्यात/आयात किया जा सकता है।

6.23 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों का प्रशासन और डीसी/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड के नामित अधिकारी की शक्तियाँ ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों के प्रशासन और डीसी/नामित अधिकारी की शक्तियों का विवरण एचबीपी में दिया गया है।

अध्याय 7

मान्य निर्यात

7.00 उद्देश्य

जैसा की सरकार द्वारा समय-समय पर तय किया जाए कुछ विशिष्ट मामलों में घरेलू विनिर्माताओं को स्पर्द्धा के समान अवसर प्रदान करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना।

7.01 मान्य निर्यात

- (i) इस एफटीपी के प्रयोजन के लिए 'मान्य निर्यात' उन लेनदेन को संदर्भित करता है जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुएं निर्यात नहीं की जाती हैं और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान भारतीय रुपये या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। नीचे दिए गए पैराग्राफ 7.02 में निर्दिष्ट माल की आपूर्ति को 'मान्य निर्यात' माना जाएगा बशर्ते कि सामान भारत में निर्मित हो।
- (ii) जीएसटी के प्रयोजन हेतु 'मान्य निर्यात' में जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर "मान्य निर्यात" में सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 147 के तहत अधिसूचित आपूर्ति शामिल होगी। जीएसटी परिषद द्वारा और संबंधित नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार जीएसटी के लाभ तथा ऐसे लाभों के लिए लागू शर्तें निर्दिष्ट होंगी।

7.02 आपूर्ति की श्रेणियाँ

एक विनिर्माता द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों (क) से (ग) और मुख्य/उप-ठेकेदार द्वारा श्रेणियों (घ) से (छ) के तहत माल की आपूर्ति को 'मान्य निर्यात' माना जाएगा:

क — विनिर्माता द्वारा आपूर्ति:

- (क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन माल की आपूर्ति/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए।
- (ख) ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी/बीटीपी को वस्तुओं की आपूर्ति।
- (ग) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के अधीन पूंजीगत माल की आपूर्ति।

ख — मुख्य/उप-ठेकेदार (रों) द्वारा आपूर्ति:

- (घ) (i) आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति जहाँ पर विधिक समझौते सीमाशुल्क को शामिल किए बगैर निविदा मूल्यांकन का प्रावधान करते हैं।
- (ii) आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल और उपकरणों (टर्नकी संविदाओं के लिए एकल उत्तरदायित्व) की आपूर्ति और संस्थापन जिनके लिए बोलियाँ आमंत्रित की गई हों और विदेशों में विनिर्मित माल के लिए सुपुर्दगी पर चुकाया गया शुल्क (डीडीपी) के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।
- (iii) इस पैराग्राफ में शामिल आपूर्तियाँ उन एजेंसियों/निधियों की प्रक्रिया के अनुसरण में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) के तहत होंगी।

(iv) मान्य निर्यात लाभ के लिए इस पैराग्राफ के तहत शामिल एजेंसियों की सूची परिशिष्ट 7क में दी गई है।

(ड) (i) किसी परियोजना अथवा किसी प्रयोजन के लिए माल की आपूर्ति जिसके लिए समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 30.6.2017 की अधिसूचना सं० 50/2017-सीमाशुल्क द्वारा वित्त मंत्रालय इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति प्रदान करता है। मान्य निर्यात के लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे जब आईसीबी की प्रक्रिया के तहत आपूर्ति की जाती है।

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 50/2017-कस्टम दिनांक 30.06.2017 की सूची 31 में क्रम सं० 598 पर यथाविनिर्दिष्ट किसी मेगा विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक माल की आपूर्ति इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन मान्य निर्यात लाभ की पात्र होंगी बशर्ते कि ऐसी मेगा विद्युत परियोजना उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड उत्पादन क्षमता के अनुरूप हो।

(iii) यदि विद्युत की अपेक्षित मात्रा को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से सम्बद्ध किया गया हो अथवा यदि परियोजना प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा दी गयी हो तो मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए आईसीबी शर्त अनिवार्य नहीं होगी।

(च) संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति अधिनियम) 1947 की धारा 3 के अनुपालन में संयुक्त राष्ट्र को या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को उनके सरकारी उपयोग के लिए माल की आपूर्ति अथवा उक्त संयुक्त राष्ट्र या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को की गई आपूर्ति। ऐसे संगठन और ऐसी आपूर्तियों के लिए लागू शर्तों की सूची समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 11.11.1997 की सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना सं० 84/97-कस्टम में दी गई है। इस पैराग्राफ के तहत शामिल एजेंसियों की एक सूची परिशिष्ट-7ख में दी गई है।

(छ) परमाणु विद्युत परियोजनाओं को प्रदत्त माल की आपूर्ति:

(i) समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 30.06.2017 की सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना सं० 50/2017-कस्टम की सूची 32 की क्रम सं. 602 में यथा विनिर्दिष्ट तथा उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन किसी भी परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए इस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है।

(ii) परियोजना की क्षमता 440 मेगावॉट या उससे अधिक होनी चाहिए।

(iii) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र आवश्यक है जो परमाणु उर्जा विभाग में भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(iv) निविदा राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (एनसीबी) या आईसीबी के द्वारा आमंत्रित की जाती है।

7.03 मान्य निर्यात के लिए लाभ

मान्य निर्यात एचबीपी और एएनएफ-7क में दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन मान्य निर्यात के रूप में योग्य पाए जाने पर माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी भी/सभी लाभों के लिए पात्र होंगे:

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए।

(ख) मान्य निर्यात ड्राबैक

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की अनुसूची-4 में उल्लिखित उत्पाद कर योग्य वस्तुओं हेतु अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी बशर्ते आपूर्ति मान्य निर्यात की श्रेणी के अंतर्गत पात्र हो और इसमें कोई छूट प्राप्त न हो।

7.04 आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के लाभ

पैरा 7.02 के अनुसार आपूर्तियों की श्रेणियाँ	उपर्युक्त पैरा 7.03 में यथा प्रदत्त आपूर्ति पर लाभ, जो भी लागू हो		
	पैरा 7.03(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र	पैरा 7.03(ख) शुल्क वापसी	पैरा 7.03(ग) अंतिम उत्पाद शुल्क
(क)	हाँ (अमान्यकरण पत्र के अधीन अंतरवर्ती आपूर्तियों के लिए)	हाँ (एआरओ के मद्दे)	हाँ

पैरा 7.02 के अनुसार आपूर्तियों की श्रेणियाँ	उपर्युक्त पैरा 7.03 में यथा प्रदत्त आपूर्ति पर लाभ, जो भी लागू हो		
(ख)	हाँ	हाँ	हाँ
(ग)	हाँ	हाँ	लागू नहीं
(घ)	हाँ	हाँ	लागू नहीं
(ङ.)	हाँ	हाँ	लागू नहीं
(च)	हाँ	हाँ	लागू नहीं
(छ)	हाँ	हाँ	लागू नहीं

7.05 अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए शर्त

माल की आपूर्ति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 (ग) के अनुसार अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि माल के प्राप्तकर्ता ने ऐसे माल पर सेनवैट क्रेडिट/छूट प्राप्त न की हो।

7.06 मान्य निर्यात की भुलक वापसी के लिए शर्तें

आपूर्तियाँ विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 (ख) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी जो इस प्रकार हैं:

उक्त श्रेणी के अंतर्गत विनिर्माण और आपूर्ति में प्रयुक्त निविष्टियों पर प्रतिदाय की वापसी का दावा राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ड्यूटी ड्राबैक अनुसूची के 'समस्त औद्योगिक दर' पर किया जा सकता है बशर्ते मूल सीमा शुल्क के वास्तविक भुगतान का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 'ब्रांड दर आधार' या उत्पाद शुल्क योग्य इनपुट पर माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा कोई सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया गया हो।

7.07 मान्य निर्यात लाभों के लिए सामान्य शर्तें

- (i) पैरा 7.02 में सूचीबद्ध कम्पनियों को आपूर्ति सीधे की जाएगी। तृतीय पक्षकार द्वारा आपूर्ति लाभ/छूट हेतु पात्र नहीं होगी।
- (ii) सभी मामलों में, आपूर्ति सीधी नामित परियोजनाओं/एजेंसियों/इकाइयों/ अग्रिम प्राधिकार पत्र/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को की जाएगी। उप संविदाकार, तथापि, नामित परियोजना/एजेंसियों के बजाए मुख्य संविदाकार को सीधे आपूर्ति कर सकता है। ऐसे मामलों में भुगतान मुख्य संविदाकार द्वारा उप संविदाकार को किया जाएगा न कि परियोजना प्राधिकारी द्वारा।
- (iii) किसी भारतीय उप संविदाकार द्वारा किसी भारतीय अथवा विदेशी मुख्य संविदाकार को नामित परियोजनाओं/एजेंसियों की साइट के लिए स्वदेशी विनिर्मित माल की आपूर्ति मान्य निर्यात लाभ के लिए भी पात्र होगी बशर्ते उप संविदाकार का नाम मुख्य संविदा में या तो मूल रूप से अथवा बाद में (परन्तु ऐसे माल की आपूर्ति की तारीख के पहले) दर्शाया गया हो। ऐसे मामलों में भुगतान परियोजना प्राधिकारी द्वारा सीधे उप-संविदाकार को किया जाएगा।
- (iv) इस्पात विनिर्माता जो अपने सेवा केन्द्रों/वितरकों/विक्रेताओं/स्टॉक यार्डों के माध्यम से पैरा 7.02(क) के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु आपूर्ति करते हैं, वे शुल्क वापसी का दावा करने के लिए पात्र होंगे बशर्ते ऐसी आपूर्ति समय-समय पर यथा संशोधित इस्पात मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. एस-21016/3/2020-ट्रेड टैक्स-पार्ट(1) दिनांक 27.05.2020 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.06.2020 के अनुसार की जाए। हालांकि, ऐसी आपूर्तियाँ हेतु विनिर्माता द्वारा बीजक अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारक पर बनाया जाएगा। ऐसी आपूर्तियों का वितरण उनके सेवा केन्द्रों/वितरकों/विक्रेताओं/ स्टॉक यार्डों के माध्यम से किया जा सकता है, जो इसके बदले में इस्पात विनिर्माताओं पर कर बीजक तैयार करेंगे जिस पर ऐसी आपूर्ति का प्रति संदर्भ अंकित हो।

7.08 विनिर्दिष्ट आपूर्तियों पर लाभ

- (i) मान्य निर्यात लाभ केवल पैरा 7.02(घ) के तहत 'सीमेंट' की आपूर्ति के लिए उपलब्ध होगा।

(ii) मान्य निर्यात लाभ 'इस्पात' की आपूर्ति के संबंध में उपलब्ध होगा;

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए धारक/ईओयू को निविष्टियों के रूप में।

(ख) उप-पैरा 7.02(घ) के अनुसार बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधि पोषित एजेंसियों को।

(iii) 'ईधन' की (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की अनुसूची 4 के अंतर्गत शामिल पात्र ईधन मदों के मामले में) आपूर्ति करने पर मान्य निर्यात लाभ उपलब्ध होगा बशर्ते आपूर्ति निम्नलिखित को की जाए:

(क) ईओयू

(ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/वार्षिक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक।

7.09 ब्याज की देयता

अपूर्ण/अधूरे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि, स्कीम के अंतर्गत शुल्क वापसी तथा अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी में देरी होने पर 6 प्रतिशत की दर से वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा बशर्ते क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन पत्र जारी किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे का निपटान नहीं किया गया हो।

7.10 जोखिम प्रबंधन और आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र

(क) एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरू की जाएगी जिसमें डीजीएफटी मुख्यालय में प्रत्येक माह कम्प्यूटर सिस्टम यादृच्छिक आधार पर प्रत्येक क्षेत्रीय प्राधिकारी के लिए 10 मामलों का चयन करेगा जहाँ पर इस अध्याय के लिए लाभ पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। संबंधित मण्डलीय अपर महानिदेशक के कार्यालय में संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार की अध्यक्षता में एक आन्तरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा ऐसे मामलों की जाँच की जाएगी। टीम न केवल अपने कार्यालय के ऑडिट दावों के लिए उत्तरदायी होगी अपितु मण्डल के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों के दावों के लिए भी उत्तरदायी होगी।

(ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी भी किसी मामले की आंतरिक लेखा परीक्षा/बाह्य लेखा परीक्षा अभिकरण/अभिकरणों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अथवा अपनी ओर से स्वयं पुनः आकलन कर सकता है, जिसमें कोई दोषपूर्ण/अपात्र भुगतान किया गया हो/दावा किया गया हो। क्षेत्रीय प्राधिकारी वसूली योग्य राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाई करेगा।

7.11 दण्डनीय कार्यवाई

यदि दावे को तथ्यों की गलत घोषणा/गलत बयानी के साथ दायर किया गया है तो ऊपर पैरा 7.10(ख) के तहत वसूली किए जाने के अतिरिक्त आवेदक पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों और इसके नियमों और आदेशों के तहत दण्डनीय कार्यवाई की जा सकती है।

अध्याय 8

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद

8.00 उद्देश्य

निर्यातकों को निर्यात के संवर्धन हेतु विदेश में देश की अच्छी छवि प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। विदेशी खरीदारों के साथ स्थायी संबंध बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तथा जब भी कोई शिकायत अथवा व्यापार संबंधी विवाद उत्पन्न होता है तो सौहार्द्रपूर्ण तरीके से यथाशीघ्र उसका निपटारा किया जाना होता है। आयातकों को भी शिकायतें हो सकती हैं।

ऐसी शिकायतों या व्यापार संबंधी विवादों के निपटान हेतु प्रयास के रूप में और देश के व्यापारिक माहौल में विश्वास उत्पन्न करने के लिए एक व्यवस्था तैयार की जा रही है जिससे ऐसी शिकायतों और विवादों का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सके।

दो या दो से अधिक भारतीय कंपनियों के बीच शिकायतें/विवाद इस तंत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसी तरह, दो या दो से अधिक विदेशी कंपनियों के बीच शिकायतें/विवाद इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।

8.01 गुणवत्ता संबंधी शिकायतें/व्यापार संबंधी विवाद

निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों पर विचार किया जा सकता है:

(क) भारत के निर्यातकों द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता के संबंध में विदेशी खरीदारों से प्राप्त शिकायतें;

(ख) आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता के संबंध में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध आयातकों की शिकायतें; तथा

(ग) अनैतिक वाणिज्यिक सौदे संबंधी ऐसी शिकायतें जिन्हें मुख्यतः इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया गया है, जैसे आर्डर की पुष्टि के पश्चात वस्तुओं/सेवाओं/प्रौद्योगिकी की आपूर्ति न किया जाना/आंशिक आपूर्ति, जिन वस्तुओं/सेवाओं/प्रौद्योगिकी पर सहमति हुई है, उससे भिन्न की आपूर्ति, भुगतान न किया जाना, सुदुर्दगी अनुसूचियों का पालन न किया जाना आदि।

8.02 आयातक/निर्यातक का दायित्व

(क) विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली 1993 के नियम 11 में अपेक्षित है कि किसी वस्तु या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के किसी सीमाशुल्क पत्तन में आयात होने अथवा वहां से निर्यात होने पर चाहे वह शुल्क के लिए उत्तरदायी हो अथवा नहीं, इस माल का मालिक प्रविष्टि बिल अथवा शिपिंग बिल अथवा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज पर वस्तुओं या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का मूल्य, मात्रा और विवरण अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर प्रस्तुत करेगा तथा माल के निर्यात की स्थिति में यह प्रमाणित करेगा कि वस्तुओं या सेवाओं या प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता और विनिर्देश जैसा कि दस्तावेजों में वर्णित है, खरीदार अथवा प्राप्तकर्ता के साथ की गई निर्यात संविदा की शर्तों के अनुसार है तथा उसके अनुसरण में वस्तुओं या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का निर्यात किया जा रहा है तथा इस कथन की सच्चाई की घोषणा प्रविष्टि बिल अथवा शिपिंग बिल अथवा किसी अन्य दस्तावेज में करेगा। इस उपबंध का उल्लंघन होने पर निर्यातक दंडात्मक कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होगा।

(ख) कतिपय निर्यात वस्तुओं को उनके निर्यात से पूर्व अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं लदान—पूर्व निरीक्षण हेतु अधिसूचित किया गया है। 1984 में यथासंशोधित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963 के तहत ऐसे निर्यातक जो इन मानकों तथा/अथवा अधिनियम के इन उत्पादों के लिए यथा निर्धारित उपबंधों का पालन नहीं करते हैं, के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

8.03 चूककर्ता निर्यातकों/आयातकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 यथासंशोधित और विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली 1993 यथासंशोधित में प्रावधान

यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 1993 के तहत चूककर्ता निर्यातकों/आयातकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है जो निम्नानुसार है:

(क) अधिनियम की धारा 8 में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उसमें दिए गए कारणों के लिए आयातक निर्यातक कोड संख्या को रोकने या रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ख) अधिनियम की धारा 9(2) में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अधिनियम के तहत दिए गए वित्तीय या आर्थिक लाभ देने वाले लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य दस्तावेज देने या नवीकरण करने से मना करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ग) अधिनियम की धारा 9(4) में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अधिनियम के तहत दिए गए आर्थिक या वित्तीय लाभ प्रदान करने वाले किसी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य दस्तावेज को रोकने या रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(घ) अधिनियम की धारा 11(2) में उन मामलों के वित्तीय दंड लगाने का प्रावधान है जिनमें कोई व्यक्ति अधिनियम, नियमावली या उसके अन्तर्गत दिए गए आदेश अथवा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयात या निर्यात करता है या उसको बढ़ावा देता है या ऐसा करने का प्रयास करता है।

8.04 शिकायतों/विवादों के निपटान हेतु तंत्र**(क) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति (सीक्यूसीटीडी)**

शिकायतों और विवादों की बढ़ रही संख्या का प्रभावी रूप से निपटारा करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 'गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति' (सीक्यूसीटीडी) का गठन किया जाएगा। आरए के नाम जहां सीक्यूसीटीडी का गठन किया गया है और सीक्यूसीटीडी का अधिकार क्षेत्र प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 8 में दिया गया है।

(ख) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति का गठन

कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति (सीक्यूसीटीडी) का गठन किया जाएगा। सीक्यूसीटीडी का गठन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 8 में दिया गया है।

(ग) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति के कार्य

यह समिति (सीक्यूसीटीडी) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आने वाली गुणवत्ता संबंधी शिकायतों तथा व्यापार संबंधी अन्य शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के लिए उत्तरदायी होगी। यह समिति शिकायत मिलने के अधिमानतः तीन महीने के भीतर आयातकों, निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं/विक्रेताओं की शिकायतों का निपटारा और समाधान करने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करेगी। आवश्यकता पड़ने पर समिति (सीक्यूसीटीडी) इन विवादों के निपटारे के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों/एफआईआईओ/कमोडिटी बोर्ड या किसी अन्य एजेंसी जिसे उचित समझा जाए की सहायता ले सकती है।

सीक्यूसीटीडी नियमित अंतराल पर अपनी बैठकें आयोजित करेगा और शिकायतों/विवादों के लंबित होने पर एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करेगा।

8.05 सीक्यूसीटीडी के तहत कार्यवाही

गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति की कार्यवाही केवल समाधान स्वरूप की है और पीड़ित पक्ष चाहे विदेशी क्रेता हो या भारतीय आयातक हो, अन्य चूककर्ता पक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

8.06 शिकायतों और व्यापार विवादों से निपटने की प्रक्रिया

ऐसी शिकायतों या व्यापार विवादों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा ऐसी गुणवत्ता शिकायतों और विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक में दी गई है।

8.07 सुधारात्मक उपाय

(क) क्षेत्रीय प्राधिकारी स्तर की समिति यह मूल्यांकन करने के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसी या किसी तकनीकी प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकती है कि मानकों, विनिर्माण/डिजाइन कमियों आदि जिसके लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं, को पूरा नहीं करने में कोई तकनीकी असफलता रही है या नहीं।

(ख) प्रारंभ में शिकायत/विवाद से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटने का प्रयास किया जाएगा। यदि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जाता है, तो यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और यथासंशोधित विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 के अनुसार दोषी भारतीय इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में संबंधित 'विदेश व्यापार प्रभाग' द्वारा विदेशी संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को निपटाने के लिए लिया जाएगा। विदेश में भारतीय मिशन विदेशी संस्थाओं के खिलाफ संबंधित अधिकारियों के साथ शिकायतों को उठाएंगे।

(घ) यदि विदेश में भारतीय मिशन किसी विदेशी संस्था की दुर्भावना के बारे में निश्चित हैं, तो वे ईपीसी/कमोडिटी बोर्ड और ईसीजीसी और अन्य नियामक प्राधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए ऐसी जानकारी डीजीएफटी को भेजेंगे।

8.08 मामला अधिकारी

नामित क्षेत्रीय प्राधिकारी कार्यालयों में समयबद्ध तरीके से शिकायतों और विवादों को निपटाने के लिए निगरानी के उद्देश्यों से एक मामला अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा।

8.09 नोडल अधिकारी

महानिदेशक, विदेश व्यापार, व्यापार विवादों की निगरानी और डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों, वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार प्रभाग, भारतीय मिशनों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करने हेतु मुख्यालय में कम-से-कम संयुक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी को नियुक्त करेंगे।

अध्याय — 9**डिजिटल अर्थव्यवस्था में सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना****9.00 उद्देश्य**

इस अध्याय का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत से वस्तुओं और सेवाओं के सीमा पार व्यापार के लिए ढांचा प्रदान करना और भारत से निर्यात के ई-कॉमर्स और अन्य उभरते माध्यमों को बढ़ावा देना है।

9.01 वस्तुओं का ई-कॉमर्स निर्यात

वस्तुओं का निर्यात जहां बिक्री इंटरनेट के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होती है, जिसके लिए भुगतान इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिटकार्ड या समय-समय पर आरबीआई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के माध्यम से किया जाएगा।

9.02 सेवाओं का ई-कॉमर्स निर्यात

सेवाओं का निर्यात जहां बिक्री इंटरनेट के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होती है, जिसके लिए भुगतान इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिटकार्ड या समय-समय पर आरबीआई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के माध्यम से किया जाएगा।

9.03 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेब पोर्टल सहित एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट के माध्यम से क्रय और विक्रय की वाणिज्यिक प्रक्रिया को सक्षम बनाता है।

9.04 ई-कॉमर्स निर्यात लॉजिस्टिक प्रदाता

कोई भी सेवा प्रदाता से जो ई-कॉमर्स निर्यात के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात हेतु लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करता है।

9.05 कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से निर्यात

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार पंजीकृत कूरियर सेवा/विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात की अनुमति है। तथापि, ऐसी मदों की निर्यात योग्यता यथा अधिसूचित एफटीपी/आईटीसी एचएस में निर्यात नीति के अनुसार विनियमित की जाएगी। कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात हेतु मूल्य सीमा प्रति खेप 10,00,000 रुपये होगी।

9.06 कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से आयात

- (i) पंजीकृत कूरियर सेवा या डाक के माध्यम से आयात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी अधिसूचना (ओं) के अनुसार अनुमत है। तथापि, ऐसी मदों की आयात योग्यता यथा अधिसूचित एफटीपी और आईटीसी (एचएस) आधारित आयात नीति के अनुसार विनियमित होगी।
- (ii) ई-कॉमर्स के माध्यम से कीमती धातु के आभूषण का कूरियर माध्यम से निर्यात और क्रेता द्वारा लौटाए गए ऐसे निर्यात शिपमेंट का पुनः आयात सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत जारी अधिसूचनाओं और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमत होगा।

क. ई-कॉमर्स निर्यात का संवर्द्धन**9.07 ई-कॉमर्स निर्यात का संवर्द्धन करने के लिए हैंडहोल्डिंग और आऊटरीच**

- i. नीति के अध्याय 1 के तहत यथा परिभाषित निर्यात बंधु स्कीम (एनबीएस) में निर्यात के ई-कॉमर्स और अन्य उभरते चैनलों के संवर्द्धन के लिए एक घटक होगा। एनबीएस के उक्त घटक के तहत, डीजीएफटी ई-कॉमर्स निर्यात के संवर्द्धन के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों, डाक विभाग, 'उद्योग भागीदारों' और 'ज्ञान साझेदारों' की साझेदारी से आऊटरीच कार्यकलाप/कार्यशालाएं आयोजित करेगा। आऊटरीच कार्यकलापों/कार्यशालाओं के अतिरिक्त, विशेष ध्यान इलेक्ट्रॉनिक विषय वस्तु के सृजन पर भी हो सकता है।
- ii. ई-कॉमर्स संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं पर जागरूकता बढ़ाने के अलावा, सीमाशुल्क प्राधिकारियों, डाक विभाग, 'उद्योग भागीदारों' या 'ज्ञान साझेदारों' की साझेदारी से ई-कॉमर्स निर्यात के संवर्द्धन के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए उक्त एनबीएस घटक के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

ख. ई-कामर्स निर्यात हब (ईसीईएच)

9.08 ई-कामर्स निर्यात हब का उद्देश्य

इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स निर्यात हब (जिसे इसके पश्चात् "ईसीईएच" कहा जाएगा) के रूप में नामित क्षेत्र स्थापित करना है, जो सीमा पार वाणिज्य कार्यकलापों के लिए अनुकूल व्यवसाय अवसररचना और सुविधाओं के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

9.09 ईसीईएच का सृजन

- (i) ईसीईएच सामान्यतः निजी पहल के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इसे राज्य सरकारों/केन्द्र सरकारों की साझेदारी से सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) तरीके से भी स्थापित किया जा सकता है। प्रस्तावित ईसीईएच के अनुमोदन के लिए अधिसूचित समिति को अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा जिसका गठन डीजीएफटी करेगा।
- (ii) अपेक्षित अवसररचना के साथ मौजूदा सुविधा भी लागू हो सकती है जिसे ईसीईएच के रूप में नामित किया जाएगा।

9.10 ईसीईएच प्रचालनों का स्वरूप

- (i) ईसीईएच इकाई ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए समूह (अग्लामरेशन) लाभों को हासिल करने के लिए कार्य करेगी। ईसीईएच भंडारण (कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं सहित), पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रमाणन और परीक्षण और निर्यात के प्रयोजन के अन्य सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकता है।
- (ii) ईसीईएच निकटतम लॉजिस्टिक हब (हबों) की सेवाओं से जुड़ने और उसका लाभ प्रदान करने के लिए विशिष्ट लॉजिस्टिक्स अवसररचना भी प्रदान करेंगे।
- (iii) स्कोमेट और प्रतिबंधित माल (विनियमों और शर्तों के उपयुक्त अनुपालन के अधीन) सहित सभी माल, और ऐसे माल को छोड़कर, जो निषिद्ध या अन्यथा अननुमत हैं, का निपटान ईसीईएच में किया जा सकता है।
- (iv) ईसीईएच में लाए गए पूंजीगत माल का उपयोग विद्यमान नियमों के अनुसार यथा लागू शुल्कों और करों के भुगतान पर ऊपर (i) में यथा उल्लिखित कार्याकलापों के लिए ही किया जाएगा।

9.11 ईसीईएच के तहत पात्रता

ईसीईएच इकाई को ई-कॉमर्स माल की ईमेजिंग, सूची बनाने, उत्पाद का वीडियो बनाने जैसी विपणन, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकीय सेवाओं के लिए ई-कॉमर्स निर्यात संवर्द्धन परियोजनाओं के लिए एमएआई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

ग. डाक रूट के माध्यम से ई-कामर्स का संवर्द्धन

9.12 डाक निर्यात केन्द्र

डाकघर निर्यात केन्द्रों को विदेशी डाकघरों (एफपीओ) के साथ हब और स्पोक मॉडल में कार्य करने के लिए देशभर में प्रचालित किया जाएगा ताकि सीमा पार ई-कामर्स की सुविधा प्रदान की जा सके और भीतरी प्रदेशों और भू आबद्ध क्षेत्रों में कारीगरों, बुनकरों, शिल्पियों, एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में समर्थ बनाया जा सके।

अध्याय 10

स्कोमेट: विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी

10.00 उद्देश्य

सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित दोहरे उपयोग की वस्तुओं, युद्ध सामग्री और परमाणु संबंधित वस्तुओं जैसे स्कोमेट के निर्यात को नियंत्रित करने वाले सामान्य प्रावधानों पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

10.01 संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता का एक हस्ताक्षरकर्ता है जैसे रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) और जैविक और विषाक्त हथियार समझौता (बीडब्ल्यूसी)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1540 सभी देशों को नोन-स्टेट एक्टर्स (विशेष रूप से आतंकवादी उद्देश्यों के लिए) के लिए हथियारों और सामूहिक विनाश और उनके वितरण प्रणालियों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए बाध्य करता है और सामूहिक विनाश के हथियारों उनकी डिलीवरी प्रणाली और संबंधित सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी पर उपाय और नियंत्रण विहित करता है। भारत प्रमुख बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं अर्थात् मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), वासेनार समझौता (डब्ल्यूए) और ऑस्ट्रेलिया समूह (एजी) का भी सदस्य है और अपने दिशानिर्देशों और नियंत्रण सूचियों को परमाणु आपूर्ति समूह (एनएसजी) के साथ साझा करता है। इन अंतर्राष्ट्रीय समझौता और दायित्वों के साथ-साथ बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के दिशानिर्देशों और नियंत्रण सूचियों के अनुरूप भारत ने दोहरे उपयोग की वस्तुओं, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित परमाणु संबंधित वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया है।

निर्दिष्ट वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण के संबंध में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 21) निर्दिष्ट वस्तुओं, प्रौद्योगिकी या सेवाओं में निर्यात, स्थानान्तरण, पुनः स्थानान्तरण, पारगमन में लाए गए ट्रांस-शिपमेंट और दलाली पर लागू होगा। इन प्रावधानों को 2010 में यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अध्याय IV क में शामिल किया गया है।

10.02 स्कोमेट सूची

सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकियों सहित दोहरे उपयोग की मदों के निर्यात जिनमें नागरिक उपयोग/औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ-साथ सामूहिक विनाश के हथियारों दोनों की क्षमता है को विनियमित किया जाता है। यह या तो निषिद्ध है या इसे किसी प्राधिकार पत्र के तहत अनुमति दी जाती है जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

स्कोमेट विशेष रसायन, जीव, सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त नाम है। तदनुसार, स्कोमेट सूची हमारी राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है जिसमें सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित हथियारों और परमाणु संबंधित दोहरे उपयोग की वस्तुएं हैं और सभी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और समझौतों की नियंत्रण सूचियों के अनुरूप है। निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 के तहत स्कोमेट सूची को अधिसूचित किया गया है जो डीजीएफटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

10.03 स्कोमेट श्रेणियों का वर्गीकरण और लाइसेंसिंग क्षेत्राधिकार

स्कोमेट सूची को श्रेणी 0 से श्रेणी 8 तक की 09 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हालांकि, श्रेणी 7 वर्तमान में 'आरक्षित' है और इसमें मदें नहीं रखी गयी हैं। स्कोमेट सूची के तहत विभिन्न श्रेणियों का व्यापक वर्गीकरण और उनके क्षेत्राधिकार प्राप्त लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका: स्कोमेट श्रेणियां और लाइसेंसिंग क्षेत्राधिकार

स्कोमेट श्रेणी	स्कोमेट मदें	लाइसेंसिंग प्राधिकारी क्षेत्राधिकार	टिप्पणी
0	परमाणु सामग्री, परमाणु संबंधित अन्य सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी	परमाणु उर्जा विभाग (डीएई)	स्कोमेट सूची के सीआईएन की टिप्पणी 2 में उल्लिखित मदों सहित
1	विषाक्त रासायनिक एजेंट और अन्य रसायन	विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)	
2	सूक्ष्म जीव, विषैले तत्व	डीजीएफटी	

3	सामग्री, सामग्री प्रसंस्करण उपकरण और संबंधित प्रौद्योगिकियां	डीजीएफटी	
4	परमाणु संबंधी अन्य उपकरण और प्रौद्योगिकी, श्रेणी '0' के तहत नियंत्रित नहीं है	डीजीएफटी	
5	एयरोस्पेस सिस्टम, उपकरण, उत्पादन और परीक्षण उपकरण और संबंधित प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से डिज़ाइन सहित उसके घटक और सहायक उपकरण	डीजीएफटी	
6	युद्ध सामग्री सूची	रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी)/रक्षा मंत्रालय	सीआईएन और उप-श्रेणी 6क 007, 6क 008 के नोट 2 और 3 के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर
7	'आरक्षित'	डीजीएफटी	
8	विशेष सामग्री और संबंधित उपकरण, सामग्री प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, दूरसंचार, सूचना सुरक्षा, सेंसर और लेजर, नेविगेशन और वैमानिकी, मरीन, एयरोस्पेस और प्रपल्शन	डीजीएफटी	

सीआईएन: स्कोमेट सूची की पण्य पहचान टिप्पणी

टिप्पणी: जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जा सकता है उपर्युक्त विनिर्दिष्ट श्रेणियों/उप-श्रेणियों और अन्य उप-श्रेणी के लिए डीजीएफटी लाइसेंसिंग प्राधिकारी होगा।

10.04 स्कोमेट मदों का निर्यात

श्रेणियों 1 से 5 और 8 के संबंध में स्कोमेट मदों के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के अध्याय 10 में दी गई है। स्कोमेट की पण्य पहचान टिप्पणी (सीआईएन) की श्रेणी 0 और टिप्पणी 2 के तहत स्कोमेट मदों के निर्यात को परमाणु उर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु उर्जा (खानों, खनिजों और निर्धारित पदार्थों की हैंडलिंग) नियम 1984 के तहत जारी परमाणु अंतरण (निर्यात) और निर्धारित पदार्थों, निर्धारित उपकरण और प्रौद्योगिकी की अनुसूची की अधिसूचना के दिशानिर्देशों के अनुसार, परमाणु उर्जा विभाग (डीईई) द्वारा जारी एक प्राधिकार पत्र के तहत अनुमति दी जाएगी। श्रेणी 6 (युद्ध सामग्री सूची) के तहत स्कोमेट वस्तुओं के निर्यात को (सीआईएन के नोट 2 और 3 के तहत कवर की गई और श्रेणी 6क 007, 6क 008 के तहत मदों को छोड़कर) मदों का अंतिम उपयोग चाहे सैन्य हो या नागरिक डीडीपी द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी)/रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले प्राधिकार पत्र के तहत अनुमति दी जाएगी।

10.05 दोहरे उपयोग के लिए गैर-स्कोमेट मदों पर अतिरिक्त नियंत्रण (कैच-ऑल कंट्रोल)

जो मदें स्कोमेट सूची में नहीं हैं ऐसे मदों के निर्यात को भी व्यापक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जा सकता है। यदि निर्यातक को डीजीएफटी द्वारा लिखित रूप में अधिसूचित किया गया है या वह जानता है या विश्वास करने का कोई कारण है कि स्कोमेट सूची में शामिल नहीं की गई वस्तु में व्यापक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) या उनकी मिसाइल प्रणाली में उपयोग या उपयोग का संभावित जोखिम है या इसका सैन्य अंतिम उपयोग (आतंकवादियों और नॉन-स्टेट एक्टर सहित), ऐसी वस्तु के निर्यात को अस्वीकृत किया जा सकता है या अनुमति दी जा सकती है जो कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.05 और 10.06 में स्कोमेट मदों के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंस देने के अधीन है।

10.06 डीटीए से एसईजेड/ईओयू तक और देश के बाहर स्कोमेट मदों की आपूर्ति

डीटीए से एसईजेड/ईओयू तक स्कोमेट मदों की आपूर्ति हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। तथापि, डीटीए से एसईजेड/ईओयू तक स्कोमेट मदों की सभी आपूर्ति प्रभावी होने के एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित एसईजेड/ईओयू के विकास आयुक्त को सूचित की जाएगी। तथापि, यदि स्कोमेट मदों को एसईजेड/ईओयू से देश के बाहर अर्थात् दूसरे देश में (एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 26 को संदर्भित किया जा सकता है) भौतिक रूप से निर्यात किया जाना है तो निर्यात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।

10.07 आयातित स्कोमेट मदों का निर्यात

स्कोमेट सूची के तहत शामिल आयातित वस्तुओं को यहां तक कि सीमा शुल्क अनुबद्ध माल गोदाम से भी जब तक कि उन्हें विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती निर्यात प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात हेतु अनुमति नहीं है।

10.08 स्कोमेट मदों के लिए विभिन्न प्रकार के निर्यात प्राधिकार पत्र

- (i) अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को प्रत्यक्ष निर्यात: विधिवत सत्यापन प्रक्रिया के बाद विदेश स्थित अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को निर्यात;
- (ii) समान स्कोमेट मदों के रिपीट आर्डर के लिए निर्यात: समान तकनीकी विनिर्देशनों की वस्तुओं का रिपीट निर्यात, जिन्हें पहले विधिवत सत्यापन प्रक्रिया के बाद उन्ही देशों/इकाईयों को निर्यात किए जाने की अनुमति दी गई है;
- (iii) स्टॉक और बिक्री के उद्देश्य के लिए निर्यात: शुरु में विदेश स्थित स्टॉकिस्ट को और बाद में स्टॉकिस्ट से उसी देश या अनुमोदित देशों में अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता तक वस्तुओं का निर्यात;
- (iv) स्टॉक और बिक्री के अंतर्गत स्कोमेट के तहत कलपुर्जे का निर्यात: स्टॉक और बिक्री के तहत प्रमुख मद/उपस्कर के साथ कलपुर्जे का निर्यात;
- (v) दोषपूर्ण स्कोमेट मदों के प्रतिस्थापन/मरम्मत के बाद निर्यात: दोषपूर्ण पाये जाने पर आयातित मदों की मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र और मरम्मत हेतु आयातित स्वदेशी/तीसरे पक्ष की मदों की मरम्मत के बाद निर्यात प्राधिकार पत्र;
- (vi) स्कोमेट मदों का अस्थायी निर्यात: भारत में प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/ निविदाओं/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र अथवा भारत में प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदाओं/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी के बाद विदेश वापसी के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र;
- (vii) समान विदेशी इकाई को या इसके ओईएम को आयातित मदों का निर्यात: प्रौद्योगिकी के पुराने होने, आगमन पर निष्क्रिय, आदेश के रद्द होने, केलीब्रेशन, परीक्षण आदि पर इसके विदेशी आपूर्तिकर्ता या इसके ओईएम को आयातित मदों का निर्यात।
- (viii) सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी सहित स्कोमेट मदों के अंतरा-कंपनी अंतरण (जीआईसीटी) के लिए वैश्विक प्राधिकार पत्र : स्कोमेट श्रेणी 8 (परिशिष्ट 10ड में सूचीबद्ध वस्तुओं को छोड़कर) के तहत सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित स्कोमेट वस्तुओं के निर्यात और/या पुनः निर्यात के लिए केवल एक बार प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी, जहां निर्यात भारतीय मूल कंपनी (आवेदक निर्यातक) से उसकी विदेशी सहायक कंपनी को या विदेशी कंपनी (आवेदक निर्यात क) की भारतीय सहायक कंपनी से उनकी विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी को अंतः-कंपनी हस्तांतरण है तथा; कुछ सेवाओं को करने के लिए भारतीय मूल कंपनी/विदेशी कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी और भारतीय कंपनी की विदेशी सहायक कंपनी/भारतीय सहायक कंपनी की विदेशी मूल कंपनी के बची एक मास्टर सेवा समझौता/अनुबंध पर आधारित है लेकिन यह डिजाइन, एन्क्रिप्शन, अनुसंधान विकास, डिलीवरी, वैधीकरण, अंशांकन, जांच, संबंधित सेवाएं, आदि तक सीमित नहीं है, विनिर्दिष्ट देशों में प्राधिकार पत्र के तहत किए गए सभी निर्यात के लिए 3 साल की एक बार वैधता से लेकर निर्यात के बाद रिपोर्टिंग।
- (ix) सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर रसायन और संबंधित उपस्करों (जीआईसी) के निर्यात के लिए सामान्य अधिकार पत्र: 1सी, 1डी, 3डी001 और 3डी004 उप श्रेणियों में सूचीबद्ध रसायन (सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर) का निर्यात आस्ट्रेलिया समूह (एजी) देशों की और 1ई उपश्रेणी में सूचीबद्ध मदों का निर्यात रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) के राज्य पक्षकारों को 5 वर्ष की एक कालिक वैधता के साथ डीजीएफटी द्वारा जारी रासायनिक और संबंधित उपकरणों के निर्यात के लिए एककालिक सामान्य प्राधिकार पत्र के आधार पर अनुमत है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र के तहत किए गए सभी निर्यात की निर्यात के पश्चात रिपोर्टिंग की जाए।
- (x) भारत में मरम्मत के पश्चात निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार-पत्र (जीआईआर): भारत में मरम्मत के बाद निर्यात हेतु एककालिक सामान्य प्राधिकार-पत्र (जीआईआर) के आधार पर भारत में मरम्मत के पश्चात विदेशों में एक ही इकाई को आयातित स्कोमेट मदों के निर्यात की अनुमति डीजीएफटी द्वारा जारी त्रैमासिक आधार पर पोस्ट रिपोर्टिंग और प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.12 (घ) में यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी जाएगी।

10.09 स्कोमेट प्राधिकार पत्र को जारी करना, संशोधन करना और पुनर्वैधीकरण

स्कोमेट मदों हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र डीजीएफटी (मुख्यालय) द्वारा केंद्रीय रूप से जारी किया जाएगा। इस तरह के प्राधिकार पत्र पर पुनर्वैधीकरण आदि सहित संशोधन भी केवल डीजीएफटी (मुख्यालय) द्वारा किया जाएगा। पुनर्वैधीकरण की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.20 में विहित है।

10.10 स्कोमेट और निर्यात नियंत्रण रूपरेखा पर आउटरीच कार्यक्रम

प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और व्यापार संघों के सहयोग से डीजीएफटी, विशेष रूप से स्कोमेट मदों में, व्यापार से जुड़े निर्यातकों/आयातकों के बीच प्रभावी जागरूकता के लिए नियमित रूप से उद्योग आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन करेगा।

एमएसएमई और स्टार्टअप्स पर ध्यान देने के साथ सेक्टर विशिष्ट/क्षेत्र विशिष्ट आउटरीच कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए संस्थागत तंत्र को अपनाया जाएगा।

10.11 दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात का स्वैच्छिक स्व प्रकटीकरण

डीजीएफटी स्वीकार करता है कि ऐसे अवसर हो सकते हैं जहां उत्तदायी निर्यातक कभी-कभी एफटीडीआर अधिनियम, डब्ल्यूएमडी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम या डीजीएफटी द्वारा जारी निर्यात नियंत्रण पर किसी भी विनियमन, आदेश, लाइसेंस या अन्य प्राधिकार पत्र के निर्यात नियंत्रण प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं। डीजीएफटी निर्यात नियंत्रण प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहने संबंधी स्वैच्छिक स्व-प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करता है, और स्वैच्छिक स्व-प्रकटीकरण के मामलों को छोड़कर स्कोमेट नीति के उल्लंघन हेतु एफटीडीआर अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करते समय अनुपालन न किए जाने की किन्ही घटनाओं से बचने के लिए निर्यातकों में जागरूकता पैदा करने का समर्थन करता है।

अध्याय – 11

परिभाषाएं

विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:—

- 11.01 “उपांग” या “संलग्नी” का अर्थ है एक भाग, उपसंयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक अंश की कार्यक्षमता या कारगरता में सहयोग देता है।
- 11.02 “अधिनियम” का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, (1992 की संख्या 22) (एफ टी (डी एण्ड आर) एक्ट)।
- 11.03 “वास्तविक प्रयोक्ता” का अर्थ है उस व्यक्ति (स्वाभाविक या वैध) से है जो अपने परिसर में आयातित माल के उपयोग के लिए प्राधिकृत है जिसका कोई स्थायी डाक पता हो।
 - (क) “वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति (स्वाभाविक या वैध) से है जो आयातित माल का प्रयोग अपनी स्वयं की औद्योगिक इकाई में अथवा एक जॉबिंग इकाई सहित दूसरी इकाई में अपने स्वयं के प्रयोग के लिए करता है जिसका स्थायी डाक पता हो।
 - (ख) “वास्तविक प्रयोक्ता (गैर-औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति (स्वाभाविक या वैध) से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री इस्तेमाल करता हो—
 - (i) कोई भी वाणिज्य प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो, जिसका स्थायी डाक पता हो; या
 - (ii) कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) संस्थान, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अस्पताल, जिसका स्थायी डाक पता हो; या
 - (iii) अन्य सेवा उद्योग जिसका स्थायी डाक पता हो।
- 11.04 “ए ई जैड” अर्थ है परिशिष्टों और आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2फ में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्र।
- 11.05 “अपील” वह आवेदन है जो कि अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत जमा किया जाता है और जिसमें वे आवेदन शामिल हैं जोकि विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा सरकार के हित में नामित न्यायिक/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध जमा किए जाते हैं।
- 11.06 “आवेदक” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और जहां संदर्भ में आवश्यक हो, इसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है।
- 11.07 “प्राधिकार-पत्र” का अर्थ है विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार आयात अथवा निर्यात की अनुमति जैसा कि अधिनियम की धारा 2(छ) में बताया गया है।
- 11.08 “पूँजीगत माल” का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भा शामिल है। इसमें पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, प्रशीतन उपकरण, उर्जा सृजित करने वाले सेट, मशीन टूल्स, परिक्षण, अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर एवं उपकरण शामिल है।

पूँजीगत माल के निर्माण, खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और रेशम-उत्पादन एवं अंगूरोत्पादन के साथ-साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है।

- 11.09 "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों एवं आदेशों अथवा इस विदेश व्यापार नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग करने, कर्तव्य अथवा कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो।
- 11.10 "संघटक" का अर्थ है उप संयोजन या संयोजन का वह तत्व जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए। संघटक में दूसरे संघटक के उपपंजी या उपकरण भी शामिल हैं।
- 11.11 "उपभोज्य" का अर्थ कोई मद जो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो या जिसकी आवश्यकता हो परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग न हो। विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान जिन मदों का अधिक मात्रा में या पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मदें माना जाएगा।
- 11.12 "उपभोक्ता माल" का अर्थ खपत के उस माल से है जो किसी अन्य संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा कर सकता है और इसमें उपभोक्ता के लिए उपभोज्य माल और उसके अनुपंजी भी शामिल होंगे।
- 11.13 "प्रतिसंतुलन व्यापार" (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत भारत से/को किया जाने वाला आयात/निर्यात व्यापार समझौता या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से सीधे अथवा तीसरे देश के जरिये संतुलित होता हो।
- "प्रतिसंतुलन व्यापार" (काउंटर ट्रेड) के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमति एस्को एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तुतः विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। निर्यात और आयात का संतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद, माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है।
- 11.14 "विकासकर्ता" का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म और ऐसा ही अन्य निजी या सरकारी उपक्रम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं को और बुनियादी सुविधाओं के एक भाग या सम्पूर्ण सुविधाओं का विकास, निर्माण करता है, डिजाइन तैयार करता है, स्थापना, संवर्धन करता है, वित्तीय सहायता, प्रचालन, रख-रखाव या प्रबंध करता है, इसमें सह-विकासकर्ता भी शामिल हैं।
- 11.15 "विकास आयुक्त" का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त।
- 11.16 "घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र" (डीटीए) का अर्थ है भारत के भीतर का क्षेत्र जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी से बाहर है।
- 11.17 "ई-कामर्स" का अर्थ है इंटरनेट के द्वारा एक ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म पर वस्तुओं को खरीदना और बेचना, जिसके लिए भुगतान अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के द्वारा अथवा अन्य प्राधिकृत और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनल के माध्यम से किया जाएगा।
- 11.18 "ई.ओ.यू" का अर्थ है निर्यातानुमुखी एकक जिसके लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति-पत्र जारी किया गया हो।
- 11.19 "उत्पाद शुल्क देय माल" का अर्थ है-कोई माल जिसका भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन हो।
- 11.20 समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 में यथा-परिभाषित 'निर्यात'।
- 11.21 "निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है या निर्यात करने का इरादा रखता है और जिसके पास एक आईईसी नम्बर हो, जब तक की उसे विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
- 11.22 "निर्यात दायित्व का" अर्थ है:- प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा में शामिल निर्यात उत्पाद अथवा उत्पाद का क्षेत्रीय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में निर्यात करने का दायित्व।
- 11.23 मदों के लिए आयात/निर्यात के संदर्भ में आने वाले 'मुक्त' से तात्पर्य है माल जिसे देश में आयात किए जाने अथवा देश से निर्यात किये जाने के लिए किसी प्राधिकार-पत्र/लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- 11.24 'एफटीपी' से अभिप्राय है विदेश व्यापार नीति, 2023 जो कि अधिनियम की धारा-5 के तहत निर्यात और आयात नीति को विनिर्दिष्ट करती है।
- 11.25 समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 में यथा-परिभाषित 'आयात'

- 11.26 "आयातक" का अर्थ यह व्यक्ति है जो आयात करता है, या आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोर्ड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
- 11.27 "आईटीसी (एचएस)" का अर्थ निर्यात और आयात मदों में 8 अंकों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण से है।
- 11.28 "जाबिंग" का अर्थ है—जाब वक्रर को आपूर्ति कच्चे माल या अर्ध-परिष्कृत माल का प्रसंस्करण या उसमें परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा या संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का विनिर्माण या परिष्करण हो या कोई भी कार्रवाई जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जरूरी हो।
- 11.29 "लाइसेंसिंग वर्ष" का अर्थ उस वर्ष से है जो वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो।
- 11.30 "प्रबंधित होटल" से अभिप्राय तीन स्टार या ऊपर के होटल/होटल श्रृंखला द्वारा होटल चलाना/होटल श्रृंखला तथा होटल प्रबंधन चलाने के मध्यम कम से कम तीन वर्ष के दौरान एक प्रबंधन चलाने के करार के अधीन प्रबंधन से है। प्रबंधन करार में प्रबंधित होटल चलाने के प्रबंधन/कार्यकलापों के क्षेत्र को आवश्यक रूप से शामिल किया जायेगा।
- 11.31 "विनिर्माण" का अर्थ है विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया गया, उत्पन्न किया गया, गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो और उसमें ऐसे संसाधन शामिल हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन, पुनः पैकिंग, पॉलिशिंग, लेबलिंग, री-कन्डीशनिंग, मरम्मत, री-मेकिंग, री-फर्बिशिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन री-इन्जीनिरिंग।
- विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए विनिर्माण में कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्पोत्पाद, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन,, रेशम-उत्पादन, अंगूरोत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं।
- 11.32 "विनिर्माता निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने द्वारा निर्मित माल का निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है।
- 11.33 "व्यापारी निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो।
- 11.34 "एन सी" का अर्थ उन मामलों में जहां पर सिओन मौजूद नहीं है और विदेश व्यापार महानिदेशालय में अधिसूचित किए जाने के लिए सिओन की सिफारिश करते हैं, तदर्थ विनिष्टि-उत्पादन मानदंड के अनुमोदन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय में मानदण्ड समिति से है।
- 11.35 "अधिसूचना" का अर्थ अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित है।
- 11.36 "आदेश" का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश।
- 11.37 "पुर्ज" का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपयोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के योग्य न हो। पुर्जो एक संघटक, स्पेयर अथवा उपसाधन हो सकता है।
- 11.38 "व्यक्ति" का अर्थ है कोई व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, कम्पनी, निगम अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों सहित अन्य कोई वैध व्यक्ति।
- 11.39 "नीति" का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित भाग ख (2022-2027) विदेश व्यापार नीति।
- 11.40 "निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम, अथवा विदेश व्यापार नीति अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियम अथवा आदेश के तहत निर्धारित से है।
- 11.41 "निषिद्ध" आईटीसी (एचएस) में अथवा अन्यत्र आने वाली किसी मद की आयात/निर्यात नीति को दर्शाता है, जिसका आयात/निर्यात अनुमत नहीं है।
- 11.42 "सार्वजनिक सूचना" का अर्थ विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.03 और 2.04 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सूचना से है।
- 11.43 "परियोजना निर्यात" का संदर्भ अस्थगित भुगतान शर्तों पर इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात और विदेशों में सामूहिक रूप से टर्नकी परियोजनाओं और सिविल निर्माण अनुबंधों के निष्पादन से है।

परियोजना के निर्यात में शामिल होगा

- (i) सिविल निर्माण अनुबंध;
- (ii) आस्थगित भुगतान शर्तों पर पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति सहित टर्नकी अभियांत्रिकी अनुबंध

- (iii) प्रक्रिया और अभियांत्रिकी परामर्श सेवाएं: और
 - (iv) परियोजना निर्माण मदें (इस्पात और सीमेंट को छोड़कर)
- 11.44 "कोटा" से तात्पर्य है एक विशिष्ट प्रकार के माल की मात्रा जिसे अतिरिक्त शुल्क लगाए बगैर अथवा प्रतिबंधों के बगैर आयात करने के लिए अनुमत किया गया हो
- 11.45 "कच्चा माल" का अर्थ है: मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है। ये सामग्री कच्ची/प्राकृतिक/अपरिष्कृत/अविनिर्मित अथवा विनिर्मित अवस्था में हो सकती है।
- 11.46 "क्षेत्रीय प्राधिकारी" का अर्थ है अधिनियम/आदेश के तहत एक प्राधिकार पत्र प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी
- 11.47 "पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र" (आर.सी.एम.सी) का तात्पर्य विदेश व्यापार नीति या प्रक्रिया पुस्तक में यथा निर्धारित किसी निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड/विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र से है।
- 11.48 "प्रतिबंधित" एक मद के आयात अथवा निर्यात नीति को दर्शाने वाला एक शब्द है जिसे केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालयों से एक प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने के बाद देश में आयात अथवा देश से बाहर निर्यात किया जा सकता है।
- 11.49 "नियमों" का अर्थ है एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम की धारा 19 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम।
- 11.50 "स्कोमेट" विशेष रसायनों, आर्गेनिज्म, पदार्थों, उपस्करों और प्रौद्योगिकियों (स्कोमेट) के दोहरे प्रयोग की मदों के लिए नामकरण है। भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत दोहरे प्रयोग की मदों और प्रौद्योगिकियों का आयात विनियमित है। यह प्राधिकार-पत्र के तहत या तो प्रतिबंधित है या अनुमत है।
- 11.51 "सेवाओं" में, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य करार (गैट्स) के अन्तर्गत आने वाली सभी व्यापारिक सेवाएं और मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना शामिल है।
- 11.52 "सेवा प्रदाता" का अर्थ है वह व्यक्ति जो:—
- (i) भारत से किसी और देश के लिए "सेवा" प्रदान करता है, (विधि 1—सीमा पार व्यापार)
 - (ii) भारत में किसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई "सेवा" की आपूर्ति करता है, (विधि 2—विदेश में खपत)
 - (iii) भारत से किसी अन्य देश में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से सेवा की आपूर्ति करता है। (विधि 3—वाणिज्यिक उपस्थिति)
 - (iv) भारत से वास्तविक व्यक्तियों की उपस्थिति के माध्यम से किसी अन्य देश में "सेवा" की आपूर्ति (विधि 4—वास्तविक व्यक्तियों की उपस्थिति)
- 11.53 "शिप" का अर्थ समुद्र से किए जाने वाले व्यापार या समुद्र तट पर किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के पोतों से है, इसमें पुराने पोत भी शामिल है।
- 11.54 "सिओन" का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित, मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड से है।
- 11.55 "स्पेयर्स" का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी पुर्जे या उप-असेम्बल या असेम्बल के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बल या असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है। स्पेयर्स में संघटक या सहायक उपकरण शामिल हैं।
- 11.56 "विनिर्दिष्ट" का तात्पर्य अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है।
- 11.57 "स्तर धारक" का अर्थ है एक निर्यातक को विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.25 यथानुसार एक क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यात निष्पादन हेतु मान्यता दी गई है।
- 11.58 "भंडार" से अभिप्राय जलयान या वायुयान के प्रयोग के लिए वस्तुएं और उनके ईंधन, स्पेयर्स और उपस्करों का अन्य सामान है, चाहे वह तुरन्त फिट होने वाला हो या न हो।

- 11.59 (क) "सहायक विनिर्माता" वह व्यक्ति है जो एक विशिष्ट प्राधिकार-पत्र के तहत व्यापारी निर्यातक या विनिर्माता निर्यातक के लिए माल/उत्पाद या माल/उत्पाद के किसी हिस्से/उपपंजी/पुर्जों का विनिर्माण करता है।
- (ख) ईपीसीजी स्कीम के लिए "सहायक विनिर्माता" ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रांगण/फैक्टरी में ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के तहत पूंजीगत माल आयात/प्राप्त किया जाता है।
- 11.60 विदेश व्यापार नीति के प्रयोजनार्थ राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई), वे इकाईयां हैं जिन्हें विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 (क) के अनुसार निर्यात और/अथवा आयात के विशिष्ट अधिकार/विशेष अधिकार प्रदान किए गए हो।
- 11.61 "तीसरी पार्टी द्वारा निर्यात" का आशय है निर्यातक या विनिर्माता द्वारा दूसरे निर्यातक (निर्यातकों) की ओर से किया गया निर्यात। ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे शिपिंग बिल आदि में विनिर्माता निर्यातक/विनिर्माता और तीसरी पार्टी निर्यातक दोनों के नामों का उल्लेख करना होगा। बैंक वसूली प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा प्रपत्र, निर्यात आदेश और बीजक, तीसरी पार्टी निर्यातक के नाम से होना चाहिए।
- 11.62 "सौदा मूल्य" की परिभाषा राजस्व विभाग की सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली में यथा परिभाषित की गई है।
- 11.63 "वन्य प्राणी" का अर्थ है कोई वन्य प्राणी जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-2(36) में यथा परिभाषित है।

शब्दावली (संक्षिप्त अक्षर)

संक्षिप्त अक्षर	पूर्णक्षर
एए	अग्रिम प्राधिकार पत्र
एएएनएफ	परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र
एसीयू	एशियाई निकासी संघ
एईजैड	कृषि निर्यात क्षेत्र
एएनएफ	आयात निर्यात प्रपत्र
एआरई-1	निर्यात (हवाई/समुद्री/डाक/स्थल द्वारा) के लिए उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य वस्तुओं को हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एआई-3	फैक्टरी से अथवा एक गोदाम से अन्य गोदाम में से उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तुओं का हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एसीपी	मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम
ईओ	प्राधिकृत इकॉनामिक ऑपरेटर
ईईएस	अनुमोदित निर्यातक स्कीम
एपीडा	कृषि और संशोधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एआरओ	अग्रिम निकासी आदेश
आसियान	दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन
एएसआईडीई	निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता
एयू	वास्तविक प्रयोक्ता
बीसीडी	मूल सीमाशुल्क
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार बोर्ड
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पात्र
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीसीपी	सीमा शुल्क निकासी परमिट
सीईए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण
सीईसी	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
सीईडी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सेनवैट	केन्द्रीय मूल्यवर्धक कर
सीईटीएफ	सामान्य बहिस्त्राव उपचार सुविधा
सीएफसी	सामान्य सुविधा केन्द्र
सीजी	पूंजीगत माल

सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीआईएन	कम्पनी पहचान संख्या
सीआईएस	स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल
सीकेडी	सम्पूर्णता खराब हुए
सीओडी	सुपुर्दगी पर भुगतान
सीओओ	उद्गम प्रमाण पत्र
सीक्यूसीटीडी	गुणवत्ता की शिकायतों और व्यापार विवादों पर समिति
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीईपीए	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते
सीबाईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीएसपी	सामान्य सेवा प्रदाता
सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीए	स्वीकृति पर दस्तावेज
डीबीके	शुल्क वापसी
डीसी	विकास आयुक्त
डीडीए	डायमंड डॉलर खाता
डीईए	आर्थिक मामलों में विभाग
डीईएल	अस्वीकृत इकाई सूची
डीईएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र
डीजीसीआईएण्डएस	महानिदेशक, वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी
डीआईएन	निदेशक पहचान संख्या
डीपीआईएन	निर्दिष्ट साझेदार पहचान संख्या
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीओबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीईआईटी वाय	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीआरएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीटीए	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र
ईबीआरसी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र
ईआईसीसी	इलेक्ट्रॉनिक आयातक-निर्यातक कोड
ईसीए	प्रवर्तन-सह-अधिनिर्णय
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक-सह-अधिनिर्णयन
ईसीजीसी	निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम
ईईएफसी	विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा
ईएफसी	एक्विम सुविधा समिति
ईएफटी	इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईजीएम	निर्यात संबंधी सामान्य घोषणा पत्र
ईएचटीपी	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पात्र
ईओईसी	निर्यात निरीक्षण परिषद
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाई
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईपीओ	इंजीनियरी प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग
एक्विम	निर्यात आयात
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

एफई	विदेशी मुद्रा
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआईआईओ	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफआईआरसी	फॉरेन एक्सचेंज इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफओआर	सड़क और रेल पर माल ढुलाई
एफटी (डी एंड आर) एक्ट	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 का 22)
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटी (आर) नियमावली	विदेश व्यापार (विनियमन) नियम
एफटीडब्ल्यूजैड	मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौते
जीएंडजेईपीस	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
जीओआई	भारत सरकार
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता
जीआर	प्राप्ति की गारंटी
एचएसीसीपी	खतरा, विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया
एचबीपी	प्रक्रिया पुस्तक
एचएचईसी	हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम
आईसीबी	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीएम	भारतीय वाणिज्य मिशन
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईईए	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी
आईएनएफसीआईआरसी	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी की जानकारी परिपत्र
आईईएम	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
आईएमएससी	अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति
आईएल	औद्योगिक लाइसेंसिंग
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईसीटी (एचएस)	निर्यात और आयात मदों के लिए भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली)
केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एलसी	साख पत्र
एलसीएस	भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
एलएलपीआईएन	सीमित देयता साझेदारी संख्या
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलओसी	लाइन ऑफ क्रेडिट
एलओआई	आशय पत्र
एलओपी	परमिट पत्र
एलयूटी	विधिक वचनबद्धता
एमएआई	बाजार अभिगम पहल
एमडीए	बाजार विकास सहायता
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईएस	भारतीय स्कीम से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात
एमआरए	परस्पर मान्यता समझौते
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमईडी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास
एमएसटीसी	धातु स्क्रेप व्यापार निगम
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी
एनसी	मानदण्ड समिति
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनआई	गैर उल्लंघनकारी

एनसीबी	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण—पत्र
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीईसी	भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड
पीआईसी	नीतिगत व्याख्या समिति
पीआरसी	नीतिगत छूट समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीएच	व्यक्तिगत सुनवाई
पीटीए	तरजीही व्यापार समझौता
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरईपी	प्रतिपूर्ति
आरपीए	रुपये अदायगी क्षेत्र
एस / बी	पोत लदान बिल
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
स्कोमेट	विशेष रसायन आर्गैनिज्म, मैटीरियल्स, उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी
एसईआईसीएमएम	सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूट्स कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसईआईएस	भारत से सेवा निर्यात स्कीम
एसआईए	औद्योगिक सहायता सचिवालय
एसआईआईसी	राज्य औद्योगिक अवसंरचना
एसआईओएन	मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड
एसकेडी	अर्द्ध खराब
एसएलईपीसी	राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति
एसटीसी	राज्य ट्रेडिंग निगम
एसटीसीएल	मसाला ट्रेडिंग निगम लिमिटेड
एसटीई	राज्य व्यापार उद्यम
एसटीएच	स्टार ट्रेडिंग हाउस
एसटीपीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पाक्र ऑफ इंडिया
एसटीआर	राज्य व्यापार प्रणाली
एसयूवी	स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकलस
टीईडी	अंतिम उत्पाद शुल्क
टीईई	निर्यात उत्कृष्टता के शहर
टीएच	ट्रेडिंग हाउस
टीपीओ	व्यापार संवर्धन संगठन
टीआरए	टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस
टीआक्यू	प्रशुल्क दर कोटा
टीयूएफएस	प्रौद्योगिकी उन्नयन फंड स्कीम
यूएसी	यूनिट अनुमोदन समिति
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
वीए	मूल्यवर्धन
डब्ल्यूसीओ	विश्व सीमाशुल्क संगठन
डब्ल्यूएचओजीएमपी	विश्व स्वास्थ्य संगठन माल विनिर्माता व्यवहार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 1/2023

S.O. 1565(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992), as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the Foreign Trade Policy, 2023. This Foreign Trade Policy shall come into force with effect from 1st April, 2023.

Effect of this Notification: Foreign Trade Policy, 2023, is hereby notified.

[F. No. 01/75/171/00016/AM-23/FTP Cell]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

Ex-officio Addl. Secy.

CHAPTER-1

Legal Framework and Trade Facilitation

A. LEGAL FRAMEWORK

1.00 Legal Basis of Foreign Trade Policy

The Foreign Trade Policy (FTP) 2023 is notified by Central Government, in exercise of powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) [FT (D&R) Act], as amended.

1.01 Duration of FTP

The Foreign Trade Policy (FTP) 2023 incorporating provisions relating to export and import of goods and services, shall come into force with effect from 1st April, 2023 and shall continue to be in operation unless otherwise specified or amended. All exports and imports made up to 31.03.2023 shall, accordingly, be governed by the relevant FTP, unless otherwise specified.

1.02 Amendment to FTP

Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, as amended from time to time, reserves the right to make any amendment to the FTP, by means of notification, in public interest.

1.03 Hand Book of Procedures (HBP) and Appendices & Aayat Niryat Forms (ANF)

Director General of Foreign Trade (DGFT) may, by means of a Public Notice, notify Hand Book of Procedures, including Appendices and Aayat Niryat Forms or amendment thereto, if any, laying down the procedure to be followed by an exporter or importer or by any Licensing/Regional Authority or by any other authority for purposes of implementing provisions of FT (D&R) Act, the Rules and the Orders made there under and provisions of FTP.

1.04 Specific provision to prevail over the general

Where a specific provision is spelt out in the FTP/Hand Book of Procedures (HBP), the same shall prevail over the general provision.

1.05 Transitional Arrangements

(a) Any License/ Authorisation/ Certificate/ Scrip/ instrument bestowing financial or fiscal benefit issued before commencement of FTP 2023 shall continue to be valid for the purpose and duration for which it was issued, unless otherwise stipulated.

(b) Item wise Import/Export Policy is delineated in the ITC (HS) Schedule I and Schedule II respectively. The importability/ exportability of a particular item is governed by the policy as on the date of import/ export. The date of import/ export is defined in para 2.17 of HBP 2023. Bill of Lading and Shipping Bill are the key documents for deciding the date of import and export respectively. In case of change of policy from 'free' to 'restricted/prohibited/state trading' or 'otherwise regulated', the import/export already made before the date of such regulation/restriction will not be affected. However, the import through High Sea sales will not be covered under this facility. Further, the import/export on or after the date of such regulation/restriction will be allowed for importer/ exporter who has a commitment through Irrevocable Commercial Letter of Credit (ICLC) before the

date of imposition of such restriction/ regulation and shall be limited to the balance quantity, value and period available in the ICLC. For operational listing of such ICLC, the applicant shall have to register the ICLC with jurisdictional RA against computerized receipt within 15 days of imposition of any such restriction/ regulation. Whenever, Government brings out a policy change of a particular item, the change will be applicable prospectively (from the date of Notification) unless otherwise provided for.

B. TRADE FACILITATION AND EASE OF DOING BUSINESS

1.06 National Committee on Trade Facilitation (NCTF)

India has ratified the World Trade Organization's Trade Facilitation Agreement (TFA) in April 2016. To facilitate coordination and implementation of the TFA provisions, an inter-ministerial body i.e. National Committee on Trade Facilitation (NCTF) has been constituted.

TFA emanates from the following four pillars:

- i. Transparency: focus on improved access to accurate and complete information.
- ii. Technology: development and use of digital and detection technologies to ease out trade bottlenecks and improve efficiency.
- iii. Simplification of Procedures and Risk based Assessments: simplified, uniform and harmonised procedures with increased adoption of a risk based management approach.
- iv. Infrastructure Augmentation: enhancement of infrastructure, particularly the road and rail infrastructure leading to ports and the infrastructure within ports, airports, ICDs, Land Customs Stations is a major enabler for growth in trade that cuts across all stakeholders.

National Trade Facilitation Action Plan aims to achieve: -

- Improvement in Ease of Doing Business through reduction in transaction cost and time
- Reduction in cargo release time
- A paperless regulatory environment
- A transparent and predictable legal regime
- Improved investment climate through better infrastructure

1.07 DGFT as a facilitator of exports/ imports

DGFT has a commitment to function as a facilitator of exports and imports. Focus is on good governance, which depends on efficient, transparent and accountable delivery systems. In order to facilitate international trade, DGFT consults various Export Promotion Councils as well as Trade and Industry bodies from time to time.

1.08 Free passage of Export Consignment

Consignments of items meant for exports shall not be withheld/ delayed for any reason by any agency of Central/ State Government. In case of any doubt, authorities concerned may ask for an undertaking from exporter and release such consignment.

1.09 No seizure of export related Stock

No seizure shall be made by any agency so as to disrupt manufacturing activity and delivery schedule of exports. In exceptional cases, concerned agency may seize the stock on the basis of prima facie evidence of serious irregularity. However, such seizure should be lifted within 7 days unless the irregularities are substantiated.

1.10 Export of perishable agricultural Products

To reduce transaction and handling costs, a single window system to facilitate export of perishable agricultural produce is being facilitated through Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA). The detailed procedure is at Appendix 1C.

1.11 Niryat Bandhu - Hand Holding Scheme for new export/ import entrepreneurs

DGFT is implementing the Niryat Bandhu Scheme for mentoring new and potential exporter on the intricacies of foreign trade through counseling, training and outreach programmes including the 'Districts as Export Hubs' initiative with 'industry partners', 'knowledge partners' and other stakeholders to create vibrant District-Product-Market relevant knowledge ecosystem.

1.12 DGFT Online Customer Portal

Export Import related information including Acts, Rules, Policy and Procedures etc. are available online at DGFT portal <https://dgft.gov.in/>.

1.13 Issue of e-IEC (Electronic-Importer Exporter Code)

Importer Exporter Code (IEC) is mandatory for export/ import from/to India as detailed in paragraph 2.05 of this Policy. DGFT issues Importer Exporter Code in electronic form (e-IEC). For issuance of e-IEC, application can be made on DGFT website (<https://dgft.gov.in/>).

1.14 Online facility for e-RCMC/RC Related Processes

DGFT has created a common digital platform for application of issuance, renewal, amendment and related processes pertaining to Registration Cum Membership Certificate (RCMC)/ Registration Certificate (RC) issued by Registering Authorities in electronic form as per Chapter 2 of HBP.

1.15 Online facility for e-Certificate of Origin (e-CoO)

DGFT has created a common digital platform for issue of Preferential and Non-Preferential Certificate of Origin (e-CoO) by designated agencies. The CoO Certificates are issued in an online environment without any physical interface (<https://coo.dgft.gov.in/>).

A unique number i.e. UDIN (Unique Document Identification Number) and a QR code is endorsed on every e-CoO for validation and authentication by user agencies.

1.16 Online facility to file Quality Control and Trade Disputes (QCTD)

DGFT has created a common digital platform for handling Quality Control and Trade Disputes cases as per Chapter 8 of Foreign Trade Policy where all jurisdictional Indian Mission abroad and Regional Authorities of DGFT have been onboarded to work towards amicable resolution of disputes raised by Indian/Foreigner Importer/Exporter in online environment.

1.17 Electronic record of export proceeds through eBRC & EDPMS

(a) e-BRC (Electronic Bank Realisation Certificate) has enabled DGFT to capture details of realisation of export proceeds directly from the Banks through secured electronic mode. This has facilitated the implementation of various export promotion schemes without any physical interface with the stake holders.

(b) RBI has also developed a comprehensive IT-based system called Export Data Processing and Monitoring System (EDPMS) for monitoring of export of goods and software and facilitating AD banks to report various returns through a single platform. RBI EDPMS data available in DGFT IT System can also be used by exporters on DGFT portal.

1.18 IT Initiatives in DGFT

DGFT has undertaken a number of IT Initiatives to enable a paperless, contactless and transparent environment for availing benefits under the export promotion schemes with a view to improve the ease of doing business. The details of these initiatives have been provided in Para 1.04 of Handbook of Procedures.

1.19 24 X 7 Helpdesk Facility

A dedicated 24 X 7 Helpdesk facility has been put in place to assist the exporters in filing online applications on the DGFT portal and other matters pertaining to Foreign Trade Policy.

1.20 Trade Data and Statistics

Continuous efforts are being made for better collection, compilation and wider dissemination of Trade Data and Statistics to help the policy makers, researchers, exporters and importers to formulate their trade strategy. The trade statistics for merchandise trade is available at -

- i. Department of Commerce's portal at <https://commerce.gov.in> & data bank available at <https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/default.asp>,
- ii. DGCI&S portal at <http://www.dgciskol.gov.in> and
- iii. NIRYAT Portal at <https://niryat.gov.in>.

1.21 Trade Facilitation at Customs

CBIC has undertaken a number of initiatives to facilitate Trade. Some of these are as follows:

- i. 24X7 Customs clearance in 20 sea ports and 17 Airports and extended clearance in ICDs as per the needs of the Trade.

- ii. Single Window in Customs
- iii. E-Sanchit – Enabling Paperless clearance environment
- iv. Pan-India Implementation of Faceless e-Assessment in imports.
- v. TURANT Customs
- vi. Implementation of electronic messages from Document Clearance to Cargo Movement
- vii. Paperless Customs initiatives –Preparation and issuance of electronic documents like e-LEO SB, e-Gatepass/e-OOC etc.,
- viii. Contactless customs initiatives such as Turant Suvidha Kendras (TKSs).
- ix. Release of ICE-DASH–Indian Customs EoDB Monitoring Dashboard
- x. Direct Port Delivery (DPD) on imports and Direct Port Entry (DPE) on exports
- xi. Compliance Information Portal (CIP)
- xii. End to End automated and simplified procedure for Import of certain specified Goods at Concessional Rate of Duty or for specified end use.

For detailed guidelines/procedures visit <https://www.cbic.gov.in/> and <https://icegate.gov.in/>.

1.22 Authorised Economic Operator (AEO) Programme

(a) Based upon WCO's SAFE Framework of Standards, 'Authorised Economic Operator (AEO) programme' has been developed by Indian Customs to enable business involved in the international trade to reap the following benefits:

- (i) Secure supply chain from point of export to import;
- (ii) Ability to demonstrate compliance with security standards when contracting to supply overseas importers /exporters;
- (iii) Enhanced border clearance privileges in Mutual Recognition Agreement (MRA) partner countries;
- (iv) Minimal disruption to flow of cargo after a security related disruption;
- (v) Reduction in dwell time and related costs; and
- (vi) Customs advice / assistance if trade faces unexpected issues with Customs of countries with which India have MRA.

(b) The AEO programmes have been implemented by other Customs administrations that give AEO status holders preferential Customs treatment in terms of reduced examination, faster clearances and other benefits. Indian Customs has signed MRA with South Korea, Taiwan, Hong Kong and US Customs to recognize respective AEO Programmes to enable trade to get benefits on reciprocal basis.

(c) As a step further towards trust-based compliance, Indian Customs has introduced the new/revamped Authorised Economic Operator (AEO) Programme wherein extensive benefits, including greater facilitation and self-certification, have been provided to those entities who have demonstrated internal strong control system and compliance with CBIC.

(d) Under the AEO program of Indian Customs, the MSMEs are also covered.

For detailed guidelines/procedures, visit <https://www.aeoindia.gov.in/> and <https://www.cbic.gov.in/>.

1.23 Towns of Export Excellence (TEE)

(a) Objective: Development and growth of export production centres. A number of towns have emerged as dynamic industrial clusters contributing handsomely to India's exports. It is necessary to grant recognition to these industrial clusters with a view to maximize their potential and enable them to move up the value chain and also to tap new markets.

(b) Selected towns producing goods of Rs. 750 Crore or more may be notified as TEE based on potential for growth in exports. However, for TEE in Handloom, Handicraft, Agriculture and Fisheries sector, threshold limit would be Rs.150 Crore. The following facilities will be provided to such TEE:

- (i) Recognized associations of units will be provided financial assistance under MAI scheme, on priority basis, for export promotion projects for marketing, capacity building and technological services.
- (ii) Common Service Providers in these areas shall be entitled for Authorisation under EPCG scheme.

(c) Notified Towns (TEE) are listed in Appendix 1B.

1.24 Duty Free Entitlements to Select Sectors

With a view to expand employment opportunities, certain special focus initiatives for Marine Products and Sports Goods & Toys sectors are required. These sectors are being provided the following duty free entitlements (only basic customs duty is exempted) as per the relevant Customs Notifications:

- (a) Marine Sector - Duty free import of specified specialized inputs/ chemicals and flavoring oils not exceeding 1% of FOB value of seafood exports during the preceding financial year.
- (b) Sports Goods and Toys - Duty free import of specified inputs not exceeding 3% of FOB value of sports goods exports during the preceding financial year.

For details, refer relevant Customs Notifications in this regard.

1.25 Status Holder Certification

- (a) The objective behind certifying certain exporter firms as “Status Holder” is to recognize such exporter firms as business leaders who have excelled in international trade and have successfully contributed to country’s foreign trade. Status Holders are expected to not only contribute towards India’s exports but also provide guidance and handholding to new entrepreneurs.
- (b) All exporters of goods, services and technology having an import-export code (IEC) number, on the date of application, shall be eligible for recognition as a status holder based on export performance. An applicant may be categorized as status holder on achieving the threshold export performance in the current and preceding three financial years as indicated in para 1.26 of Foreign Trade Policy. However, for Gems & Jewelry Sector above export performance threshold during the current and preceding two financial years shall be required. The export performance shall be counted on the basis of FOB of export earnings in freely convertible foreign currencies or in Indian Rupees as per para 2.53 of the FTP.
- (c) For deemed export, FOB value of exports in Indian Rupees shall be converted in USD at the exchange rate notified by CBIC, as applicable on 1st April of each Financial Year.
- (d) For granting status, an export performance would be necessary in all the three preceding financial years (and in all the two preceding financial years for Gems & Jewelry Sector).

1.26 Status Holder Categories

Status Category	Export Performance Threshold In USD Million
One Star Export House	3
Two Star Export House	15
Three Star Export House	50
Four Star Export House	200
Five Star Export House	800

1.27 Grant of Double Weightage

(a) Double Weightage shall be available for grant of One Star Export House Status category only. Such benefit of double weightage shall not be admissible for grant of status recognition of other categories namely Two Star Export House, Three Star Export House, Four Star export House and Five Star Export House. The exports by IEC holders under the following categories shall be granted double weightage for calculation of export performance for grant of status:

- i. Micro and Small Enterprises as defined in Micro, Small & Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006
- ii. Manufacturing units having ISO/BIS Certification
- iii. Units located in North Eastern States including Sikkim, and Union Territories of Jammu , Kashmir and Ladakh

iv. Export of fruits and vegetables falling under Chapters 7 and 8 of ITC HS

(b) A merchandise shipment/ service rendered can get double weightage only once in any one of above categories.⁸

1.28 Other Conditions for Grant of Status

- (a) Export performance of one IEC holder shall not be permitted to be transferred to another IEC holder. Hence, calculation of exports performance based on disclaimer shall not be allowed.
- (b) Exports made on re-export basis shall not be counted for recognition.
- (c) Export of items under Authorisation, including SCOMET items, would be included for calculation of export performance.

1.29 Privileges of Status Holders

A Status Holder shall be eligible for privileges as under:

- (a) Authorisation and Customs Clearances for both imports and exports may be granted on self-declaration basis;
- (b) Input-Output norms may be fixed on priority within 60 days by the Norms Committee; Special scheme in respect of Input Output Norms to be notified by DGFT from time to time, for specified status holder
- (c) Exemption from furnishing of Bank Guarantee for Schemes under FTP, unless specified otherwise anywhere in FTP or HBP;
- (d) Exemption from compulsory negotiation of documents through banks. Remittance / receipts, however, would be received through banking channels;
- (e) Two star and above Export houses shall be permitted to establish Export Warehouses as per Department of Revenue guidelines.
- (f) The status holders would be entitled to preferential treatment and priority in handling of their consignments by the concerned agencies.
- (g) Manufacturers who are also status holders (Three Star/Four Star/Five Star) will be enabled to self-certify their manufactured goods (as per their IEM/IL/LOI) as originating from India with a view to qualify for preferential treatment under different preferential trading agreements (PTA), Free Trade Agreements (FTAs), Comprehensive Economic Cooperation Agreements (CECA) and Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPA). Subsequently, the scheme may be extended to remaining Status Holders. Manufacturer exporters who are also Status Holders shall be eligible to self-certify their goods as originating from India as per Para 2.93 (e) of Hand Book of Procedures.
- (h) Status holders shall be entitled to export freely exportable items (excluding Gems and Jewelry, Articles of Gold and precious metals) on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rupees One Crore or 2% of average annual export realization during preceding three licensing years, whichever is lower. For export of pharma products by pharmaceutical companies, the annual limit would be 2% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. In case of supplies of pharmaceutical products, vaccines and lifesaving drugs to health programmes of international agencies such as UN, WHO-PAHO and Government health programmes, the annual limit shall be upto 8% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. Such free of cost supplies shall not be entitled to Duty Drawback or any other export incentive under any export promotion scheme.

1.30 Skilling and Mentorship Obligations

- (a) To improve the trade ecosystem by enhancing the available skilling opportunities, Status Holders are being made “partners” in providing mentoring and training in international trade. Status Holders will endeavor to provide skill upgradation/ training in international trade as detailed below :

Status	Number of Trainees per year
Two Star Export House	5
Three Star Export House	10
Four Star Export House	20

Five Star Export House	50
------------------------	----

(b) A model training program of a minimum duration of 6 weeks would be put up in public domain for guidance.

(c) Detailed eligibility requirements, selection criteria, training curriculum etc will be at the discretion of the Status Holder.

1.31 Inter-Ministerial Committee for MSME Trade related grievances

An inter-ministerial committee to be set up to examine MSME trade related grievances which have policy ramifications. This will expedite decision making with a 'whole of government approach'.

1.32 Citizen's Charter

DGFT has in place a Citizen's Charter, giving time schedules for providing various services to clients. Timeline for disposal of an application is given in Chapter 11 of HBP.

CHAPTER 2

GENERAL PROVISIONS REGARDING IMPORTS AND EXPORTS

2.00 Objective

The general provisions governing import and export of goods and services are dealt with in this chapter.

2.01 Policy regarding import /Exports of goods

- (a) Exports and Imports shall be 'Free' except when regulated by way of 'Prohibition', 'Restriction' or 'Exclusive trading through State Trading Enterprises (STEs)' as laid down in Indian Trade Classification (Harmonized System) [ITC (HS)] of Exports and Imports. The list of 'Prohibited', 'Restricted', and STE items can be viewed under 'Regulatory Updates' at <https://dgft.gov.in>
- (b) Further, there are some items which are 'Free' for import/export, but subject to conditions stipulated in other Acts or in law for the time being in force.

2.02 Indian Trade Classification (Harmonised System) [ITC (HS)] of Exports and Imports

- (a) ITC(HS) is a compilation of codes for all merchandise / goods for export/ import. Goods are classified based on their group or sub-group at 2/4/6/8 digits.
- (b) ITC(HS) is aligned at 6-digit level with international Harmonized System goods nomenclature maintained by World Customs Organization (<http://www.wcoomd.org>). However, India maintains national Harmonized System of goods at 8-digit level notified under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 which may be viewed under 'Regulatory Updates' at <http://dgft.gov.in> and at <https://www.cbic.gov.in>
- (c) The import/export policies for all goods are indicated against each item as per its ITC (HS). Schedule 1 of ITC (HS) lays down the Import Policy regime while Schedule II of ITC(HS) lays down the Export Policy regime.
- (d) Except where it is clearly specified, Schedule 1 of ITC (HS), Import Policy is for new goods and not for Second Hand goods. For Second Hand goods, the Import Policy regime is given under Para 2.31 of this FTP.

2.03 Compliance of Imports with Domestic Laws

- (a) Domestic Laws/ Rules/ Orders/ Regulations/ technical specifications/ environmental/safety and health norms applicable to domestically produced goods shall apply, mutatis mutandis, to imports, unless specifically exempted.
- (b) However, goods to be utilized/ consumed in manufacture of export products may be exempted by DGFT from domestic standards/ quality specifications.

2.04 Authority to specify Procedures

DGFT may, specify Procedures to be followed by an exporter or importer or by any licensing/Regional Authority (RA) or by any other authority for purposes of implementation of the provisions of FT (D&R) Act, the Rules and the Orders made there under and the FTP. Such procedures, or amendments if any, shall be published by means of a Public Notice.

2.05 Importer-Exporter Code (IEC)

An IEC is a 10-character alpha-numeric number allotted to an entity (firm/company/LLP etc.) and is mandatory for undertaking any export/import activities. With a view to maintain the unique identity of an entity, consequent upon introduction / implementation of GST, IEC shall be same as Permanent Account Number (PAN) and shall be separately issued by DGFT based on an online application.

- (a) No export or import of goods shall be made by any person without obtaining an IEC unless specifically exempted. For export of services or technology, IEC shall be necessary on the date of rendering services for availing benefits under the Foreign Trade Policy.
- (b) Exempt categories and corresponding permanent IECs are given in Para 2.07 of Handbook of Procedures.
- (c) Application process for IEC and updation in IEC is completely online and IEC can be generated by the applicant as per the procedure detailed in the Handbook of Procedures.
- (d) An IEC holder has to ensure that details in its IEC is updated electronically every year, during the April-June period. In cases where there are no changes in IEC details same also needs to be confirmed online.
- (e) An IEC shall be de-activated, if it is not updated within the prescribed period. An IEC so de-activated may be activated, on its successful updation. This would however be without prejudice to any other action taken for

violation of any other provisions of the FTP.

- (f) An IEC may also be flagged for scrutiny. IEC holder(s) are required to ensure that any risks flagged by the system are timely addressed; failing which the IEC shall be deactivated.

2.06 Mandatory documents for export/import of goods from/into India:

(a) Mandatory documents required for export of goods from India:

1. Bill of Lading/ Airway Bill/ Lorry Receipt/ Railway Receipt/Postal Receipt
2. Commercial Invoice cum Packing List*
3. Shipping Bill/Bill of Export/ Postal Bill of Export

(b) Mandatory documents required for import of goods into India

1. Bill of Lading/Airway Bill/Lorry Receipt/ Railway Receipt/Postal Receipt in form CN-22 or CN 23 as the case may be.
2. Commercial Invoice cum Packing List**
3. Bill of Entry

[Note: *(i) As per CBIC Circulars issued under the Customs Act, 1962 (ii) **Separate Commercial Invoice and Packing List would also be accepted.]

(c) For export or import of specific goods or category of goods, which are subject to any restrictions/policy conditions or require NOC or product specific compliances under any statute, the regulatory authority concerned may notify additional documents for purposes of export or import.

(d) In specific cases of export or import, the regulatory authority concerned may electronically or in writing seek additional documents or information, as deemed necessary to ensure legal compliance.

2.07 Principles of Restrictions

DGFT may, through a Notification, impose 'Prohibition' or 'Restriction':

- (a) on export of foodstuffs or other essential products for preventing or relieving critical shortages;
- (b) on imports and exports necessary for the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade;
- (c) on imports of fisheries product, imported in any form, for enforcement of governmental measures to restrict production of the domestic product or for certain other purposes;
- (d) on import to safeguard country's external financial position and to ensure a level of reserves;
- (e) on imports to promote establishment of a particular industry;
- (f) for preventing sudden increases in imports from causing serious injury to domestic producers or to relieve producers who have suffered such injury;
- (g) for protection of public morals or to maintain public order;
- (h) for protection of human, animal or plant life or health;
- (i) relating to the importations or exportations of gold or silver;
- (j) necessary to secure compliance with laws and regulations including those relating to the protection of patents, trademarks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;
- (k) relating to the products of prison labour;
- (l) for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;
- (m) for the conservation of exhaustible natural resources;
- (n) for ensuring essential quantities for the domestic processing industry;
- (o) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply;
- (p) for the protection of country's essential security interests
 - i. relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;
 - ii. relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war;
 - iii. taken in time of war or other emergency in international relations; or
- (q) in pursuance of country's obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international

peace and security

2.08 Export/Import of Restricted Goods/Services

Any goods /service, the export or import of which is 'Restricted' may be exported or imported only in accordance with an Authorisation / Permission or in accordance with the Procedures prescribed in a Notification / Public Notice issued in this regard.

2.09 Actual User Condition

Goods which are importable freely without any 'Restriction' may be imported by any person. However, if such imports require an Authorisation, Actual User alone may import such good(s) unless Actual User condition is specifically dispensed with by DGFT.

2.10 Terms and Conditions of an Authorisation

Every Authorisation shall, inter alia, include either all or some of the following terms and conditions (as applicable in terms of the para under which the Authorisation has been issued), in addition to such other conditions as may be specified:

- (a) Description, quantity and value of goods;
- (b) Actual User condition (as defined in Chapter 11);
- (c) Export Obligation;
- (d) Minimum Value addition to be achieved;
- (e) Minimum export/import price;
- (f) Bank guarantee/ Legal undertaking / Bond with Customs Authority/RA (as in para 2.35 of FTP).
- (g) Validity period of import/export as specified in Handbook of Procedures.

2.11 Application Fee

- (a) Application for IEC/Authorisation/License/Scripts/Registration must be accompanied by application fees as indicated in the Appendix 2K of Appendices and Aayat Niryat Forms. Fees must be paid online through any of the channels as notified under Appendix 2K, unless provided otherwise.
- (b) Application fee is nothing but the fee for processing of the application. Therefore, the fee once received will not be refunded except in the circumstances and in a manner laid down in Appendix 2K.

2.12 Clearance of Goods from Customs against Authorisation

Goods already imported / shipped / arrived, in advance, but not cleared from Customs may also be cleared against an Authorisation issued subsequently. However, such goods already imported/shipped/arrived, in advance are first warehoused against Bill of Entry for Warehousing and then cleared for home consumption against an Authorisation issued subsequently. This facility will however be not available to 'Restricted' items or items traded through STEs, unless specifically allowed by DGFT.

2.13 Authorisation - not a Right

No person can claim an Authorisation as a right and DGFT or RA shall have power to refuse to grant or renew the same in accordance with provisions of FT (D&R) Act, Rules made there under and FTP.

2.14 Penal action and placing of an entity in Denied Entity List (DEL)

- (a) If an Authorisation holder violates any condition of such Authorisation or fails to fulfill export obligation or fails to deposit the requisite amount within the period specified in demand notice issued by Department of Revenue and /or DGFT, he shall be liable for action in accordance with FT(D&R) Act, the Rules and Orders made there under, FTP and any other law for time being in force.
- (b) With a view to raising ethical standards and for ease of doing business, DGFT has provided for self-certification system under various schemes. In such cases, applicants shall undertake self-certification with sufficient care and caution in filling up information/particulars. Any information/particulars subsequently found untrue/incorrect will be liable for action under FT(D&R) Act, 1992 and Rules therein in addition to penal action under any other Act/Order.
- (c) A firm may be placed under Denied Entity List (DEL), by the concerned RA, under the provision of Rule 7 of Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993. On issuance of such an order, for reasons to be recorded in writing, a firm may be refused grant or renewal of a licence, authorisation, certificate, scrip, or any

instrument bestowing financial or fiscal benefits. If a firm is placed under DEL, all new licences, authorisations, scrips, certificates, instruments etc. will be blocked from printing/ issue/renewal.

- (d) DEL orders may be placed in abeyance, for reasons to be recorded in writing by the concerned RA. DEL order can be placed in abeyance, for a period not more than 60 days at a time.
- (e) A firm's name can be removed from DEL, by the concerned RA for reasons to be recorded in writing, if the firm completes Export Obligation/ pays penalty/ fulfils requirement of Demand Notice(s) issued by the RA/submits documents required by the RA.

2.15. Firm/company under adjudication proceeding before the National Company Law Tribunal (NCLT)

Any firm/company coming under the adjudication proceeding before the National Company Law Tribunal (NCLT) shall inform the concerned Regional Authority (RA) and NCLT of any outstanding export obligations/liabilities under any of the schemes under FTP. The total outstanding duty saved amount/dues along with interest, and any penalty imposed under FT(D&R) Act, or any other dues, shall be counted as part of the dues to the government against the said firm/company.

Prohibitions on Trade (Country, Organisations, Groups, Individuals etc. and Product Specific):

2.16 Prohibition on Import and Export of 'Arms and related material' from / to Iraq

Notwithstanding the policy on Arms and related materials in Chapter 93 of ITC(HS), the import/export of Arms and related material from/to Iraq is 'Prohibited'. However, export of Arms and related material to Government of Iraq shall be permitted subject to 'No Objection Certificate' from the Department of Defence Production.

2.17 Prohibition on Trade with the Islamic State in Iraq and the Levant [ISIL, also known as Daesh], Al Nusrah Front [ANF] and other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al Qaida

In compliance with United Nations Security Council Resolution No. 2199 [2015], trade in oil and refined oil products, modular refineries and related materials, besides items of cultural (including antiquities), scientific and religious importance is prohibited with the Islamic State in Iraq and the Levant [ISIL], Al Nusrah Front [ANF] and other individuals, groups, undertakings and entities associated, directly or indirectly, with Al Qaida.

2.18 Prohibition on direct or indirect import and export from/to DPRK

Direct or Indirect export and import of items, whether or not originating in Democratic People's Republic of Korea (DPRK) to/from DPRK is detailed in Appendix – I of this Chapter.

2.19 Direct or Indirect Export/Import to/from Iran

- (a) Direct or indirect export to Iran or import from Iran of any item, material, equipment, goods and technology mentioned in the following documents would be permitted subject to the provisions contained in Annex-B to the United Nations Security Council Resolution 2231 (2015):
 - (i) Items listed in INFCIRC/254/Rev.14/Part1 and INFCIRC/254/Rev.11/Part 2 (IAEA Documents) as updated by the UNSC and IAEA from time to time.
 - (ii) Items listed in S/2015/546 (UN Security Council document) as updated by the Security Council from time to time.
- (b) All the UN Security Council Resolutions/Documents and IAEA Documents referred to above are available on the UN Security Council website (<https://www.un.org/securitycouncil/>) and IAEA website (<https://www.iaea.org/>).

2.20 Prohibition on Import of Charcoal from Somalia

Direct or indirect import of charcoal is prohibited from Somalia, irrespective of whether or not such charcoal has originated in Somalia [United Nations Security Council Resolution 2036(2012)]. Importers of Charcoal shall submit a declaration to Customs that the consignment has not originated in Somalia.

Import / Export through State Trading Enterprises:

2.21 State Trading Enterprises (STEs)

- (a) State Trading Enterprises (STEs) are governmental and non-governmental enterprises, including marketing boards, which deal with goods for export and /or import. Any good, import or export of which is governed through exclusive or special privilege granted to State Trading Enterprise (STE), may be imported or exported by the concerned STE as per conditions specified in ITC (HS). The list of STEs notified by DGFT is in Appendix-2J.

- (b) Such STE(s) shall make any such purchases or sales involving imports or exports solely in accordance with commercial considerations, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale in a non-discriminatory manner and shall afford enterprises of other countries adequate opportunity, in accordance with customary business practices, to compete for participation in such purchases or sales.
- (c) DGFT may, however, grant an authorisation to any other entity to import or export any of the goods notified for exclusive trading through STEs.

Trade with Specific Countries:

2.22 Trade with Neighbouring Countries

DGFT may issue instructions or frame schemes as may be required to promote and regulate trade and strengthen economic ties with neighbouring countries.

2.23 Transit Facility

Transit of goods through India from/ or to countries adjacent to India shall be enabled and regulated in accordance with strategic and economic interests of India as well as the bilateral treaties between India and those countries. Such arrangements will be subject to conditions and restrictions as may be specified by DGFT in accordance with International Conventions/ Treaties/Agreements.

2.24 Trade with Russia under Debt-Repayment Agreement

In case of trade with Russia under Debt Repayment Agreement, DGFT may issue instructions or frame schemes as may be required, and anything contained in FTP, in so far as it is inconsistent with such instructions or schemes, shall not apply.

Import of Specific Categories of Goods:

2.25 Import of Samples

No Authorisation shall be required for Import of bonafide technical and trade samples of items “restricted” in ITC(HS) except defence/security items, seeds, bees and new drugs. Import of samples shall be further governed by Para 2.62 of Handbook of Procedures.

2.26 Import of Gifts

Import of goods, including those purchased from e-commerce portals, through post or courier, where Customs clearance is sought as gifts, is prohibited except for life saving drugs/ medicines and Rakhi (but not gifts related to Rakhi).

Explanation:

1. Rakhi (but not gifts related to Rakhi) will be covered under Section 25(6) of Customs Act, 1962 that reads that “no duty shall be collected if the amount of duty leviable is equal to or less than Rs. 100/-”
2. Import of goods as gifts with payment of full applicable duties is allowed.

2.27 Import through Passenger Baggage

- (a) Bona-fide household goods and personal effects may be imported as part of passenger baggage as per limits, terms and conditions thereof in Baggage Rules notified by Ministry of Finance.
- (b) Samples of such items that are otherwise freely importable under FTP may also be imported as part of passenger baggage without an Authorisation subject to Baggage Rules as notified by Customs from time to time.
- (c) Exporters coming from abroad are also allowed to import drawings, patterns, labels, price tags, buttons, belts, trimming and embellishments required for export, as part of their passenger baggage, without an Authorization subject to value limit as laid down in FTP or as per the relevant Customs notification(s) in this regard.
- (d) Any item(s) including Samples or Prototypes of items whose import policy is “restricted” or “prohibited” or is canalised through STEs are not permitted as part of passenger baggage except with a valid authorization/permission issued by DGFT.

2.28 Re-import of goods repaired abroad

Capital goods, equipment, components, parts and accessories, whether imported or indigenous, except those restricted under ITC (HS) may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or upgradation or standardization of

technology and re-imported without an Authorisation.

2.29 Import of goods used in projects abroad

Project contractors after completion of projects abroad, may import without an Authorisation, goods including capital goods used in the project, provided they have been used for at least one year.

2.30 Import of Prototypes

Import of new / second hand prototypes / second hand samples may be allowed on payment of duty without an Authorisation to an Actual User (industrial) engaged in production of or having industrial license / letter of intent for research in item for which prototype is sought for product development or research, as the case may be, upon a self-declaration to that effect, to the satisfaction of Customs authorities.

Import Policy for Second Hand Goods:

2.31 Second Hand Goods

Sl.No.	Categories of Second-Hand Goods	Import Policy	Conditions, if any
I. Second Hand Capital Goods			
I(a)	i. Desktop Computers; ii. Refurbished/re-conditioned spares of re-furbished parts of Personal Computers/ Laptops; iii. Air Conditioners; iv. Diesel generating sets	Restricted	Importable against Authorisation
I(b)	All electronics and IT Goods notified under the Electronics and IT Goods (Requirements of Compulsory Registration) Order, 2012 as amended from time to time	Restricted	(i) Importable against an authorization subject to conditions laid down under Electronics and IT Goods (Requirements of Compulsory Registration) Order, 2012 as amended from time to time. (ii) Import of unregistered/non-compliant notified products as in CRO, 2012 as amended from time to time is "Prohibited"
I(c)	Refurbished / re-conditioned spares of Capital Goods	Free	Subject to production of Chartered Engineer certificate to the effect that such spares have at least 80% residual life of original spare
I(d)	All other second-hand capital goods {other than (a) (b) & (c) above}	Free	
II.	Second Hand Goods other than capital goods	Restricted	Importable against Authorisation
III.	Second Hand Goods imported for the purpose of repair/refurbishing / re-conditioning or re-engineering	Free	Subject to condition that waste generated during the repair / refurbishing of imported items is treated as per domestic Laws/ Rules/ Orders/ Regulations/ technical specifications/ Environmental / safety and health norms and the imported item is re-exported back as per the Customs Notification.

Import Policy for Metallic Waste and Scraps:

2.32 Import of Metallic Waste and Scrap

- (a) Import of any form of metallic waste, scrap will be subject to the condition that it will not contain hazardous, toxic waste, radioactive contaminated waste/scrap containing radioactive material, any types of arms, ammunition, mines, shells, live or used cartridge or any other explosive material in any form either used or otherwise as detailed in Para 2.51 of Handbook of Procedures.
- (b) The types of metallic waste and scrap which can be imported freely, and the Procedures of import in the shredded form; un-shredded, compressed and loose form is laid down in Para 2.51 of Handbook of Procedures.

2.33 Removal of Scrap/Waste from SEZ

A SEZ unit/Developer/ Co-developer may be allowed to dispose of in DTA any waste or scrap, including any form of metallic waste and scrap, generated during manufacturing or processing activity, without an Authorisation, on payment of applicable Customs Duty.

Other Provisions Related to Imports:**2.34 Import under Lease Financing**

No specific permission of DGFT is required for import of lease financed Capital Goods.

2.35 Execution of Legal Undertaking (LUT) / Bank Guarantee (BG)

- (a) Wherever any duty-free import is allowed or where otherwise specifically stated, importer shall execute, Legal Undertaking (LUT) / Bank Guarantee (BG) / Bond with the Customs Authority, as prescribed, before clearance of goods.
- (b) In case of indigenous sourcing, Authorisation holder shall furnish LUT/BG/Bond to the RA concerned before sourcing material from indigenous supplier/nominated agency as prescribed in Chapter 2 of Handbook of Procedures.

2.36 Private/Public Bonded Warehouses for Imports

- (a) Private/ Public bonded warehouses may be set up in DTA as per rules, regulations and notifications issued under the Customs Act, 1962. Any person may import goods except prohibited items, arms and ammunition, hazardous waste and chemicals and warehouse them in such bonded warehouses.
- (b) Such goods may be cleared for home consumption in accordance with provisions of FTP and against Authorisation, wherever required. Customs duty as applicable shall be paid at the time of clearance of such goods.
- (c) The clearance of the warehoused goods shall be as per the provisions of the Customs Act, 1962.

2.37 Special provision for Hides Skins and semi-finished goods

Hides, Skins and semi-finished leather may be imported in the Public/ Private Bonded warehouse for the purpose of DTA sale and the unsold items thereof can be re-exported from such bonded warehouses on payment of the applicable rate of export duty.

2.38 Sale on High Seas

Sale of goods on high seas for import into India may be made subject to FTP or any other law in force.

2.39 Merchanting Trade

Merchanting trade involving shipment of goods from one foreign country to another foreign country without touching Indian ports, involving an Indian intermediary is allowed subject to compliance with RBI guidelines, except for goods/items in the CITES and SCOMET list.

Exports:**2.40 Free Exports**

All goods may be exported without any restriction except to the extent that such exports are regulated by ITC(HS) or any other provision of FTP or any other law for the time being in force. DGFT may, however, specify through a Public Notice such terms and conditions according to which any goods, not included in ITC(HS), may be exported without an Authorisation.

2.41 Benefits for Supporting Manufacturers

For any benefit to accrue to the supporting manufacturer (as defined in Para 11.59 of FTP), the names of both supporting manufacturer as well as the merchant exporter must figure in the concerned export documents, especially in Tax Invoice / Shipping Bill / Bill of Export/ Airway Bill.

2.42 Third Party Exports

Third party exports (except Deemed Export) as defined in Chapter 11 shall be allowed under FTP. In such cases, export documents such as shipping bill shall indicate name of both manufacturing exporter/manufacturer and third-party exporter(s). e-Bank Realization Certificate (e-BRC) or export Realizations from RBI's EDPMS wherever available in DGFT IT Systems, Export Order and Invoice should be in the name of third-party exporter.

Exports of Specific Categories:

2.43 Export of Samples

- (a) Exports of bonafide trade and technical samples of freely exportable item shall be allowed without any limit.
- (b) The procedure for Export of Samples and Free of charge goods shall be governed by provisions given in Para 2.63 of Handbook of Procedures.

2.44 Export of Gifts

Goods including edible items, of value not exceeding Rs.5,00,000/- in a licensing year, may be exported as a gift. However, items mentioned as restricted for exports in ITC(HS) shall not be exported as a gift, without an Authorisation.

2.45 Export of Passenger Baggage

- (a) Bona-fide personal baggage may be exported either along with passenger or, if unaccompanied, within one year before or after passenger's departure from India. However, items mentioned as restricted in ITC(HS) shall require an Authorisation. Government of India officials proceeding abroad on official postings shall, however, be permitted to carry along with their personal baggage, food items (free, restricted or prohibited) strictly for their personal consumption. The Provisions of the Para shall be subject to Baggage Rules issued under Customs Act, 1962.
- (b) Samples of such items that are otherwise freely exportable under FTP may also be exported as part of passenger baggage without an Authorisation.

2.46 Import for Export

I.

- (a) Goods imported, in accordance with FTP, may be exported in same or substantially the same form without an Authorisation provided that item to be imported or exported is not in the restricted for import or export in ITC(HS) Schedules.
- (b) Goods, including capital goods (both new and second hand), may be imported for export provided:
 - (i) Importer clears goods under Customs Bond;
 - (ii) Goods are freely exportable, i.e., are not "Restricted" or "Prohibited" or subject to "exclusive trading through State Trading Enterprises" or any conditionality or requirement as may be required under Schedule 2 of the Export Policy of the ITC (HS);
 - (iii) Export is against freely convertible currency or as per para 2.52(d)(ii) of FTP.
- (c) Goods in (b) above will include 'Restricted' goods for import (except 'Prohibited' items).
- (d) Capital goods, which are freely importable and freely exportable, may be imported for export on execution of LUT/BG with the Customs Authority.
- (e) Notwithstanding the above, goods which are freely importable may be re-exported except items as in the Prohibited or SCOMET List of exports, in same or substantially same form even though such goods are under "Restricted list" for export, subject to the following conditions:
 - (i) Goods are not of Indian Origin;
 - (ii) Goods imported shall be kept in bonded warehouse under supervision of Customs;
 - (iii) Goods to be exported have never been cleared for home consumption;
 - (iv) Export of goods shall be subjected to Section 69 of Customs Act, 1962.
- (a) Goods imported against payment in freely convertible currency would be permitted for export only against

payment in freely convertible currency, unless otherwise notified by DGFT. Goods imported under Para 2.52(d)(i) would be permitted for exports only against payments as per Para 2.52(d)(ii), unless otherwise notified by DGFT.

- (b) Export of such goods to the notified countries (presently only Iran) would be permitted against payment in Indian Rupees, subject to minimum 15% value addition.
- (c) However, re-export of food, medicine and medical equipment, namely, items covered under ITC(HS) Chapters 2 to 4, 7 to 11, 15 to 21, 23, 30 and items under headings 9018, 9019, 9020, 9021 & 9022 of Chapter-90 of ITC(HS) will not be subject to minimum value addition requirement for export to Iran. Exports of these items to Iran shall, however, be subject to all other conditions of FTP and ITC (HS), as applicable. Bird's eggs covered under ITC (HS) 0407 & 0408 and Rice covered under ITC (HS) 1006 are not covered under this dispensation, as at II (a) above.
- (d) Exports under this dispensation, as at I (e) and II (a), (b) and (c) above shall not be eligible for any export incentives.

2.47 Export of Replacement Goods

Goods or parts thereof on being exported and found defective/damaged or otherwise unfit for use may be imported for replacement free of charge by the exporter in accordance with the relevant Customs Notification, and such goods shall be allowed for export by Customs authorities, provided that replacement goods are not under the restricted or SCOMET items for exports in ITC(HS). If the export item is 'Restricted' or under SCOMET list, the exporter shall require an Authorisation for export of such replacement goods.

2.48 Export of Repaired Goods

Goods or parts thereof, except restricted under ITC (HS), on being exported and found defective, damaged or otherwise unfit for use may be imported for repair and subsequent re-export. Such goods shall be allowed clearance without an Authorisation and in accordance with the relevant customs notification. To that extent the exporter shall return the benefits /incentive availed on the returned goods. If the item is 'restricted' for import, the exporter shall require an import license. However, re-export of such defective parts/spares by the Companies/firms and Original Equipment Manufacturers shall not be mandatory if they are imported exclusively for undertaking root cause analysis, testing and evaluation purpose.

2.49 Export of Spares

Warranty spares (whether indigenous or imported) of plant, equipment, machinery, automobiles or any other goods [except those restricted under ITC (HS)] may be exported along with main equipment or subsequently but within contracted warranty period of such goods, subject to approval of RBI.

2.50 Re-export of imported Goods found defective and unsuitable for use

Imported goods found defective after Customs clearance, or not found as per specifications or requirements may be re-exported back as per Customs Act, 1962.

2.51 Private Bonded Warehouses for Exports

- (a) Private bonded warehouses exclusively for exports may be set up in DTA as per terms and conditions of notifications issued by Department of Revenue.
- (b) Such warehouses shall be entitled to procure goods from domestic manufacturers for manufacturing and other operations in accordance with Section 65 of the Customs Act, 1962.

Payments and Receipts on Imports / Exports:

2.52 Denomination of Export Contracts

- (a) All export contracts and invoices shall be denominated either in freely convertible currency or Indian rupees but export proceeds shall be realized in freely convertible currency.
- (b) However, export proceeds against specific exports may also be realized in rupees, provided it is through a freely convertible Vostro account of a non-resident bank situated in any country other than a member country of Asian Clearing Union (ACU) or Nepal or Bhutan. Additionally, rupee payment through Vostro account must be against payment in free foreign currency by buyer in his non-resident bank account. Free foreign exchange remitted by buyer to his non-resident bank (after deducting bank service charges) on account of this transaction would be taken as export realization under export promotion schemes of FTP.
- (c) Contracts (for which payments are received through Asian Clearing Union (ACU) shall be denominated in

ACU Dollar. However, participants in the ACU may settle their transactions in ACU Dollar or in ACU Euro as per RBI Notifications. Central Government may relax provisions of this paragraph in appropriate cases. Export contracts and invoices can be denominated in Indian rupees against EXIM Bank/Government of India line of credit.

- (d) Invoicing, payment and settlement of exports and imports is also permissible in INR subject to compliances as under RBI's A.P. (DIR Series) Circular No.10 dated 11th July, 2022. Accordingly, settlement of trade transactions in INR shall take place through the Special Rupee Vostro Accounts opened by AD banks in India as permitted under Regulation 7(1) of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, in accordance to the following procedures:

- (i) Indian importers undertaking imports through this mechanism shall make payment in INR which shall be credited into the Special Vostro account of the correspondent bank of the partner country, against the invoices for the supply of goods or services from the overseas seller /supplier.
- (ii) Indian exporters, undertaking exports of goods and services through this mechanism, shall be paid the export proceeds in INR from the balances in the designated Special Vostro account of the correspondent bank of the partner country.

2.53 Applicability of FTP Schemes for Export Realisations in Indian Rupees

- (i) Export proceeds realized in Indian Rupees against exports to Iran are permitted to avail exports benefits / incentives/ fulfilment of Export Obligations under the Foreign Trade Policy, at par with export proceeds realized in freely convertible currency, subject to compliance of para 2.19 of the FTP.
- (ii) Export proceeds realized in Indian Rupees as per para 2.52(d)(ii) are permitted to avail exports benefits / incentives / fulfilment of Export Obligations under the Foreign Trade Policy

2.54 Non-Realisation of Export Proceeds

- (a) If an exporter fails to realize export proceeds within time specified by RBI, he shall, without prejudice to any liability or penalty under any law in force, be liable to return all benefits / incentives availed against such exports and action in accordance with provisions of FT (D&R) Act, Rules and Orders made thereunder and the FTP.
- (b) In case an Exporter is unable to realize the export proceeds for reasons beyond his control (force-majeure), he may approach RBI for writing off the unrealized amount as laid down in Para 2.72 of Handbook of Procedures.
- (c) The payment realized through insurance cover, would be eligible for benefits under FTP as per Procedures laid down in Para 2.71 of Handbook of Procedures.

2.55 Export Credit Agencies (ECAs)

- (i) Export Credit Agencies (ECAs) are policy instruments for Government to support exports. ECAs support exports by insurance, guarantee and also direct lending. Export Credit Agencies (ECAs) like Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) provides credit insurance support to exports and export credit lending. Covers issued by ECGC to exporters, protect against losses arising out of payment failures due to insolvency or default of the buyers or due to political risks. Exporters can diversify their markets in addition to protecting existing markets through such covers. ECGC also supports Medium and Long term (MLT) exports including project exports. Exim Bank is the other ECA in the business of lending for MLT exports and fronting the government's line of credit.
- (ii) ECGC indemnifies losses of exporters in export trade due to insolvency or default of the buyer. Additionally, losses due to political risk like war, sudden import restriction, promulgation of law or decree after the shipment has been affected are also covered. Some of the anti- dumping measures or non-tariff barriers introduced after a shipment has been made will come under the purview of the political risk. In such cases exporter's interest are protected by ECGC.

Export Promotion Councils:

2.56 Recognition of EPCs to function as Registering Authority for issue of RCMC

- (a) Export Promotion Councils (EPCs) are organizations of exporters, set up with the objective to promote and develop Indian exports. Each Council is responsible for promotion of a particular group of products/ projects/services as given in Appendix 2T of ANF.
- (b) EPCs are also eligible to function as Registering Authorities to issue Registration-cum-Membership

Certificate (RCMC) to its members. The criteria for EPCs to be recognized as Registering Authorities for issue of RCMC to its members are detailed in Para 2.78 of the Handbook of Procedures.

2.57 Registration-cum-Membership Certificate (RCMC)

- (a) Any person, applying for an Authorisation to import/export under the FTP (except items listed as 'Restricted' items in ITC (HS)) or applying for any other benefit or concession under FTP, shall be required to provide, the RCMC granted by competent authority in accordance with Procedures specified in Handbook of Procedures unless specifically exempted under FTP.
- (b) Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) issued by Spices Board and Certificate of Registration as Exporter of Coir & Coir products issued by the Coir Board shall be treated as Registration-Cum-Membership Certificate (RCMC) for the purposes under this Policy.

2.58 Interpretation of Policy

- (a) The decision of DGFT shall be final and binding on all matters relating to interpretation of Policy, or provision in Handbook of Procedures, Appendices and Aayat Niryat Forms or classification of any item for import / export in the ITC (HS).
- (b) A Policy Interpretation Committee (PIC) may be constituted to aid and advice DGFT. The composition of the PIC would be as follows:
 - (i) DGFT: Chairman
 - (ii) All Additional DGFTs in Headquarters: Members
 - (iii) All Joint DGFTs in Headquarters looking after Policy matters: Members
 - (iv) Joint DGFT (PRC/PIC): Member Secretary
 - (v) Any other person / representative of the concerned Ministry / Department, to be co-opted by the Chairman.

2.59 Exemption from Policy/Procedures

DGFT may in public interest pass such orders or grant such exemption, relaxation or relief, as he may deem fit and proper, on grounds of genuine hardship and adverse impact on trade to any person or class or category of persons from any provision of FTP or any Procedures. While granting such exemption, DGFT may impose such conditions as he may deem fit after consulting the Committees as under:

Sl. No.	Description	Committee
(a)	Fixation/modification of product norms under all schemes	Norms Committees
(b)	Nexus with Capital Goods (CG) and benefits under EPCG Schemes	EPCG Committee
(c)	All other issues	Policy Relaxation Committee (PRC)

2.60 Personal Hearing by DGFT for Grievance Redressal

- (a) Government is committed to easy and speedy redressal of grievances from Trade and Industry. Paragraph 2.59 of FTP provides for relaxation of Policy and Procedures on grounds of genuine hardship and adverse impact on trade. If an importer/exporter is aggrieved by any decision taken by Policy Relaxation Committee (PRC), or a decision/order by any authority in the Directorate General of Foreign Trade, a specific request for Personal Hearing (PH) along with the prescribed application fee as per Appendix-2K has to be made to DGFT. DGFT may consider request for relaxation after consulting concerned Norms Committee, EPCG Committee or Policy Relaxation Committee (PRC) and the decision conveyed in pursuance to the personal hearing shall be final and binding.
- (b) The opportunity for Personal Hearing will not apply to a decision/order made in any proceeding, including an adjudication proceeding, whether at the original stage or at the appellate stage, under the relevant provisions of FT (D&R) Act, 1992, as amended from time to time.

2.61 Regularization of EO default and settlement of Customs duty and interest through Settlement Commission

With a view to providing assistance to firms who have defaulted under FTP for reasons beyond their control as also facilitating merger, acquisition and rehabilitation of sick units, it has been decided to empower Settlement Commission in Department of Revenue to decide such cases also with effect from 01.04.2005. However, in cases where the matter is under the purview of the NCLT, Para 2.15 of the FTP shall apply.

Self-Certification of Originating Goods:

2.62 Approved Exporter Scheme for Self-Certification of Certificate of Origin

- (i) Currently, Certificates of Origin under various Preferential Trade Agreements [PTA], Free Trade Agreements [FTAs], Comprehensive Economic Cooperation Agreements [CECA] and Comprehensive Economic Partnerships Agreements [CEPA] are issued by designated agencies as per Appendix 2B of Appendices and Aayat Niryat Forms. A new optional system of self-certification is being introduced with a view to reducing transaction cost.
- (ii) The Manufacturers who are also Status Holders shall be eligible for Approved Exporter Scheme. Approved Exporters will be entitled to self-certify their manufactured goods as originating from India with a view to qualifying for preferential treatment under different PTAs/FTAs/CECAs/CEPAs which are in operation. Self-certification will be permitted only for the goods that are manufactured as per the Industrial Entrepreneurs Memorandum (IEM) / Industrial License (IL) /Letter of Intent (LOI) issued to manufacturers.
- (iii) Status Holders will be recognized by DGFT as Approved Exporters for self-certification based on availability of required infrastructure, capacity and trained manpower as per the details in Para 2.94 of Handbook of Procedures read with Appendix 2F of Appendices & Aayaat Niryat Forms.
- (iv) The details of the Scheme, along with the penalty provisions, are provided in Appendix 2F of Appendices and Aayaat Niryat Forms and will come into effect only when India incorporates the scheme into a specific agreement with its partner/s and the same is appropriately notified by DGFT. Further the entities to whom such self-certification will be extended bilaterally under FTA/PTA will be subject to the provisions and conditions of that FTA.

2.63 Certification of Origin of Goods EU-GSP

Exporters can self-certify the Statement on Origin of their goods, as per the self-certification scheme, Certification of Origin of Goods for European Union Generalised System of Preferences (EU-GSP), of the European Union (EU) under the Registered Exporter System (REX) as in Para 2.89(A)(c) of the Handbook of Procedures.

Appendix I (Refer para 2.18 of the FTP)**Prohibition on direct or indirect import and export from/to Democratic People's Republic of Korea (DPRK)****Prohibition on export:**

(A) The direct or indirect supply, sale, transfer or export of the following items to Democratic People's Republic of Korea (DPRK) is prohibited: -

(i) any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms, or related material including spare parts;

(ii) all arms and related material, including small arms and light weapons and their related material;

(iii) all items, materials, equipment, goods and technology as set out in the United Nations Security Council (UNSC) and International Atomic Energy

Agency (IAEA) documents, namely,

1. S/2006/853*;

2. S/2006/853/Corr.1;

3. Part B of S/2009/364;

4. Annex III of Resolution 2094 (2013);

5. S/2016/1069;

6. Annex A to INFCIRC/254/Rev.12/Part1 (IAEA document);

7. Annex to INFCIRC/254/Rev.9/Part2 (IAEA document);

8. S/2014/253;

9. S/2016/308;

10. Annex III of Resolution 2321 (2016); and

11. other items, materials, equipment, goods and technology, as determined by the Central Government, which could contribute to DPRK's nuclear related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction related programmes;

(iv) luxury goods, including undenatured ethyl alcohol [HS Codes 2207 and 2208] and cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes [HS Codes 2402] under Chapter 22 and 24, Schedule 2 ITC (HS) Export Policy 2018, but not limited to, the items specified in Annex IV of Resolution 2094 (2013), Annex IV of Resolution 2270 (2016) and Annex IV of Resolution 2321 (2016);

(v) items as determined by the Central Government, except food or medicine, that could directly contribute to the development of the Democratic People's Republic of Korea's operational capabilities of its armed forces. This measure is subject to the exemptions set out in paragraph 8 (a) and (b) of Resolution 2270 (2016);

Prohibition on import

(B) The direct or indirect procurement or import from DPRK, of items, whether or not originating in DPRK, covered in sub-paragraphs (A)(i), (A)(ii), (A)(iii) and (A)(v) above is prohibited.

Sectoral prohibitions (export)

(C) The direct or indirect supply, sale, transfer or export of the following items to DPRK is prohibited:

(i) new helicopters and new or used vessels, except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis;

(ii) aviation fuel, including aviation gasoline, naphtha-type jet fuel, kerosene-type jet fuel, and kerosene-type rocket fuel. This measure is subject to the provisions of paragraph 31 of Resolution 2270 (2016) and paragraph 20 of Resolution 2321 (2016);

(iii) condensates and natural gas liquids;

(iv) refined petroleum products. This measure is subject to the limits, exceptions and procedures set out in paragraph 5 of Resolution 2397 (2017);

(v) crude oil. This measure is subject to the limits, exemptions and procedures set out in paragraph 4 of Resolution 2397 (2017);

(vi) all industrial machinery [Chapter 84 and 85 of ITC(HS)], transportation vehicles [Chapter 86 to 89 of ITC(HS)],

and iron, steel, and other metals [Chapter 72 to 83 of ITC(HS)]. This measure is subject to the exemptions set out in paragraph 7 of Resolution 2397 (2017);

Sectoral prohibitions (import)

(D) The direct or indirect procurement or import from DPRK, of the following items is prohibited:

(i) coal, iron and iron ore. This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 8 of Resolution 2371 (2017);

(ii) gold, titanium ore, vanadium ore, and rare earth minerals;

(iii) copper, nickel, silver and zinc;

(iv) statues, unless the Committee approves on a case-by-case basis in advance;

(v) seafood (including fish, crustaceans, mollusks, and other aquatic invertebrates in all forms). This measure is subject to the exemptions, clarifications and procedures set out in paragraph 9 of Resolution 2371 (2017) and paragraph 6 of Resolution 2397 (2017);

(vi) lead and lead ore. This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 10 of Resolution 2371 (2017);

(vii) textiles (including but not limited to fabrics and partially or fully completed apparel products). This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 16 of Resolution 2375 (2017);

(viii) food and agricultural products [Chapters 12, 08, 07 of ITC(HS)], machinery [Chapter 84 of ITC(HS)], electrical equipment [Chapter 85 of ITC(HS)], earth and stone including magnesite and magnesite [Chapter 25 of ITC(HS)], wood [Chapter 44 of ITC(HS)], and vessels [Chapter 89 of ITC(HS)]. These measures are subject to the procedures set out in paragraph 6 of Resolution 2397 (2017).

Explanation. -

a) UNSC means the United Nations Security Council;

b) IAEA means the International Atomic Energy Agency;

c) Committee means the Committee of the UNSC set up in terms of paragraph 12 of Resolution 1718 (2006);

d) Resolution, as the case may be, means the UNSC Resolutions under Chapter VII of the Charter of the United Nations on Democratic People's Republic of Korea, namely, 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2231 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) and 2397 (2017).

CHAPTER 3

DEVELOPING DISTRICTS AS EXPORT HUBS

3.0 Objective

To galvanise districts of the country to become export hubs by identifying products and services with export potential in the district, addressing bottlenecks for exporting these products/services, supporting local exporters/manufacturers to scale and find potential buyers outside India with the aim of promoting exports, manufacturing & services industry in the District. This is intended to bring greater level of awareness and commitment regarding exports at the district level, build capacity to create new exporters and identify new markets for the focused products and services. This will also empower MSMEs, farmers and small scale industries to get benefit of export opportunities in the overseas markets. This decentralised and focused approach will shift the focus on district led export growth for self-sufficiency and self-reliance by providing global platform to products and services from the districts.

3.1 District Export Promotion Committees - Institutional Mechanism at District Level

Every district has products and services which are being exported, and can be further promoted, along with new products / services, to increase production, grow exports, generate economic activity and achieve the goal of *AtmaNirbhar Bharat, Vocal for local and Make in India*. Products/services (GI products, agricultural clusters, toy clusters etc.) with export potential in each District have to be identified and institutional mechanism in the form of District Export Promotion Committees (DEPCs) at the district level is to be created to provide support for export promotion and address the bottlenecks for export growth in the Districts.

Each District shall constitute a District Export Promotion Committee (DEPC) chaired by Collector/DM/DC of the District and co-chaired by designated DGFT Regional Authority with various other stakeholders as its members.

The primary function of the DEPC will be to prepare and implement district specific Export Action Plans in collaboration with all the relevant stakeholders at the Central, State and the District level.

DGFT Regional Authorities will be engaging with all the relevant State and Central agencies to take forward this initiative in each district.

3.2 District Export Action Plans for Each District

The District Export Action Plan (DEAP) may be prepared for each district. 2-3 high potential products/services from the districts may be prioritised and comprehensive plan for their export growth may be prepared. It may include the support required by the local industry in boosting their manufacturing and exports with impetus on supporting the industry from the production stage to the exporting stage. The DEAPs may also include specific quantifiable targets to be achieved in the short term and long term. These plans may outline the interventions that are required to promote the export of identified products and services from the district. Each DEAP may be deliberated by the DEPC and various stakeholders before it is formally adopted by the DEPC of the each District. DEAP of each District, once adopted, may be published in the public domain on a dedicated Portal.

3.3 State/UT Export Promotion Committees

To synergise the efforts of the Department of Commerce/DGFT and the State/UT governments in promotion of exports from the State, each State shall constitute a State Export Promotion Committee (SEPC) headed by Chief Secretary of the State. The designated Regional Authority of DGFT shall be the co-convenor of the committee.

3.4 Nodal DGFT Regional Authority

Districts of the States/UTs have been assigned to the Jurisdictional DGFT Regional Authority and the nodal RA shall be responsible for the Districts under their jurisdiction for all activities related to Districts as Export Hubs initiative in those Districts.

3.5 Online Monitoring of District Export Action Plans

DGFT would develop an online monitoring portal that may be accessed on the DGFT website to enable the States/DGFT RAs to upload all information related to the products/services with export potential of every District. The portal may also help in monitoring the progress of District Export Action Plan and DEPC meetings in all the Districts. Each DGFT Jurisdictional RA to be primarily responsible for updating the information/progress made in implementing Export Action Plan for each District under their Jurisdiction. The information and reports may also be available in public domain for the benefit of the exporters.

3.6 Export Promotion Activities in Districts

Support in the form of product/sector specific training and development needs of local industries, dissemination of information through outreach activities including buyer-seller meets, trade fairs, workshops etc. may be provided in each District. The training and development needs of District industries may be identified and trainings may be coordinated with other departments. DGFT RAs through DEPCs may facilitate such buyer-seller meets, exhibitions, trade fairs etc. in the District to encourage the industries to showcase their products/services to the world.

3.7 Implementation of District Export Action Plans

The District Export Action Plan notified by the District Export Promotion Committee in each District may include clear identification of products (goods and services) with export potential in the District, institutional/other responsibilities, specifics of policy, regulatory and operational reform, and infrastructure/utilities/logistics interventions required across the entire chain from producer/farm to the export destination, to cover aspects like production, productivity/competitiveness, improvements required in design, tie up of producers with exporters, aggregation, sorting, testing, certification, packaging, transportation through cold chain or otherwise, import export regulatory formalities, fulfilment of destination countries standards etc. It may also include Identifying bottlenecks/Issues in GI production, registration, marketing and its exports. The plan may also include the support required by the local industry in boosting their manufacturing and exports with impetus on supporting the industry from the production stage to the exporting stage.

Once the plan is formally adopted by the DEPC of the each District, the plan may be implemented by the DEPC by identifying the projects/activities required to be done to promote export growth from the Districts. Convergence of various schemes would be done on priority to build synergy and access the central government and State government scheme funds available for infrastructure development and skill/capacity building activities. Department of Commerce schemes such as Market Access Initiative, Niryat Bandhu scheme etc. may also give priority to district specific needs identified under the District Export Action Plan.

CHAPTER 4**DUTY EXEMPTION / REMISSION SCHEMES****4.00 Objective**

Schemes under this Chapter enable duty free import of inputs for export production, including replenishment of inputs or duty remission.

4.01 Schemes**(a) Duty Exemption Schemes.**

The Duty Exemption schemes consist of the following:

- Advance Authorisation (AA) (which will include Advance Authorisation for Annual Requirement).
- Duty Free Import Authorisation (DFIA).

(b) Duty Remission Scheme.

Duty Drawback (DBK) Scheme, administered by Department of Revenue.

(c) Scheme for Rebate on State and Central Taxes and Levies (RoSCTL), as notified by the Ministry of Textiles.**(d) Schemes for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) notified by Department of Commerce and administered by Department of Revenue.****4.02 Applicability of Policy & Procedures**

Authorisation under this Chapter shall be issued in accordance with the Policy and Procedures in force on the date of issue of the Authorisation.

4.03 Advance Authorisation

(a) Advance Authorisation is issued to allow duty free import of input, which is physically incorporated in export product (making normal allowance for wastage). In addition, fuel, oil, catalyst which is consumed / utilized in the process of production of export product, may also be allowed.

(b) Advance Authorisation is issued for inputs in relation to resultant product, on the following basis:

(i) As per Standard Input Output Norms (SION) notified (available in Hand Book of Procedures);
OR

(ii) On the basis of self declaration as per paragraph 4.07 of Handbook of Procedures.
OR

(iii) Applicant-specific prior fixation of norm by the Norms Committee as per para 4.06 of Handbook of Procedures.
OR

(iv) On the basis of Self Ratification Scheme in terms of Para 4.06 of Foreign Trade Policy.

4.04 Advance Authorisation for Spices

Duty free import of spices covered under Chapter-9 of ITC (HS) shall be permitted only for activities like crushing /grinding / sterilization / manufacture of oils or oleoresins. Authorisation shall not be available for simply cleaning, grading, re-packing, etc.

4.04A Special Advance Authorisation Scheme for export of Articles of Apparel and Clothing accessories

Duty free import of fabric under 'Special Advance Authorisation Scheme for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories' shall be allowed, as per Customs Notification issued for this scheme, for export of items covered under Chapter 61 and 62 of ITC(HS) Classification of Export and Import, subject to the following terms and conditions:

(i) The authorisation shall be issued based on Standard Input Output Norms (SION) or prior fixation of norms by Norms Committee.

(ii) The authorisation may also be issued on the basis of self-declaration as per para 4.07 of HBP. In

such cases, adhoc-norms shall be fixed within stipulated time period of 90 days.

(iii) The authorisation shall be issued for the import of relevant fabrics including inter lining only as input. No other input, packing material, fuel, oil and catalyst shall be allowed for import under this authorisation.

(iv) Exporters shall be eligible for All Industry Rate of Duty Drawback, for non fabric inputs, as determined by Central Government for this scheme. For the purpose of value addition norm of Para 4.08 of FTP, the value of any other input used on which benefit of Drawback is claimed or intended to be claimed shall be equal to 22% of the FOB value of export realised. Minimum value addition shall be as per Para 4.09 of FTP.

(v) Where the exporter desires to claim drawback determined and fixed by Jurisdictional Customs Authority (brand rate), he shall follow Para 4.15 of FTP regarding declarations to be made in application for the authorisation and make export under claim for brand rate. In such cases the value addition shall be as per Para 4.08 of FTP. Minimum value addition shall be as per Para 4.09 of FTP.

(vi) Authorisation, and the fabric imported, shall be subject to actual user condition. The same shall be non transferable even after completion of export obligation. However fabric imported may be transferred for job work in terms of provisions of GST Acts under intimation to the Customs authority at the port of registration (excluding to units located in areas eligible for area based exemption from Central Excise Duty). Invalidation of the Authorisation shall not be permitted.

(vii) The fabric imported shall be subject to pre-import condition and it shall be physically incorporated in the export product (making normal allowance for wastage). Only Physical exports shall fulfill the export obligation.

(viii) Provisions of paragraphs 4.02, 4.05(a), 4.13(i), 4.13(ii), 4.14, 4.15, 4.17, 4.19, 4.21(i), 4.21(ii), 4.21(iii), 4.21(iv), 4.22, and 4.23 of Foreign Trade Policy shall be applicable in so far as they are not inconsistent with this scheme.

4.05 Eligible Applicant / Export /Supply

(a) Advance Authorisation can be issued either to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer.

(b) Advance Authorisation for pharmaceutical products manufactured through Non-Infringing (NI) process (as indicated in paragraph 4.18 of Handbook of Procedures) shall be issued to manufacturer exporter only.

(c) Advance Authorisation shall be issued for:

(i) Physical export (including export to SEZ)

(ii) Intermediate supply; and/or

(iii) Supply of goods to the categories mentioned in paragraph 7.02 (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of this FTP.

(iv) Supply of 'stores' on board of foreign going vessel / aircraft, subject to condition that there is specific Standard Input Output Norms in respect of item supplied.

4.06 Self-Ratification Scheme

(i) Where there is no SION/valid Adhoc Norms for an export product or where SION has been notified but exporter intends to use additional inputs in the manufacturing process, eligible exporter can apply for an Advance Authorisation under this scheme on self declaration and self ratification basis. The expression "additional inputs" refers not to additionality in terms of quantity/value of an input specified in a norm, but to another additional input. Say, if the inputs specified in the norm are X1 and X2 only, then input Y would represent an additional input. RA may issue Advance Authorisations and such cases need not be referred to Norms Committees for ratification of norms. Application under this scheme shall be made along with a Certificate from Chartered Engineer in the prescribed format.

(ii) A Certificate from a Chartered Engineer who has been not been penalised in the last five years under FT(D&R) Act 1992, Customs Act 1962, Central Excise Act 1944, GST Acts and allied acts and rules made there under shall only be accepted for grant of Authorisation under this scheme.

(iii) Detailed procedure for administering the scheme shall be prescribed in the Handbook of

Procedures.

(iv) An exporter (manufacturer or merchant), who holds AEO Certificate under Common Accreditation Programme of CBEC is eligible to opt for this scheme.

(v) A status holder who is a manufacturer cum actual user and holds valid 2-star or above status under para 1.25 of FTP and who has already submitted its application for grant of AEO on CBIC's AEO portal is also eligible to apply for this scheme subject to following conditions:-

- a) Status holder submits copy of numbered and dated acknowledgement of its application for grant of AEO.
- b) Status holder undertakes to the DGFT that –
 - (i) its application for grant of AEO certification has not yet been rejected;
 - (ii) There is no case of infringement of Customs and allied laws against the status holder in the current year and last three FYs.
 - (iii) Status holder has not been issued show cause notice by Customs or GST authorities in the current year and last three FYs.
 - (iv) Status holder has positive net current assets.
 - (v) There are no insolvency, bankruptcy or liquidation proceedings taken against the status holder in the current year and last three FYs.
- c) if status holder is unable to obtain the AEO certification within 120 days from date of application under this scheme para, the exporter agrees that the facility under this para shall stand withdrawn and he (status holder) will be bound to approach the concerned Norms Committee of DGFT for fixation of norms and to abide by the decision of the said Committee.
- d) In case of situation as at (c) above, no further authorisation under this scheme para will be issued.
- e) The DGFT may deny authorisation under this scheme para to two star and above status holder based on its risk management principles.
- f) Status holder shall be audited by the DGFT as laid down in the hand book of procedure.

(vi) The scheme shall not be available for the following export products:

- a) All items covered under Chapter-1 to 24 and Chapter-71 of ITC(HS) Classification;
- b) Biotechnology items and related products; and
- c) SCOMET items.

(vii) The scheme shall not be available for the following inputs:

- A. All vegetable / edible oils classified under Chapter-15 and all types of oilseeds classified under Chapter-12 of ITC (HS)book;
- B. All types of cereals classified under Chapter-10 of ITC (HS) book;
- C. Horn, hoof and any other organ of animal;
- D. Wild animal products, organs and waste thereof;
- E. Honey;
- F. All items with basic customs duty of 30% or more;
- G. All types of fruits/ nuts/ vegetables classified under Chapter-7 and Chapter-8 of ITC (HS)book;
- H. Items covered under heading 2515, 2516, 3301, 3302, 3303 6801 and 6802 of ITC(HS) Classification;
- I. Items covered under Chapter 50 to 63 of ITC(HS) classification.
- J. Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudoephedrine;

- K. Vitamins;
- L. Biotechnology items and related products;
- M. Insecticides, Rodenticides, Fungicides, Herbicides, Anti sprouting products, and plant growth regulators, disinfectants and similar products of all forms, types and grades;
- N. Waste/Scrap of all types; and
- O. Second hand goods.

(viii) Inputs imported shall be subject to pre import condition and they shall be physically incorporated in the export product (making normal allowance for wastage). In case of local procurement under invalidation/ARO, the inputs shall be procured prior to manufacture of export item and shall be physically incorporated in the export product.

(ix) Wherever value of by-products and recoverable wastage generated during manufacturing process is more than 5% of CIF value, corresponding quantity of main input shall be reduced from the entitlement to the extent that value of disallowed quantity is equal to the value of by-products and recoverable wastage generated during manufacturing process.

(x) Concerned Norms Committee may conduct audit of the manufacturer. The frequency and manner of audit shall be prescribed by DGFT in Handbook of Procedures. The manufacturer shall be required to provide the necessary facility to verify the books of account/other documents as required, give information and assistance for timely completion of the audit. Non-availability of production and consumption documents/data shall be treated as misdeclaration and indulgence in fraudulent activities and shall be penalised under FT(D&R) Act, as amended and rules made there under.

(xi) Concerned Norms Committee may initiate special audit, considering the nature and complexity of the case and revenue of government, if he is of the opinion at any stage of scrutiny/enquiry/investigation that the norms have not been claimed correctly or the excess benefit has been availed. Special audit can be conducted even if the manufacturer has already been audited before.

(xii) If the audit results in detection of mis-declaration and/or instances of claiming of inputs which are not used in manufacturing process or excess quantity of inputs than consumed, demand and recovery actions will be initiated in addition to initiation of action against the authorisation holder, manufacturer and Chartered Engineer in terms of Foreign Trade Development and Regulation Act 1992 and/or Customs Act 1962, as amended and rules made there under.

(xiii) In cases where Chartered Engineer has not exercised due diligence or has willfully become party to mis-declaration action will be initiated under against such person under FT(D&R) Act 1992, as amended and rules made there under. In addition, such cases shall also be referred to 'The Institute of Engineers India' for taking action as warranted under the bylaws of the institute.

(xiv) All the provisions applicable for Advance Authorisation Scheme shall be applicable to this scheme also in so far they are not inconsistent with this scheme.

4.07 Advance Authorisation for Annual Requirement and Eligibility Condition

(i) Advance Authorisation for Annual Requirement shall only be issued for items notified in Standard Input Output Norms (SION). And it shall not be available in case of adhoc norms under paragraph 4.03 (b) (ii) of FTP.

(ii) Advance Authorisation for Annual Requirement shall also not be available in respect of SION where any item of input appears in Appendix 4-J.

(iii) Exporters having past export performance (in at least preceding two financial years) shall be entitled for Advance Authorisation for Annual requirement.

(iv) Entitlement in terms of CIF value of imports shall be upto 300% of the FOB value of physical export and / or FOR value of deemed export in preceding financial year or Rs 1 Crore, whichever is higher.

4.08 Value Addition

Value Addition for the purpose of this Chapter (except for Gems and Jewellery sector for which value addition is prescribed in paragraph 4.37 of FTP) shall be:-

A-B

VA= ----- x100, where

B

A =FOB value of export realized/FOR value of supply received.

B =CIF value of inputs covered by Authorisation, plus value of any other input used on which benefit of DBK is claimed or intended to be claimed.

4.09 Minimum Value Addition

- (i) Minimum value addition required to be achieved under Advance Authorisation is 15%.
- (ii) Export Products where value addition could be less than 15% are given in Appendix 4D.
- (iii) Minimum value addition for Gems & Jewellery Sector is given in paragraph 4.60 of Handbook of Procedures.
- (iv) In case of Tea, minimum value addition shall be 50%.
- (v) In case of spices, minimum value addition shall be 25%.

4.10 Import of Mandatory Spares

Import of mandatory spares which are required to be exported / supplied with the resultant product shall be permitted duty free to the extent of 10% of CIF value of Authorisation.

4.11 Ineligible categories of import on Self Declaration basis

- (a) Import of following products shall not be permissible on self-declaration basis:
- i. All vegetable / edible oils classified under Chapter- 15 and all types of oilseeds classified under Chapter- 12 of ITC (HS) book;
 - ii. All types of cereals classified under Chapter-10 of ITC (HS) book;
 - iii. All Spices other than light black pepper (light berries) having a basic customs duty of more than 30%, classified under Chapter-9 and 12 of ITC (HS)book;
 - iv. All types of fruits/ vegetables having a basic customs duty of more than 30%, classified under Chapter-7 and Chapter-8 of ITC(HS) book;
 - v. Horn, Hoof and any other organ of animal;
 - vi. Honey;
 - vii. Rough Marble Blocks/Slabs; and
 - viii. Rough Granite.
 - ix. Vitamins except for use in pharmaceutical industry.
 - x. All items with a basic custom duty of more than 30%.

(b) For export of perfumes, perfumery compounds and various feed ingredients containing vitamins, no Authorisation shall be issued by Regional Authority under paragraph 4.07 of Handbook of Procedures and applicants shall be required to apply under paragraph 4.06 of Hand Book of Procedures to the Norms Committee.

(c) Where export and/or import of biotechnology items and related products are involved, Authorisation under paragraph 4.07 of Handbook of Procedures shall be issued by Regional Authority only on submission of a “No Objection Certificate” from Department of Biotechnology.

4.12 Accounting of Input

- (i) Wherever SION permits use of either (a) a generic input or (b) alternative input, unless the name of the specific input together with quantity [which has been used in manufacturing the export product] gets indicated / endorsed in the relevant shipping bill and these inputs, so endorsed, within quantity specified and match the description in the relevant bill of entry, the concerned Authorisation will not

be redeemed. In other words, the name/description of the input used (or to be used) in the Authorisation must match exactly with the name/description endorsed in the shipping bill.

(ii) In addition, if in any SION, a single quantity has been indicated against a number of inputs (more than one input), then quantities of such inputs to be permitted for import shall be in proportion to the quantity of these inputs actually used/consumed in production, within overall quantity against such group of inputs. Proportion of these inputs actually used/consumed in production of export product shall be clearly indicated in shipping bills.

(iii) At the time of discharge of export obligation (issue of EODC) or at the time of redemption, Regional Authority shall allow only those inputs which have been specifically indicated in the shipping bill together with quantity.

(iv) The above provisions will also be applicable for supplies to SEZs and supplies made under Deemed exports. Details as given above will have to be indicated in the relevant Bill of Export, ARE-3, Central Excise certified Invoice / import document / Tax Invoice for export prescribed under the GST rules.

4.13 Pre-import condition in certain cases

(i) DGFT may, by Notification, impose pre-import condition for inputs under this Chapter.

(ii) Import items subject to pre-import condition are listed in Appendix 4-J or will be as indicated in Standard Input Output Norms (SION).

4.14 Details of Duties exempted

Imports under Advance Authorisation are exempted from payment of Basic Customs Duty, Additional Customs Duty, Education Cess, Anti-dumping Duty, Countervailing Duty, Safeguard Duty, Transition Product Specific Safeguard Duty, wherever applicable. Import against supplies covered under paragraph 7.02 (c) & (f) of FTP will not be exempted from payment of applicable Anti-dumping Duty, Countervailing Duty, Safeguard Duty and Transition Product Specific Safeguard Duty, if any. However, imports under Advance Authorisation for physical as well as deemed exports are also exempt from whole of the integrated tax and Compensation Cess leviable under sub-section (7) and sub-section (9) respectively, of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

4.15 Admissibility of Drawback

Drawback as per rate determined and fixed by Customs authority in terms of DoR Rules shall be available for duty paid imported or indigenous inputs (not specified in the norms) used in the export product. For this purpose, applicant shall indicate clearly details of duty paid input in the application for Advance Authorisation. As per details mentioned in the application, Regional Authority shall also clearly endorse details of such duty paid inputs in the condition sheet of the Advance Authorisation.

4.16 Actual User Condition for Advance Authorisation

(i) Advance Authorisation and / or material imported under Advance Authorisation shall be subject to 'Actual User' condition. The same shall not be transferable even after completion of export obligation. However, Authorisation holder will have option to dispose of product manufactured out of duty free input once export obligation is completed.

(ii) In case where CENVAT/input tax credit facility on input has been availed for the exported goods, even after completion of export obligation, the goods imported against such Advance Authorisation shall be utilized only in the manufacture of dutiable goods whether within the same factory or outside (by a supporting manufacturer). For this, the Authorisation holder shall produce a certificate from Chartered Accountant at the time of filing application for Export Obligation Discharge Certificate to Regional Authority concerned. An AEO having valid certificate has the option to produce self declaration to this effect.

(iii) Waste / Scrap arising out of manufacturing process, as allowed, can be disposed off on payment of applicable duty even before fulfillment of export obligation.

4.17 Validity Period for Import and its Extension

Validity period for import under Advance Authorisation shall be as prescribed in Handbook of Procedures.

4.18 Importability / Exportability of items that are Prohibited/ Restricted / STE

(i) No export or import of an item shall be allowed under Advance Authorisation / DFIA if the item is prohibited for exports or imports respectively. Export of a prohibited item may be allowed under Advance Authorisation provided it is separately so notified, subject to the conditions given therein.

(ii) Items reserved for imports by STEs cannot be imported against Advance Authorisation / DFIA. However, those items can be procured from STEs against ARO or Invalidation letter. STEs are also allowed to sell goods on High Sea Sale basis to holders of Advance Authorisation / DFIA holder. STEs are also permitted to issue “No Objection Certificate (NOC)” for import by Advance Authorisation / DFIA holder and may charge a reasonable fee subject to a maximum of ₹5000 from the applicant.

(iii) Items reserved for export by STE can be exported under Advance Authorisation / DFIA only after obtaining a ‘No Objection Certificate’ from the concerned STE.

(iv) Import of restricted items shall be allowed under Advance Authorisation/DFIA unless specifically disallowed.

(v) Export of restricted / SCOMET items however, shall be subject to all conditionality’s or requirements of export authorisation or permission, as may be required, under Schedule 2 of ITC (HS).

4.19 Free of Cost Supply by Foreign Buyer

Advance Authorisation shall also be available where some or all inputs are supplied free of cost to exporter by foreign buyer. In such cases, notional value of free of cost input shall be added in the CIF value of import and FOB value of export for the purpose of computation of value addition. However, realization of export proceeds will be equivalent to an amount excluding notional value of such input.

4.20 Domestic Sourcing of Inputs

(i) Holder of an Advance Authorisation / Duty Free Import Authorisation can procure inputs from indigenous supplier/ State Trading Enterprise/EOU/EHTP/BTP/STP in lieu of direct import. Such procurement can be against Advance Release Order (ARO), or Invalidation Letter.

(ii) When domestic supplier intends to obtain duty free material for inputs through Advance Authorisation for supplying resultant product to another Advance Authorisation / DFIA /EPCG Authorisation, Regional Authority shall issue Invalidation Letter.

(iii) Regional Authority shall issue Advance Release Order if the domestic supplier intends to seek refund of duties exempted through Deemed Exports mechanism as per provisions under Chapter-7 of FTP.

(iv) Regional Authority may issue Advance Release Order or Invalidation Letter at the time of issue of Authorisation simultaneously or subsequently.

(v) Advance Authorisation holder under DTA can procure inputs from / SEZ units against Certificate of supply till EDI message system between SEZ and Customs is enabled.

(vi) Validity of Advance Release Order / Invalidation Letter shall be co- terminous with validity of Authorisation.

4.21 Currency for Realisation of Export Proceeds.

(i) Export proceeds shall be realized in freely convertible currency or in Indian Rupees as per para 2.53 of FTP, except otherwise specified. Provisions regarding realisation and non-realisation of export proceeds are given in paragraph 2.52, 2.53 and 2.54 of FTP.

(ii) Export to SEZ Units shall be taken into account for discharge of export obligation provided payment is realised from Foreign Currency Account of the SEZ unit.

(iii) Export to SEZ Developers / Co-developers can also be taken into account for discharge of export

obligation even if payment is realised in Indian Rupees.

(iv) Authorisation holder needs to file Bill of Export for export to SEZ unit/ developer / co-developer in accordance with the procedures given in SEZ Rules, 2006.

4.22 Export Obligation Period and its Extension

Period for fulfillment of export obligation and its extension under Advance Authorisation shall be as prescribed in Handbook of Procedures.

4.23 Re-import of exported goods under Duty Exemption/ Remission Scheme

Goods exported under Advance Authorisation/ Duty Free Import Authorisation may be re-imported in same or substantially same form subject to such conditions as may be specified by Department of Revenue. Authorisation holder shall also inform about such re- importation to the Regional Authority which had issued the Authorisation within one month from date of re-import.

DUTY FREE IMPORT AUTHORISATION SCHEME (DFIA)

4.24 DFIA Scheme

(a) Duty Free Import Authorisation is issued to allow duty free import of inputs. In addition, import of oil and catalyst which is consumed/ utilised in the process of production of export product, may also be allowed.

(b) Provisions of paragraphs 4.12, 4.18, 4.20, 4.21 and 4.23 of FTP shall be applicable to DFIA also.

(c) Import of Tyre under DFIA scheme is not allowed.

4.25 Duties Exempted

(i) Duty Free Import Authorisation shall be exempted only from payment of Basic Customs Duty (BCD).

(ii) Drawback as per rate determined and fixed by Customs authority shall be available for duty paid inputs, whether imported or indigenous, used in the export product. However, in case such drawback is claimed for inputs not specified in SION, the applicant should have indicated clearly details of such duty paid inputs also in the application for Duty Free Import Authorisation, and as per the details mentioned in the application, the Regional Authority should also have clearly endorsed details of such duty paid inputs in the condition sheet of the Duty Free Import Authorisation.

4.26 Eligibility

(i) Duty Free Import Authorisation shall be issued on post export basis for products for which Standard Input Output Norms have been notified.

(ii) Merchant Exporter shall be required to mention name and address of supporting manufacturer of the export product on the export document viz. Shipping Bill/ Bill of Export / Tax Invoice for export prescribed under the GST rules.

(iii) Application is to be filed with concerned Regional Authority before effecting export under Duty Free Import Authorisation.

(iv) No Duty Free Import Authorisation shall be issued for an input which is subjected to pre-import condition or where SION prescribes 'Actual User' condition or Appendix-4J prescribes pre import condition for such an input.

4.27 Minimum Value Addition

Minimum value addition of 20% shall be required to be achieved.

4.28 Validity & Transferability of DFIA

(i) Applicant shall file online application to Regional Authority concerned before starting export under DFIA.

(ii) Export shall be completed within 12 months from the date of online filing of application and generation of file number.

(iii) While doing export/supply, applicant shall indicate file number on the export /supply documents

viz. Shipping Bill / Bill of Export / Tax invoice for supply prescribed under GST rules.

(iv) In terms of Para 4.12 of FTP, Wherever SION permits use of either (a) a generic input or (b) alternative input, the specific input together with quantity [which has been used in manufacturing the export product] should be indicated / endorsed in the relevant Shipping Bill/ Bill of Export / Tax invoice for supply prescribed under GST rules. Only such inputs may be permitted for import in the authorisation in proportion to the quantity of these inputs actually used/consumed in production, within overall quantity against such generic input/alternative input.

(v) In addition, if in any SION, a single quantity has been indicated against a number of inputs (more than one input), then quantities of such inputs to be permitted for import shall be in proportion to the quantity of these inputs actually used/consumed in production and declared in Shipping Bill / Bill of Export / Tax invoice for supply prescribed under GST rules within overall quantity against such group of inputs. Proportion of these inputs actually used/consumed in production of export product shall be clearly indicated in Shipping Bill / Bill of Export / Tax invoice for supply prescribed under GST rules.

(vi) Separate DFIA shall be issued for each SION.

(vii) Exports under DFIA shall be made from any port listed in Para 4.35 of Handbook of Procedures. However, separate application shall be made for EDI and non-EDI ports. In case export is made from a non-EDI port, separate application shall be made for each non-EDI port.

(viii) Regional Authority shall issue transferable DFIA with a validity of 12 months from the date of issue. No further revalidation shall be granted by Regional Authority.

4.29 Sensitive Items under Duty Free Import Authorisation

(a) In respect of following inputs, exporter shall be required to provide declaration with regard to technical characteristics, quality and specification in Shipping Bill:

“Alloy steel including Stainless Steel, Copper Alloy, Synthetic Rubber, Bearings, Solvent, Perfumes / Essential Oil/ Aromatic Chemicals, Surfactants, Relevant Fabrics, Marble, Articles made of Polypropylene, Articles made of Paper and Paper Board, Insecticides, Lead Ingots, Zinc Ingots, Citric Acid, Relevant Glass fibre reinforcement (Glass fibre, Chopped / Stranded Mat, Roving Woven Surfacing Mat), Relevant Synthetic Resin (unsaturated Polyester Resin, Epoxy Resin, Vinyl Ester Resin, Hydroxy Ethyl Cellulose), Lining Material”.

(b) While issuing Duty Free Import Authorisation, Regional Authority shall mention technical characteristics, quality and specification in respect of above inputs in the Authorisation.

SCHEMES FOR EXPORTERS OF GEMS AND JEWELLERY

4.30 Import of Input

Exporters of Gems and Jewellery can import / procure duty free (excluding Integrated Tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) and 3(9) of Customs Tariff Act) input for manufacture of export product.

4.31 Items of Export

(i) “Gold jewellery, including partly processed jewellery, and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above up to a maximum limit of 22 carats.

Gold religious idols (only gods and goddess) of 8 carats and above (up to 24 carats) subject to the following conditions:

- i) Exports would be subject to 100% examination by the Approved Government Valuer.
- ii) Foreign remittance has to be realized within a period of 3 months from the date of export.
- iii) Exporters must submit confirmed export order before effecting export.
- iv) Distinction must be made between a religious idol and simply moulded gold article/idol.
- v) Exports may be allowed only be actual manufactures of such idols.

The findings like posts, push backs, locks which help in collating the jewellery pieces together, containing gold of 3 carats and above up to a maximum limit of 22 carats.”

- (ii) Silver jewellery including partly processed jewellery, silverware, silver strips and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight;
- (iii) Platinum jewellery including partly processed jewellery and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins and any engineering goods) containing more than 50% platinum by weight.

4.32 Schemes

The schemes are as follows:

- (i) Advance Procurement/ Replenishment of Precious Metals from Nominated Agencies;
- (ii) Replenishment Authorisation for Gems;
- (iii) Replenishment Authorisation for Consumables;
- (iv) Advance Authorisation for Precious Metals.

4.33 Advance Procurement/ Replenishment of Precious Metals from Nominated Agencies

- (i) Exporter of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof including mountings and findings may obtain gold/ silver / platinum as an input for export product from Nominated Agency, in advance or as replenishment after export in accordance with the procedure specified in this behalf.

Replenishment of gold/silver/platinum will be subject to Customs notification No. 57/2000-Customs dated 08.05.2000, as amended.

- (ii) The export would be subject to wastage norms and minimum value addition as prescribed in paragraph 4.59 and 4.60 respectively in the Handbook of Procedures.

4.34 Replenishment Authorisation for Gems

- (i) Exporter may obtain Replenishment Authorisation for Gems from Regional Authority in accordance with procedure specified in Handbook of Procedures as per the replenishment rate prescribed in Appendix 4F. Replenishment Authorisation for Gems shall be freely transferable.
- (ii) Replenishment Authorisation for Gems may be issued against export including that made against supply by Nominated Agency (paragraph 4.40 of FTP) and against supply by foreign buyer (paragraph 4.44 of FTP).
- (iii) In the case of studded gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the value of Gem Replenishment Authorisation shall be on the remaining FOB value of exports after deducting the value of gold/ silver/ platinum including admissible wastage. The scale of replenishment and the item of import will be as prescribed in Appendix 4G.

4.35 Replenishment Authorisation for Consumables

- (i) Replenishment Authorisation for duty free (excluding Integrated Tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) and 3(9) of Customs Tariff Act) import of Consumables, Tools and other items namely, Tags and labels, Security censor on card, Staple wire, Poly bag (as notified by Customs) for Jewellery made out of precious metals (other than Gold & Platinum) equal to 2% and for Cut and Polished Diamonds and Jewellery made out of Gold and Platinum equal to 1% of FOB value of exports of the preceding year, may be issued on production of Chartered Accountant Certificate indicating the export performance. However, in case of Rhodium finished Silver jewellery, entitlement will be 3% of FOB value of exports of such jewellery. This Authorisation shall be non-transferable and subject to actual user condition.
- (ii) Application for import of consumables as given above shall be filed online to the concerned Regional Authority in ANF 4H.

4.36 Advance Authorisation for Precious Metals

(a) Advance Authorisation shall be granted on pre-import basis with 'Actual User' condition for duty free (excluding Integrated Tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) and 3(9) of Customs Tariff Act) import of:

- (i) Gold of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings of 8 carats and above;
- (ii) Silver of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% silver by weight;
- (iii) Platinum of fineness not less than 0.900 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% platinum by weight.

(b) Advance Authorisation shall carry an export obligation which shall be fulfilled as per procedure indicated in Chapter 4 of Handbook of Procedures.

(c) Value Addition shall be as per paragraph 4.37 of FTP and 4.60 of Handbook of Procedures.

(d) Advance Authorisation Scheme is not available where the item of export is 'Gold Medallions and Coins' or 'Gold jewellery/articles manufactured by fully mechanized process'.

4.37 Value Addition

Minimum Value Addition norms for gems and jewellery sector are given in paragraph 4.60 of Handbook of Procedures. It would be calculated as under:

A-B

VA=----- x100, where

B

A = FOB value of the export realised/ FOR value of supply received.

B= Value of inputs (including domestically procured) such as gold/silver/platinum content in export product plus admissible wastage along with value of other items such as gemstone etc. Wherever gold has been obtained on loan basis, value shall also include interest paid in free foreign exchange to foreign supplier.

4.38 Wastage Norms

Wastage or manufacturing loss for gold/silver/platinum jewellery shall be admissible as per paragraph 4.59 of Handbook of Procedures.

4.39 DFIA not available

Duty Free Import Authorisation scheme shall not be available for Gems and Jewellery sector.

4.40 Nominated Agencies

(i) Exporters may obtain gold / silver / platinum from Nominated Agency. Exporter in EOU and units in SEZ would be governed by the respective provisions of Chapter-6 of FTP / SEZ Rules, respectively.

(ii) Nominated Agencies are The Handicraft and Handlooms Exports Corporation of India Ltd, MSTC Ltd. and Diamond India Limited.

(iii) Reserve Bank of India can authorize any bank as Nominated Agency.

(iv) Procedure for import of precious metal by Nominated Agencies shall be as per the provisions laid down in HBP. The procedure for import of precious metals by the Gems & Jewellery units operating under EOU & SEZ schemes will be as per the applicable schemes. The monitoring mechanism for the Nominated Agencies (other than banks authorised by RBI) shall be as per para 4.93 of HBP.

(v) A bank authorised by Reserve Bank of India is allowed export of gold scrap for refining and import standard gold bars as per Reserve Bank of India guidelines.

4.41 Import of Diamonds for Certification / Grading & Re-export

Following agencies are permitted to import diamonds to their laboratories without any import duty, for the purpose of certification / grading reports, with a condition that the same should be re-exported with the certification/grading reports, as per the procedure laid down in Hand Book of Procedures:

- (1) Gemological Institute of America (GIA), Mumbai, Maharashtra.
- (2) Indian Diamond Institute, Surat, Gujarat, India.
- (3) De Beers India Private Ltd., Surat, Gujarat, India.
- (4) HRD Diamond Institute Private Limited, Mumbai, Maharashtra, India
- (5) International Gemological Institute (India) Pvt. Ltd., Bandra Kurla Complex, Mumbai,
- (6) Gemological Science International (GSI) Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra, India.

4.42 Export of Cut & Polished Diamonds for Certification/ Grading & Re-import

List of authorized laboratories for certification / grading of diamonds of 0.25 carat and above are given in paragraph 4.73 of Handbook of Procedures.

4.43 Export of Cut & Polished Diamonds with Re-import Facility at Zero Duty

An exporter (with annual export turnover of Rs 5 crores for each of the last three years) or the authorized offices/agencies in India of laboratories mentioned under paragraph 4.73 of Hand Book of Procedures may export cut & polished diamonds (each of 0.25 carat or above) to any of the agencies/laboratories mentioned under paragraph 4.73 of Handbook of Procedures with re-import facility at zero duty within 3 months from the date of export. Such facility of re- import at zero duty will be subject to guidelines issued by Central Board of Customs & Excise, Department of Revenue.

4.44 Export against Supply by Foreign Buyer

- (i) Where export orders are placed on nominated agencies / status holder / exporters of three years standing having an annual average turnover of Rupees five crores during preceding three financial years, foreign buyer may supply in advance and free of charge, gold/silver/ platinum, alloys, findings and mountings of gold / silver / platinum for manufacture and export.
- (ii) Such supplies can also be in advance and may involve semi- finished jewellery including findings / mountings / components for repairs / re-make and export subject to minimum value addition as prescribed under paragraph 4.60 of Handbook of Procedures. In such cases of export, wastage norms as per paragraph 4.59 of Handbook of Procedures shall apply.
- (iii) Exports may be made by nominated agencies directly or through their associates or by status holder / exporter. Import and Export of findings shall be on net to net basis.

4.45 Export Promotion Tours/ Export of Branded Jewellery

- (i) Nominated Agencies and their associates, with approval of Department of Commerce and with approval of Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), may export gold / silver /platinum jewellery and articles thereof for exhibitions abroad.
- (ii) Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles and export of branded jewellery is also permitted, subject to conditions as in Handbook of Procedures.

4.46 Personal Carriage of Export /Import Parcels

Personal carriage of gems and jewellery export parcels by foreign bound passengers and import parcels by an Indian importer/foreign national may be permitted as per the Handbook of Procedures.

4.47 Export by Post

Export of jewellery through Foreign Post Office including via Speed Post is allowed. The jewellery parcel shall not exceed 20 kgs by weight.

4.48 Private / Public Bonded Warehouse

Private / Public Bonded Warehouses may be set up in SEZ/DTA for import and re-export of cut and

polished diamonds, cut and polished coloured gemstones, uncut & unset precious & semi- precious stones, subject to achievement of minimum value addition of 5% by DTA units.

4.49 Special Notified Zone (SNZ)

Import, auction/sale and re-export of rough diamonds by entities, as notified vide RBI Notification 116 of 1st April, 2014, as amended from time to time, on consignment or outright basis, will be permitted in Special Notified Zone (SNZ) administered by the operator of SNZ, under supervision of Customs. The procedure of import, auction/ sale and re- export of rough diamonds (unsold) would be as specified by CBIC.

4.50 Diamond & Jewellery Dollar Accounts

(a) Firms and companies dealing in purchase / sale of rough or cut and polished diamonds / precious metal jewellery plain, minakari and / or studded with / without diamond and / or other stones with a track record of at least three years in import or export of diamonds / coloured gemstones / diamond and coloured gemstones studded jewellery / plain gold jewellery and having an average annual turnover of Rs. 3 crore or above during preceding three licensing years may also carry out their business through designated Diamond Dollar Accounts (DDA).

(b) Dollars in such accounts available from bank finance and / or export proceeds shall be used only for:

- (i) Import / purchase of rough diamonds from overseas/ local sources;
- (ii) Purchase of cut and polished diamonds, coloured gemstones and plain gold jewellery from local sources;
- (iii) Import / purchase of gold from overseas / nominated agencies and repayment of dollar loans from the bank; and
- (iv) Transfer to Rupee Account of exporter. Details of this DDA Scheme are given in Handbook of Procedures.

(c) A non DDA holder is also permitted to supply cut and polished diamonds to DDA holder, receive payment in dollars and convert the same into Rupees within 7 days. Cut and polished diamonds and coloured gemstones so supplied by non-DDA holder will also be counted towards discharge of his export obligation and/ or entitle him to replenishment Authorisation.

4.51 Export of cut & polished precious and semi-precious stones for treatment and re-import

Gems and Jewellery exporters shall be allowed to export cut and polished precious and semi-precious stones for the treatment and re- import as per customs rules and regulations. In case of re-export, the exporter shall be entitled for duty drawback as per rules.

4.52 Re-import of rejected Jewellery

Gems & Jewellery exporters shall be allowed to re-import rejected precious metal jewellery as per paragraph 4.90 of Handbook of Procedures.

4.53 Export and import on consignment basis

Gems & Jewellery exporters shall be allowed to export and import diamond, gemstones & jewellery on consignment basis as per Handbook of Procedures and Customs Rules and Regulations.

SCHEME FOR REMISSION OF DUTIES AND TAXES ON EXPORTED PRODUCTS

4.54 Scheme Objective and Operating Principles

- i. The Scheme's objective is to refund, currently un-refunded:
 - a. Duties/ taxes / levies, at the Central, State and local level, borne on the exported product, including prior stage cumulative indirect taxes on goods and services used in the production of the exported product and
 - b. Such indirect Duties/ taxes / levies in respect of distribution of exported product.
- ii. The rebate under the Scheme shall not be available in respect of duties and taxes already exempted or remitted or credited.

- iii. The determination of ceiling rates under the Scheme will be done by a Committee in the Department of Revenue/Drawback Division with suitable representation of the DoC/DGFT, line ministries and experts, on the sectors prioritized by Department of Commerce and Department of Revenue.
- iv. The overall budget/outlay for the RoDTEP Scheme would be finalized by the Ministry of Finance in consultation with Department of Commerce (DoC), taking into account all relevant factors.
- v. The Scheme will operate in a Budgetary framework for each financial year and necessary calibrations and revisions shall be made to the Scheme benefits, as and when required, so that the projected remissions for each financial year are managed within the approved Budget of the Scheme. No provision for remission of arrears or contingent liabilities is permissible under the Scheme to be carried over to the next financial year.
- vi. The sequence of introduction of the Scheme across sectors, prioritization of the sectors to be covered, degree of benefit to be given on various items within the rates recommended by the Committee and within a ceiling as may be prescribed, on the per item/total overall benefit amount permissible, within the overall budget/ outlay finalized, will be decided and notified by the Department of Commerce (DoC) in consultation with Department of Revenue.
- vii. Under the Scheme, a rebate would be granted to eligible exporters at a notified rate as a percentage of FOB value with a value cap per unit of the exported product, wherever required, on export of items which are categorized under the notified 8 digit HS Code. However, for certain export items, a fixed quantum of rebate amount per unit may also be notified. Rates of rebate / value cap per unit under RoDTEP will be notified in Appendix 4R. In addition to necessary changes which may be brought in view of budget control measures as mentioned above, efforts would be made to review the RoDTEP rates on an annual basis and to notify them well in advance before the beginning of a financial year.
- viii. The rebate allowed is subject to the receipt of sale proceeds within time allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 failing which such rebate shall be deemed never to have been allowed. The rebate would not be dependent on the realization of export proceeds at the time of issue of rebate. However, adequate safeguards to avoid any misuse on account of non-realization and other systemic improvements as in operation under Drawback Scheme, IGST and other GST refunds relating to exports would also be applicable for claims made under the RoDTEP Scheme.
- ix. Mechanism of Issuance of Rebate: Scheme would be implemented through end to end digitization of issuance of rebate amount in the form of a transferable duty credit/electronic scrip (e-scrip), which will be maintained in an electronic ledger by the Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC). Necessary rules and procedure regarding grant of RoDTEP claim under the Scheme and implementation issues including manner of application, time period for application and other matters including export realization, export documentation, sampling procedures, record keeping etc. would be notified by the CBIC, Department of Revenue on an IT enabled platform with a view to end to end digitization. Necessary provisions for recovery of rebate amount where foreign exchange is not realized, suspension/withholding of RoDTEP in case of frauds and misuse, as well as imposition of penalty will also be built suitably by CBIC.
- x. The Scheme will take effect for exports from 1st January 2021. However for exports made by categories under Para 4.55 (x), (xi) and (xii), the implementation date will be decided later as per provisions of Para 4.55B.

4.55 Ineligible Supplies/ Items/Categories under the Scheme: The following categories of exports/ exporters shall not be eligible for rebate under RoDTEP Scheme:

- i. Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of FTP.
- ii. Exports through trans-shipment, meaning thereby exports that are originating in third country but trans-shipped through India.
- iii. Export products which are subject to Minimum export price or export duty.
- iv. Products which are restricted for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS).
- v. Products which are prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS).
- vi. Deemed Exports.

- vii. Supplies of products manufactured by DTA units to SEZ/FTWZ units.
- viii. Products manufactured in EHTP and BTP.
- ix. Products manufactured partly or wholly in a warehouse under section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
- x. Products manufactured or exported in discharge of export obligation against an Advance Authorisation or Duty Free Import Authorisation or Special Advance Authorisation issued under a duty exemption scheme of relevant Foreign Trade Policy.
- xi. Products manufactured or exported by a unit licensed as hundred per cent Export Oriented Unit (EOU) in terms of the provisions of the Foreign Trade Policy.
- xii. Products manufactured or exported by any of the units situated in Free Trade Zones or Export Processing Zones or Special Economic Zones.
- xiii. Products manufactured or exported availing the benefit of the Notification No. 32/1997-Customs dated 1st April, 1997.
- xiv. Exports for which electronic documentation in ICEGATE EDI has not been generated/ Exports from non-EDI ports.
- xv. Goods which have been taken into use after manufacture.

4.55 A Government, however, reserves the right to modify any of the categories as mentioned above for inclusion or exclusion under the scope of RoDTEP, at a later date.

4.55 B Inclusion of exports made by categories mentioned in para 4.55 (x), (xi) and (xii) above and RoDTEP rates for export items under such categories would be decided based on the recommendations of the RoDTEP Committee.

4.56 Nature of Rebate: The e-scrips would be used only for payment of duty of Customs leviable under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 viz. Basic Customs Duty.

4.57 Monitoring, Audit and Risk Management System:

For the purposes of audit and verification, the exporter would be required to keep records substantiating claims made under the Scheme. A monitoring and audit mechanism with an IT based Risk Management System (RMS) would be put in place by the CBIC, Department of Revenue to physically verify the records of the exporters on sample basis. Sample cases for physical verification will be drawn objectively by the RMS, based on risk and other relevant parameters.

4.57A For a broad level monitoring, an Output Outcome framework will be maintained and monitored at regular intervals.

4.58 Residual Issues: Residual issues related to the Scheme arising subsequently shall be considered by an Inter-Ministerial Committee, named as “RODTEP Policy Committee (RPC)” chaired by DGFT (comprising members of Department of Commerce and Department of Revenue), whose decisions would be binding.

4.59 The Appendix 4R containing the eligible RoDTEP export items, rates and per unit value caps, wherever applicable is available at the DGFT portal www.dgft.gov.in under the link ‘Regulatory Updates >RoDTEP’.

Chapter-5

Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme

5.00 Objective

The objective of the EPCG Scheme is to facilitate import of capital goods for producing quality goods and services and enhance India's manufacturing competitiveness.

5.01 EPCG Scheme

(a) EPCG Scheme allows import of capital goods (except those specified in negative list in Appendix 5 F) for pre-production, production and post-production at zero customs duty. Capital goods imported under EPCG Authorisation for physical exports are also exempt from IGST and Compensation Cess, leviable thereon under the subsection (7) and subsection (9) respectively, of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as provided in the notification issued by Department of Revenue. Alternatively, the Authorisation holder may also procure Capital Goods from indigenous sources in accordance with provisions of paragraph 5.07 of FTP. Capital goods for the purpose of the EPCG scheme shall include:

- (i) Capital Goods as defined in Chapter 11 including in CKD/SKD condition thereof;
- (ii) Computer systems and software which are a part of the Capital Goods being imported;
- (iii) Spares, moulds, dies, jigs, fixtures, tools & refractories; and
- (iv) Catalysts for initial charge plus one subsequent charge.

(b) Import under EPCG Scheme shall be subject to an Export Obligation (EO) equivalent to 6 times of duties, taxes and cess saved on capital goods, to be fulfilled in 6 years reckoned from date of issue of Authorisation.

(c) Import/procurement under EPCG scheme shall also be subjected to Average Export Obligation (AEO) as given in para 5.04(c) of FTP.

(d) Authorisation shall be valid for import for 24 months from the date of issue of Authorisation. Revalidation of EPCG Authorisation shall not be permitted.

(e) In case Integrated Tax and Compensation Cess are paid in cash on imports under EPCG, incidence of the said Integrated Tax and Compensation Cess would not be taken for computation of net duty saved provided Input Tax Credit is not availed.

(f) Import of items which are restricted for import shall be permitted under EPCG Scheme only after approval from Exim Facilitation Committee (EFC) at DGFT Headquarters.

(g) If the goods proposed to be exported under EPCG Authorisation are restricted for export, the EPCG Authorisation shall be issued only after approval for issuance of Export Authorisation from Exim Facilitation Committee (EFC) at DGFT Headquarters.

5.02 Coverage

(a) EPCG scheme covers manufacturer exporters with or without supporting manufacturer(s), merchant exporters tied to supporting manufacturer(s), and service providers. Name of supporting manufacturer(s) shall be endorsed on the EPCG Authorisation before installation of the capital goods in the factory / premises of the supporting manufacturer(s). In case of any change in supporting manufacturer (s) the RA shall intimate such change to jurisdictional Customs Authority of existing as well as changed supporting manufacturer(s), and the Customs at port of registration of Authorisation.

(b) Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme also covers a service provider who is certified as a Common Service Provider (CSP) by the DGFT - HQs, Department of Commerce in a Town of Export Excellence or Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks (PM MITRA) subject to provisions of Foreign Trade Policy/Handbook of Procedures with the following conditions:

- (i) Common utility services like providing Electricity, Water, Gas, Sanitation, Sewerage, Telecommunication, Transportation etc shall not considered for benefit of CSP;
- (ii) Export by users of the common service shall be counted towards fulfillment of EO of the CSP provided the EPCG Authorisation details of the CSP is mentioned in the respective Shipping bills and concerned RA must be informed about the details of the users prior to such export;
- (iii) Such export will not count towards fulfillment of specific export obligation in respect of other EPCG Authorisations of the user;

- (iv) Authorisation holder shall be required to submit Bank Guarantee (BG) which shall be equivalent to the duty saved. BG can be given by CSP or by any one of the users or a combination thereof, at the option of the CSP; and

- (v) Capital goods shall be installed within a Town of Export Excellence or PM MITRA.

5.03 Actual User Condition

Imported capital goods shall be subject to Actual User condition till export obligation is completed and Export Obligation Discharge Certificate (EODC) is granted.

5.04 Export obligation

Following conditions shall apply to the fulfillment of Export obligation:-

- (a) Export obligation shall be fulfilled by the Authorisation holder through export of goods which are manufactured by him or his supporting manufacturer / services rendered by him, for which the EPCG authorisation has been granted.
- (b) For export of goods, EPCG Authorisation holder may export either directly or through third party(ies).
- (c) EO under the scheme shall be, over and above, the average level of exports achieved by the applicant in the preceding three licensing years for the same and similar products within the overall EO period including extended period, if any; except for categories mentioned in paragraph 5.12(a). Such average would be the arithmetic mean of export performance in the preceding three licensing years for same and similar products. The Average Export Obligation (AEO) shall be fulfilled every financial year, till export obligation is completed. Exports/supplies made over and above AEO shall only be considered for fulfillment of Export Obligation.
- (d) In case of indigenous sourcing of Capital Goods, specific EO shall be 25% less than the EO stipulated in Para 5.01. There shall be no change in average EO imposed, if any, as stipulated in Para 5.04(c).
- (e) Exports under Advance Authorisation, DFIA, Duty Drawback, RoSCTL and RoDTEP Schemes would also be eligible for fulfilment of EO under EPCG Scheme.
- (f) Export obligation may be fulfilled both by physical exports as well as deemed exports. Deemed export supplies shall also be eligible for benefits available under paragraph 7.03 of FTP.
- (g) Exports made from DTA units shall only be counted for calculation and/or fulfillment of AEO and/or EO.
- (h) EO can also be fulfilled by the supply of ITA-I items to DTA, provided realization is in free foreign exchange.
- (i) Royalty payments received by the Authorisation holder in freely convertible currency and foreign exchange received for R&D services shall also be counted for discharge under EPCG.
- (j) Payment received in rupee terms for such Services as notified in Appendix 5D shall also be counted towards discharge of export obligation under the EPCG scheme.
- (k) Export proceeds realized in Indian Rupees as per para 2.52(d)(ii) are also counted towards fulfillment of export obligation.
- (l) Only one benefit specified in paras 5.04(d), 5.09, 5.10 and 5.11 shall be admissible.
- (m) Extension of EO period shall be permitted as prescribed in Handbook of Procedures.

5.05 Provision for companies admitted under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code 2016

A company holding EPCG authorizations and having been admitted under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code 2016 for commencement of insolvency proceedings and in respect of whom the resolution plan has been approved under Section 31 of IBC 2016 by Adjudicating Authority may be permitted to relief, concessions and waivers in accordance with the resolution plan approved/ finalised by Adjudicating Authority/Appellate Authorities as the case may be.

5.06 LUT/Bond/BG in case of Agro units

LUT/Bond or 15% BG, as applicable, may be furnished for EPCG Authorisation granted to units in Agri-Export Zones provided EPCG Authorisation is taken for export of primary agricultural product(s) notified or their value added variants.

5.07 Indigenous Sourcing of Capital Goods and benefits to Domestic Supplier

A person holding an EPCG Authorisation may source capital goods from a domestic manufacturer either through Invalidation Letter or through Advance Release Order. Such domestic manufacturer shall be eligible for deemed export benefits under paragraph 7.03 of FTP, and as may be provided under GST Rules under the category of deemed exports. Such domestic sourcing shall also be permitted from EOUs and these supplies shall be counted for purpose of fulfillment of positive NFE by said EOU as provided in Para 6.08 (a) of FTP.

5.08 Calculation of Export Obligation

In case of direct imports, EO shall be reckoned with reference to actual duty /Taxes/Cess saved amount. In case of domestic sourcing, EO shall be reckoned with reference to notional Customs duty /Taxes/Cess saved on FOR value as indicated in ARO / Invalidation letter.

5.09 Incentive for early EO fulfillment

With a view to accelerating exports, in cases where Authorisation holder has fulfilled 75% or more of specific export obligation and 100% of Average Export Obligation till date, if any, in half or less than half the original export obligation period specified, remaining export obligation shall be condoned and the Authorisation redeemed by RA concerned.

5.10 Reduced EO for Green Technology Products

For exporters of Green Technology Products, Specific EO shall be 75% of EO as stipulated in Para 5.01(b). There shall be no change in average EO imposed, if any, as stipulated in Para 5.04(c). The list of Green Technology Products is given in Para 5.26 of HBP.

5.11 Reduced EO for North East Region and UTs of Jammu & Kashmir and Ladakh.

For manufacturing units located in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Jammu & Kashmir and Ladakh, specific EO shall be 25% of the EO, as stipulated in Para 5.01(b). There shall be no change in average EO imposed, if any, as stipulated in Para 5.04(c).

5.12 Exemption from maintenance of average export obligation

- (a) In case of export of goods relating to the following, the EPCG Authorisation holder shall not be required to maintain average export obligation.
 - (i) Handicrafts, (ii) Handlooms, (iii) Industries covered under Khadi and Village Industries Commission (KVIC)
 - (iv) Agriculture (v) Aquaculture (including Fisheries), Pisciculture, (vi) Animal husbandry and Dairying, (vii) Floriculture & Horticulture, (viii) Poultry, (ix) Viticulture, (x) Sericulture, (xi) Carpets, (xii) Coir, and (xiii) Jute
- (b) However, this exemption from maintenance of average export obligation shall not be allowed for import of fishing trawlers, boats, ships and other similar items.
- (c) Goods, excepting tools imported under EPCG scheme by sectors specified in sub-paragraph (a) above, shall not be allowed to be transferred for a period of five years from date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled.

5.13 Transitional Arrangements:

Authorisations issued during various policy periods viz., 2002-07, 2004-09, 2009-14, 2015-20 issued prior to 05.12.2017 and 2015-20 RE 2017 shall be governed by corresponding Foreign Trade Policy provisions and Handbook of Procedures, unless otherwise specifically stated.

CHAPTER 6**EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS (EHTPs), SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPs) AND BIO-TECHNOLOGY PARKS (BTPs)****6.00 Introduction and Objective**

- (a) Units undertaking to export their entire production of goods and services(except permissible sales in DTA), may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme, Electronics Hardware Technology Park (EHTP) Scheme, Software Technology Park(STP) Scheme or Bio-Technology Park (BTP) Scheme for manufacture of goods, including repair, re-making, reconditioning, re- engineering, rendering of services, development of software, agriculture including agro-processing, aquaculture, animal husbandry, bio-technology, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry and sericulture. Trading units are not covered under these schemes.
- (b) Objectives of these schemes are to promote exports, enhance foreign exchange earnings, attract investment for export production and employment generation.

6.01 Export and Import of Goods

- (a) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may export all kinds of goods and services except items that are prohibited in ITC (HS). However export of gold jewellery, including partly processed jewellery, whether plain or studded, and articles, containing gold of 8 carats and above up to a maximum limit of 22 carats only shall be permitted. The export of findings like posts, push backs, locks which help in collating the jewellery pieces together, containing gold of 3 carats and above up to a maximum limit of 22 carats only shall be allowed.
- (b) Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to fulfillment of conditions contained in the Chapter 10 of the FTP (new Chapter for SCOMET). In respect of an EOU, permission to export prohibited item(s) may be considered by BOA on a case to case basis, provided the input(s) used for the export item(s) is/are imported and there is no procurement of such inputs from DTA.
- (c) Procurement and supply of export promotion material like brochure/literature, pamphlets, hoardings, catalogues, posters etc. upto a maximum value limit of 1.5% of FOB value of previous year's exports shall also be allowed.
- (d) (i) An EOU / EHTP/ STP/ BTP unit may import and / or procure, from DTA or bonded warehouses in DTA / international exhibition held in India, all types of goods, including capital goods, required for its activities, provided they are not prohibited items of import in the ITC (HS) subject to conditions given at para (ii) & (iii) below. Any permission required for import under any other law shall be applicable. Units shall also be permitted to import goods including capital goods required for approved activity, free of cost or on loan / lease from clients. Import of capital goods will be on a self-certification basis. Goods imported by a unit shall be with actual user condition and shall be utilized for export production.
- (ii) The imports and/ or procurement from bonded warehouse in DTA or from international exhibition held in India shall be without payment of duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and additional duty, if any, leviable thereon under Section 3(1), 3(3) and 3(5) of the said Customs Tariff Act. Such imports and/ or procurements shall be made without payment of integrated tax and compensation cess leviable thereon under section 3(7) and 3(9) of the Customs Tariff Act, 1975 as per notification issued by the Department of Revenue.
- (iii) The procurement of goods covered under GST from DTA would be on payment of applicable GST and compensation cess. The refund of GST paid on such supply from DTA to EOU would be available to the supplier subject to such conditions and documentations as specified under GST rules and notifications issued there under. EOUs can also procure excisable goods falling under the Fourth Schedule of Central Excise Act, 1944 from DTA without payment of applicable duty of excise.
- (e) State Trading regime shall not apply to EOU manufacturing units. However, in respect of Chrome Ore/Chrome concentrate, State Trading Regime as stipulated in export policy of these items will be applicable to EOUs.
- (f) EOU/EHTP/STP/BTP units may import/procure from DTA, with or without payment of duties/taxes as provided at Para 6.01 (d) (ii) and 6.01(d) (iii) above, certain specified goods for creating a central facility. Software EOU/DTA units may use such facility for export of software.
- (g) An EOU engaged in agriculture, animal husbandry, aquaculture, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry or sericulture may be permitted to remove specified goods in connection with its activities for use

outside the premises of the unit.

(h) Gems and jewellery EOUs may source gold / silver / platinum through nominated agencies on loan / outright purchase basis. Units obtaining gold / silver / platinum from nominated agencies, either on loan basis or outright purchase basis shall export gold / silver / platinum within 90 days from date of release of such metals by the nominated agencies.

(i) EOU/EHTP/STP/BTP units, other than service units, may export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit/ Escrow Rupee Account of buyer subject to RBI clearance, if any.

(j) Procurement and export of spares / components, upto 5% of FOB value of exports, may be allowed to same consignee / buyer of the export article, subject to the condition that it shall not count for NFE and direct tax benefits.

(k) Development Commissioner /Designated Officer in EOU/EHTP/STP/BTP units may allow, on a case to case basis, EOU / EHTP / STP/ BTP units in sectors other than Gems & Jewellery, for consolidation of goods related to manufactured articles and export thereof along with manufactured article. Such goods may be allowed to be imported / procured from DTA by EOU with or without payment of duty and/or taxes as provided at Para 6.01(d) (ii) and (iii) above, as the case may be to the extent of 5% FOB value of such manufactured articles exported by the unit in preceding financial year. Details of procured / imported goods and articles manufactured by the EOU will be listed separately in the export documents. In such cases, value of procured / imported goods will not be taken into account for calculation of NFE and DTA sale entitlement. Such procured / imported goods shall not be allowed to be sold in DTA. Development Commissioner /Designated Officer may also specify any other conditions.

6.02 Second hand Capital Goods

Second hand capital goods, without any age limit, may also be imported with or without payment of duty/ taxes as provided under Para 6.01(d)(ii) above.

6.03 Leasing of Capital Goods

(a) An EOU / EHTP/STP/BTP unit may, on the basis of a firm contract between parties, source capital goods from a domestic / foreign leasing company with or without payment of duties/taxes as provided at Para 6.01 (d) (ii) and (iii) above, as the case may be in such a case, EOU / EHTP/STP/BTP unit and domestic / foreign leasing company shall jointly file documents to enable import/ procurement of capital goods.

(b) An EOU/ EHTP/STP/BTP unit may sell capital goods and lease back the same from a Non Banking Financial Company (NBFC), subject to the following conditions:

(i) The unit should obtain permission from the jurisdictional Deputy/Assistant Commissioner of Customs for entering into transaction of 'Sale and Lease Back of Assets', and submit full details of the goods to be sold and leased back and the details of NBFC;

(ii) The goods sold and leased back shall not be removed from the unit's premises;

(iii) The unit should be NFE positive at the time when it enters into sale and lease back transaction with NBFC;

(iv) A joint undertaking by the unit and NBFC should be given to pay duty on goods in case of violation or contravention of any provision of the notification under which these goods were imported or procured, read with Customs Act, 1962 or Central Excise Act, 1944, and that the lien on the goods shall remain with the Customs Department, which will have first charge over the said goods for recovery of sum due from the unit to Government under provision of Section 142(b) of the Customs Act, 1962 read with the Customs (Attachment of Property of Defaulters for Recovery of Govt. Dues) Rules, 1995.

6.04 Net Foreign Exchange Earnings

EOU/EHTP/STP/BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner. In addition sector specific provision of Appendix 6B of Appendices & ANFs, where a higher value addition and other conditions are given, shall be required to be followed. NFE Earnings shall be calculated cumulatively in blocks of five years, starting from commencement of production. Whenever a unit is unable to achieve NFE due to prohibition / restriction imposed on export of any product mentioned in LoP, the five year block period for calculation of NFE earnings may be suitably extended by BoA. Further, wherever a unit is unable to achieve NFE due to adverse market condition or any grounds of genuine hardship having adverse impact on functioning of the unit, the five year block period for calculation of NFE earnings may be extended by BoA for a period of upto one year, on a case to case basis. The method of calculation of NFE in detail is given in para 6.10 of current Handbook of Procedures.

6.05 Applications & Approvals/Letter of Permission / Letter of Intent and Legal Undertaking

- (a) (i) Application for setting up an EOU shall be considered by Unit Approval Committee (UAC)/ Board of Approval (BoA) as the case may be, as detailed in the Hand Book of Procedure. The powers of DC are defined in para 6.34 of HBP.
- (ii) In case of units under EHTP / STP schemes, necessary approval / permission under relevant paras of this Chapter shall be granted by officer designated by Ministry of Electronics & Information Technology, instead of DC, and by Inter- Ministerial Standing Committee (IMSC) instead of BOA.
- (iii) Bio-Technology Parks (BTP) would be notified by DGFT on recommendations of Department of Biotechnology. In case of units in BTP, necessary approval / permission under relevant provisions of this chapter will be granted by designated officer of Department of Biotechnology.
- (iv) On approval, a Letter of Permission (LoP) / Letter of Intent (LoI) shall be issued by DC / Designated officer to EOU/EHTP/STP/BTP unit. The validity of LoP/LoI shall be given in the Hand Book of Procedures.
- (b) LoP / LoI issued to EOU/EHTP/STP/BTP units by concerned authority, subject to compliance of provision in Para 6.01 above, would be construed as an Authorisation for all purposes.
- (c) Unit shall execute an LUT with DC concerned. Failure to ensure positive NFE or to abide by any of the terms and conditions of LoP / LoI / IL / LUT shall render the unit liable to penal action under provisions of the FT (D&R) Act, as amended, and Rules and Orders made thereunder, without prejudice to action under any other law / rules and cancellation or revocation of LoP / LoI / IL.

6.06 Investment Criteria

Only projects having a minimum investment of Rs.1 Crore in plant & machinery shall be considered for establishment as EOUs. However, this shall not apply to existing units, units in EHTP / STP/ BTP, and EOUs in Handicrafts/Agriculture/Floriculture/Aquaculture/Animal Husbandry/ Information Technology, Services, Brass Hardware and Handmade jewellery sectors. BoA may allow establishment of EOUs with a lower investment criteria.

6.07 DTA Sale of Finished Products/Rejects/Waste/Scrap/Remnants and By- products

Entire production of EOU/EHTP/STP/BTP units shall be exported. However, the following are allowed as exceptions subject to the conditions specified.

- (a) (i) Units, other than those of gems and jewellery may sell finished goods manufactured by them as specified in LoP (including by-products, rejects, waste and scraps arising in the course of production, manufacture, processing or packaging of such goods) which are freely importable under FTP in DTA, subject to fulfillment of positive NFE, on payment of excise duty, if applicable, and/ or payment of GST and compensation cess along with reversal of duties of Custom leviable under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption, if any on the inputs utilized for the purpose of manufacturing of such finished goods (including by-products, rejects, waste and scraps arising in the course of production, manufacture, processing or packaging of such goods). No DTA sale shall be permissible in respect of, pepper & pepper products, marble and such other items as may notified from time to time. This reversal of Customs Duty would be as per prevailing SION norms or norms fixed by Norms Committee (where no SION norms are fixed).
- (ii) Such DTA sale shall also not be permissible to units engaged in activities of packaging / labeling / segregation / refrigeration / compacting / micronisation / pulverization / granulation / conversion of monohydrate form of chemical to anhydrous form or vice-versa.
- (iii) Sales made to a unit in SEZ shall also be taken into account for purpose of arriving at FOB value of export by EOU provided payment for such sales are made from Foreign Currency Account of SEZ unit. Sale to DTA would also be subject to mandatory requirement of registration of pharmaceutical products (including bulk drugs).
- (iv) An amount equal to Anti Dumping duty under section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 leviable at the time of import, shall be payable on the goods used for the purpose of manufacture or processing of the goods cleared into DTA from the unit.
- (v) Such DTA sale shall also be subject to refund of any benefits under Chapter 7 of FTP availed by the EOU/supplier as per FTP, on the goods used for manufacture of the goods cleared into the DTA.
- (b) For services, including software units, sale in DTA in any mode, including on line data communication, shall

also be permissible up to 50% of FOB value of exports and /or 50% of foreign exchange earned, where payment of such services is received in foreign exchange. However, sale in DTA in respect of services classified under Chapter Heading 9988 and 9989 under GST, but covered in LOP/para 11.31 of FTP as manufacturing of goods, will continue to be covered under para 6.07(a) above. At the time of DTA clearance, applicable GST and compensation cess as per GST classification would apply.

(c) Gems and jewellery units may sell upto 10% of FOB value of exports of the preceding year in DTA, subject to fulfillment of positive NFE. The unit shall pay applicable GST and compensation cess along with reversal of duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption, on inputs used in such jewellery.

(d) Unless specifically prohibited in LoP, rejects may be sold in DTA on payment of excise duty, if applicable, and/or payment of GST and compensation cess along with reversal of duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption on inputs on prior intimation to Customs authorities. Sale of rejects upto 5% of FOB value of exports shall not be subject to achievement of NFE.

(e) Scrap / waste / remnants arising out of production process or in connection therewith may be sold in DTA, as per SION notified under Duty Exemption Scheme, on payment of applicable duties and/ or taxes and compensation cess. Such sales of scrap / waste / remnants shall not be subject to achievement of positive NFE. In respect of items not covered by norms, DC may fix ad- hoc norms for a period of six months and within this period, norms should be fixed by Norms Committee. Ad-hoc norms will continue till such time norms are fixed by Norms Committee. Scrap / waste / remnants may also be exported.

(f) There shall be no duties / taxes on scrap / waste / remnants, in case same are destroyed with permission of Customs authorities. The expression “no duties/ taxes” shall not include applicable taxes and cess under the GST laws.

(g) By-products included in LoP may also be sold in DTA subject to achievement of positive NFE, on payment of excise duty, if applicable, and/or payment of GST and compensation cess along with reversal of duties of Customs leviable under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, if availed on inputs.

(h) In case of units manufacturing electronics hardware and software, NFE and DTA sale entitlement shall be reckoned separately for hardware and software.

(i) In case of new EOUs, advance DTA sale will be allowed not exceeding 50% of its estimated exports for first year, except pharmaceutical units where this will be based on its estimated exports for first two years.

(j) Procurement of spares / components, up to 2% of the value of manufactured articles, cleared into DTA, during the preceding year, may be allowed for supply to the same consignee / buyer for the purpose of after-sale-service. The same can be cleared in DTA on payment of applicable GST and compensation cess along with reversal of duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption if any.

6.08 Other Supplies counted for fulfilment of NFE

Following supplies effected from EOU / EHTP / STP / BTP units will be counted for fulfillment of positive NFE. Such supplies shall not include “marble”, except if such supply of marble is an inter unit supply as provided at Sub-Para(c) below:

(a) Supplies effected in DTA to holders of Advance Authorization / Advance Authorization for annual requirement / DFIA under duty exemption / remission scheme / EPCG scheme. However, printing sector EOUs (or any other sector that may be notified in HBP), can't supply goods, where basic customs duty and CVD is nil or exempted otherwise, to holders of Advance Authorization / Advance Authorization for annual requirement.

(b) Supplies effected in DTA against foreign exchange remittance received from overseas.

(c) Supplies to other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ units, provided that such goods are permissible for procurement in terms of Para 6.01 of FTP.

(d) Supplies made to bonded warehouses set up under FTP and / or under section 65 of Customs Act and free trade and warehousing zones, where payment is received in foreign exchange.

(e) Supplies of goods and services to such organizations which are entitled for duty free import of such items in terms of general exemption notification issued by MoF, as may be provided in HBP.

(f) Supplies of Information Technology Agreement (ITA-1) items and notified zero duty telecom / electronics items.

(g) Supplies of items like tags, labels, printed bags, stickers, belts, buttons or hangers to DTA unit for export.

(h) Supply of LPG produced in an EOU refinery to Public Sector domestic oil companies for being supplied to household domestic consumers at subsidized prices under the Public Distribution System (PDS) Kerosene and Domestic LPG Subsidy Scheme, 2002, as notified by the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide notification No. E-20029/18/2001-PP dated 28.01.2003 (hereinafter referred to as PDS Scheme) subject to the following conditions:-

- (i) Only supply of such quantity of LPG would be eligible for which Ministry of Petroleum and Natural Gas declines permission for export and requires the LPG to be cleared in DTA; and
- (ii) The Ministry of Finance by a notification has permitted duty free imports of LPG for supply under the aforesaid PDS Scheme.

6.09 Export through others

An EOU/EHTP/STP/BTP unit may export goods manufactured/ software developed by it through another exporter or any other EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ unit subject to conditions mentioned in Para 6.19 of HBP.

6.10 Entitlement for Supplies from the DTA

(a) Supplies from DTA to EOU/EHTP/STP/ BTP units for use in their manufacture for exports will be eligible for “benefits under Chapter 7 of FTP”. DTA supplier shall be eligible for relevant entitlements under chapter 7 of FTP, besides discharge of export obligation, if any, on the supplier. The refund of GST paid on such supply from DTA to EOU would be available to the supplier subject to such conditions and documentations as specified under GST rules and notifications issued there under.

(b) Suppliers of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOU shall be eligible for grant of Replenishment Authorizations at rates and for items mentioned in HBP.

(c) In addition, EOU/EHTP/STP/BTP units shall be entitled to following :-

- (i) Reimbursement of Central Sales Tax (CST) on goods manufactured in India, wherever applicable. Simple interest @ 6% per annum will be payable on delay in refund of CST, if the case is not settled within 30 days of receipt of complete application (as in Para 11.10 of HBP).
- (ii) Exemption from payment of Central Excise Duty on goods, falling in Fourth Schedule of Central Excise Act, procured from DTA on such goods manufactured in India.

6.11 Other Entitlements

Other entitlements of EOU/EHTP/STP/BTP units are as under:

- (a) Exemption from industrial licensing for manufacture of items reserved for micro and small enterprises.
- (b) Export proceeds will be realized within nine months.
- (c) Units will be allowed to retain 100% of its export earnings in the EEFC account.
- (d) Unit will not be required to furnish bank guarantee at the time of import or going for job work in DTA, where:
 - (i) the unit has turnover of Rs. 5 crore or above;
 - (ii) the unit is in existence for at least three years; and
 - (iii) the unit:
 - (1) has achieved positive NFE / export obligation wherever applicable; and
 - (2) has not been issued a show cause notice or a confirmed demand, during the preceding 3 years, on grounds other than procedural violations, under the penal provision of the Customs Act, CGST/SGST/UTGST/IGST Acts, the Central Excise Act, the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, the Foreign Exchange Management Act, the Finance Act, 1994 covering Service Tax or any allied Acts or the rules made thereunder, on account of fraud / collusion / willful mis-statement / suppression of facts or contravention of any of the provisions thereof; or
- (e) has achieved necessary certification as an Authorised Economic Operator and has not been issued a show cause notice or a confirmed demand, during the preceding 3 years, on grounds other than procedural violations, under the penal provision of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and the Foreign Exchange Management Act.
- (f) 100% FDI investment permitted through automatic route similar to SEZ units.
- (g) The Units Approval Committee may consider on a case-to-case basis request for sharing of infrastructural

facilities among EOUs and it shall forward its recommendation to the Board of Approval for its consideration. While accepting such proposals, the NFE obligations of the units shall not be altered. Such facilities will be available to units in EHTP / STP after getting approval from IMSC. However, sharing of facilities between EOUs and SEZ Units shall not be permitted.

6.12 Inter Unit Transfer

(a) Transfer of manufactured goods from one EOU/EHTP/STP/BTP unit to another EOU / EHTP/ STP/ BTP unit is allowed on payment of applicable GST and compensation cess with prior intimation to concerned Development Commissioners of the transferor and transferee units as well as concerned Customs authorities, as per following procedure for movement of goods:

i. The supplier unit shall endorse on usual commercial documents, such as, tax invoice and delivery challan, the amount of duties of Custom leviable under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption on inputs used in the manufacture of such finished goods (including by- products, rejects, waste and scraps arising in the course of production, manufacture, processing or packaging of such goods) supplied to another unit. The recipient unit shall pay such endorsed Customs duty besides his own liability of reversal of Customs duty as provided in Para 6.07 above, before clearance of such finished goods in DTA and as provided under DoR notifications/circulars/ guidelines in this regard.

ii. Upon receipt of goods, the recipient unit shall submit endorsed copies of tax invoice to their jurisdictional Customs authority as well as to the jurisdictional Customs authorities of the supplier unit.

(b) Capital goods may be transferred or given on loan to other EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ units, with prior intimation to concerned DC and Customs authorities on payment of applicable GST and compensation cess. Such transferred goods may also be returned by the second unit to the original unit in case of rejection or for any reason on payment of applicable GST and compensation cess.

(c) Goods supplied by one unit of EOU/EHTP/STP/ BTP to another unit shall be treated as imported goods for second unit for payment of duty, on DTA sale by second unit.

(d) In respect of a group of EOUs/EHTPs/STPs/BTP units which source inputs centrally in order to obtain bulk discount and / or reduce cost of transportation and other logistics cost and / or to maintain effective supply chain, inter unit transfer of goods and services may be permitted on a case-to-case basis by the Unit Approval Committee. In case inputs so sourced are imported and then transferred to another unit, then value of the goods so transferred shall be taken as inflow for the unit transferring these goods and as outflow for the unit receiving these goods, for the purpose of calculation of NFE.

6.13 Sub-Contracting

(a) (i) EOU/EHTP/STP/BTP units, including gems and jewellery units, may be on the basis of annual permission from Customs authorities, sub-contract production processes to DTA through job work which may also involve change of form or nature of goods, through job work by units in DTA.

(ii) These units may sub-contract upto 50% of overall production of previous year in value terms in DTA with permission of Customs authorities.

(b)(i) EOU may, with annual permission from Customs authorities, under take job work for export, on behalf of DTA exporter, provided that goods are exported directly from EOU and export document shall jointly be in name of DTA/ EOU. For such exports, DTA units will be entitled for refund of duty paid on inputs by way of brand rate of duty drawback. However, such brand rate of drawback shall be as per Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017 and shall be limited to Customs duties and Central Excise Duties (in respect of eligible items covered under Schedule IV of Central Excise Act, 1944).

(ii) Import of goods for execution of export order placed on EOU by foreign supplier on job work basis, would be allowed with or without payment of duties and/or taxes as provided under Para 6.01(d)(ii) above subject to condition that no DTA clearance shall be allowed.

(iii) Sub-contracting of both production and production processes may also be under taken without any limit through other EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ units, on the basis of records maintained in unit.

(iv) EOU/EHTP/STP/BTP units may sub-contract part of production process abroad and send intermediate products abroad as mentioned in LoP. No permission would be required when goods are sought to be exported from sub-contractor premises abroad. When goods are sought to be brought back, prior intimation to concerned DC and Customs authorities shall be given.

(c) Scrap/waste/remnants generated through job work may either be cleared from job worker's premises on payment of applicable duty and/or taxes, as provided under Para 6.07 above on transaction value or destroyed in presence of Customs authority or returned to unit. Destruction shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi-precious stones.

(d) Sub-contracting/ exchange by gems and jewellery EOUs through other EOUs or SEZ units or units in DTA, shall be as per procedure indicated in HBP.

6.14 Sale of Unutilized Material and Capital Goods

(a) In case an EOU / EHTP/ STP/BTP unit is unable to utilize goods and services imported or procured from DTA, it may be:

(i) Transferred to another EOU/EHTP/STP/BTP/ SEZ unit; or

(ii) Disposed of in DTA with intimation to Customs authorities on payment of applicable duties and/ or taxes and compensation cess. In addition, exemption of duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 availed, if any on the goods, at the time of import will also be payable. This sale would be further subject to compliance of applicable import conditions such as requirement of import Authorisation; or

(iii) Exported.

(iv) Such transfer from EOU/EHTP/STP/BTP unit to another such unit would be treated as import for receiving unit.

(b) Capital goods and spares that have become obsolete/ surplus, may be exported or transferred to SEZ unit, transferred to another EOU/EHTP/STP/BTP/on payment of applicable GST and compensation cess or disposed of in DTA on payment of applicable GST and compensation cess and duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975. Benefit of depreciation will be available in case of disposal in DTA only when the unit has achieved positive NFE taking into consideration the depreciation allowed. No duty shall be payable other than the applicable taxes under GST laws in case capital goods, raw material consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged, and scrap/ waste/remnants /rejects are destroyed within unit after intimation to Customs authorities or destroyed outside unit with permission of Customs authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi- precious stones.

(c) In case of textile sector, disposal of left over material/ fabrics upto 2% of CIF value or quantity of import, whichever is lower, on payment of duty on transaction value, may be allowed, subject to certification of Central Excise/Customs officers that these are left over items.

(d) Disposal of used packing material will be allowed on payment of duty on transaction value.

6.15 Reconditioning/Repair and Re-engineering

(a) EOUs shall be set up with approval of UAC to carry out reconditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, upgradation of technology and re-engineering activities for export in foreign currency. Provisions of paragraphs 6.07, 6.08, 6.09, 6.12, 6.13 of FTP and para 6.29(a), (b), (c) and (d) of HBP shall not, however, apply to such activities.

(b) EHTP/STP/BTP units shall be set up with approval of IMSC to carry out reconditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, upgradation of technology and re-engineering activities for export in foreign currency. Provisions of paragraphs 6.07, 6.08, 6.09, 6.12, 6.13 of FTP and para 6.29(a), (b), (c) and (d) of HBP shall not, however, apply to such activities.

6.16 Replacement / Repair of Imported / Indigenous Goods

(a) General provisions of FTP relating to export /import of replacement/repair of goods would also apply equally to EOU/EHTP/STP/BTP units. Cases not covered by these provisions shall be considered on merits by DC.

(b) Goods sold in DTA and not accepted for any reasons, may be brought back for repair/replacement, under intimation to concerned jurisdictional customs authorities.

(c) Goods or parts thereof, on being imported / indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective subsequently, may be returned against refund of purchase value/ against replacement or destruction. In the event of replacement, goods may be received from foreign suppliers or their authorized agents in India or indigenous suppliers. The unit can take free of cost replacement (duty paid) from the authorized agents in India of foreign suppliers, provided the defective part is re-exported or destroyed. However,

destruction shall not apply to precious and semi-precious stones and precious metals.

6.17 Exit from the Scheme

- (a) With approval of DC/Designated officer of EHTP/STP/BTP, an EOU/EHTP/STP/BTP unit may opt out of scheme. Such exit shall be subject to payment of applicable Excise and Customs duties and on payment of applicable IGST/ CGST/ SGST/ UTGST and compensation cess, if any, and industrial policy in force.
- (b) If unit has not achieved obligations, it shall also be liable to penalty at the time of exit.
- (c) In the event of a gems and jewellery unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gems and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominated by DoC, at price to be determined by that agency.
- (d) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may also be permitted by DC to exit from the scheme at any time on payment of applicable duties and taxes and compensation cess on capital goods under the prevailing EPCG Scheme for DTA Units. This will be subject to fulfillment of positive NFE criteria under EOU scheme, eligibility criteria under EPCG scheme and standard conditions indicated in HBP.
- (e) Unit proposing to exit out of the scheme shall intimate DC of EOU/Designated officer of EHTP/STP/BTP and Customs authorities in writing. Unit shall assess duty liability arising out of exit and submit details of such assessment to Customs authorities. Customs authorities shall confirm duty liabilities on priority basis, subject to the condition that the unit has achieved positive NFE, taking into consideration the depreciation allowed. After payment of duty and clearance of all dues, unit shall obtain "No Dues Certificate" from Customs authorities. On the basis of "No Dues Certificate" so issued by the Customs authorities, unit shall apply to DC/Designated officer for final exit. In case there is no proceeding pending under FT(D&R) Act, as amended, DC/Designated officer shall issue final exit order within a period of 7 working days. Between "No Dues Certificate" issued by Customs authorities and final exit order by DC/Designated officer, unit shall not be entitled to claim any exemption for procurement of capital goods or inputs. However, unit can claim Advance Authorization / DFIA/ Duty Drawback as per its eligibility. In case the duty calculations and dues are disputed and take a long time, a BG / Bond / Installment processes backed by BG shall be provided for expediting the exit process.
- (f) In cases where a unit is initially established as DTA unit with machines procured from abroad after payment of applicable import duty, or from domestic market after payment of excise duty/GST, and unit is subsequently converted to EOU, in such cases removal of such capital goods to DTA after exit would be without payment of duty. Similarly, in cases where a DTA unit imported capital goods under EPCG Scheme and after completely fulfilling export obligation gets converted into EOU, unit would not be charged customs duty on capital goods at the time of removal of such capital goods in DTA upon exit.
- (g) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may also be permitted by DC to exit under Advance Authorisation as one time option. This will be subject to fulfillment of positive NFE criteria.
- (h) A simplified procedure may be provided to fast track the De-bonding/ Exit of the STP / EHTP Unit which has not availed any duty benefit on procurement of raw material, capital goods etc.

6.18 Conversion

- (a) Existing DTA units may also apply for conversion into an EOU / EHTP / STP/ BTP unit.
- (b) Existing EHTP / STP units may also apply for conversion / merger to EOU unit and vice-versa. In such cases, units will avail exemptions in duties and taxes as applicable.
- (c) Applications for conversion into an EOU / EHTP / STP / BTP unit from existing DTA units, having an investment of Rs. 50 crores and above in plant and machinery or exporting Rs. 50 crores and above annually, shall be placed before BOA for a decision.

6.19 Monitoring of NFE

Performance of EOU/EHTP/STP/ BTP units shall be monitored by Units Approval Committee as per guidelines in HBP.

6.20 Export through Exhibitions/ Export Promotion Tours/ Showrooms Abroad /Duty Free Shops

EOU / EHTP / STP / BTP are permitted to:

- (i) Export goods for holding/participating in Exhibitions abroad with permission of DC /Designated officer.
- (ii) Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles.

- (iii) Export goods for display / sale in permitted shops set up abroad.
- (iv) Display / sell in permitted shops set up abroad, or in showrooms of their distributors / agents.
- (v) Set up showrooms / retail outlets at International Airports.

6.21 Personal Carriage of Import / Export Parcels including through Foreign Bound Passengers

Import/ export through personal carriage of gems and jewellery items may be undertaken as per Customs procedure. However, export proceeds shall be realized through normal banking channel. Import/ export through personal carriage by units, other than gems and jewellery units, shall be allowed provided goods are not in commercial quantity. An authorized person of Gems & Jewellery EOU may also import gold in primary form, upto 10 Kgs in a financial year through personal carriage, as per guidelines prescribed by RBI and DoR.

6.22 Export /Import by Post/ Courier

Goods including free samples, may be exported/imported by air freight or through foreign post office or through courier, as per Customs procedure.

6.23 Administration of EOU / EHTP / STP / BTP units and Powers of DC/Designated Officer of EOU/EHTP/STP/SEZ

Details of administration of EOUs / EHTP / STP / BTP units and powers of DC/Designated Officer are given in HBP.

CHAPTER 7 DEEMED EXPORTS

7.00 Objective

To provide a level-playing field to domestic manufacturers and to promote Make in India, incertain specified cases, as may be decided by the Government from time to time.

7.01 Deemed Exports

- (i) “Deemed Exports” for the purpose of this FTP refer to those transactions in which goods supplied do not leave country, and payment for such supplies is received either in Indian rupees or in free foreign exchange. Supply of goods as specified in Paragraph 7.02 below shall be regarded as “Deemed Exports” provided goods are manufactured in India.
- (ii) “Deemed Exports” for the purpose of GST would include only the supplies notified under Section 147 of the CGST/SGST Act, on the recommendations of the GST Council. The benefits of GST and conditions applicable for such benefits would be as specified by the GST Council and as per relevant rules and notification.

7.02 Categories of Supply

Supply of goods under following categories (a) to (c) by a manufacturer and under categories (d) to (g) by main / sub-contractors shall be regarded as ‘Deemed Exports’:

A. Supply by manufacturer:

- (a) Supply of goods against Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement / DFIA.
- (b) Supply of goods to EOU / STP / EHTP / BTP.
- (c) Supply of capital goods against EPCG Authorisation.

B. Supply by main / sub-contractor(s):

- (d) (i) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral Agencies / Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), MoF, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty.
- (ii) Supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral Agencies/Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), MoF, for which bids have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad.
- (iii) Supplies covered in this paragraph shall be under International Competitive Bidding (ICB)

in accordance with procedures of those Agencies / Funds.

(iv) A list of agencies, covered under this paragraph, for deemed export benefits, is given in Appendix-7A.

- (e) (i) Supply of goods to any project or for any purpose in respect of which the Ministry of Finance by Customs Notification No. 50/2017-Customs dated 30.6.2017, as amended from time to time, permits import of such goods at zero basic customs duty subject to conditions mentioned therein. Benefits of deemed exports shall be available only if the supply is made under procedure of ICB.
- (ii) Supply of goods required for setting up of any mega power project, as specified in the list 31 at Sl. No. 598 of Department of Revenue Notification No. 50/2017-Customs dated 30.6.2017, as amended from time to time and subject to conditions mentioned therein, shall be eligible for deemed export benefits provided such mega power project conforms to the threshold generation capacity specified in the above said Notification.
- (iii) For mega power projects, ICB condition would not be mandatory if the requisite quantum of power has been tied up through tariff based competitive bidding or if the project has been awarded through tariff based competitive bidding.
- (f) Supply of goods to United Nations or International organization for their official use or supplied to the projects financed by the said United Nations or an International organization approved by Government of India in pursuance of Section 3 of United Nations (Privileges and Immunities Act), 1947. List of such organization and conditions applicable to such supplies is given in the Customs Notification No. 84/97-Customs dated 11.11.1997, as amended from time to time. A list of Agencies, covered under this paragraph, is given in Appendix-7B.
- (g) Supply of goods to nuclear power projects provided:
- Such goods are required for setting up of any Nuclear Power Project as specified in the list 32 at Sl. No. 602, Customs notification No. 50/2017- Customs dated 30.6.2017, as amended from time to time and subject to conditions mentioned therein.
 - The project should have a capacity of 440 MW or more.
 - A certificate to the effect is required to be issued by an officer not below the rank of Joint Secretary to Government of India, in Department of Atomic Energy.
 - Tender is invited through National competitive bidding (NCB) or through ICB.

7.03 Benefits for Deemed Exports

Deemed exports shall be eligible for any / all of following benefits in respect of manufacture and supply of goods, qualifying as deemed exports, subject to terms and conditions as given in HBP and ANF-7A:

- Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement / DFIA.
- Deemed Export Drawback.
- Refund of terminal excise duty for excisable goods mentioned in Schedule 4 of Central Excise Act, 1944 provided the supply is eligible under that category of deemed exports and there is no exemption.

7.04 Benefits to the Supplier /Recipient

Categories of supplies as per Para 7.02	Benefits on supplies, as given in Para 7.03 above, whichever is applicable.		
	Para 7.03 (a) Advance Authorisation	Para 7.03 (b) Duty Drawback	Para 7.03 (c) Terminal Excise Duty
(a)	Yes (for intermediate supplies against an invalidation letter)	Yes (against ARO)	Yes
(b)	Yes	Yes	Yes

(c)	Yes	Yes	NA
(d)	Yes	Yes	NA
(e)	Yes	Yes	NA
(f)	Yes	Yes	NA
(g)	Yes	Yes	NA

7.05 Conditions for refund of Terminal Excise Duty

Supply of goods will be eligible for refund of terminal excise duty as per Para 7.03 (c) of FTP, provided recipient of goods does not avail CENVAT credit/rebate on such goods.

7.06 Conditions for refund of Deemed Export drawback

Supplies will be eligible for deemed export drawback as per para 7.03 (b) of FTP, as under:

Refund of drawback on the inputs used in manufacture and supply under the said category can be claimed on 'All Industry Rate' of Duty Drawback Schedule notified by Department of Revenue from time to time provided no CENVAT credit has been availed by supplier of goods on excisable inputs or on 'Brand Rate Basis' upon submission of documents evidencing actual payment of basic custom duties.

7.07 Common conditions for deemed export benefits

- (i) Supplies shall be made directly to entities listed in the Para 7.02. Third party supply shall not be eligible for benefits/exemption.
- (ii) In all cases, supplies shall be made directly to the designated Projects / Agencies/ Units/ Advance Authorisation/ EPCG Authorisation holder. Sub- contractors may, however, make supplies to main contractor instead of supplying directly to designated Projects/ Agencies. Payments in such cases shall be made to sub-contractor by main-contractor and not by project Authority.
- (iii) Supply of domestically manufactured goods by an Indian Subcontractor to any Indian or foreign main contractor, directly at the designated project's/ Agency's site, shall also be eligible for deemed export benefit provided name of sub- contractor is indicated either originally or subsequently (but before the date of supply of such goods) in the main contract. In such cases payment shall be made directly to sub-contractor by the Project Authority.
- (iv) Steel manufacturers supplying steel against Advance Authorization under Para 7.02 (a), through their Service Centers/ Distributors/ Dealers/ Stock yards, shall also be eligible to claim duty drawback provided such supplies are made in accordance with Ministry of Steel O.M. No. S-21016/3/2020-TRADE-TAX- Part(1) dated 27.5.2020 read with O.M. dated 24.6.2020, as amended from time to time. However, the invoice against such supplies would be raised by the manufacturer on the Advance Authorization holder. Delivery of such supplies can be made through their Service Centers/ Distributors/ Dealers/ Stock yards, who in turn will raise the tax invoice on the steel manufacturer bearing a cross reference for such supplies.

7.08 Benefits on specified supplies

- (i) Deemed export benefits shall be available for supplies of "Cement" under Para 7.02(d) only.
- (ii) Deemed export benefit shall be available on supply of "Steel":
 - (a) As an inputs to Advance Authorisation/ Annual Advance Authorisation/DFIA holder/ an EOU.
 - (b) To multilateral/ bilateral funded Agencies as per sub-para 7.02(d).
- (iii) Deemed export benefit shall be available on supply of "Fuel" (in respect of eligible fuel items covered under Schedule 4 of Central Excise Act, 1944) provided supplies are made to:
 - (a) EOUs.

- (b) Advance Authorisation holder / Annual Advance Authorisation holder.

7.09 Liability of Interest

Incomplete/deficient application is liable to be rejected. However, simple interest @ 6% per annum will be payable on delay in refund of duty drawback and terminal excise duty under the scheme, provided the claim is not settled within 30 days from the date of issue of final Approval Letter by RA.

7.10 Risk Management and Internal Audit mechanism

- (a) A Risk Management system shall be in operation, wherein every month, Computer system in DGFT headquarters, on random basis, will select 10% of cases, for each RA, where benefit(s) under this Chapter has/have already been granted. Such cases shall be scrutinized by an internal Audit team, headed by a Joint DGFT, in the office of respective Zonal Addl. DGFT. The team will be responsible to audit claims of not only for its own office but also the claims of all RAs falling under the jurisdiction of the Zone.
- (b) The respective RA may also, either on the basis of report from Internal Audit/ External Audit Agency(ies) or suo-motu, re-assess any case, where any erroneous/in-eligible payment has been made/claimed. RA will take necessary action for recovery of payment along with interest at the rate of 15% per annum on the recoverable amount.

7.11 Penal Action

In case, claim is filed by submitting mis-declaration/mis-representation of facts, then in addition to effecting recovery under Para 7.10(b) above, the applicant shall be liable for penal action under the provisions of FT(D&R) Act, Rules and orders made there under.

Chapter-8

Quality Complaints and Trade Disputes

8.00 Objective

Exporters need to project a good image of the country abroad to promote exports. Maintaining an enduring relationship with foreign buyers is of utmost importance, and complaints or trade disputes, whenever they arise, need to be settled amicably as soon as possible. Importers too may have grievances as well.

In an endeavour to resolve such complaints or trade disputes and to create confidence in the business environment of the country, a mechanism is being laid down to address such complaints and disputes in an amicable way.

Complaints/Disputes between two or more Indian entities are not covered under this mechanism. Similarly, complaints/disputes between two or more foreign entities are also not covered.

8.01 Quality Complaints/ Trade disputes

The following type of complaints may be considered:

- (a) Complaints received from foreign buyers in respect of quality of goods or services or technology supplied by exporters from India;
- (b) Complaints of importers against foreign suppliers in respect of quality of the goods or services or technology supplied; and
- (c) Complaints of unethical commercial dealings categorized mainly as non-supply/ partial supply of goods or services or technology after confirmation of order; supplying goods or services or technology other than the ones as agreed upon; non- payment; non-adherence to delivery schedules, etc.

8.02 Obligation on the part of importer/ exporter

(a) Rule 11 of the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993, requires that on the importation into, or exportation out of, any customs ports of any goods or services or technology, whether liable to duty or not, the owner of such goods or services or technology shall in the Bill of Entry or the Shipping Bill or any other documents prescribed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962), state the value, quality and description of such goods or services or technology to the best of his knowledge and belief and in case of exportation of goods or services or technology, certify that the quality and specification of the goods or services or technology as stated in those documents, are in accordance with the terms of the export contract entered into with the buyer or consignee in pursuance of which the goods or services or technology are being exported and shall subscribe a declaration of the truth of such statement at the foot of such Bill

of Entry or Shipping Bill or any other documents. Violation of this provision renders the exporter liable for penal action;

- (b) Certain export commodities have been notified for Compulsory Quality Control & Pre-shipment Inspection prior to their export. Penal action can be taken under the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 as amended in 1984, against exporters who do not conform to these standards and/ or provisions of the Act as laid down for such products.

8.03 Provisions in FT (D&R) Act, 1992, as amended & FT (Regulation) Rules, 1993, as amended for necessary action against erring exporters/ importers

Action against erring exporters/importers can be taken under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended and under Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993, as amended, as follows:-

- a) Section 8 of the Act empowers the Director General of Foreign Trade or any other officer authorized by him to suspend or cancel the Importer Exporter Code Number for the reasons as given therein;
- b) Section 9 (2) of the Act empowers the Director General of Foreign Trade or an officer authorised by him to refuse to grant or renew a license, certificate, scrip or any other instrument bestowing financial or fiscal benefit granted under the Act;
- c) Section 9(4) of the Act empowers the Director General of Foreign Trade or the officer authorized by him to suspend or cancel any License, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefit granted under the Act;
- d) Section 11(2) of the Act provides for imposition of fiscal penalty in cases where a person makes or abets or attempts to make any import or export in contravention of any provision of the Act, any Rules or Orders made there under or the Foreign Trade Policy.

8.04 Mechanism for handling of Complaints/ Disputes

- (a) Committee on Quality complaints and Trade Disputes (CQCTD)

To deal effectively with the increasing number of complaints and disputes, a 'Committee on Quality Complaints and Trade Disputes' (CQCTD) will be constituted in the Regional Authorities (RAs) of DGFT. Names of RAs, where CQCTD has been constituted and jurisdiction of CQCTD is given in Chapter 8 of the Handbook of Procedures .

- (b) Composition of the CQCTD

The CQCTD would be constituted under the Chairpersonship of the Head of Office. The constitution of CQCTD is given in Chapter 8 of the Hand Book of Procedures.

- (c) Functions of CQCTD

The Committee (CQCTD) will be responsible for enquiring and investigating into all Quality related complaints and other trade related complaints falling under the jurisdiction of the respective RAs. It will take prompt and effective steps to redress and resolve the grievances of the importers/ exporters and overseas buyers/ sellers preferably within three months of receipt of the complaint. Wherever required, the Committee (CQCTD) may take the assistance of the Export Promotion Councils/FIEO/Commodity Boards or any other agency as considered appropriate for settlement of these disputes.

CQCTD will hold its meetings at regular intervals and at least four in a year given the pendency of complaints/disputes.

8.05 Proceedings under CQCTD

CQCTD proceedings are conciliatory in nature and the aggrieved party, whether the foreign entity or the Indian entity, is free to pursue any legal recourse against the other erring party.

8.06 Procedures to deal with complaints and trade disputes

The procedure for making an application for such complaints or trade disputes and the procedure to deal with such quality complaints and disputes is given in the Handbook of Procedures.

8.07 Corrective Measures

- a) The Committee at RA level can authorize the Export Inspection Agency or any technical authority to assess whether there has been any technical failure of not meeting the standards, manufacturing/ design defects, etc. for which complaints have been received;

- b) Initially, efforts will be made to settle the complaint/ dispute amicably. In case the matter is not settled amicably, action may be taken against the erring Indian entity in terms of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended, and the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993, as amended;
- c) Complaints against foreign entities would be taken up for settlement by the respective 'Foreign Trade Division' in the Department of Commerce, Vanijya Bhavan, New Delhi through Indian Missions abroad. Indian Missions Abroad will take up the complaints against the foreign entities with authorities concerned;
- d) In case, the Indian Missions abroad are satisfied about the malafide of any foreign entity, they shall send such information to DGFT for circulation amongst the EPCs/Commodity Boards, ECGC and other regulatory authorities.

8.08 Case Officer

A Case Officer will be assigned for monitoring purposes in the designated Regional Authorities for resolving complaints and trade disputes in a time bound manner.

8.09 Nodal Officer

Director General of Foreign Trade would appoint an officer, not below the rank of Joint Director General, in the Headquarters, to function as the 'Nodal Officer' for monitoring the trade disputes and coordinating with Regional Authorities of DGFT, Foreign Trade Divisions of Department of Commerce, Indian Missions and other agencies.

CHAPTER 9

PROMOTING CROSS BORDER TRADE IN DIGITAL ECONOMY

9.00 Objective

The objective of this chapter is to provide a framework for cross-border trade of goods and services from India in the digital economy and the promotion of e-Commerce and other emerging channels of exports from India.

9.01 E-Commerce Exports of Goods

Export of goods where selling is through the internet on an e-Commerce platform, the payment for which shall be done through international credit or debit cards, or other authorised electronic payment channels and as specified by the RBI from time to time.

9.02 E-Commerce Exports of Services

Exports of services where selling is through the internet on an e-Commerce platform, the payment for which shall be done through international credit or debit cards, or other authorised electronic payment channels and as specified by the RBI from time to time.

9.03 E-Commerce Platform

E-Commerce platform is an electronic platform, including a web-portal, that enables the commercial process of buying and selling through the internet.

9.04 E-Commerce Export Logistics Provider

Any service provider who provides logistics services towards exports of goods or services for e-Commerce Exports.

9.05 Export through Courier Service/Post

Exports through a registered courier service/Foreign Post Office is permitted as per Notification(s) issued under Customs Act, 1962. However, exportability of such items shall be regulated in accordance with FTP/Export Policy in ITC(HS) as notified. The value limit for exports through courier service shall be Rs. 10,00,000 per consignment.

9.06 Import through courier service/Post

- i. Imports through a registered courier service or Post are permitted as per Notification(s) issued under the Customs Act, 1962. However, importability of such items shall be regulated in accordance with FTP and the ITC(HS) based Import Policy as notified.
- ii. Exports by courier mode of precious Metal Jewellery through E-commerce and re-import of such export shipments returned by the buyer shall be allowed as per the Notification(s) issued and procedures prescribed under the Customs Act, 1962.

A. PROMOTION OF E-COMMERCE EXPORTS**9.07 Handholding and outreach to promote e-Commerce Exports**

i. The Niryat Bandhu Scheme (NBS) as defined under Chapter 1 of the Policy shall have a component for the promotion of e-Commerce and other emerging channels of exports. Under the given NBS competent, DGFT shall organise outreach activities/workshops in partnership with Customs Authorities, Department of Post, 'Industry Partners' and 'Knowledge Partners' for promotion of e-Commerce exports. Besides outreach/workshops, specific focus may be on creation of electronic content as well.

ii. In addition to increasing awareness on e-Commerce related rules and processes, actions may be undertaken under the said NBS component for capacity building and skill development for promotion of e-Commerce exports, in partnership with Customs Authorities, Department of Post, 'Industry Partners' or the 'Knowledge Partners'.

B. E-COMMERCE EXPORT HUBS (ECEHs)**9.08 Objective of E-Commerce Export Hubs**

The objective is to establish designated areas as E-Commerce Export Hubs (hereafter called "ECEH"), which would act as a centre for favourable business infrastructure and facilities for Cross Border E-Commerce activities.

9.09 Creation of ECEH

i. The ECEH shall ordinarily be setup through private initiative. It may also be setup in Public-Private-Partnership (PPP) mode in partnership with the State governments/Central government. Request for approval of an ECEH proposed shall be submitted to the notified committee to be constituted by DGFT.

ii. Existing facility with the required infrastructure may also apply to be designated as ECEH.

9.10 Nature of ECEH Operations

i. ECEH will function to achieve agglomeration benefits for e-commerce exporters. The ECEH may provide for storage (including cold storage facilities), packaging, labelling, certification & testing and other common facilities for the purposes of export.

ii. The ECEH shall also provide for dedicated logistics infrastructure for connecting to and leveraging the services of the nearest Logistics hub(s).

iii. All goods, including SCOMET and Restricted goods (subject to suitable compliance of regulations and conditions) and except goods which are prohibited or otherwise disallowed, may be handled at ECEH.

iv. Capital goods brought to a ECEH shall be utilized only for activities as mentioned at (i) above on payment of the duties and taxes, as applicable, in terms of extant laws.

9.11 Entitlement under ECEHs

i. ECEH may be provided financial assistance under MAI scheme, for e-Commerce export promotion projects for marketing, capacity building and technological services such as imaging, cataloguing, product video creation of e-Commerce Goods.

C. PROMOTION OF E-COMMERCE EXPORTS THROUGH POSTAL ROUTE**9.12 Dak Niryat Kendras**

Dak Ghar Niryat Kendras shall be operationalised throughout the country to work in a hub-and-spoke model with Foreign Post Offices (FPOs) to facilitate cross-border e-Commerce and to enable artisans, weavers, craftsmen, MSMEs in the hinterland and land-locked regions to reach international markets.

CHAPTER 10**SCOMET: SPECIAL CHEMICALS, ORGANISMS, MATERIALS, EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES****10.00 Objective**

The general provisions governing the export of dual use items, munitions and nuclear related items, including software and technology viz. SCOMET, are dealt with in this Chapter.

10.01 Brief Background

India is a signatory to international conventions on disarmament and non-proliferation, viz. the Chemical Weapons Convention (CWC) and Biological and Toxin Weapons Convention (BWC). The United Nations Security Council

Resolution 1540 obliges all countries to prohibit access of weapons and mass destruction and their delivery systems to non-state actors (in particular for terrorist purposes); and prescribed measures and controls on weapons of mass destruction, their delivery systems and related materials, equipment and technology. India is also a member of the major multilateral export control regimes, viz. the Missile Technology Control Regime (MTCR), Wassenaar Arrangement (WA) and Australia Group (AG); and has harmonized its guidelines and control lists with that of the Nuclear Suppliers Group (NSG). In consonance with the guidelines and control lists of these international conventions and obligations as well as multilateral export control regimes, India has regulated the exports of dual use items, nuclear related items, including software and technology.

In respect of controls on export of specified goods, services and technology, the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (21 of 2005) shall apply to exports, transfers, re-transfers, brought in transit, trans-shipment of, and brokering in specified goods, technology or services. These provisions have been incorporated in Chapter IVA of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended in 2010.

10.02 SCOMET List

Export of dual-use items, including software and technologies, having potential civilian / industrial applications as well as use in weapons of mass destruction is regulated. It is either prohibited or is permitted under an Authorization unless specifically exempted.

SCOMET is an acronym for Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies. Accordingly, the SCOMET list is our National Export Control List of dual use items munitions and nuclear related items, including software and technology and is aligned to the control lists of the all the multilateral export control regimes and conventions. The SCOMET List has been notified under Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, which is available on the website of DGFT.

10.03 Classification of SCOMET categories and Licensing jurisdiction

The SCOMET List is divided into nine categories of items from Category 0 to Category 8. However, Category 7 is presently 'Reserved' and has not been populated. The broad classification of different categories under SCOMET List and their jurisdictional licensing authorities are tabulated as under:

Table: SCOMET Categories and Licensing Jurisdiction

SCOMET Category	SCOMET items	Jurisdictional Licensing Authority	Remark
0	Nuclear materials, nuclear-related other materials, equipment and technology	Department of Atomic Energy (DAE)	Including items mentioned in Note 2 of CIN of SCOMET List
1	Toxic chemical agents and other chemicals	Directorate General of Foreign Trade (DGFT)	
2	Micro-organisms, Toxins	DGFT	
3	Materials, Materials Processing Equipment and related Technologies	DGFT	
4	Nuclear-related other equipment and technology, not controlled under Category '0'	DGFT	
5	Aerospace systems, equipment, including production and test equipment, and related Technology and specially designed components and accessories thereof.	DGFT	
6	Munitions List	Department of Defence Production (DDP)/ Ministry of	Excluding those covered under Note 2 and 3 of CIN and Sub-category

		Defence	6A007, 6A008
7	‘Reserved’	DGFT	
8	Special Materials and Related Equipment, Material Processing, Electronics, Computers, Telecommunications, Information Security, Sensors and Lasers, Navigation and Avionics, Marine, Aerospace and Propulsion.	DGFT	

CIN : Commodity Identification Note of SCOMET List

Note: DGFT to be licensing authority for above specified categories/sub-categories and any other sub-category as may be specified.

10.04 Export of SCOMET Items

Procedure for grant of export authorization for SCOMET items in respect of Categories 1 to 5 and 8, is specified under Chapter 10 of Hand Book of Procedures (HBP). Export of SCOMET items under Category 0 and Note 2 of the Commodity Identification Note (CIN) of SCOMET will be permitted against an authorization issued by the Department of Atomic Energy (DAE) as per the guidelines for Nuclear Transfers (Exports) and Notification of schedule of Prescribed Substances, Prescribed Equipment and Technology" **issued** under Atomic Energy Act 1962 and Atomic Energy (Working of Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substance) Rules 1984. Export of SCOMET items under Category 6 (Munitions List) [except those covered under Note 2 and 3 of CIN and items under Category 6A007, 6A008], irrespective of end use of the items, whether military or civil will be permitted against an authorization to be issued by Department of Defence Production (DDP)/ Ministry of Defence under the extant guidelines /Standing Operating Procedure (SOP) issued by the DDP, time to time.

10.05 Additional controls on Non-SCOMET items for dual use (Catch-all controls)

Export of items not in the SCOMET List may also be regulated under provisions of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005. If the exporter has been notified in writing by DGFT or he knows or has reason to believe that an item not covered in the SCOMET list has a potential risk of use in or diversion to weapons of mass destruction (WMD) or in their missile system or military end use (including by terrorists and non-state actors), the export of such an item may be denied or permitted subject to the grant of a license, as per the procedure provided for SCOMET items in Para 10.05 and 10.06 of HBP.

10.06 Supply of SCOMET Items from DTA to SEZ/EoU and outside the country

Export authorisation is not required for supply of SCOMET items from DTA to SEZ /EoU. However, all supplies of SCOMET items from DTA to SEZ/EoU will be reported to the Development Commissioner (DC) of the respective SEZ/EoU by the supplier in the prescribed performa within one week of the supplies getting effected. Export Authorisation is, however, required if the SCOMET items are to be physically exported outside the country from SEZ/EoU, i.e. to another country (Rule 26 of the SEZ Rules, 2006 may be referred).

10.07 Export of imported SCOMET items

Imported goods covered under the SCOMET list are not permitted for export, even from the Customs bonded ware house, without an export authorization, unless specifically exempted.

10.08 Different types of export authorizations for SCOMET items

- (i) Direct export to ultimate end user: Export to the ultimate end users abroad after due verification process;
- (ii) Export for repeat orders of same SCOMET items: Repeat export of items of same technical specifications which have earlier been allowed for export to the same countries/entities after due verification process;
- (iii) Export for Stock and Sale purpose: Export of items initially to the stockist abroad and then from the stockist to the ultimate end users in the same country or approved countries;
- (iv) Export of spare parts under SCOMET under Stock and Sale: Export of spare parts alongwith main item/equipment under stock and sale;
- (v) Export for/after repair/replacement of defective SCOMET items: Export authorizations for repair/replacement of imported items on being found defective and export authorization after repair of indigenous/third party items imported for repair;

- (vi) Temporary export of SCOMET items: Export authorization for demo/display/exhibition/tenders/RFP/RFQ/NIT abroad or for return abroad after demo/ display/ exhibition/ tenders/ RFP/ RFQ/ NIT etc. in India;
- (vii) Export of imported items to the same foreign entity or to its OEM: Export of imported items to its foreign supplier or its OEM on obsolescence of technology, dead on arrival, cancellation of order, calibration, testing, etc.;
- (viii) Global Authorization for Intra-Company Transfers (GAICT) of SCOMET Items including Software/Technology :Only one time authorization will be required, for export and/or re-export of SCOMET items including software and technology under SCOMET Category 8 (except items listed in Appendix 10M), where the export is an Intra-company transfer from the Indian parent company (applicant exporter) to its foreign subsidiary company or from the Indian subsidiary of foreign company (applicant exporter) to its foreign parent/another subsidiary of foreign parent company and; based on a Master Service Agreement / Contract between the Indian parent company/Indian subsidiary of foreign company and foreign subsidiary of Indian company/foreign parent company of Indian subsidiary for carrying out certain services but not limited to design, encryption, research, development, delivery, validation, calibration, testing, related services, etc. in specified countries for the one time validity of 3 years subject to the post export reporting of all the exports done under the authorisation.
- (ix) General Authorization for export of Chemicals and related equipments(GAEC) except software and technology : Export of chemicals (Excluding Software and Technology) listed in 1C,1D, 3D001 and 3D004 sub-categories is allowed to Australian Group(AG) countries and those listed in 1E sub-category allowed for export to State Parties to the Chemical Weapons Convention (CWC) on the basis of a onetime General authorization for export of Chemicals and related equipments (GAEC) issued by DGFT with one time of 5 years subject to the post exportreporting of all the exports done under the authorisation.
- (x) General Authorization for export after repair in India(GAER): Export of imported SCOMET items to the same entity abroad after repair in India will be allowed on the basis of a one-time General authorization for Export after Repair in India (GAER) issued by DGFT subject to post reporting on quarterly basis and other conditions as specified in para 10.12(D) of the Hand Book of Procedures.

10.09 Issue, amendment and revalidation of SCOMET authorizations

Export authorization for SCOMET items will be issued centrally by the DGFT (HQrs). Amendments, including revalidation, etc. on such authorization will also be done by the DGFT (HQrs) only. The procedure for Revalidation is prescribed in Para 10.20 of Handbook of Procedures.

10.10 Outreach Programmes on SCOMET and Export Control Framework

DGFT in association with Administrative Ministries/Departments and Trade Associations will organize Industry Outreach Programmes on regular basis for effective awareness among the exporters/importers dealing with trade and manufacture, in particular, of SCOMET items. Institutional mechanism will be adopted to organize sector specific / region specific outreach programmes with focus on MSMEs and Startups.

10.11 Voluntary Self Disclosure of export of dual use items

DGFT recognizes that there may be occasions where responsible exporters, occasionally did not comply with the export control provisions of the FTDR Act, WMD Act, Customs Act, or any regulation, order, license, or other authorization on export controls issued by DGFT. DGFT encourages voluntary self disclosures of failure to comply with the export control provisions, and supports raising awareness among exporters to avoid any incidents of non-compliance while taking strict action under FTDR Act for violation of SCOMET policy in cases other than voluntary self disclosure.

Chapter-11

Definitions

For purpose of FTP, unless context otherwise requires, the following words and expressions shall have the following meanings attached to them:-

11.01 “Accessory” or “Attachment” means apart, sub-assembly or assembly that contributes to efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.

11.02 “Act” means Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) [FT (D&R) Act] as amended from time to time.

11.03 “Actual User” is a person (either natural & legal) who is authorized to use imported goods in his/ its own

premise which has a definitive postal address.

(a) “Actual User (Industrial)” is a person (either natural & legal) who utilizes imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit which has a definitive postal address.

(b) “Actual User (Non-Industrial)” is a person (either natural & legal) who utilizes the imported goods for his own use in.

(i) any commercial establishment, carrying on any business, trade or profession, which has a definitive postal address; or

(ii) any laboratory, Scientific or Research and Development(R&D) institution, university or other educational institution or hospital which has a definitive postal address; or

(iii) Any service industry which has a definitive postal address.

11.04 “AEZ” means Agricultural Export Zones notified by DGFT in Appendix 2V of Appendices and Aayat Niryat Forms.

11.05 “Appeal” is an application filed under section 15 of the Act and includes such applications preferred by DGFT officials in government interest against decision by designated adjudicating/ appellate authorities.

11.06 “Applicant” means person on whose behalf an application is made and shall, wherever context so requires, includes person signing the application.

11.07 “Authorisation” means permission as included in Section 2(g) of the Act to import or export as per provisions of FTP.

11.08 “Capital Goods” means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernisation, technological up-gradation or expansion. It includes packaging machinery and equipment, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control.

Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture and viticulture as well as for use in services sector.

11.09 “Competent Authority” means an authority competent to exercise any power or to discharge any duty or function under the Act or the Rules and Orders made there under or under FTP.

11.10 “Component” means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. A component includes an accessory or attachment to another component.

11.11 “Consumables” means any item, which participates in or is required for a manufacturing process, but does not necessarily form part of end-product. Items, which are substantially or totally consumed during a manufacturing process, will be deemed to be consumables.

11.12 “Consumer Goods” means any consumption goods, which can directly satisfy human needs without further processing and includes consumer durables and accessories thereof.

11.13 “Counter Trade” means any arrangement under which exports/imports from /to India are balanced either by direct imports/exports from importing/exporting country or through a third country under a Trade Agreement or otherwise.

Exports/Imports under Counter Trade may be carried out through Escrow Account, Buy Back arrangements, Barter trade or any similar arrangement. Balancing of exports and imports could wholly or partly be in cash, goods and/or services.

11.14 “Developer” means a person or body of persons, company, firm and such other private or government undertaking, who develops, builds, designs, organises, promotes, finances, operates, maintains or manages a part or whole of infrastructure and other facilities in SEZ as approved by Central Government and also includes a co-developer.

11.15 “Development Commissioner” means Development Commissioner of SEZ.

11.16 “Domestic Tariff Area (DTA)” means area within India which is outside SEZs and EOU/ EHTP/ STP/BTP.

11.17 “e-commerce” means buying and selling of goods through the internet on an e-commerce platform, the payment

for which shall be done through international credit or debit cards, or other authorised electronic payment channels and as specified by the Reserve Bank of India from time to time.

11.18 “EOU” means Export Oriented Unit for which a letter of permit has been issued by Development Commissioner.

11.19 “Excisable goods” means any goods produced or manufactured in India and subject to duty of excise under Central Excise and Salt Act 1944(1 of 1944).

11.20 “Export” is as defined in FT (D&R) Act, 1992, as amended from time to time.

11.21 “Exporter” means a person who exports or intends to export and holds an IEC number, unless otherwise specifically exempted.

11.22 “Export Obligation” means obligation to export product or products covered by Authorisation or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by Regional or competent authority.

11.23 “Free” as appearing in context of import/export policy for items means goods which do not need any ‘Authorisation’/ License or permission for being imported into the country or exported out.

11.24 “FTP” means the Foreign Trade Policy, which specifies policy for exports and imports under Section 5 of the Act.

11.25 “Import” is as defined in FT (D&R) Act, 1992 as amended from time to time.

11.26 “Importer” means a person who imports or intends to import and holds an IEC number, unless otherwise specifically exempted.

11.27 ITC (HS) refers to Indian Trade Classification (Harmonized System) at 8 digits.

11.28 “Jobbing” means processing or working upon of raw materials or semi-finished goods supplied to job worker, so as to complete a part of process resulting in manufacture or finishing of an article or any operation which is essential for aforesaid process.

11.29 “Licensing Year” means period beginning on the 1st April of a year and ending on the 31st March of the following year.

11.30 “Managed Hotel” means hotels managed by a three star or above hotel/ hotel chain under an operating management contract for duration of at least three years between operating hotel/ hotel chain and hotel being managed. Management contract must necessarily cover the entire gamut of operations/management of managed hotel.

11.31 “Manufacture” means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes such as refrigeration, re-packing, polishing, labeling, Re-conditioning repair, remaking, refurbishing, testing, calibration, re-engineering.

Manufacture, for the purpose of FTP, shall also include agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture, viticulture and mining.

11.32 “Manufacturer Exporter” means a person who exports goods manufactured by him or intends to export such goods.

11.33 “Merchant Exporter” means a person engaged in trading activity and exporting or in tending to export goods.

11.34 “NC” means the Norms Committee in the Directorate General of Foreign Trade for approval of adhoc input – output norms in cases where SION does not exist and recommend SION to be notified in DGFT.

11.35 “Notification” means a notification published in Official Gazette.

11.36 “Order” means an Order made by Central Government under the Act.

11.37 “Part” means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself, and not amenable to further disassembly for maintenance purposes. Apart may be a component, spare or an accessory.

11.38 “Person” means both natural and legal and includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person including the DGFT officials.

11.39 “Policy” means Foreign Trade Policy, 2023 as amended from time to time.

11.40 “Prescribed” means prescribed under the Act or the Rules or Orders made there under or under FTP.

11.41 “Prohibited” indicates the import/export policy of an item, as appearing in ITC (HS) or elsewhere, whose import or export is not permitted.

11.42 “Public Notice” means a n o t i c e published under provisions of paragraph 1.03 and 2.04 of FTP.

11.43 “Project Exports” refers to export of engineering goods on deferred payment terms and execution of turnkey projects and civil construction contracts abroad collectively.

Project Exports would encompass

- (i) Civil construction contracts;
- (ii) Turnkey Engineering contracts including supply of Capital Goods on deferred payment terms;
- (iii) Process and Engineering Consultancy Services; and
- (iv) Project Construction items (excluding Steel and Cement).

11.44 “Quota” means the quantity of goods of a specific kind that is permitted to be imported without restriction or imposition of additional Duties.

11.45 “Raw material” means input(s) needed for manufacturing of goods. These inputs may either be in a raw/natural/unrefined/unmanufactured or manufactured state.

11.46 “Regional Authority” means authority competent to grant an Authorisation under the Act/Order.

11.47 “Registration-Cum-Membership Certificate” (RCMC) means certificate of registration and membership granted by an Export Promotion Council/Commodity Board/Development Authority or other competent authority as prescribed in FTP or HBP.

11.48 “Restricted” is a term indicating the import or export policy of an item, which can be imported into the country or exported outside, only after obtaining an Authorisation from the offices of DGFT.

11.49 “Rules” means Rules made by Central Government under Section 19 of the FT (D&R) Act.

11.50 “SCOMET” is the nomenclature for dual use items of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET). Export of dual-use items and technologies under India’s FTP is regulated. It is either prohibited or is permitted under an Authorisation.

11.51 “Services” include all tradable services covered under General Agreement on Trade in Services (GATS) and earning free foreign exchange.

11.52 “Service Provider” means a person providing:

- (i) Supply of a ‘service’ from India to any other country; (Mode 1- Cross border trade)
- (ii) Supply of a ‘service’ from India to service consumer(s) of any other country in India; (Mode 2-Consumption abroad)
- (iii) Supply of a ‘service’ from India through commercial presence in any other country. (Mode 3 – Commercial Presence.)
- (iv) Supply of a ‘service’ from India through the presence of natural persons in any other country (Mode 4- Presence of natural persons.)

11.53 “Ships” means all types of vessels used for seaborne trade or coastal trade, and shall include second hand vessels.

11.54 “SION” means Standard Input Output Norms notified by DGFT.

11.55 “Spares” means a part or a sub-assembly or assembly for substitution that is ready to replace an identical or similar part or sub- assembly or assembly. Spares include a component or an accessory.

11.56 “Specified” means specified by or under the provisions of this Policy through Notification/ Public Notice.

11.57 “Status holder” means an exporter recognized for export performance by an RA as per para 1.25 of the FTP.

11.58 “Stores” means goods for use in a vessel or aircraft and includes fuel and spares and other articles of equipment, whether or not for immediate fitting.

11.59 (a) “Supporting Manufacturer” is one who manufactures goods/products or any part/accessories/components of a good/ product for a merchant exporter or a manufacturer exporter under a specific Authorisation.

(b) “Supporting Manufacturer” for the EPCG Scheme shall be one in whose premises/ factory Capital Goods imported/ procured under EPCG Authorisation is installed.

11.60 State Trading Enterprises (STEs), for the purpose of this FTP, are those entities which are granted exclusive right/privileges export and /or import as per Para 2.20 (a) of FTP.

11.61 “Third-party exports” means exports made by an exporter or manufacturer on behalf of another exporter(s). In such cases, export documents such as shipping bills shall indicate names of both manufacturer exporter/manufacturer

and third party exporter(s). Bank Realisation Certificate (BRC), Self Declaration Form (SDF), export order and invoice should be in the name of third party exporter.

11.62 “Transaction Value” is as defined in Customs Valuation Rules of Department of Revenue.

11.63 “Wild Animal” means any wild animal as defined in Section 2 (36) of Wildlife (Protection) Act, 1972.

GLOSSARY (ACRONYMS)

Acronym	Explanation
AA	Advance Authorisation
AANF	Appendices and Aayaat Niryaat Form
ACU	Asian Clearing Union
AEZ	Agri Export Zone
ANF	Aayat Niryaat Form
ARE-1	Application for Removal of Excisable Goods for Export (By Air/Sea/Post/Land)
ARE-3	Application for Removal of Excisable Goods from a factory or a warehouse to another warehouse
ACP	Accredited Clients Programme
AEO	Authorised Economic Operator
AES	Approved Exporter's Scheme
APEDA	Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority
ARO	Advance Release Order
ASEAN	Association of South-East Asian Nations
ASIDE	Assistance to States for Infrastructure Development of Exports
AU	Actual User
BCD	Basic Customs Duty
BG	Bank Guarantee
BIFR	Board of Industrial and Financial Reconstruction
BOA	Board of Approval
BOT	Board of Trade
BRC	Bank Realisation Certificate
BTP	Biotechnology Park
BIS	Bureau of Indian Standards
CBEC	Central Board of Excise and Customs
CCP	Customs Clearance Permit
CEA	Central Excise Authority
CEC	Chartered Engineer Certificate
CED	Central Excise Duty
CENVAT	Central Value Added Tax
CETF	Common Effluent Treatment Facility
CFCs	Common Facility Centres
CG	Capital Goods
CIF	Cost, Insurance & Freight
CIN	Corporate Identification Number
CIS	Commonwealth of Independent States

CKD	Completely Knocked Down
CoD	Cash on Delivery
CoO	Certificate of Origin
CQCTD	Committee on Quality Complaints and Trade Disputes
CRES	Certificate of Registration as Exporter of Spices
CST	Central Sales Tax
CIN	Company Identification Number
CRES	Certification of Registration as Exporter of Spices
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CBEC	Central Board of Excise and Customs
CSP	Common Service Provider
CECA	Comprehensive Economic Cooperation Agreement
CVD	Countervailing Duty
DA	Document against Acceptance
DBK	Drawback
DC	Development commissioner
DDA	Diamond Dollar Accounts
DEA	Department of Economic Affairs
DEL	Denied Entity List
DES	Duty exemption Schemes
DFIA	Duty Free Import Authorisation
DGCI&S	Director General, Commercial Intelligence & Statistics
DIN	Director Identification Number
DPIN	Designated Partner Identification Number
DGFT	Director General of Foreign Trade
DoBT	Department of Bio Technology
DoC	Department of Commerce
DeitY	Department of Electronics and Information Technology
DoR	Department of Revenue
DoT	Department of Telecommunications
DRS	Duty Remission Schemes
DTA	Domestic Tariff Area
e-BRC	Electronic Bank Realisation Certificate
e-IEC	Electronic Importer-Exporter Code
ECA	Enforcement-cum-Adjudication
EDI	Electronic Data Interchange
ECGC	Export Credit Guarantee Corporation
EEFC	Exchange Earners' Foreign Currency
EFC	Exim Facilitation Committee
EFT	Electronic Fund Transfer
EGM	Export General Manifest
EHTP	Electronic Hardware Technology Park
EIC	Export Inspection Council
EO	Export Obligation

EODC	Export Obligation discharge Certificate
EOP	Export Obligation Period
EOU	Export Oriented Unit
EPC	Export Promotion Council
EPCG	Export Promotion Capital Goods
EPO	Engineering Processing Outsourcing
EXIM	Export Import
FDI	Foreign Direct Investment
FE	Foreign Exchange
FEMA	Foreign Exchange Management Act
FIEO	Federation of Indian Export Organisation
FIRC	Foreign Exchange Inward Remittance Certificate
FOB	Free On Board
FOR	Freight on Road and Rails
FT (D&R) Act	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (22 of 1992)
FTDO	Foreign Trade Development Officer
FTP	Foreign Trade Policy
FT(R) Rules	Foreign Trade (Regulation) Rules
FTWZ	Free Trade and Warehousing Zone
FTA	Free Trade Agreement
G&J EPC	Gems & Jewellery Export Promotion Council
GOI	Government of India
GATS	General Agreement on Trade in Services
GR	Guarantee of Realisation
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Process
HBP	Handbook of Procedures
HHEC	Handicraft & Handlooms Exports Corporation
ICB	International Competitive Bidding
ICD	Inland Container Depot
ICM	Indian Commercial Mission
IEC	Importer Exporter Code
ISO	International Organisation for Standardisation
IAEA	International Atomic Energy Agency
INFCIRC	International Atomic Energy Agency Information Circular
IEM	Industrial Entrepreneurial Memorandum
IMSC	Inter-Ministerial Standing Committee
IL	Industrial Licensing
ISO	International Standards Organisation
ITC (HS)	Indian Trade Classification (Harmonised System) for Export & Import Items
KVIC	Khadi and Village Industries Commission
LC	Letter of Credit
LCS	Land Customs Station
LLPIN	Limited Liability Partnership Number
LPG	Liquefied Petroleum Gas

LoC	Line of Credit
LoI	Letter of Intent
LoP	Letter of Permit
LUT	Legal Undertaking
MAI	Market Access Initiative
MDA	Market Development Assistance
MEA	Ministry of External Affairs
MEIS	Merchandise Exports from India Scheme
MRA	Mutual Recognition Agreements
MoD	Ministry of Defence
MoF	Ministry of Finance
MSME	Ministry of Micro Small and Medium Enterprises
MSMED	Micro Small and Medium Enterprises Development
MSTC	Metal Scrap Trade Corporation
NBFC	Non-Banking Financial Company
NC	Norms Committee
NFE	Net Foreign Exchange
NI	Non-Infringing
NCB	National Competitive Bidding
NOC	No Objection Certificate
PDS	Public Distribution System
PEC	Project and Equipment Corporation of India Ltd.
PIC	Policy Interpretation Committee
PRC	Policy Relaxation Committee
PAN	Permanent Account Number
PH	Personal Hearing
PTA	Preferential Trade Agreement
PSU	Public Sector Undertaking
R&D	Research and Development
RA	Regional Authority
RBI	Reserve Bank of India
RCMC	Registration-cum-Membership Certificate
REP	Replenishment
RPA	Rupee Payment Area
S/B	Shipping Bill
SAD	Special Additional Duty
SCOMET	Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technology
SEI CMM	Software Engineers Institute's Capability Maturity Model
SEZ	Special Economic Zone
SEIS	Service Exports from India Scheme
SIA	Secretariat for Industrial Assistance
SIIC	State Industrial Infrastructure Corporation
SION	Standard Input Output Norms
SKD	Semi-Knocked Down

SLEPC	State Level Export Promotion committee
STC	State Trading Corporation
STCL	Spices Trading Corporation Limited
STE	State Trading Enterprise
STH	Star Trading House
STPI	Software Technology Park of India
STR	State Trading Regime
SUVs	Sports Utility Vehicles
TED	Terminal Excise Duty
TEE	Towns of Export Excellence
TH	Trading House
TPO	Trade Promotion Organization
TRA	Telegraphic Release Advice
TRQ	Tariff Rate Quota
TUFS	Technology Upgradation Fund Scheme
UAC	Units Approval Committee
UN	United Nations
VA	Value Addition
WCO	World Customs Organisation
WHOGMP	World Health Organisation Good Manufacturing Practices